जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

सशक्त आदिवासी
बदलता भारत

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

''गणतंत्र दिवस 2024 समारोह'' के दौरान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आए जनजातीय अतिथियों से मुलाकात करती हुई।

''गणतंत्र दिवस 2024 समारोह'' के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आए जनजातीय अतिथियों से मुलाकात करते हुए।

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

विषय-वस्तु

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय	1
2	मंत्रालय के कार्यकलाप- सिंहावलोकन	18
3	कार्यकलापों की मुख्य विशेषताएं	25
4	अनुसूचित जनजातियों की विवरणिका	39
5	अनुसूचित जनजातियां तथा अनुसूचित क्षेत्र	58
6	जनजातीय विकास की कार्यनीति और कार्यक्रम	69
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	79
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	85
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	116
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	119
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	130
12	जनजातीय उपज के लिए विपणन सहायता	133
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	138
14	स्वैच्छिक कार्यों के संवर्धन हेतु कार्यक्रम	142
15	अनुसूचित जनजाति के लिए मानव अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपाय	145
16	पूर्वोत्तर राज्यों पर फोकस	150
17	जेंडर बजटिंग	151
18	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	155
19	'लोक शिकायत और सूचना का अधिकार,' अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	156
20	विभागीय लेखा- परीक्षण	158

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	संगठनात्मक चार्ट - जनजातीय कार्य मंत्रालय	163
3क	वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के योजना-वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन और व्यय	164
3ख	वर्ष 2023-24 के लिए योजना-वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन और व्यय	165
4क	लिंग और निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जनसंख्या: जनगणना 2011	166
4ख	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत /राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता	168
4ग	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का भारत, राज्य-संघ राज्यक्षेत्र-वार लिंग अनुपात	169
4घ	सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनगणना 2011	170
4ङ	15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के अनुसूचित जनजातियों के लिए - स्नातक तथा इससे ऊपर का शैक्षिक स्तर	171
4च	जनजातीय क्षेत्रों में एससी, पीएचसी और सीएचसी की आवश्यकता और कमी	172
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला] / एएनएम	173
4ज	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला] / एएनएम	174
4झ	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ (नर्स स्टाफ)	175
4ञ	जनजातीय क्षेत्रों में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ (नर्स स्टाफ)	176
4ट	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डॉक्टर	177
4ठ	2015-16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन जोतों की संख्या का राज्य-वार प्रतिशत वितरण	178
4ड	2020-2022 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध / अत्याचार	179
4ढ	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले जिले	180

4ण	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय : जनगणना 2011	184
5क	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन	190
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची	192
5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	233
6क	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए डीएपीएसटी आवंटन	273
6ख	जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आवंटन एवं व्यय का विवरण (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से दिनांक 02.04.2024 को प्राप्त सूचना के अनुसार):	276
6ग	31.03.2024 तक पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित कुल गांवों, स्वीकृत ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) और जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे	278
6घ	2021-22 से 2023-24 (10.04.2024 को) तक अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत जारी निधियां	279
7	दिनांक 29.02.2024 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और अधिकार पत्र विलेखों के वितरण का विवरण।	280
8क	वर्ष 2023-24 के दौरान ईएमआरएस के शिलान्यास का विवरण (31-03-2024 तक)	281
8ख	वर्ष 2023-2024 में उद्घाटन किये गये ईएमआरएस का राज्य-वार विवरण (31.03.2024 तक)	283
8ग	31-03-2024 तक उन्नयन के तहत अनुमोदित ईएमआरएस की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या	285
8घ	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और उनके लाभार्थियों के ब्यौरे	286
8ङ	31 मार्च तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और उनके लाभार्थियों के ब्यौरे	287

9क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची	288
9ख	पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत जारी निधियां (31.03.2024 तक)	290
9ग	31 मार्च 2024 तक पीएम-जनमन प्रगति-लाइन मंत्रालय के स्वीकृत विवरण	291
10क	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	293
10ख	वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियां	295
11	2023-24 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के सहायता प्राप्त लाभार्थी	296
12	पीएमजेवीएम योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु वन उपज (एमएफपी) और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सूची	297
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के छह क्षेत्रीय कार्यालयों के पते (स्थान) और क्षेत्राधिकार	300
14	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2023-24 के दौरान लाभार्थियों और जारी निधि का विवरण	301
16	वर्ष 2023-24 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई राशि	319
17	वर्ष 2023-24 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियां	320
19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	323

शब्दावली

शब्द/संक्षेप	अर्थ/पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
एएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण-सह-विकास
सीएफटीआरआई	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सी.ओ.	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीएसपीएस	केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केंद्रीय क्षेत्र योजना
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
डीएपीएसटी	अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के लिए विकास कार्य योजना
डीईएसए	जिला शिक्षा सहायता एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श (मॉडल) आवासीय विद्यालय
ईवीएएस	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियाँ

एफडीसी	वन विकास निगमss
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
एफटीएस	फ़ाइल ट्रैकिंग प्रणाली
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटीडीपी/आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एजेंसी
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एमएडीए	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमएएन	महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
एमईएस	मॉड्यूलर रोज़गारक्षम कौशल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु-उद्देशीय जनजातीय विकास परियोजनाएँ
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनडीसीएसपी	राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन

एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीआरआई	राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान
एनईएसटीएस	राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
एनटीएफपी	गैर-इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएमएएजीवाई	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमजनमन	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप केंद्र
एससीए टू टीएसएस	जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता
अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)	भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों से ऐसे समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार केवल उन समुदायों को जोकि राष्ट्रपति द्वारा आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रकार घोषित किए गए हैं, को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
एससीएसवीई	स्वैच्छिक प्रयासों को सहायता देने के लिए राज्य समिति
एसजी	राज्य अनुदान
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
स्पैरो	बौद्धिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति

एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय सलाहकार परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत जिला परिषद
ट्राइफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप-योजना
टीएसएस	जनजातीय उप-स्कीम
यूसी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएल	सम स्रोत निर्धारक
वीडीवीके	वन धन विकास केंद्र
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
डब्ल्यूएएन	विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

अध्याय 1

जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि-विभाजन के उपरांत भारतीय समाज के सबसे अधिक वंचित समाज अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के समन्वित और नियोजित तरीके से एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग समय अवधि में निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:

- स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
- सितम्बर, 1985 से मई, 1998 तक कल्याण मंत्रालय।
- मई, 1998 से सितम्बर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961' के तहत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा।
2. जनजातीय कल्याणः जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना तैयार करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण;
3. जनजातीय कल्याण से संबद्ध स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास;
4. अनुसूचित जनजातियों सहित ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित;
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास

5क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

6 (क) अनुसूचित क्षेत्र;

(ख) राज्य के राज्यपालों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तैयार किये गये विनियमः

7 (क) आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देशों के मुद्दे।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

9. अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध अपराधों के मामलों में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन।

10. नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए ढ़ांचे (फ्रेमवर्क) और तंत्र (मेकैनिज्म) के आधार पर जनजातीय उप-योजना की निगरानी।

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। हालाँकि, इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं, नीति, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि के संबंध में उनके समन्वय के लिए भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय या विभाग है।

भूमिका

1.4 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने हेतु अभिप्रेत हैं। जबकि क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक जिम्मेवारी सभी केन्द्र मंत्रालयों/विभागों की है, वहीं जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक उपायों के माध्यम से उनके प्रयासों को अनुपूरक प्रदान करता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से और संस्थान निर्माण के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में केंद्रीय राज्य मंत्रियों की सहायता से कार्य करता है। मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख सचिव हैं जिनकी सहायता के लिए दो अपर सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक उप-महानिदेशक और एक आर्थिक सलाहकार हैं। संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) आंतरिक वित्त और बजट मामलों में मंत्रालय की सहायता करते रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट / व्यय नियंत्रण में मदद करते हैं। मंत्रालय प्रभागों और अनुभागों के रूप में संगठित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास 116 कर्मचारियों के कार्य बल के साथ 151

कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है। इसमें 46 समूह 'क' पद, 58 समूह 'ख' पद (राजपत्रित / गैर-राजपत्रित) तथा 47 समूह 'ग' पद हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-1** पर है।

मंत्रालय के तहत प्रशासन, प्रभाग तथा संगठन

1.6 मंत्रालय की स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले, मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के स्थापना संबंधी मामलों को भी इसी प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। सतर्कता तथा शिकायत संबंधी मामले देखने के लिए एक समर्पित प्रभाग है।

प्रशासनिक प्रभाग के अलावा, सीएलएम प्रभाग, एफआरए प्रभाग, एनसीएसटी प्रभाग, नीति विश्लेषण, और लोक शिकायत प्रभाग सांख्यिकी प्रभाग, हिंदी प्रभाग जैसे संवैधानिक और कानूनी मामलों को देखने वाले प्रभाग हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं को संचालित करने वाले प्रभाग छात्रवृत्ति प्रभाग, एनजीओ प्रभाग, ईएमआरएस प्रभाग, अनुदान प्रभाग, पीवीटीजी प्रभाग, टीआरआई प्रभाग, आजीविका और पीएमएएवाई प्रभाग हैं। एसटीसी प्रभाग 41 बाध्य मंत्रालयो/विभागों और राज्यों की अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी करता है। मंत्रालय में एक समर्पित जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के साथ-साथ एक मीडिया प्रकोष्ठ भी है। एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के प्रमुख संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य संगठन हैं।

1.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय दिल्ली में तीन स्थानों नामतः शास्त्री भवन (राजेंद्र प्रसाद रोड), निर्माण भवन (मौलाना आज़ाद रोड) और जीवन तारा बिल्डिंग (संसद मार्ग), नई दिल्ली में स्थित हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

1.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा नए अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यों का मूल्यांकन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों

की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार निहित हैं। एनसीएसटी का मुख्यालय लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.9 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संस्था है जिसे 10.04.2001 को स्थापित किया गया था। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम, ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाता है। एनएसटीएफडीसी का कार्यालय भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम, नई दिल्ली में स्थित है। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के स्तर का होता है।

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस)

1.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) को 1 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत ईएमआरएस की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एनईएसटीएस का प्रमुख आयुक्त, एनईएसटीएस होता हैं, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के स्तर का होता है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग में स्थित है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

1.11 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के तहत स्थापित एक बहु राज्य सहकारी समिति है, जो सेवा प्रदाता और जनजातीय (आदिवासी) उत्पादों के लिए बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करती है। यह देश में अपने खुदरा आउटलेट 'ट्राइब्स इंडिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय (आदिवासी) उत्पादों का विपणन करता है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वनोपज (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं को

प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ट्राइफेड का कार्यालय एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज III, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित है।

1.11.1 ट्राइफेड की अधिकृत शेयर पूंजी 300.00 करोड़ रुपए है। 31.12.2023 को ट्राइफेड की चुकता शेयर पूंजी 100.56 करोड़ रुपये थी। दिनांक 31.12.2022 तक ट्राइफेड के 31 सदस्य (शेयरधारक) हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है और ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयरधारक है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

1.12 आईसीटी परिदृश्य के विविधीकरण और डिजिटल इंडिया पहल के साथ, सरकार के लिए यह बिल्कुल जरूरी हो गया है कि वह बदलती उपयोगकर्ता अपेक्षाओं के मद्देनजर गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाए। वर्ष 2023-24 में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एनआईसी के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की है और आईटी कार्य वातावरण एवं सेवा वितरण में मानकीकरण और सुधार की दिशा में आगे बढ़ा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में एनआईसी सेल (प्रकोष्ठ) सुरक्षित मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म कंप्यूटर-आधारित अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) / समाधान, डेटाबेस समर्थन, इंटरनेट, ईमेल, ई-ऑफिस, नेटवर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को वितरित (प्रदायगी) करने और लागू करने के लिए नवीनतम कंप्यूटर सिस्टम से सुसज्जित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और जनजातीय कार्य मंत्रालय के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती (नियोजन) को गति देने के लिए एनआईसी - मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में एनआईसी की एक समर्पित टीम है जिसमें उप महानिदेशक (डीडीजी) रैंक का एक अधिकारी, एक वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एक वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक और एक वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ख है। मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) प्रकोष्ठ के समन्वय से विभिन्न परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं:

1.12.1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/गतिविधियां

- प्रशिक्षण संबंधी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग
- वेब पोर्टल और वेब आधारित अनुप्रयोगों (एप्लीकेशनों) का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- एनआईसी क्लाउड पर वेबसाइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों का नियोजन
- साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन
- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

- ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी और एनईएसटीएस को उनकी आईसीटी संबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों में सहायता।
- एनटीआरआई को सहायता
- समय-समय पर मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वेबकास्ट लिंक का निर्माण
- मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न हितधारकों को बल्क (बड़ी तादाद में) एसएमएस सेवाएँ।

1.12.2. ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन (अनुप्रयोग)/पोर्टल

एनआईसी मंत्रालय के अधिकारियों को जेनेरिक ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग सबंधी सहायता भी प्रदान करता है जैसे कि:

- https://mta.eoffice.gov.in
- https://nsp.gov.in (अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च कक्षा छात्रवृत्ति के लिए डेटा)
- http://bhavishya.gov.in (पेंशन, संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली)
- https://limbs.gov.in (अदालती मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लिकेशन)
- https://pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल),
- https://e-samiksha.gov.in
- ई-टेंडरिंग, ई-सर्विस बुक, ई-एचआरएमएस, स्पैरो, ई-विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जीएलआईएस, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि।
- https://swachhatahiseva.com (स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान गतिविधियों और तस्वीरों को अपलोड करने में सहायता प्रदान करना)
- https://vilpower.in (विभिन्न हितधारकों को एसएमएस सेवाएँ भेजने के लिए एसएमएस टेम्प्लेट का पंजीकरण और अनुमोदन)

1.13 **डिजिटल गवर्नेंस**:-

"डिजिटल इंडिया" लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, परिणामोन्मुख योजना और सेवा वितरण (प्रदायगी) के लिए डेटा-संचालित शासन मॉडल विकसित किए हैं। मंत्रालय की सभी योजनाओं और पहलों को **20** समर्पित पोर्टलों/वेबसाइटों/मोबाइल ऐप्स के साथ शुरू से अंत तक डिजिटाइज़ किया गया है, जो प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से मंत्रालय की मूल वेबसाइट के साथ एकीकृत हैं। अधिकांश ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन एनआईसी सेल, एमओटीए द्वारा इन-हाउस डिजाइन और विकसित किए गए हैं और एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किए गए हैं। एनआईसी टीम इन ई-जीओवी अनुप्रयोगों के नियमित सुरक्षा ऑडिट और सुरक्षा पैच के अद्यतन को सुनिश्चित करती है।

1.14 साइबर सुरक्षा

मंत्रालय की वेबसाइट और विकसित सभी एप्लिकेशन/पोर्टल को बाहरी खतरों से इन एप्लिकेशन/पोर्टल को सुरक्षित करने के लिए सीईआरटी-इन (CERT-In) पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा सुरक्षा ऑडिट प्राप्त करने के बाद एनआईसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है। सभी वेबसाइटों/एप्लिकेशन के पास उन्हें अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) प्रमाणपत्र होता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न साइबर सुरक्षा पहलुओं जैसे पासवर्ड प्रबंधन, ईमेल सुरक्षा, डेस्कटॉप प्रबंधन, हटाने योग्य मीडिया सुरक्षा, सोशल मीडिया सुरक्षा, साइबर सुरक्षा परामर्शी और घटना रिपोर्टिंग आदि पर सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क उपकरणों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आवेदन पोर्टलों को सुरक्षित करने और मंत्रालय में आईटी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए सीईआरटी-इन (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) द्वारा साइबर मुद्दों के संबंध में सुरक्षा सलाह को पूरी तरह से लागू किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। सीईआरटी-इन (CERT-In) के दिशानिर्देशों के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के पूरे नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की गई है। साइबर सुरक्षा के संबंध में एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक निर्देश भी इसके संबद्ध संगठनों को परिचालित किए गए हैं। सीईआरटी-इन (CERT-In), आईबी (IB), एनआईसी-सीईआरटी (NIC-CERT), एनसीआईआईपीसी (NCIIPC), आई4सी (I4C) से प्राप्त परामर्शियों (सलाह)/चेतावनी/कमजोरियों को तुरंत ध्यान में लाया गया है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

साइबर जागरुकता दिवस (सीजेडी) महीने के प्रत्येक पहले बुधवार को मनाया जा रहा है और एनआईसी के साइबर सुरक्षा प्रभाग द्वारा मंत्रालय के सभी अधिकारियों के लिए एक वेबिनार आयोजित किया जाता है और ई-नोटिस बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय में प्रसारित किया जा रहा है। साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों के लिए साइबर स्वच्छता पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया था।

1.15 प्रदर्शन डैशबोर्ड: प्रदर्शन डैशबोर्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के आंकड़ों पर विश्लेषण प्रदान करता है ताकि योजनाओं की कुशल योजना और निगरानी को सक्षम किया जा सके। मंत्रालय का प्रदर्शन डैशबोर्ड मंत्रालय द्वारा विकसित एक आईटी इंटरफेस है, जो विभिन्न मापदंडों के संबंध में राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन को दर्शाते हुए प्रत्येक योजना के आउटपुट-परिणाम संकेतक प्रदान करता है। कई स्रोतों से प्राप्त डेटा को एमएस-पावर-बीआई का उपयोग करके गुणवत्ता सक्षम कुशल योजना

और निगरानी के लिए संकलित, रूपांतरित, मूल्यांकित किया जाता है। छात्रवृत्ति योजनाओं, एनजीओ अनुदान, ईएमआरएस, मंत्रालयवार अनुसूचित जनजाति घटक सांख्यिकी, डेटा रिपोजिटरी सांख्यिकी आदि के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित विश्लेषण भी किया गया था। इस विश्लेषण का उपयोग मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के मुख्य प्रदर्शन (निष्पादन) संकेतकों (केपीआई) की निगरानी के लिए किया जा रहा है। डैशबोर्ड डेटा संचालित निर्णय लेने और जीयूआई इंटरफेस में कल्पित रूझान और पैटर्न के आधार पर विभिन्न योजनाओं की निगरानी में एक बहुत प्रभावी उपकरण रहा है। डैशबोर्ड को एमएस-पावर-बीआई विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय के प्रदर्शन डैशबोर्ड को एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है।

1.16 ई-गवर्नेंस पहलें : विभिन्न योजनाओं से संबंधित ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग निम्नानुसार हैं:

क. केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस योजनाएं):

क्र.सं.	स्कीम	ई-जीओवी अनुप्रयोग
1-2	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	https://dbttribal.gov.in/
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	https://tritribal.gov.in/ https://repository.tribal.gov.in/ https://adiprashikshan,tribal,gov.in
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	https://grants.tribal.gov.in/
5	(जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	

ख. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं:

क्र.सं.	स्कीम	ई-जीओवी अनुप्रयोग
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	https://emrs.tribal.gov.in
2	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	https://ngo.tribal.gov.in
3.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	https://www.nstfdc.net
4	ट्राइफेड को संस्थागत समर्थन	https://trifed.tribal.gov.in
5	जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा	https://tritribal.gov.in

क्र.सं.	स्कीम	ई-जीओवी अनुप्रयोग
		https://repository.tribal.gov.in
6	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	https://fellowship.tribal.gov.in https://scholarships.gov.in
7	विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	https://overseas.tribal.gov.in
8	आईईसी अभियान के लिए पीएम-जनमन पोर्टल	https://adiprasaran.tribal.gov.in/pm-janman/Man.aspx

ग. राज्यों को अन्य स्थानांतरण

1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान	https://grants.tribal.gov.in/

घ. डिजिटलीकरण के लिए अन्य पहलें (अन्य एमआईएस/डैशबोर्ड/ई-सेवाएं)

क्र.सं.	पहल का नाम	ई-जीओवी आवेदन
1	प्रदर्शन डैशबोर्ड	dashboard.tribal.gov.in
2	अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निगरानी प्रणाली	https://stcmis.gov.in
3	उमंग मोबाइल ऐप पर एनएफएस और एनओएस	https://play.google.com/store/apps
4	जनजातीय भंडार (रिपोजिटरी)	https://tribal.nic.in/repository/
5	समाचार पोर्टल (आदि-प्रसारण)	https://adiprasaran.tribal.gov.in/
6	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली	https://tribal.gov.in/mtad
7	आदिकलाकर पोर्टल	https://adikalakar.tribal.gov.in

1.17 प्रयास-पीएमओ डैशबोर्ड (https://prayas.nic.in) पर योजनाएं):

सात योजनाओं (मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, एनएफएस, एनओएस, एनजीओ, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति और ईएमआरएस) के माह-वार संचयी डेटा को लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री (एलजीडी) के अनुरूप बनाया गया था और इसे वेब एपीआई का उपयोग करके पीएमओ के प्रयास डैशबोर्ड में पोर्ट किया जा रहा है। डैशबोर्ड शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए समय श्रृंखला विश्लेषण के साथ विभिन्न केपीआई दिखाता है। प्रयास डैशबोर्ड केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करता है, जिसकी निगरानी एक ही मंच पर योजना और निगरानी के उद्देश्य से पीएमओ, माननीय मंत्री और अन्य शीर्ष स्तरों पर की जा रही है।

1.18 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स: अपने पूरे जीवन चक्र में सार्वजनिक नीति को चलाने में डेटा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के उभरते अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य के साथ, नीति आयोग ने 2020 में डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, डेटा सुरक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रीय मंत्रालयों की डेटा तैयारियों का पता लगाने के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) की पहल शुरू की।

डीजीक्यूआई का इरादा मंत्रालयों/विभागों और राज्य विभागों को मानकीकृत ढांचे के आधार पर डेटा परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर खुद का आकलन करने में सक्षम बनाना है, जो बदले में भारत सरकार में डिजिटलीकरण को सुदृढ़ करने की सुविधा प्रदान करेगा। समग्र दृष्टिकोण के दायरे के तहत, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स द्वारा कवर किए गए डेटा प्रणाली स्तंभ के तहत छह प्रमुख विषयों: डेटा जनित्रण (जनरेशन), डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता और मामला अध्ययन की पहचान की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी नीति द्वारा निर्धारित स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर डीजीक्यूआई अभ्यास में भाग लिया और शासन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2018 से इसके द्वारा की गई विभिन्न पहलों का प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2022-23 (क्यू4) में, 74 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 275 केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से, जिन्हें विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मॉनिटर किए गए डीजीआईक्यू पोर्टल में शामिल किया गया था, का स्कोरकार्ड निम्नानुसार था:

श्रेणी	स्कोर	रैंक
74 मंत्रालयों के बीच समग्र प्रदर्शन	4.61	12
सामाजिक श्रेणी	4.61	6

1.19 पीएम गतिशक्ति सेल: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रौद्योगिकी समर्थित बुनियादी ढांचा विकास मंच है जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एकीकृत योजना, समन्वित कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी के लिए जीआईएस आधारित / डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है। यह एक एकीकृत मंच है जो ट्रंक और यूटिलिटी इंफ्रा, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क, पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रा, भूमि राजस्व मानचित्र, संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) सुविधाएं, कौशल केंद्र, अस्पताल, वन, वन्यजीव अभयारण्य आदि का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है।

एनएमपी को डेटा आधारित निर्णय सहायता प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें परियोजना नियोजन उपकरण, गतिशील डैशबोर्ड, एमआईएस रिपोर्ट निर्माण आदि शामिल हैं, ताकि

बुनियादी ढांचे की योजना और कार्यान्वयन में लाइन मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता मिल सके।

एनएमपी पोर्टल पर परियोजनाओं की परियोजना नियोजन सुनिश्चित करने के लिए डीपीआईआईटी की इच्छा के अनुसार मंत्रालय में सामाजिक क्षेत्र नियोजन के तहत एक समर्पित पीएम गतिशक्ति प्रकोष्ठ (सेल) बनाया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वांछित विशेषताओं वाली 3 परतों की पहचान की है, जिन्हें डीपीआईआईटी के तकनीकी भागीदार बीआईएसएजी-एन के साथ साझा किया गया है और इन परतों को पीएम गतिशक्ति (एनएमपी) पोर्टल में शामिल किया गया है।

बीआईएसएजी-एन सभी प्लेटफार्मों पर एनएमपी के बीच, मंत्रालयों/विभागों/राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के व्यक्तिगत पोर्टल और अन्य पोर्टल (मंत्रालयों/विभागों/राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा चिन्हित किए गए) पीएम गति शक्ति एनएमपी के साथ एकीकरण के लिए डेटा अंतर प्रचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) की सुविधा प्रदान करेगा।

1.20 पीएम जनमन पोर्टल: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 लाइन मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण उपायों (हस्तक्षेपों) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 24,104 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दी। माननीय प्रधान मंत्री ने 15 नवंबर, 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन मिशन का शुभारंभ किया, जिसमें जनजातीय समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचने का संकल्प लिया गया, जिनमें से अधिकांश अभी भी जंगलों में रहते हैं।

पीएम-जनमन विजन का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में अंतरों को पाटकर पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों, बस्तियों और परिवारों में नौ मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा योजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के एनआईसी सेल द्वारा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा पीएम-जनमन पर आईईसी अभियान को रिकॉर्ड करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। इस आईईसी अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य सरकार/टीआरआई, जिला और मंत्रालय स्तर के अधिकारियों को लॉगिन प्रदान किए गए थे। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के आवासों में शिविरों के लिए नियोजित विस्तृत गतिविधि को अपलोड करने की जिम्मेदारी थी, जिसमें भारत सरकार की 20 से अधिक दैनिक आधार पर प्रमुख योजनाओं से लाभान्वित होना, लाभान्वित होने वाले आवासों का नाम, शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संभावित संख्या, उनके नाम, फोटो, वीडियो, समाचार पत्रों की कटिंग और दैनिक आधार पर उनके शिविर के लिए जमीनी स्तर की दीवार पेंटिंग की तस्वीरें शामिल थीं, जिससे पीएम जनमन की सफलता सुनिश्चित हुई।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.21 चूंकि हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है, अत:, जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न है। मंत्रालय का हिंदी प्रभाग राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, राष्ट्रपति के आदेशों और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के साथ-साथ मंत्रालय से संबद्ध सांविधिक दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद का कार्य भी देखता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, अपने से सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है। मंत्रालय के अधिकांश अधिकारी तथा कार्मिक हिन्दी में प्रवीण हैं अथवा हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान रखते हैं ।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा निगरानी और अनुवाद में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के दो पद स्वीकृत हैं। सहायक निदेशक (राजभाषा) का पद दिनांक 04.02.2023 से रिक्त है। वर्तमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के स्वीकृत पद पर उप निदेशक (राजभाषा) पदस्थ हैं। मंत्रालय के बढ़े हुए कार्यभार के मद्देनजर हिन्दी प्रभाग में दो (02) परामर्शदाता भी नियोजित हैं।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.22 यह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयासरत रहता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्रों के साथ 100% (शत-प्रतिशत) पत्राचार हिंदी में करने के यथासंभव प्रयास किए गए हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में दिये गए हैं। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की गई हैं। रबड़ की सभी मोहरें, नामपट्ट तथा मुद्रित सामग्री भी द्विभाषी तैयार करवाई गई हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता रहा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत बने राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं तथा मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जाता है।

हिन्दी माह का आयोजन

1.23 सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में सितम्बर, 2023 के दौरान ‘हिन्दी माह’ का आयोजन किया गया था ।

(पुरस्कार वितरण के दौरान ब्यूरो प्रमुख (हिंदी प्रभाग) एवं संयुक्त सचिव (प्रशा.) हिंदी प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा हिंदी प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ)

इस अवधि के दौरान 18 से 30 सितम्बर, 2023 तक 12 प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी में तत्काल भाषण, हिन्दी टंकण, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद-विवाद, अनुवाद और वर्ष भर मौलिक रूप से हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के हिन्दीत्तर भाषा-भाषी कार्मिकों के लिए इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान अलग से हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गईं ताकि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जा सके।

मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष दिनांक 16.02.2024 को आयोजित 'हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह' के दौरान विजेता प्रतियोगियों को 1,24,200/- रुपए के कुल 59 पुरस्कार प्रदान किए गए।

मंत्रालय में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए दिनांक 28.06.2023, 25.09.2023 एवं 27.12.2023 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया था।

सतर्कता गतिविधियां

1.24 मंत्रालय में, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सचिव मंत्रालय, को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखते हैं। एक निदेशक तथा एक अवर सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

1.25 मंत्रालय ने 30 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। इस वर्ष की थीम (विषय-वस्तु) "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" थी। कोविड-19 रोकथाम दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण की और सीवीसी की वेबसाइट पर जाकर ई-शपथ ली है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की सतर्कता गतिविधियों की सत्यनिष्ठा रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट क्रमशः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सीवीसी को नियमित आधार पर भेजी जा रही है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.26 मंत्रालय के लोक शिकायत विभाग के निदेशक को मंत्रालय में शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट डिजिटल और वास्तविक रूप से एक सार्वजनिक शिकायत कैसे दर्ज करें, इसका पूरा विवरण प्रदान करती है। लोक शिकायत निगरानी प्रणाली की ऑनलाइन निगरानी (सीपीजीआरएएमएस) की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, पीएमओ आदि के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त जन शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाता है।

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति

1.27 प्रत्येक महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्ष अपर सचिव, सुश्री आर. जया हैं। समिति को वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय से संबंधित यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

गणतंत्र दिवस समारोह

1.28 वर्षों से अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार, मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड और समारोह देखने के लिए भारत सरकार के जनजातीय मेहमानों के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को आमंत्रित करता है। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 31 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों (33 पुरुष और 27 महिलाएं) के जनजातीय मेहमानों ने संपर्क अधिकारियों के साथ भाग लिया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी में उनका स्वागत किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और 28 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली देखने के अलावा जनजातीय (आदिवासी) मेहमानों ने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास पर समारोह में भाग लिया। जनजातीय मेहमानों और झांकी कलाकारों के सम्मान में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा रात्रिभोज के साथ एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया।

8

विशेष अभियान 3.0 का समारोह मनाना

1.29 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की इच्छा के अनुसार 02.10.2023 से 31.10.2024 की अवधि के दौरान विशेष अभियान 3.0 मनाया था।

उक्त अवधि के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित नींव का पत्थर साबित होने वाली (माइल स्टोन) उपलब्धियां हासिल की हैं: -

मापदंड	लक्ष्य (संख्या में)	उपलब्धि (संख्या में)
लोक शिकायत	175	175
पीएमओ संदर्भ	3	2
आईएमसी संदर्भ (कैबिनेट प्रस्ताव)	0	0
राज्य सरकार संदर्भ	02	02
संसदीय आश्वासन	20	06
रिकॉर्ड प्रबंधन (फ़ाइलें) (क) वास्तविक फ़ाइलों की समीक्षा		
(ख) छंटाई (नष्ट करने) के लिए पहचान की गई वास्तविक फाइलें	2281	2281
(ग) ई-फाइलों की समीक्षा की गई और बंद कर दिया गया	485	485
स्वच्छता परिसर	731 (समीक्षित)	210 (बंद की गई)
मापदंड	2	2

1.30 सचिवों का क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस)

सचिव, 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय', कल्याण समूह के एसजीओएस के संयोजक हैं, जिसके सदस्य के रूप में अन्य नौ सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसके अन्य सदस्यों में जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव शामिल हैं। मंत्रालय कल्याण संबंधी एसजीओएस में एक सक्रिय भागीदार रहा है, जिसने पीपीटी प्रारूप में समूह का पंचवर्षीय विजन दस्तावेज तैयार किया है। मंत्रालयों/विभागों, एसजीओएस, कल्याण ने एसजीओएस विजन @2047 के प्रस्तुतीकरण में समाविष्ट कार्रवाई योग्य सुझावों/बिंदुओं का संकलन पहले ही कर लिया है।

संसदीय स्थायी समिति

1.31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 17.02.2023 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वर्ष 2023-24 हेतु अनुदानों की विस्तृत मांगों की जांच के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की

44वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के नोट्स दिनांक 19.06.2023 को लोक सभा सचिवालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शाखा संबंधी स्थायी समिति) को भेजे गए। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अन्य विभाग संबंधित स्थायी समितियों के सामने भी मौखिक साक्ष्य दिया था:

- दिनांक 05.01.2023 और 04.09.2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के समक्ष "जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ" विषय पर मौखिक साक्ष्य। दिनांक 04.09.2023 को समिति की बैठक के संबंध में बिंदुओं की सूची के उत्तर 19.10.2023 को लोक सभा सचिवालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता शाखा संबंधी स्थायी समिति) को भेजे गए।
- दिनांक 20.12.2023 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के समक्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघों को मान्यता न दिए जाने के संबंध में "केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विशिष्ट संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन" विषय पर मौखिक साक्ष्य।

परामर्शदात्री समिति की बैठक

1.32 जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक में दिनांक 10.08.2023 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, एनएसटीएफडीसी योजनाएं और जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका" के एजेंडे पर चर्चा की गई।

पंचायती राज संस्था (पीआरआई)/पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)

1.33 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय मंत्रालय है। एमओपीआर का उद्देश्य पंचायतों या पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में इसकी प्रयोज्यता के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) अधिनियमित किया। वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद हैं।

****

अध्याय- 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप- एक सिंहावलोकन

2.1 मंत्रालय, देश में जनजातीय लोगों के विकास हेतु सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अर्थात 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान' के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र से प्रायोजित योजनाओं का संचालन करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची नीचे दी गयी हैः

क. केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस योजनाएं):

क्र.सं.	योजना
1-2	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास/प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)
5	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्रामीण योजना-पीएमएएजीवाई (पहले जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में जानी जाती थी - टीएसएस को एससीए)
6	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रशासनिक लागत

ख. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना:

क्र.सं.	योजना
1	एकलव्य आदर्श (मॉडल) आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
3	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
4	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
5	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
6	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और समारोह/कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)
7	निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक आकलन (ऑडिट) (मेसा)
8	अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि
9	पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार तंत्र विकास

ग. राज्यों को अन्य स्थानांतरण

क्र.सं.	योजना
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान

2.2 मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में एक सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि विवरण बाद के अध्यायों में दिया गया है।

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण

2.3 शैक्षिक विकास आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रथम सोपान है, और जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सबसे प्रभावी साधन भी है। मंत्रालय द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना द्वारा बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से शिक्षा तक बेहतर पहुंच के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों की स्थापना एवं उन्नयन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। छात्रों को बीच में स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) से रोकने के लिए और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय की 5 छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जैसे मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) और छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, जिसके तहत पात्र छात्रों को भारत और विदेशों में अध्ययन करने/उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस**)** की योजना**,** केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में**,** वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। 2018-19 के केंद्रीय बजट में**,** भारत सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक अ.ज.जा. (एसटी) आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्कूल स्थापित किया जाएगा। योजना को आबादी के मानदण्ड़ों पर आधारित 452 नए विद्यालयों की स्थापना हेतु 17.12.2018 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन ईएमआरएस की स्थापना खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालय के समतुल्य की जानी है। ईएमआरएस को शुरू में संविधान के अनुच्छेद **275(1)** के तहत अनुदान कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित किया गया था**,** जिसे नए मॉडल के अनुसार अपग्रेड (उन्नयन) किया जा रहा है। संचयी रूप से**, 740** ईएमआरएस की स्थापना के लिए पहचान की गई है।

2.5 कक्षा IX और X में पढ़ रहे पात्र अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की एक योजना 1.7.2012 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों विशेष रूप से लड़कियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक में और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। बेहतर भागीदारी और प्रदर्शन के साथ, उनके पास शिक्षा के मैट्रिकोत्तर चरण से आगे बढ़ने का एक बेहतर मौका है।

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दर शैक्षणिक सत्र 2019-20 (01.12.2019) से संशोधित की गई है।

2.6 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का उद्येश्य भारत में कक्षा ग्यारह से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है।

2.7 मंत्रालय द्वारा इन 2 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अलावा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की तीन छात्रवृत्ति योजनाएं, अर्थात; राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास) जिसे "अ.ज.जा. छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" कहा जाता है और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, क्रियांवित की जाती हैं। 01.04.2021 से संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन सभी पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी जैसे अधिसूचित 252 संस्थानों में प्रवेश लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत हर साल 750 छात्रों को 5 साल तक की अवधि के लिए एम.फिल और पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अध्येतावृत्ति यूजीसी की दरों के बराबर दी जाएगी।

2.8 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत, मंत्रालय प्रति वर्ष 20 छात्रों को शीर्ष 1000 क्यूएस विश्व रैंक विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर, पीएच.डी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के दिशा-निर्देशों को भी 01.04.2021 से संशोधित किया गया है।

2.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका क्षेत्र में 'अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' योजना कार्यान्वित करता है। योजना के संशोधित दिशा निर्देश 23.01.2023 को जारी किए गए। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय मानदण्ड़ों के साथ योजना के दिशा-निर्देशों को वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से, आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, मोबाईल (चल) औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों आदि को कवर करने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना है और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत अनुशंसित एक निर्धारित प्रारूप में, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा के सुद्दढ़करण

हेतु भी निधियां दी जाती हैं जिसका लक्ष्य सामान्य महिला आबादी और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर को कम करना है और यह विशेष रुप से अजजा लड़कियों के लिए है।

2.10 मंत्रालय "संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक" के तहत राज्यों को अनुदान देता है। यह प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के तहत भी अनुदान प्रदान करता है।

2.11 सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना को नया रूप दिया है और इसे 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' नाम दिया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों में चरणवद्ध तरीके से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अ.ज.जा. (एसटी) वाले कुल 36,428 गांवों को शामिल किया जाएगा । इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करना है।

2.12 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में अवसरंचना ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। इसमें विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का दृष्टिकोण शामिल है।

2.13 लगभग 75 जनजातीय समूह हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजी के निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नानुसार हैं:

- प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर;
- एक स्थिर या घटती जनसंख्या;
- कम साक्षरता; तथा
- अर्थव्यवस्था का एक निर्वाह स्तर

पीवीटीजी, अन्य जनजातीय समूहों की तरह, भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं के लाभों के लिए पात्र हैं जो सामान्य आबादी के लिए उपलब्ध हैं, साथ ही राज्यों और केंद्र सरकार के टीएसपी के तहत योजनाओं के लिए भी पात्र हैं। इसके अलावा, उनकी विशेष जरूरतों को पहचानते हुए और पीवीटीजी के विकास के लिए एक समुदाय/क्षेत्र संचालित दृष्टिकोण के लिए, भारत सरकार पीवीटीजी आबादी के साथ 18 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीवीटीजी के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और आवास अधिकारों की मान्यता के क्षेत्रों में "संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी)

योजनाओं" के अनुसार अनुमोदित प्राथमिकता वाली गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से निर्देशित एक योजना प्रदान करती है। योजना के तहत सहायता अनिवार्य रूप से अंतराल (गैप) भरने वाले हस्तक्षेपों/उपायों की प्रकृति की है।

जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देना

मंत्रालय एनएसटीएफडीसी और ट्राइफेड के माध्यम से जनजातीय आबादी की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

2.14 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है।

2.15 मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता के पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संशाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/लघुवन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधन को बढावा देकर आजिविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। योजना के तहत, राज्य सरकारों को वनधन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों/अपूर्तिकर्ताओं के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, पेंटिग, बेंत एवं बांस, टेराकोटा तथा मिट्टी के बर्तन, जैविक एवं प्राकृतिक खाद्य उत्पादों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें संभावित खरीददारों से जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने हेतु त्यौहारों, मेलों आदि का आयोजन करता है तथा उनमें भाग लेता है, जिससे उन्हें अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण और संवर्धन

2.16 मंत्रालय जनजातीय संस्कृति परम्परा और रीति-रिवाजों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए "जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता" और " जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम" की योजनाओं को लागू कर रहा है। मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी ढांचागत जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं के आयोजन में सुदृढ़ करने के लिए ताकि जनजातीय सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं एवं रीति-रिवाजों को संरक्षित और प्रसरित किया जा सके तथा जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध

संघर्ष किया और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उन जनजातीय लोगों के वीरता पूर्ण एवं देश भक्तिपूर्ण कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना हेतु भी केंद्रीय प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता' के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है । देश भर में 28 टीआरआई हैं।

2.17 'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और महोत्सव (कार्यक्रम) (टीआरआई-ईसीई)' योजना का उद्देश्य समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सूचना का प्रसार और जागरूकता का सृजन करना है, जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और फोटो प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प एक्सपो, कार्यशालाएं, संगोष्ठियों का आयोजन, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालने वाले प्रकाशनों को प्रकाशित करना, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, नियमित अंतराल पर अन्य आवश्यक प्रचार के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य के विभागों की उपलब्धियां शामिल हैं ।

इस योजना के तहत राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, संघ/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, गैर-लाभकारी निजी संगठनों और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह परिकल्पना की गई है कि इस तरह के संगठन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने के लिए राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के ज्ञान बैंक के निर्माण और पूरक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)

2.18 सरकार ने हाल ही में लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। पीएम-जनमन 11 महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो इस उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्रित मौजूदा अंतरों के आधार पर सभी पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों / पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करता है।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) / अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्य योजना (डीएपीएसटी) की निगरानी

2.19 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 41 मंत्रालयों/विभागों (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी)/अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा टीएसपी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (https://stcmis.gov.in) तैयार की गई है। मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत आवंटन और उपयोग की समीक्षा करने के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है और डीएपीएसटी निधियों के बेहतर उपयोग के लिए उनका मार्गदर्शन करता है।

जनजातीय समुदायों की शेड्यूलिंग/डी-शेड्यूलिंग

2.20 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक समुदायों की शेड्यूलिंग/डि-शेड्यूलिंग है। अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों के निर्धारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा प्रविधियों के अनुसार संसाधित किया जाता है जिन्हें 15.6.1999 को अनुमोदित किया गया था और 25.6.2002 और 14.09.2022 को और संशोधित किया गया था। इसी तरह, मंत्रालय संविधान की अनुसूची V के भीतर क्षेत्रों के समावेशन और अपवर्जन के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकरण है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जनजातीय परियोजना/एजेंसी, संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी और क्लस्टर के लिए अधिसूचनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

2.21 सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया, जिसे आमतौर पर 31.12.2007 को अधिसूचित वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए 01.01.2008 को नियमावली की अधिसूचना के साथ अधिनियम लागू हुआ। यह अधिनियम वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं और ग्राम स्तर की संस्थाओं को वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार भी देता है।

****

अध्याय 3
कार्यकलापों की विशेषताएं

स्कीम परिव्यय तथा इसके उपयोग

3.1 वर्ष 2023-24 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन (योजनाओं और गैर योजनाओं के तहत) 12461.88 करोड़ रूपये है। तथापि, 2023-24 के लिए योजना परिव्यय हेतु बजट आवंटन 12386 करोड़ रूपये है। वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों (योजना तथा गैर-योजना दोनों का योग) के तहत कुल निर्मुक्तियां 7545.23 करोड़ रूपये (31.03.2024) तक हैं जो संशोधित अनुमान का 99.21% है।

3.2 वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय के स्कीम-वार ब्यौरे **अनलुग्नक-3क** में दिए गए हैं। वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान बजट अनुमान तथा व्यय के स्कीम-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-3ख** में दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

3.3 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कम से कम 50% जनजातीय जनसख्या और 500 अनुसूचित जनजाति वाले कुल 36,428 गांवों को शामिल किया जाएगा। 31.03.2024, तक मंत्रालय ने 15989 गांवों के लिए ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को 2283.31 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 31.03.2024 तक पीएमएएजीवाई के तहत पहचाने गए कुल गांवों, अनुमोदित ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) और जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-3ग** में है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

3.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमोदित कुछ कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

- ईएमआरएस के लिए सभी मौसम की सड़क/पहुंच मार्ग और अन्य मरम्मत/उन्नयन कार्य
- प्राथमिक/अपर प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन/अतिरिक्त अवसंरचना।
- अजजा बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण ।
- सीएचसी/पीएचसी के लिए अस्पताल भवनों का निर्माण/विस्तार/सुदृढ़ीकरण।
- स्वास्थ्य उपस्कर का प्रावधान।
- कौशल विकास।
- जनजातीय घरेलू आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इनका विस्तार।
- कृषि पहलें/जैविक खेती का संवर्धन।

- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना।
- मुर्गी पालन/डेयरी/सुअर पालन/मछली पालन/भेड़/बकरी पालन आदि का आय सृजनकारी गतिविधि के रूप में संवर्धन।
- भवन अवसंरचना तथा उपकरण सहित पशु पालन/पशु चिकित्सा सेवाएं।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान।
- स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए निधियां प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत अभियान का सवंर्धन।

3.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

3.6 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना, 18 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फैले सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों के सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए 75 चिन्हित पीवीटीजी को कवर करती है। यह योजना लचीली है क्योंकि यह राज्यों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जिन्हें वे पीवीटीजी के लिए प्रासंगिक समझते हैं। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और अधिवास अधिकारों की मान्यता के क्षेत्रों में सरकारों द्वारा संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए कार्यकलापों को तैयार किया जाना है।

यह योजना पीवीटीजी आबादी के लिए सूक्ष्म योजनाएं बनाने का प्रावधान करती है। सीसीडी योजनाओं के मूल्यांकन के समय, लाभार्थियों की लिंगीय अलग-अलग जानकारी पर विचार किया जाना है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि कुल लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं/लड़कियां हों। सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन), वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्यों को केवल प्रतिबद्ध देयताएं जारी की जानी है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

सरकार ने हाल ही में लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण (संतृप्त) करना है।

पीएम-जनमन सभी पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों / पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करने के लिए 11 महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो इस उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से मौजूदा अंतराल पर आधारित है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2023 को भारत मंडपम में मंथन शिविर-राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 9 मंत्रालयों के भारत सरकार के मंत्रियों और सचिवों, 9 संबंधित राज्य विभागों के प्रधान सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित उपाय के लिए एक सामान्य एकीकृत कार्यान्वयन कार्यनीति, बस्ती स्तर की कार्य योजना और निधि प्रवाह तंत्र पर पहुंचने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। प्रत्येक मंत्रालय ने इस कार्य योजना को मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया।

15.01.2024 को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के लाभार्थियों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाभार्थियों ने माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत की। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 1 लाख पक्के घरों के निर्माण के लिए पीवीटीजी लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। देश भर के विभिन्न स्थानों पर 100 जिलों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने भाग लिया। 31.03.2024 तक पीएम-जनमन के तहत की गई प्रगति नीचे दी गई है:

पीएम-जनमन प्रगति - स्वीकृत संबंधित मंत्रालय विवरण 31.03.2024 तक		
मंत्रालय	**गतिविधि**	**लक्ष्य प्राप्त हुआ**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	1,88,696 घर
	संपर्क मार्ग	3001.698 किमी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयॉं	300 एमएमयू
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप द्वारा जलापूर्ति	2,92,941 एफएचटीसी को उपलब्ध कराए गए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण एवं संचालन	1050 एडब्ल्यूसी
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन	100 छात्रावास
जनजातीय कार्य मंत्रालय	वीडीवीके की स्थापना	502 वीडीवीके
	बहुउद्देशीय केंद्र	822 एमपीसी
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत एचएच का ऊर्जाकरण	1,24,016 एचएच
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	559 गांवों को कवर करने वाले 227 टावर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नवीन सौर ऊर्जा योजना के तहत स्वीकृत किये गये परिवार	नवीन सौर ऊर्जा योजना के तहत 5067 परिवारों को मंजूरी दी गई

क्र.सं.	राज्य	2023-24 के लिए स्वीकृत बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	125
2.	छत्तीसगढ़	73
3.	गुजरात	39
4.	झारखंड	46
5.	कर्नाटक	74
6.	केरल	15
7.	मध्य प्रदेश	125
8.	महाराष्ट्र	121
9.	ओडिशा	61
10.	राजस्थान	16
11.	तमिलनाडु	25
12.	तेलंगाना	49
13.	त्रिपुरा	39
14.	उत्तर प्रदेश	05
15.	उत्तराखंड	09
	कुल	**822**
	31.03.2024 तक जारी कुल निधियाँ	**9999.99 (रु. लाख में)**

3.7 अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

- राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना एक समर्पित पोर्टल, राष्ट्रीय जनजातीय अध्येतावृत्ति पोर्टल (https://fellowship.tribal.gov.in/) द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और शिकायतों आदि के निवारण के लिए प्रबंधित की जा रही है। वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु पोर्टल को 25.07.2023 से खोला गया था।
- अनंतिम रूप से चयनित अध्येतावृति छात्रों के विवरण के ऑनलाइन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय सत्यापन मॉड्यूल विकसित किया गया था।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायत मॉड्यूल विकसित किया गया (https://tribal.nic.in/Grievance/) I
- सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए अध्येतावृत्ति पोर्टल को डिजी-लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है।

उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) (https://scholarships.gov.in/) के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए पोर्टल को 01.10.2023 से नए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने और आवेदकों के नवीनीकरण के लिए खोला गया था।
- इस योजना के दो घटक हैं, संस्थागत शुल्क और छात्रवृत्ति। संस्थान के लिए शुल्क सीधे संस्थान को जारी किया जाएगा जबकि छात्रों को छात्रवृत्ति (स्टाइपेन्ड) राशि डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती है।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत मॉड्यूल (https://tribal.nic.in/Grievance/) विकसित किया गया है।

3.8 विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति, सत्यापन, लाभार्थियों के चयन के प्रबंधन के लिए एक समर्पित पोर्टल (https:// overseas.tribal.gov.in/) विकसित किया है। सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर (सुविधाजनक) बनाने के लिए पोर्टल को डिजी-लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल 16.06.2023 से खोला गया था।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

3.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय सेवा की कमी वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों और मुख्य रूप से स्वास्थ्य तथा शिक्षा और आजीविका के क्षेत्रों (सेक्टर्स) में एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में 320 परियोजनाओं के लिए लगभग 190 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तपोषित कर रहा है। आवेदन जमा करने और सत्यापन से लेकर आवेदक संगठन के खाते में निधियां जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया अब एक समर्पित एनजीओ पोर्टल (https://ngo.tribal.gov.in) के माध्यम से की जाती है, जहां गैर-सरकारी संगठन भी वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनजीओ केवल उसी उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग करें जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था, पीएफएमएस के आरईएटी मॉड्यूल के माध्यम से निधियों की निगरानी की जाती है। एनजीओ पोर्टल में एक संचार मॉड्यूल भी शामिल है जो एनजीओ और मंत्रालय के बीच दोतरफा संचार (संवाद) प्रदान करता है और गैर-सरकारी संगठनों को प्रश्नों, दस्तावेजों, उनकी शिकायतों को अपलोड करने और उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

3.10 अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने 93,609 लाभार्थियों के लिए 383.18 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम ने 31.03.2024 तक स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 351.65 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

3.11 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) देश भर में अपने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से 99 स्वयं के बिक्री आउटलेट्स, 11 खेप बिक्री और 08 फ्रेंचाइज आउटलेट और देश भर में स्थित प्रदर्शनियों के साथ 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के खुदरा विपणन नेटवर्क के माध्यम से विपणन के लिए जनजातीय उत्पादों की पहचान करता है और प्राप्त करता है। इसके अलावा, ट्राइफेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए जनजातीय कारीगरों के उत्पादों को भी बेचता है।

3.11.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध हों और ये उन लोगों के लिए स्थायी आधार पर उपलब्ध हों जो पहले से ही इस पहल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए एक कुशल और समान रूप से व्यापक विपणन प्रणाली की आवश्यकता है। ट्राइफेड ऐसी विपणन प्रणाली के लिए संस्थागत ढांचे को बनाने में लगा हुआ है। ट्राइफेड ने 3069 जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें एक व्यक्तिगत जनजातीय कलाकार, एसएचजी के रूप में कुछ कारीगरों के छोटे समूहों के साथ-साथ सहकारिता, राज्य सरकार के संगठनों आदि के हिस्से के रूप में जुड़े जनजातियों का एक बड़ा समूह शामिल है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता

3.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और रीति-रिवाजों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' योजना का वार्षिक परिव्यय 2016-17 में 21.00 करोड़ रुपये से 2023-24 में 118.64 करोड़ रूपये बढ़ाया गया है। वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, गोवा राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में जनजातीय अनुसंधान सस्थानों के लिए भवनों हेतु निधियॉं प्रदान की गई हैं, जहां हाल ही में टीआरआई स्थापित किए गए हैं, आज की तारीख में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर सहित 28 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में टीआरआई मौजूद हैं। 2023-24 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों जैसे पीएम-जनमन योजना के लिए जागरूकता सृजन, अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन, जनजातीय त्योहारों का आयोजन, आधारभूत सर्वेक्षण, प्रकाशन, वृत्तचित्र/दस्तावेज़ीकरण, विनिमय यात्राओं और जनजातीय गौरव दिवस आदि से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अलावा, टीआरआई ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उत्सव 26 नवंबर, 2023 को संविधान दिवस तक जारी रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर, 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के उलिहातु गांव का दौरा

किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने।

(तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर, 2023 को रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मारक पार्क सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया)

25.05.2023 को खूंटी, **झारखंड में महिला सम्मेलन:** जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों के महिला स्वयं सहायता समूहों के योगदान को याद करने तथा आने वाली पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने हेतु 25.05.2023 को

झारखंड के खूंटी में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। भारत की माननीय राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा महिलाओं से बातचीत भी की।

3.13 राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान :

राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसका उद्‌घाटन 07 जून, 2022 को नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एस्टेट में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) परिसर में किया गया। व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एनटीआरआई का लक्ष्य साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों का समाधान करने के लिए केंद्र बिंदु बनना है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना से जनजातीय अनुसंधान में सुधार और टीआरआई के बेहतर समन्वय और प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। वर्तमान में, एनटीआरआई का कामकाज और गतिविधियाँ टीआरआई, उत्तराखंड द्वारा एक संरक्षक के रूप में संचालित की जाती हैं। एनटीआरआई का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में स्थित जनजातीय शोध संस्थानों (टीआरआई) को मार्गदर्शन प्रदान करना और शोध कार्यों, मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण, जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करने, भाषाओं, आवासों आदि सहित समृद्ध जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करने में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। एनटीआरआई ने विभिन्न प्रभावशाली कार्यक्रम और आयोजन (कार्यक्रम) आयोजित किए हैं।

निधियों का उपयोग

3.14 31.03.2024 तक, 118.64 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आवंटन में से 43.53 करोड़ रुपये की राशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को जारी की जा चुकी है। मंत्रालय टीआरआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है ताकि वे उन गतिविधियों में तेजी ला सकें जिनके लिए उन्हें निधियाँ जारी की गई हैं और एसएनए शेष को कम किया जा सके तथा आगे की निर्मुक्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकें।

जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)

'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)', एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के तहत 2023-24 के दौरान कुछ प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'मंथन' जनजातीय कल्याण संगोष्ठी

3.15 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय मंथन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने समकक्ष राज्य विभागों के साथ 15 दिसंबर, 2023 को दिल्ली में पीएम-जनमन के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए राज्यों की विस्तृत कार्य योजना वाली यह विस्तृत कार्य योजना भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिवों द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो भारत सरकार में संबंधित मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री हैं, जिसके अध्यक्ष माननीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं। इस मंथन शिविर में वरिष्ठ स्तर पर राज्यों का बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व किया गया।

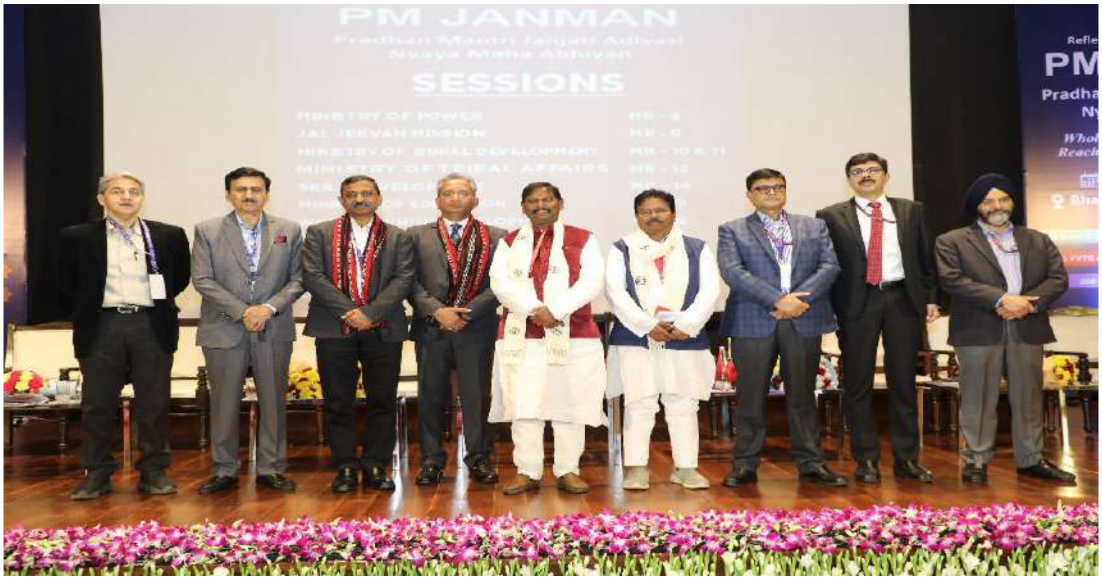

3.16 आदि महोत्सव: जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) देश में भारतीय जजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) के सहयोग से "आदि महोत्सव" का आयोजन कर रहा है जिसमें व्यक्तिगत जनजातीय कारीगरों, जनजातीय स्वयं सहायता समूहों, जनजातियों के साथ काम करने वाली एजेंसियों / संगठनों को भाग लेने और उनकी समृद्ध जनजातीय विरासत प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जनजातीय कारीगरों को जनजातीय कला, कलाकृतियों और अन्य उत्पादों को पंसद करने वालों के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है और उन्हें उनके रूचि और वरीयताओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह उन्हें अपने उत्पाद डिजाइनों और निर्मिति को तदनुसार संशोधित करने में मदद करता है। इस आयोजन में जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन और व्यंजन भी शामिल हैं, जो जनजातीय कला और संस्कृति को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। आदि

महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) की योजना के तहत गतिविधियों में से एक है। ट्राइफेड ब्रांडिंग और प्रचार, कौशल विकास, त्योहारों/कार्यक्रमों के आयोजन आदि के एक भाग के रूप में समय-समय पर आदि महोत्सव, आदि बाजार, आदि चित्र और अन्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करता है और आवश्यकता के अनुसार निधियां आवंटित की जाती हैं। ट्राइफेड ने अप्रैल, 2023, अक्टूबर, 2023 से फरवरी, 2024 की अवधि के दौरान राउरकेला (ओडिशा), जमशेदपुर (झारखंड), अहमदाबाद (गुजरात) और नई दिल्ली में 4 आदि महोत्सव आयोजित किए हैं।

3.17 'जनजातीय गौरव दिवस'

भारत सरकार ने देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यह तारीख देश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती है। इस संबंध में दिनांक 12.11.2021 की अधिसूचना को भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खण्ड 1 में दिनांक 15.11.2021 को प्रकाशित किया गया था। यह दिन सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों को फिर से सक्रिय करने के लिए भी मनाया जाता है। यह तीसरा वर्ष है जब जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा प्रदान करने के लिए समाधान के रूप में उठाया गया एक कदम है। भारत

के जनजातीय समुदायों को समर्पित 12 दिवसीय (15-26 नवंबर, 2023) उत्सव पूरे देश में 15 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ शुरू हुआ और इसने जनजातीय संस्कृति के विभिन्न रंगों पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस, 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन का दौरा किया।

समारोह में राज्यों और नई दिल्ली में प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

3.18 टीआरआई आंध्र प्रदेश ने विशाखापत्तनम में सिकल सेल पर कार्यशाला, खेल आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए।

3.19 टीआरआई नागालैंड ने खेल कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम में नागालैंड के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ नौकरशाह, अधिकारी और कर्मचारी तथा नागालैंड की सभी जनजातियों के होह जनजातीय शामिल हुए। कोहिमा शहर में जनजातीय वॉकथॉन 15.11.2023 को आयोजित किया गया।

बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी)/अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी

3.20 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/अजजा के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए डीएपीएसटी के तहत अपने कुल योजना आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (stcmis.gov.in) तैयार की गई है।

नीति आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजनाओं के अंतर्गत आवंटन, उपयोग और कार्यान्वयन तंत्र में सुधार के लिए डीएपीएससी/डीएपीएसटी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति ने मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। नीति आयोग द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

3.21 29.02.2024 तक, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 50,26,801 है, जिनमें से 84.44% दावों का निपटारा किया जा चुका है और 24,85,191 अधिकार पत्र (49.44%) जारी किए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम और इसके कार्यान्वयन के बारे में सभी विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 7 में शामिल हैं।

अध्याय 4

अनुसूचित जनजातियों की विवरणिका

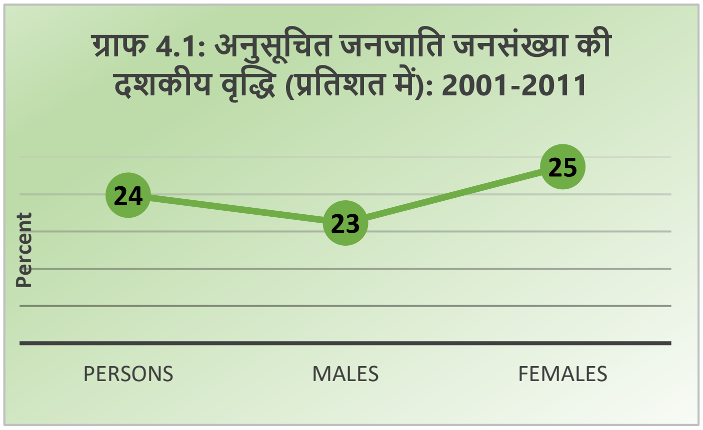

जनसंख्या

4.1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ तथा अजजा महिलाओं की जनसंख्या 5.20 करोड़ है। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में **ग्राफ 4.1** में दर्शाई गई दशकीय वृद्धि से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या की वृद्धि दर (25%), अनुसूचित जनजाति के पुरूष जनसंख्या की वृद्धि दर (23%) से उच्चतर है।

लिंग और निवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या **अनुलग्नक-4क** में दी गई है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत आबादी और भारत में कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की तुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता का विवरण **अनुलग्नक 4ख** में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के आधार पर क्रमबद्ध राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का स्थान (रैंक): जनगणना 2011

शीर्ष 5 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र			नीचे के 5 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	
लक्षद्वीप	94.8%		उत्तर प्रदेश	0.6%
मिज़ोरम	94.4%		तमिलनाडु	1.1%
नागालैण्ड	86.5%		बिहार	1.3%
मेघालय	86.1%		केरल	1.5%
लद्दाख	79.5%		उत्तराखंड	2.9%

जनसंख्यां से संबंधित आंकड़ों के बारे में अद्यतन जानकारी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाने वाली जनगणना 2021 के पश्चात उपलब्ध होगी!

लैंगिक अनुपात

4.2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लैंगिक अनुपात 990 है जो राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। अनुसूचित जनजाति लैंगिक अनुपात भी वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिलाएं हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात उच्च दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं का लैंगिक अनुपात निम्नतम अर्थात 924 दर्शाया है। वर्ष 2001 और 2011 में आवासीय आधार पर राज्य/राज्यक्षेत्र-वार अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात **अनुलग्नक-4ग** में दिया गया है।

बाल लैंगिक अनुपात

4.3 0-6 वर्ष आयु वर्ग के संबंध में बाल लैंगिक अनुपात 2001 में 972 से घट कर 2011 में 957 हो गया है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लैंगिक अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लैंगिक अनुपात जो 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां है, की तुलना में अधिक है।

साक्षरता दर

4.4 जनगणना आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से 2011 में 59% तक सुधार हुआ है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा उसी अवधि में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49.4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में लगभग 14 प्रतिशत अंकों का अंतर है। वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 के लिए व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में अखिल भारतीय साक्षरता की तुलना मे अजजा की साक्षरता दरों में अंतर जैसा **ग्राफ 4.2** में दर्शाया गया है, उत्तरोतर गिरावट दर्शाता है। वर्ष 1961 के बाद की जनगणना के आधार पर साक्षरता दरें निम्नलिखित **तालिका 4.2** में दी गई हैं।

ग्राफ 4.2: साक्षरता दरों में अंतर जनगणना: 1991, 2001 और 2011

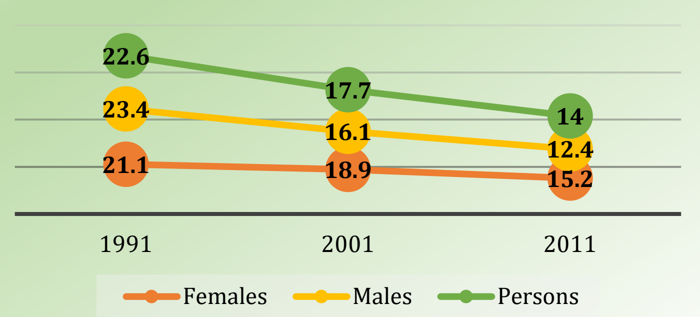

तालिका 4.2: अनुसूचित जनजाति और सभी के बीच साक्षरता दरें

वर्ष	सभी			अनुसूचित जनजातियां		
	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएँ	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएँ
1961	28.30	40.40	15.35	8.53	13.83	3.16
1971	34.45	45.96	21.97	11.30	17.63	4.85
1981	43.57	56.38	29.76	16.35	24.52	8.04
1991	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19
2001	64.84	75.26	53.67	47.10	59.17	34.76
2011	73.00	80.90	64.60	59.00	68.50	49.40
2022-23	80.30	86.20	74.20	73.60	80.40	66.70

स्रोतः जनगणना 1961 से 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

2022-23 के लिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशत से अधिक का अंतर दर्शाया है। हालांकि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की। संपूर्ण जनसंख्या की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार साक्षरता दरें, अनुसूचित जनजाति की आबादी और अंतर का विवरण **अनुलग्नक- 4घ** में दिया गया है।

4.6 एनएसएस के **75**वें दौर (जुलाई **2017 - जून 2018)** के अनुसार 'सामाजिक उपभोग: शिक्षा' पर सर्वेक्षण के अनुसार अजजा के लिए साक्षरता दर **71.4%** है और सभी श्रेणियों के लिए तदनुरुपी आंकड़ा **77.7%** है। इसके अलावा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट (जुलाई **2022**-जून **2023)** के अनुसार, अजजा के लिए साक्षरता **73.60%** है और सभी श्रेणियों के लिए तदनुरुपी आंकड़ा **80.30%** है।

4.7 जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर के वर्ग के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4ङ** में दिए गए हैं। वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु भारत के लिए वर्गीकृत, लैंगिक-वार अलग-अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10-14 वर्ष, 15-19 वर्ष, 20-24 वर्ष की आयु), किशोर (10-19 वर्ष) तथा युवा (15-24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर **तालिका 4.3** में दी गई हैः

तालिका 4.3: आयु वर्ग के अनुसार साक्षरता दर- जनगणना 2011

सभी श्रेणियाँ (आयु समूह)	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10-14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15-19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20-24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10-19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15-24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

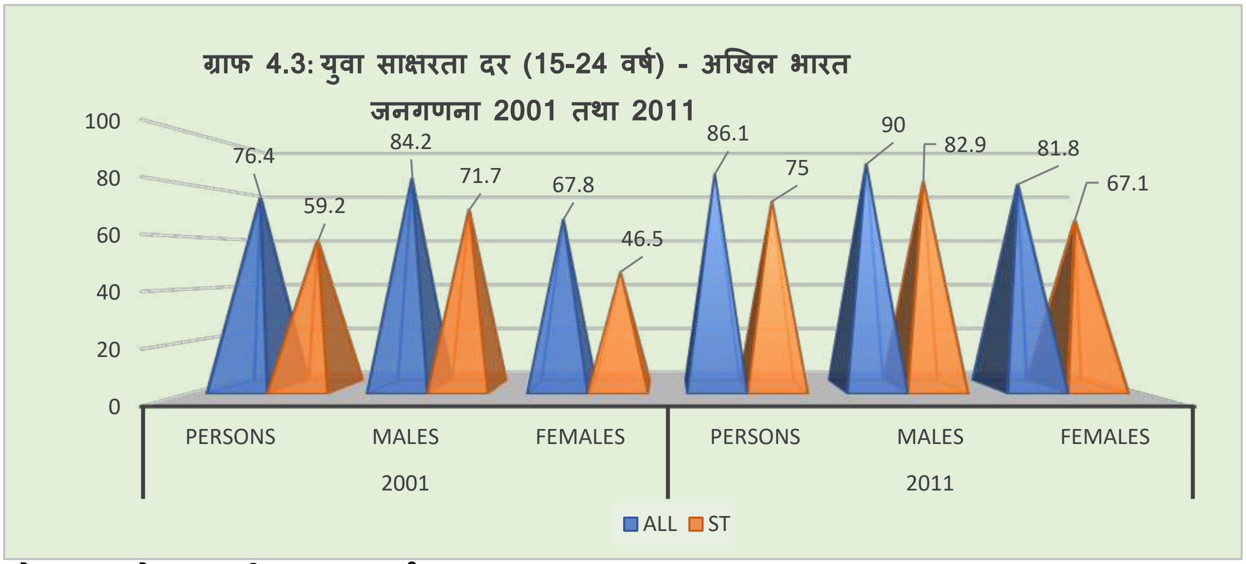

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

युवा साक्षरता दर

4.8 जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के अनुसार समस्त तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अखिल भारतीय स्तर पर युवा साक्षरता दर, **ग्राफ 4.3** में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजाति युवा साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 75 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की पुरुष युवा साक्षरता दर में 11 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला युवा साक्षरता दर में 20 प्रतिशत अंकों का महत्वपूर्ण उछाल दर्शाया है। तथापि, समस्त जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दर के बीच अंतर अभी भी विद्यमान है।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

4.9 वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे **तालिका 4.4** में दिए गए हैं। माध्यमिक, सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) **तालिका 4.5** में दिया गया है। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2017-18 – 2021-22 (वर्ष 2017-18 में 107.7 से 2021-22 में 106.5) के दौरान केवल प्राथमिक स्तर पर जीईआर में मामूली कमी आई है जबकि उच्च प्राथमिक, एलिमेन्टरी (प्रारंभिक), माध्यमिक, सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक स्तरों पर जीईआर में सुधार हुआ है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए जीईआर उच्च प्राथमिक स्तर पर 2017-18 में 92.7% से बढ़कर 2021-22 में 97.6% माध्यमिक स्तर पर 2017-18 में 73.1% से बढ़कर 2021-22 में 79.2% हो गया है और सीनीयर (वरिष्ठ) माध्यमिक स्तर पर 2017-18 में 39.4% से बढ़कर 2021-22 में 52.0% हो गया है। इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा के संबंध में अजजा जीईआर में सुधार हुआ है, जोकि 2017-18 में 15.9% से 2019-20 में 18.0% हो गया है।

तालिका 4.4: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

स्तर/वर्ष	प्राथमिक(I-V) 6-10 वर्ष			उच्च प्राथमिक(VI-VIII) 11-13 वर्ष			प्रारंभिक(I-VIII) 6-13 वर्ष		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2017-18	106.23	109.26	107.77	92.74	94.64	93.71	101.24	103.84	102.57
2018-19	105.64	107.63	106.66	92.18	93.62	92.92	100.66	102.45	101.57
2019-20	106.57	107.63	107.11	93.01	93.93	93.48	101.54	102.58	102.08
2020-21	106.62	106.81	106.72	95.42	96.10	95.77	102.46	102.88	102.68
2021-22	106.7	106.3	106.5	97.6	98.3	98.0	103.3	103.4	103.4

तालिका 4.5: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX-X) 14-15 वर्ष			सीनीयर (वरिष्ठ) माध्यमिक (XI-XII) 16-17 वर्ष			उच्चतर शिक्षा 18-23 वर्ष		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2017-18	73.11	72.99	73.05	39.37	39.51	39.44	14.9	17.0	15.9
2018-19	75.85	74.87	75.35	42.70	41.80	42.24	16.5	17.9	17.2
2019-20	77.24	76.22	76.72	43.90	41.92	42.89	17.7	18.2	18.0
2020-21	79.32	77.91	78.60	46.52	43.83	45.15	19.1	18.8	18.9
2021-22	79.2	77.0	78.1	53.6	50.5	52.0	20.9	21.4	21.2

डेटा स्रोत:

स्कूली शिक्षा के लिए: शिक्षा प्लस हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+), शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा के लिए: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी),

प्राथमिक स्तर के लिए जीईआर की परिभाषाः आयु से इतर प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल नामांकन एक विद्यालय-वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय-आयु आबादी (6-10+ वर्ष) की जनसंख्या को प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

लैंगिक (जेंडर) समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.10 लैंगिक समानता सूचकांक की गणना लड़कियों के जीईआर और लड़कों के जीईआर के अनुपात के रूप में की जाती है। यह शिक्षा में लड़कों की भागीदारी और/या लड़कों के लिए उपलब्ध शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों के संबंध में शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी और/या लड़कियों के लिए उपलब्ध शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है। यह समाज में लड़कियों के सशक्तिकरण के स्तर का भी प्रतिनिधित्व करता है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) में 2017-18 से 2021-22 के दौरान माध्यमिक, सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर सुधार दर्शाया है। आंकड़े नीचे **तालिका 4.6** में दिए गए हैं:

तालिका 4.6: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई)

स्तर/ वर्ष	माध्यमिक (IX-X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	उच्चतर शिक्षा
2017-18	1.00	1.00	0.91
2018-19	1.01	1.02	0.96
2019-20	1.01	1.05	1.00
2020-21	1.02	1.06	1.02
2021-22	1.03	1.06	0.98

आंकड़ों का स्रोत:

स्कूली शिक्षा के लिएः शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा के लिएः अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

एनए: उपलब्ध नहीं

बीच में स्कूली शिक्षा छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दरें

4.11 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा में स्कूल छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दरों का विवरण नीचे तालिका **4.7** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि **2017-18** से **2021-22** तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अजजा छात्रों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर में गिरावट आई है। इसके अलावा, एसटी लड़कों की तुलना में एसटी लड़कियों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर में अधिक गिरावट आई है।

तालिका 4.7: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा में स्कूल छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर

वर्ष /कक्षाएं	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2017-18	3.48	3.82	3.66	6.14	5.95	6.04	21.36	22.90	22.14
2018-19	5.23	5.72	5.48	6.46	6.89	6.69	23.38	26.40	24.93
2019-20	3.61	4.06	3.85	5.81	6.30	6.06	22.65	25.64	24.18
2020-21	2.31	2.72	2.52	4.69	5.36	5.02	19.65	22.14	20.91
2021-22	2.60	3.04	2.83	5.70	6.35	6.03	15.33	17.87	16.62

स्रोत: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई+), शिक्षा मंत्रालय

परीक्षा परिणाम

4.12 वर्ष 2020 के दौरान, 73.1 % (84.4% सभी के लिए) तथा 77.4 % (82.8% सभी के लिए) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मुक्त (ओपन) बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की है। सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः **तालिका 4.8 तथा तालिका 4.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.8: 2016-2020 के दौरान माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशतता

वर्ष	सभी श्रेणियाँ			अजजा		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2016 (पी)	77.7	79.8	78.7	65.2	64.9	65.0
2017 (पी)	76.10	78.05	77.00	67.18	67.14	67.16
2018 (पी)	75.08	77.16	78.30	67.25	67.92	67.69
2019	78.70	82.55	80.52	67.22	69.46	68.34
2020 (पी)	82.98	86.1	84.41	72.16	74.13	73.14

तालिका 4.9: वर्ष 2016-2020 के दौरान उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशतता

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
2016 (पी)	74.3	82.2	77.9	65.5	71.4	68.2
2017 (पी)	72.72	79.51	75.87	68.72	74.17	71.90
2018 (पी)	73.82	83.21	76.26	69.71	75.46	71.56
2019	76.21	84.03	79.86	70.59	76.86	73.64
2020 (पी)	79.30	86.90	82.87	74.49	80.41	77.40

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय

अ- अनंतिम

पारण (ट्रांजीशन) दरों की परिभाषा: पारण (ट्रांजीशन) दर उन छात्रों के अनुपात को दर्शाती है जो उच्च कक्षा में जाने में सक्षम हैं। 100% से नीचे की पारण (ट्रांजीशन) दर इंगित करती है कि छात्रों को रोक दिया गया है या इन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।

2017-18 में 61.7% अजजा छात्रों की तुलना में 2021-22 के दौरान, 73.5% अजजा छात्र कक्षा-X से कक्षा-XI में पारण करने में सक्षम हैं। हालांकि अभी भी सभी श्रेणियों की तुलना में पारण दर में अंतर है।

तालिका 4.10: 2017-18 से 2021-22 के दौरान माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (X से XI) में पारण (ट्रांजीशन) दरें

वर्ष	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (दसवीं से ग्यारहवीं)					
	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के
2017-18	63.38	62.05	62.70	61.71	61.64	61.68
2018-19	70.21	67.53	68.80	63.38	62.05	62.70
2019-20	73.09	70.23	71.60	63.60	61.97	62.78
2020-21	73.60	71.99	72.76	64.76	62.79	63.77
2021-22	79.29	77.6	78.41	74.95	72.12	73.52

स्रोतः यूडीआईएसई+, शिक्षा मंत्रालय

स्वास्थ्य संकेतक

4.13 2019-21 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) -5 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु दर (यू 5 एमआर) और अजजा (एसटी) महिलाओं के साथ-साथ सभी श्रेणीयों की महिलाओं में एनीमिया की स्थिति **ग्राफ 4.4** में दर्शाई गई है। **ग्राफ 4.5** से यह देखा जा सकता है कि शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु दर और सभी श्रेणी की और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की स्थिति में, 2015-16 (एनएफएचएस -4) से 2019-21 (एनएफएचएस -5) में काफी सुधार हुआ है।

ग्राफ 4.4: स्वास्थ्य संकेतक: एनएफएचएस-5 (2019-21)

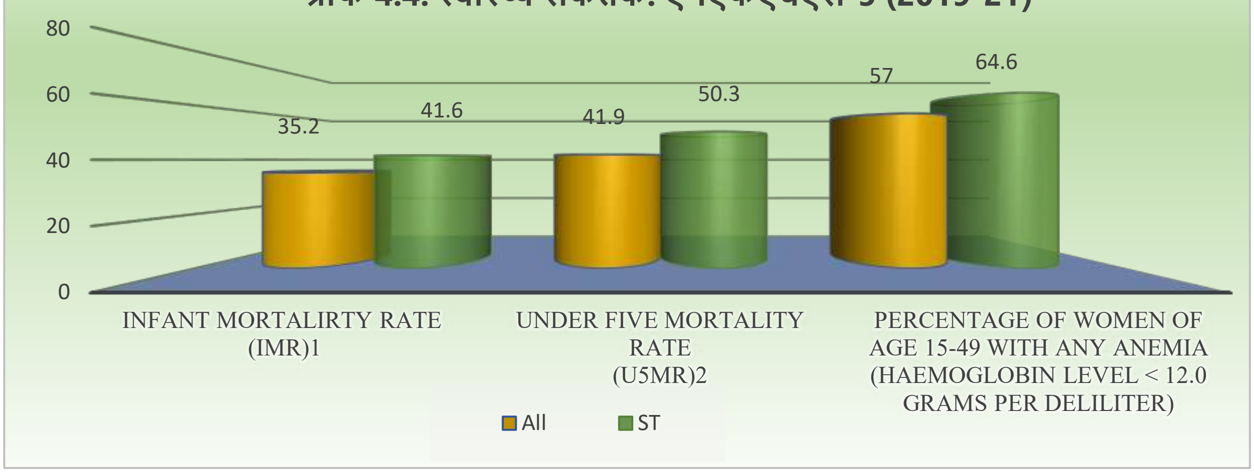

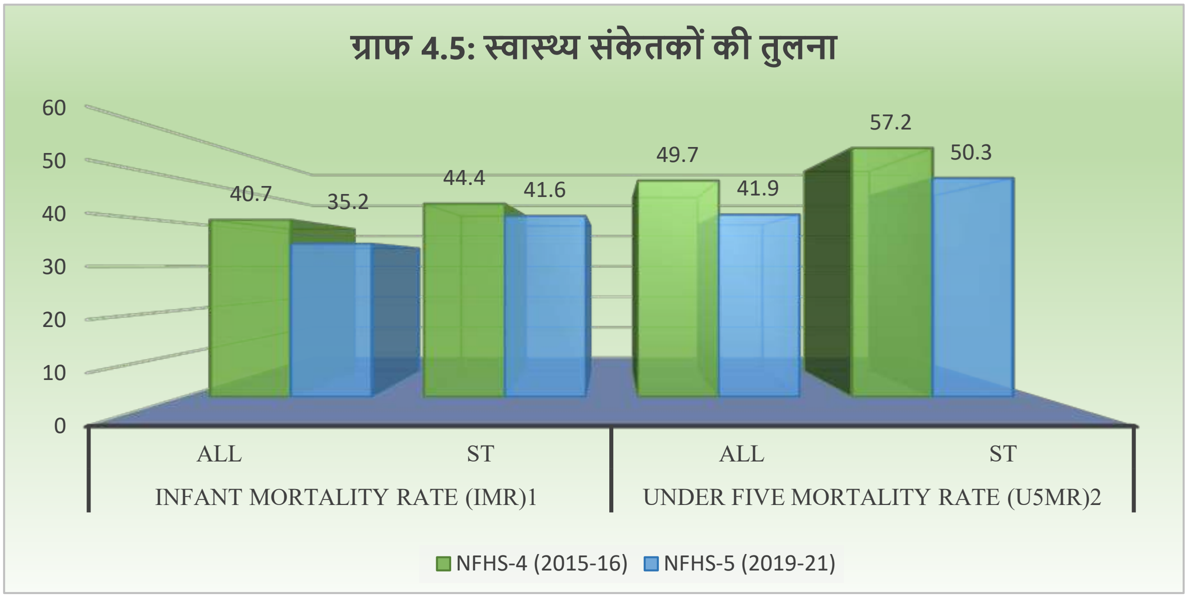

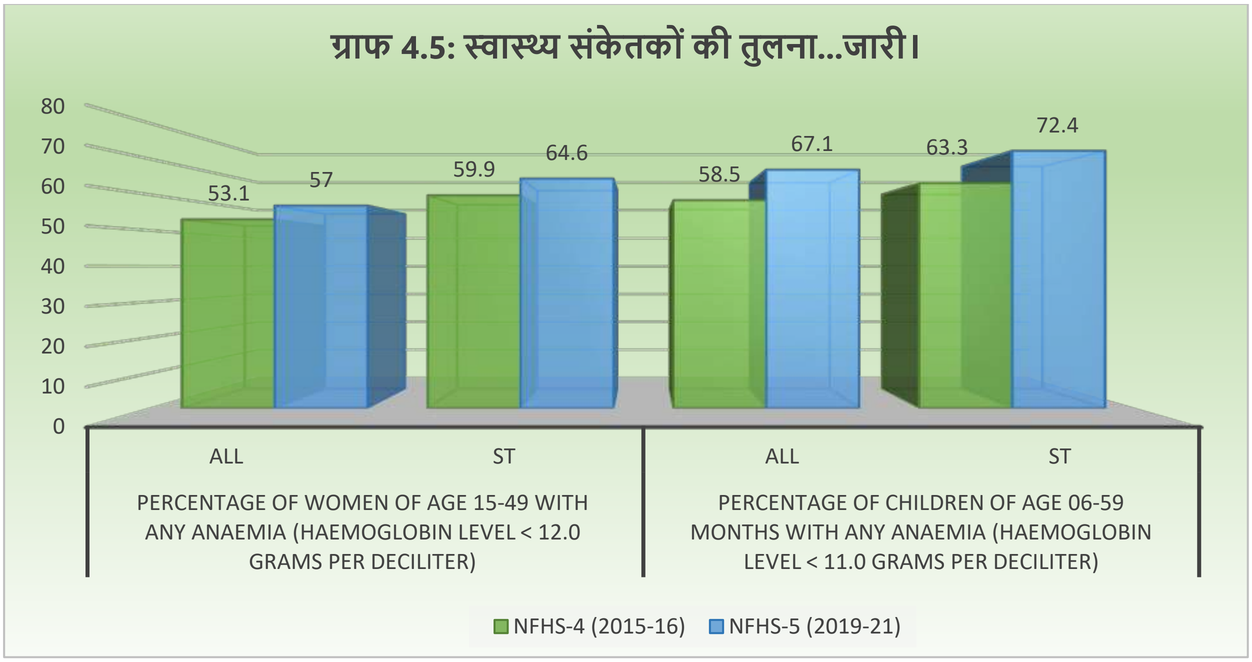

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[1]आईएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों / संतति पर वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या है।

[2]यू5एमआर प्रति 1000 बच्चों पर वर्ष के दौरान 0-4 वर्ष के बीच आयु के बच्चों की इस आयु वर्ग में मृत्यु की संख्या है।

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति

4.14 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः 2015-16 और 2019-21 के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) - 4 और 5 के आंकड़ों के आधार पर, पांच साल से कम उम्र के बच्चों के प्रतिशत को पोषण की स्थिति के अनुसार कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है: अविकसित (स्टंटेड) (आयु के अनुसार ऊंचाई) कमजोर (ऊंचाई के अनुसार वजन) और कम वजन (उम्र के अनुसार वजन) **ग्राफ 4.6** में दिए गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है, हालांकि, वहाँ अभी भी महत्वपूर्ण अंतर है।

ग्राफ 4.6: पोषण स्थिति की व्यापकता की तुलना

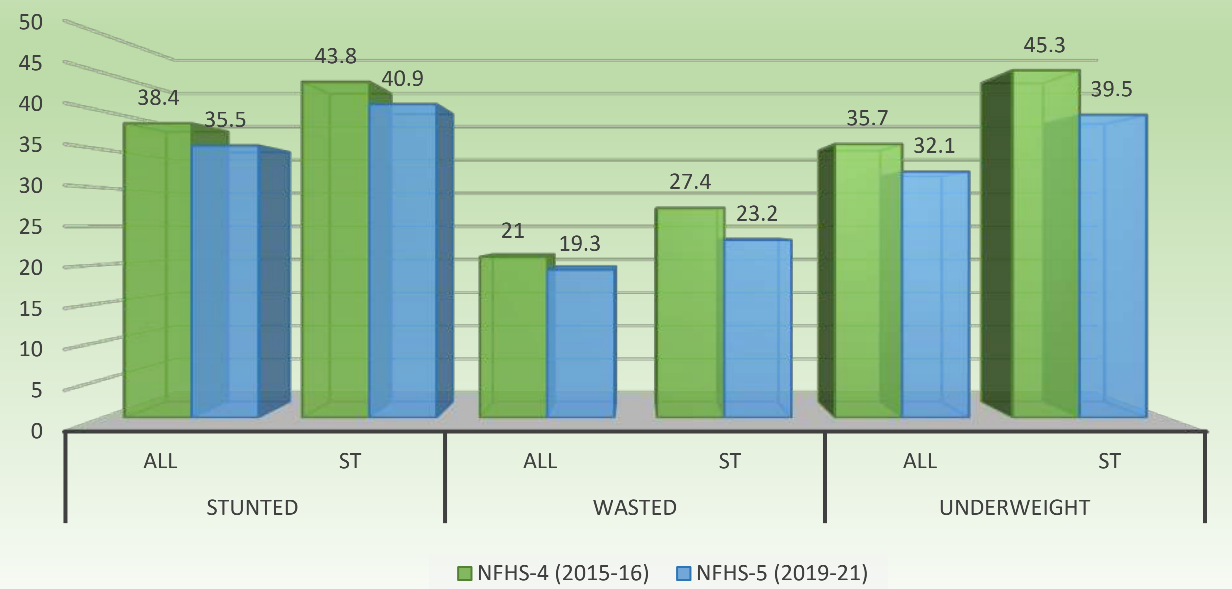

आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी काफी अंतराल है।

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.15 अनुसूचित जनजाति और 12-23 महीने की आयु के सभी श्रेणी के बच्चों की स्थिति, जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया है और टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति **तालिका 4.11** में दी गई है। जब बच्चों को तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन खुराक, काली खांसी (पर्टुसिस), और टेटनस (डीपीटी) का टीका, पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) के टीके की तीन खुराकें (जन्म के समय दिए गए पोलियो टीके को छोड़कर); और 12 महीने की उम्र तक खसरे के टीके की एक खुराक लग जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से टीका लगा हुआ (वैक्सीनेटेड) माना जाता है।

तालिका 4.11: अनुसूचित जनजाति और 12-23 महीने की आयु के सभी वर्ग के बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण / कोई टीकाकरण प्राप्त नहीं किया

स्रोत	पूर्ण टीकाकरण		कोई टीकाकरण नहीं	
	सभी	अजजा	सभी	अजजा
एनएफएचएस -4 (2015-16)	62.0	55.8	6.0	9.2
एनएफएचएस -5 (2019-21)	76.6	76.8	3.6	4.1
स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				

संस्थागत प्रसव

4.16 ग्राफ 4.7 में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2015-16 में 68% से बढ़कर 2019-21 में 82.3% हो गया है, जबकि सभी श्रेणियों के लिए आंकड़े 78.9% से 88.6% तक सुधार दिखाते हैं। साथ ही, अजजा महिलाओं के लिए, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराया जाने वाला प्रसव 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान 71.5% से बढ़कर 84.5% हो गया है। दोनों ही मामलों में, समग्र महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए लगभग 5 प्रतिशत का अंतर है।

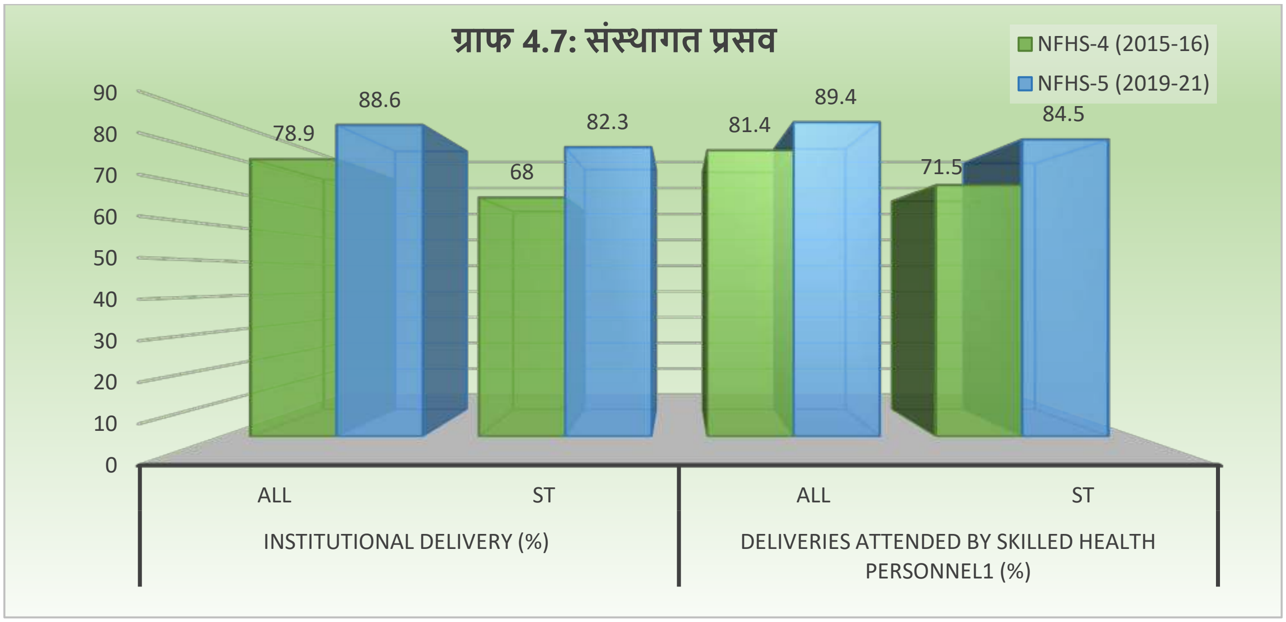

नोट: कुशल स्वास्थ्य कर्मियों में डॉक्टर, एएनएम, नर्स, एलएचवी / मिडवाइफ शामिल हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) 2021-22 के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक जनजातीय क्षेत्रों में 25383 उप केंद्र (एससी), 3833 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और 960 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) थे। 2021 की तुलना में (2021 के बाद से) 2022 में

एससी, पीएचसी और सीएचसी की संख्या में क्रमश: 968, 133 और 15 की कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर 31 मार्च 2022 तक आवश्यकता की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में 9357 उप केन्द्रों, 1559 पीएचसी और 372 सीएचसी की कमी हुई है। राज्य-वार आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश (2265), राजस्थान (1768) और महाराष्ट्र (1091) में उप-केंद्रों की संख्या में भारी कमी हुई है।

इसके अलावा, पीएचसी के मामले में, मध्य प्रदेश में 468, उसके बाद झारखंड में 295 और राजस्थान में 255 की कमी आई है। सीएचसी के मामले में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कमी (96), उसके बाद राजस्थान (54) और महाराष्ट्र (52) का स्थान है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके गणना की गई आवश्यकता और इन मानदंडों की तुलना में वर्तमान स्थिति तालिका 4.12 में दी गई है। राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-4च में दिया गया है।

तालिका 4.12: ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना - मानदंड* और उपलब्धियों का स्तर (अखिल भारत)

केंद्र	राष्ट्रीय जनसंख्या मानदंड*		स्थिति (2021)	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/ दुष्कर क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/ दुष्कर क्षेत्र
उप केंद्र	5,000	3,000	5,691	4,005
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	30,000	20,000	36,049	26,522
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1,20,000	80,000	1,64,027	1,05,893

*विशेष सुविधा (एससी, पीएचसी और सीएचसी) की सेवाओं के तहत कवर किए गये व्यक्तियों की संख्या

जनजातीय क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कमी

4.18 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2020-21 से यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों में उप केंद्रों में 31.03.2022 तक 1010 स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला] / सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की कमी है, इसके बाद गुजरात (189), और त्रिपुरा (164) की स्थिति है। साथ ही, आंध्र प्रदेश में पीएचसी में 158 स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला] / एएनएम की कमी है, इसके बाद ओडिशा (131) और पश्चिम बंगाल (92) का स्थान है। विवरण **अनुलग्नक-4छ** और **4ज** में दिया गया है।

पीएचसी में 231 नर्सिंग स्टाफ की सबसे अधिक कमी ओडिशा में है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (41) और हिमाचल प्रदेश (40) का स्थान है। सीएचसी में 191 नर्सिंग स्टाफ की सबसे अधिक कमी ओडिशा में है, इसके बाद महाराष्ट्र (45) और मणिपुर (32) का स्थान है।

पीएचसी में डॉक्टरों की कमी छत्तीसगढ़ (128) के जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों में सबसे अधिक है, इसके बाद ओडिशा (89) और मध्य प्रदेश (29) का स्थान है। विवरण **अनुलग्नक-4झ**, **4ञ** और **4ट** में दिया गया है।

गरीबी का अनुमान

4.19 पूर्ववर्ती योजना आयोग ने उन वर्षों के लिए गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान प्रदान किए, जिसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षण किए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार, 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी जनसंख्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 13.7% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में 45.3% और शहरी क्षेत्रों में 24.1% व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे थे। वर्ष 2009-10 और 2011-12 के लिए राज्य-वार विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

तालिका 4.13: 2009-10 और 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत (तेंदुलकर पद्धति)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
1	आंध्र प्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7

14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारतीय	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)

प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई)

4.20 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) - 2022-23 के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों द्वारा 2022-23 के दौरान औसत व्यक्ति मासिक प्रति उपभोग व्यय (एमपीसीई) क्रमशः 3016 रुपये और 5414 रुपये है, जबकि सभी के लिए यह आंकड़ा 3773 रुपये और 6459 रुपये है।

भूमि जोत (होल्डिंग)

4.21 कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा की गई कृषि जनगणना, 2015-16 के आधार पर पता चलता है कि सभी आकारों के संबंध में जोतों की कुल संख्या 146,454 हजार है। इनमें 12,669 हजार (8.7%) अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। कुल क्षेत्रफल में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत सभी सामाजिक समूहों के सीमांत श्रेणी के लिए सबसे अधिक (24.3%) है, अनुसूचित जनजातियों के लिए अर्ध-मध्यम श्रेणी (26.72%) में है। बड़ी श्रेणी के लिए प्रति जोत औसत संचालित क्षेत्र (सभी के लिए 17.07%, अनुसूचित जनजाति के लिए 15.11**%)** है और सीमांत वर्ग के लिए सबसे कम (सभी के लिए 0.38%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.48%**)** है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार जोत और संचालित क्षेत्र का वितरण - सभी सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को **तालिका 4.14** में दिया गया है।

तालिका 4.14: कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार जोत और संचालित क्षेत्र का वितरण – सभी सामाजिक समूह और अनुसूचित जनजातियाँ (अजजा)

आकार समूह	जोत (होल्डिंग) की संख्या ('000 में)		संचालित क्षेत्र ('000 हेक्टेयर में)		कुल जोतों में जोत (होल्डिंग) का प्रतिशत		कुल क्षेत्रफल में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत		प्रति जोत (होल्डिंग) औसत संचालित क्षेत्र (हे.)	
	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति
सीमांत (1.00 हे. से नीचे)	100251	7127	37923	3413	68.45	56.26	24.03	19.19	0.38	0.48
छोटा (1.00 - 2.00 हेक्टेयर)	25809	2972	36151	4202	17.62	23.46	22.91	23.63	1.40	1.41

अर्ध-मध्यम (2.00 - 4.00 हेक्टेयर)	13993	1771	37619	4752	9.55	13.98	23.84	26.72	2.69	2.68
मध्यम (4.00 - 10.00 हेक्टेयर)	5561	704	31810	3984	3.80	5.56	20.16	22.40	5.72	5.66
बड़ा (10.00 हेक्टेयर और अधिक)	838	95	14314	1434	0.57	0.75	9.07	8.06	17.07	15.11
कुल*	146454	12669	157817	17784	100.00	100.00	100.00	100.00	1.08	1.40

स्रोत: कृषि जनगणना, 2015-16

** पूर्णांकन के कारण कुल मिलान नहीं हो सकता है।*

4.22 परिवारों का उच्चतम अनुपात भूमि जोतों की सीमांत श्रेणी (सभी के लिए 68.45%, अनुसूचित जनजाति के लिए 56.26%) और परिवारों का सबसे कम अनुपात बड़ी जोत (सभी के लिए 0.57%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.75%) से संबंधित है। यह पैटर्न सभी घरेलू सामाजिक समूहों में देखा जाता है।

कृषि जनगणना, 2015-16 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालन जोतों की संख्या का राज्य-वार प्रतिशत वितरण **अनुलग्नक– 4ठ** में दिया गया है।

रोज़गार

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

4.23 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एमओएसपीआई द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2019-20 से 2022-23 के दौरान अनुसूचित जनजाति और सभी के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (प्रतिशत में) **तालिका 4.15** में दी गई है। वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति और सभी के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार एलएफपीआर (प्रतिशत में) **ग्राफ 4.8** में दिखाया गया है।

तालिका 4.15: पीएलएफएस 2019-20 से 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और सभी सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

(आंकड़े % में) सम्पूर्ण भारत

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2022-23)									
अजजा	60.0	45.2	52.6	56.4	28.2	42.5	59.6	43.5	51.6
सभी	55.5	30.5	43.4	58.3	20.2	39.8	56.2	27.8	42.4

पीएलएफएस (2021-22)									
अजजा	59.1	40.6	49.9	58.1	28.5	43.4	59.0	39.3	49.2
सभी	56.9	27.2	42.2	58.3	18.8	39	57.3	24.8	41.3
पीएलएफएस (2020-21)									
अजजा	58.6	41.6	50.3	58.5	23.5	41.3	58.6	39.6	49.3
सभी	57.1	27.7	42.7	58.4	18.6	38.9	57.5	25.1	41.6
पीएलएफएस (2019-20)									
अजजा	57.4	38.0	47.9	56.3	25.6	41.3	57.2	36.5	47.1
सभी	56.3	24.7	40.8	57.8	18.5	38.6	56.8	22.8	40.1

स्रोत: पीएलएफएस 2022 -23, एनएसओ, एमओएसपीआई

ग्राफ 4.8: पीएलएफएस 2022-23 में सभी सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (प्रतिशत में)

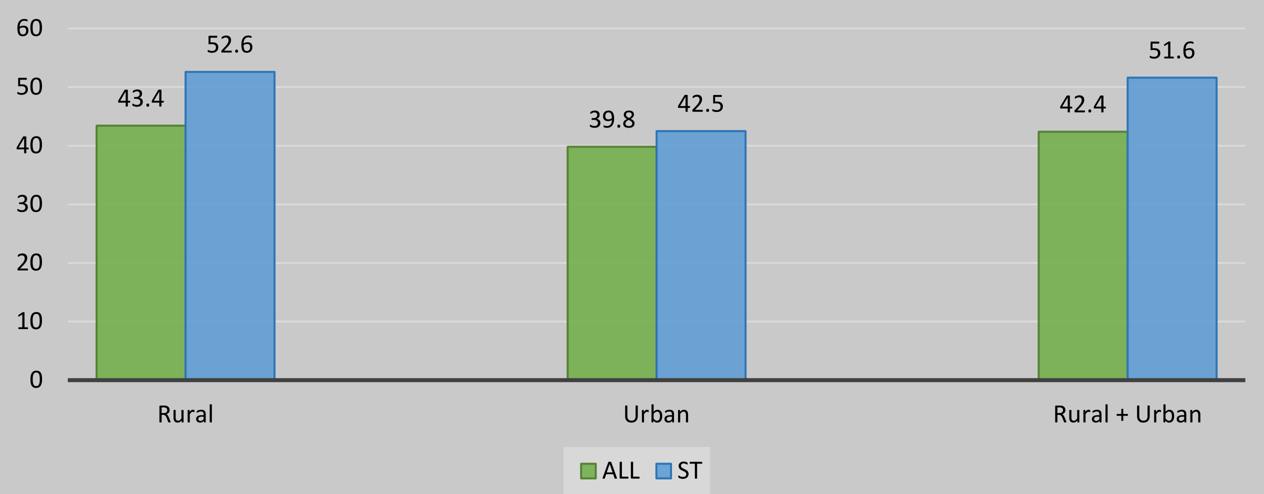

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

4.24 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2019-20 से 2022-23 के दौरान एसटी और सभी सामाजिक समूहों से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) **तालिका 4.16** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.16: पीएलएफएस 2019-20 से 2022-23 में तक अनुसूचित जनजाति (अजजा) और पीएलएफएस में सभी सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार अखिल भारतीय श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर),

(आंकड़े % में) सम्पूर्ण भारत

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2022-23)									
अजजा	59.0	44.8	51.9	53.0	26.1	39.8	58.4	42.8	50.7
सभी	54.0	30.0	42.3	55.6	18.7	37.7	54.4	27.0	41.1
पीएलएफएस (2021-22)									
अजजा	57.7	40.1	48.9	54	26.7	40.5	57.3	38.6	48.0
सभी	54.7	26.6	40.8	55.0	17.3	36.6	54.8	24.0	39.6
पीएलएफएस (2020-21)									
अजजा	56.8	41.2	49.1	54.0	22.0	38.3	56.5	39.1	47.9
सभी	54.9	27.1	41.3	54.9	17.0	36.3	54.9	24.2	39.8
पीएलएफएस (2019-20)									
अजजा	55.2	37.3	46.4	52.3	23.6	38.2	54.9	35.7	45.5
सभी	53.8	24.0	39.2	54.1	16.8	35.9	53.9	21.8	38.2

स्रोत: *पीएलएफएस 2022-23, एनएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय*

बेरोजगारी दर (यूआर)

4.25 बेरोज़गारी दर उन व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है जो काम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें संदर्भित अवधि के दौरान काम नहीं मिला। 2019-20 से 2022-23 के दौरान अनुसूचित जनजाति और सभी सामाजिक समूहों से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में यूआर (प्रतिशत में) **तालिका 4.17** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.17: पीएलएफएस 2019-20 से 2022-23 में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर)

(आंकड़े % में) संपूर्ण भारत

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2022-23)									
अजजा	1.5	1.0	1.3	6.0	7.4	6.5	2.0	1.5	1.8
सभी	2.8	1.8	2.4	4.7	7.5	5.4	3.3	2.9	3.2
पीएलएफएस (2021-22)									

अजजा	2.4	1.3	1.9	7.0	6.2	6.8	2.9	1.7	2.4
सभी	3.8	2.1	3.3	5.8	7.9	6.3	4.4	3.3	4.1
पीएलएफएस (2020-21)									
अजजा	3.2	1.0	2.3	7.7	6.3	7.3	3.7	1.3	2.7
सभी	3.9	2.1	3.3	6.1	8.6	6.7	4.5	3.5	4.2
पीएलएफएस (2019-20)									
अजजा	3.7	1.8	3.0	7.1	8.0	7.3	4.1	2.3	3.4
सभी	4.5	2.6	4.0	6.4	8.9	7.0	5.1	4.2	4.8

स्रोत: *पीएलएफएस 2022-23, एनएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय*

सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) की परिभाषा: यूपीएस दृष्टिकोण सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति से संबंधित है। गतिविधि की स्थिति जिस पर किसी व्यक्ति ने उस अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक समय (183 दिन या अधिक) बिताया है, उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख गतिविधि स्थिति मानी जाती है।

सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति (यूपीएसएस): सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति दृष्टिकोण मूल स्थिति दृष्टिकोण का विस्तार है। यदि कोई व्यक्ति पिछले 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, तो इस दृष्टिकोण के तहत एक व्यक्ति को नियोजित माना जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजाति आबादी के विरूद्ध किए गए अपराध

4.26 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश (2979 मामले) में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के दौरान एसटी के खिलाफ कुल अपराधों का 19.4% है, इसके बाद 2521 मामलों (27.3%) के साथ राजस्थान और 773 मामलों (8.1%) के साथ ओडिशा का स्थान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-4ड** में दिए गए हैं। 2021 से 2022 के दौरान एसटी के खिलाफ अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे **तालिका 4.18** में दिए गए हैं।

तालिका 4.18: अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार

अपराध शीर्ष	अपराध की घटनाएं		अपराध दर	
	2021	2022	2021	2022
अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अत्याचार	8802	10064	8.4	9.6

स्रोत: एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अपराध शीर्षवार मामलों से पता चला है कि 2022 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराध/अत्याचार के सबसे अधिक मामले 'साधारण चोट' (2826 मामले) के थे, जो 28.1% थे, इसके बाद

'बलात्कार' के 13.4% (1347 मामले) और 'महिलाओं पर उनकी शील भंग करने के इरादे से हमला' के 10.2% (1022 मामले) थे।

ध्यान केंद्रित उपायों के लिए चिन्हित जिले, उप-जिले और समुदाय

प्राथमिकता वाले जिले

4.27 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए एक केंद्रित तरीके से उपाय की योजना बनाने के लिए, 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है और उन्हें नीचे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

- **प्राथमिकता 1:** वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 14 जिलों सहित ≥ 50% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 94 जिले।
- **प्राथमिकता 2:** 7 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले सहित 69 जिले जिनमें ≥ 25% लेकिन <50% अनुसूचित जनजाति आबादी है।
- **प्राथमिकता 3:** शेष 14 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले जिनमें <25% अनुसूचित जनजाति आबादी है।

अनुसूचित जनजाति के 58% लोग (6.10/10.45 करोड़) प्राथमिकता 1 और 2 वाले जिलों में निवास करते हैं, अर्थात 163 (94+69) जिलों में ≥ 25% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है। 177 प्राथमिकता वाले जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- 4ढ** में दिया गया है।

प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय

4.28 देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैले 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं। अनुसूचित जनजाति आबादी के भीतर, कुछ अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रत्येक राज्य में 5% से अधिक आबादी की गणना करते हैं। इनकी पहचान की गई है और इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुसार संकलित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदायों में से, 111 समुदायों की गणना प्रत्येक ≥ 5% (संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजाति आबादी का) है। इन 111 समुदायों की संख्या 803.25 लाख अर्थात कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 76.8% है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-4ण** में दिया गया है।

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के बाद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना जाए।

5.3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्रों में, विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालातों में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों तक में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (संक्षेप में पीवीटीजी) के रूप में जाना जाता है जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था, जिनकी विशेषताओं को पीवीटीजी के संरक्षण और विकास की योजना में धारा (सेक्शन) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

प्रमुख जनजातियां

5.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक जनजातियां अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध समुदायों की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य में अर्थात् 64 है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर-अनुसूचीकरणः

5.5 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द को संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां

माना गया है"| अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.7 अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन या से अपवर्जन के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.8 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों/अधिनियमों की सूची **अनुलग्नक-5 क** में दी गई है। राष्ट्रपति के आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किये गये हैं।

5.9 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

- आदिम लक्षणों के संकेत,
- विशिष्ट संस्कृति,
- भौगोलिक एकाकीपन,
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन

5.10 इन मानदंडों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची की संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, चंदा समिति, 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5.11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची **अनुलग्नक 5-ख** में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

5.12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह सत्यापित किया जाना चाहिए:-

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता वास्तव में दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं;

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र का है जिसके संबंध में समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू, राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिएं।

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

5.13 वह व्यक्ति जो अपने मामले में राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसके जनजाति समुदाय को उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है।

5.14 प्रासंगिक राष्ट्रपति आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के मामले में अनुसूचित जनजाति की हैसियत (दर्जा) प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5.15 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति के दावे

i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा;

ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करना

5.17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.18 यदि कोई अधिकारी लापरवाही से और उचित सत्यापन के बिना अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करता हुआ पाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

5.19 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं, वे उस राज्य से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके माता/पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके माता/पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाण-पत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित

जनजाति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, या से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के लिए दावों को तय करने के लिए प्रविधियां।

5.20 जून, 1999 में, सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, या से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों को तय करने के लिए प्रविधियों को अनुमोदित किया। इन प्रविधियों को 25.6.2002 और 14.09.2022 को फिर से संशोधित किया गया। इन अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल उन दावों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। जब कभी किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय के समावेशन, या से अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अपेक्षित अनुशंसा के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को उस अभ्यावेदन को अग्रेषित करता है। यदि संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश इस प्रस्ताव की सिफारिश करता है, तो उसे भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को भेजा जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र की सिफारिश से संतुष्ट होने पर आरजीआई केंद्र सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। तत्पश्चात्, सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उनकी सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मामले की सिफारिश करता है, तो मामले को मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए संसाधित किया जाता है। तत्पश्चात्, मामले को राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करने के लिए विधेयक के रूप में संसद के समक्ष रखा जाता है। समावेशन/अपवर्जन के मामले जिनका राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र या आरजीआई या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करता है, वे निरस्त (खारिज) कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.21 अनुसूचित जनजातियाँ अन्य समुदायों के विपरीत अधिकांशतः सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए, उनके हितों की रक्षा के लिए विकास गतिविधियों के साथ-साथ विनियामक प्रावधानों के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण होना बहुत आसान है। भूमि और अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान की पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में विभिन्न प्रावधान स्थापित किए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची

5.22 संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग-ग की धारा 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"अनुसूचित क्षेत्र– (1) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करें।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा -

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के शामिल (प्रवेश) होने पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ (अनुच्छेद) के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को रद्द कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा;

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानदण्ड (मानक)

5.23 पांचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित करने के लिए मानदंड हैं:

(i) आदिवासी आबादी का बाहुल्य,

(ii) सघनता और क्षेत्र का उचित आकार,

(iii) एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका, और

(iv) पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपरोक्त मानदंड इस प्रकार संविधान में वर्णित नहीं हैं, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों का कवरेज

5.24 वर्तमान में, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-5ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून

5.25 अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल की भूमिका से संबंधित संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा या उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या किसी भाग पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप-पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है जो फिलहाल अनुसूचित क्षेत्र है।

विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम-

(क) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या प्रतिबंधित करना;

(ख) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना;

(ग) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों को साहूकार के रूप में व्यवसाय करने के लिए विनियमित करना।

(3) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट किसी भी तरह के विनियमन को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी अधिनियम या किसी भी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है जो उस समय प्रश्नगत क्षेत्र के लिए लागू होता है।

(4) इस पैराग्राफ के तहत बनाए गए सभी विनियमों को तत्काल राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक उनके द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) इस पैराग्राफ के तहत कोई भी विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि राज्य के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद होने के मामले में, विनियमन बनाने वाले राज्यपाल ने ऐसी परिषद से परामर्श न कर लिया हो।"

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट

5.26 संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल वार्षिक रूप से, या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5.27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना को प्रतिवर्ष राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

जनजाति सलाहकार परिषद

5.28 पांचवीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के तहत प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में, यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं, तो अनुसूचित जनजाति वाले किसी भी राज्य में जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की जाएगी जिसमें बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना जनजाति सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा, जैसा कि उन्हें राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

5.29 अनुसूचित क्षेत्र वाले सभी राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों (टीएसी) का गठन किया गया है। हालांकि तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, उन्होंने भी टीएसी का गठन किया है।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए अधिसूचना

5.30 निम्नलिखित आदेश वर्तमान में अपने मूल या संशोधित रूप में चल रहे हैं:

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 (सी.ओ.30)	2.6.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.50)	9.9.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और ओडिशा, बिहार (?) और मध्य प्रदेश (?)

7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ.123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.4.2007	झारखंड
11	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सी.ओ. 270)	19.5.2018	राजस्थान

5.31 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत क्रमशः मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक हिस्सा नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित हो गया और पूरा अनुसूचित क्षेत्र मूल बिहार राज्य से झारखंड में स्थानांतरित हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे इसलिए 31 दिसंबर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्रों (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ.109) जहां तक कि यह संयुक्त बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश जारी किया। झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। राजस्थान राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को, दिनांक 12 फरवरी 1981 के सं. आ.114 को निरस्त करते हुए दिनांक 19 मई, 2018 को अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं. आ. 270) द्वारा नया संविधान आदेश जारी करके घोषित किया गया था।

छठी अनुसूची

5.32 संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। यह ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान करती है। छठी अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के दायरे में आते हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) / एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एमएडीए) पॉकेट और क्लस्टर

5.33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप-योजना के माध्यम से प्रशासनिक सहायता और विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के माध्यम से जनजातियों के हितों के संरक्षण के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत सरकार ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और वितरण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) / एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) जैसे संस्थागत और प्रशासनिक उपायों की शुरुआत की। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, 10,000 की कुल आबादी वाले छोटे क्षेत्रों और 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति (अजजा) की सघनता को कवर करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) को अपनाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान, लगभग 5,000 की न्यूनतम कुल जनसंख्या और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति (अजजा) की सघनता वाले आदिवासी बहुल छोटे क्षेत्रों को कवर करने के लिए समूहों (क्लस्टर्स) की पहचान की गई थी। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 194 आईटीडीपी/आईटीडीए घोषित किए हैं।

5.34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) एक या एक से अधिक विकास ब्लॉकों (खंडों) के आकार का एक क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी ऐसे ब्लॉकों की कुल आबादी का 50% या उससे अधिक होती है। पूर्ण विकास ब्लॉक (खंड) / पंचायत समिति एक आईटीडीपी की न्यूनतम घटक इकाई है। एक जिले में एक से अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आईटीडीपी का क्षेत्र एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, आईटीडीपी का नाम आमतौर पर उसके मुख्यालय स्थान या उस जिले के नाम पर रखा जाएगा जहाँ उसका मुख्यालय स्थित है।

5.35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) ऐतिहासिक रूप से अन्य राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में तथाकथित, जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के लिए अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्राधिकरण है। इसलिए आईटीडीए (यानी, एजेंसी या प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (पूर्ण ब्लॉक/पंचायत समितियों से मिलकर), माडा और क्लस्टर पॉकेट पर भी अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। यहां तक कि किसी जिले की बिखरी हुई जनजातीय आबादी भी संबंधित जिले के आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र में हो सकती है।

5.36 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) पॉकेट ऐसे क्षेत्रों में 10,000 या उससे अधिक की कुल आबादी के भीतर 50% या उससे अधिक जनजातियों की सघनता वाले समीपवर्ती (सटे) क्षेत्रों में पहचान किए गए पॉकेट (एक या अधिक राजस्व गांवों से मिलकर) हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम घटक (संघटक) इकाई गांव होगी और इसका नाम माडा क्षेत्रों में एक से अधिक राजस्व गांवों को कवर करने वाले गांवों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का उच्चतम प्रतिशत वाले गांव के नाम पर रखा जाना चाहिए।

5.37 **क्लस्टर** ऐसे क्षेत्र में 5,000 या उससे अधिक की कुल आबादी के भीतर 50% या उससे अधिक जनजातियों की सघनता वाले समूह (एक या एक से अधिक राजस्व गाँवों की घटक इकाइयाँ होने के साथ) पहचाने गये पॉकेट्स हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई एक गांव होगी और इसका नाम उस गांव के नाम पर होना चाहिए जहां क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है।

5.38 आईटीडीपी/आईटीडीए, माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स (समूहों) की राज्य-वार सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	की संख्या		
		आईटीडीपी/आईटीडीए	**एमएडीए (माडा) पॉकेट**	**क्लस्टर**
1	आंध्र प्रदेश	5	41	17
2	असम	19	-	-
3	बिहार	-	7	-
4	छत्तीसगढ़ #	19	9	2
5	गुजरात#	9	1	-
6	हिमाचल प्रदेश #	5	2	-
7	झारखंड #	14	34	7
8	कर्नाटक	5	-	-
9	केरल	7	-	-
10	मध्य प्रदेश #	31	30	8
11	महाराष्ट्र #	16	44	24
12	मणिपुर	5	-	-
13	ओडिशा #	23	44	14
14	राजस्थान #	5	44	11
15	सिक्किम	4	-	-
16	तमिलनाडु $	9	-	-
17	तेलंगाना	3		
18	उत्तर प्रदेश	1	1	-
19	उत्तराखंड	-	-	-
20	पश्चिम बंगाल $	12	-	1
	संघ राज्यक्षेत्र			
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	-
22	दमन और दीव	1	-	-
कुल		**194**	**257**	**84**

अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) वाले राज्य

$ केवल टीएसी वाले राज्य।

अध्याय 6

जनजातीय विकास कार्यनीति और कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

6.1 जनगणना 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की आबादी 10.45 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित जनजाति है। आजादी के बाद से जनजातीय विकास, भारत सरकार का केन्द्र बिन्दु रहा है। जनजातीय लोगों के बीच विकास की वांछित गति प्राप्त करने में चुनौतियां रही हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी परम्परागत जीवनशैलियों, पर्यावासों की सुदूरता, बिखरी हुई जनसंख्या तथा विस्थापन की वजह से है। जनजातीय लोगों के त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974-75) में सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उप-योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) कार्यनीति को अपनाया गया था। इसमें अनुसूचित जनजातीय आबादी के लिए विकास के सभी क्षेत्रों से परिव्यय और लाभों के प्रवाह को संवहन (चैनलाइज़) करने की परिकल्पना की गई है। डीएपीएसटी निधि जनजातीय विकास के लिए निधि के समर्पित स्रोत हैं। 41 केंद्रीय मंत्रालय (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष अपनी डीएपीएसटी निधियों के कुल योजना आवंटन का 4.3 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत की सीमा तक जनजातीय विकास के लिए निर्धारित कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अंतरों को दूर (अंतर-भरण) करके इन सूचकांको में अपना योगदान देता है। टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी कार्यनीति के माध्यम से किये गये प्रयासों से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि संबंधी विभिन्न जनजातीय सूचकांको के संबंध में कुछ सुधार के प्रयास हुए हैं। हालांकि, जनजातीय तथा अन्य सामाजिक वर्गों के बीच मानव विकास के क्षेत्र में अंतर अभी भी कायम हैं।

6.2 बजट 2023-24 के अनुसार, 42 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास, लगभग 220 विभिन्न योजनाओं में विशिष्ट जनजातीय विकास करने के लिए डीएपीएसटी निधियां मौजूद हैं, जैसा कि केंद्रीय बजट 2023-24 के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10 ख में दर्शाया गया है। सभी मंत्रालयों में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किया गया आवंटन 2022-23 में 87584.66 करोड़ रुपये (वास्तविक) से बढ़कर 2023-24 में 117943.71 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई।

डीएपीएसटी की निगरानी

6.3 कार्य आवंटन नियम (एबीआर) जनवरी, 2017 में संशोधित किये गये हैं, जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को नीति आयोग द्वारा तैयार रुपरेखा तथा तंत्र पर आधारित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएसटी/एसटीसी/टीएसपी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है। डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा http://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है । यह ढ़ांचा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे डेटा प्राप्त करता है और हमें व्यय तथा आबंटन के बीच तुलना करने के लिए इनपुट प्रदान करता है। वास्तविक कार्य-निष्पादन की निगरानी तथा पहलों के परिणामों की जानकारी, भी इस प्रणाली में समाहित की गई है। चालू परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए एमआईएस में तत्-अनुकूल प्रपत्र बनाया गया है। इसके अलावा, समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी पदनामित किए गये हैं। निष्पादन एवं परिणाम के संबंध में आंकड़े अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रत्यय-पत्र को साझा किया गया है।

6.4 वर्ष 2023-24 के दौरान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास, आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल आवंटित डीएपीएसटी निधियों का 97.41 प्रतिशत निर्मुक्त कर दिया गया था।

6.5 डीएपीएसटी के तहत निधियों का निर्धारण, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में गठित कार्यदल, 2010 द्वारा संस्तुत मानदण्डों के अनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ही उनके योजना आवंटन की तुलना में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) की वृहद कार्यनीतियों के अंतर्गत किया जाता था। कार्यदल ने अलग-अलग निर्धारण की सिफारिश की थी अर्थात कुल 28 मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल उनके योजना परिव्यय के तुलना में विभिन्न दरों पर निर्धारण करना । 'योजना' तथा 'गैर-योजना' के विलय के पश्चात वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2016 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएपीएसटी निधियों के निर्धारण हेतु प्रतिशतता में संशोधन किया था तथा दो नए केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात कौशल विकास एवं उद्मिता मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय को शामिल किया था। निधियों के निर्धारण के मामले पर नीति आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनः विचार-विमर्श किया गया है तथा अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के लिए आवंटन-प्रतिशतताओं पर पुनर्विचार किया गया है और कुछ नए मंत्रालय/विभाग जैसे पशुपालन विभाग, डेयरी और मछली पालन विभाग, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, औषध विभाग तथा शहरी कार्य मंत्रालय को इस डीएपीएसटी के दायरे में लाया गया है। विवरण तालिका 6.2 में दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष-वार डीएपीएसटी आवंटन और व्यय नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है।

तालिका: 6.1: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी/टीएसपी/डीएपीएसटी आवंटन

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग का कुल आवंटन	डीएपीएसटी आवंटन	व्यय	डीएपीएसटी आवंटन के संदर्भ में % व्यय	मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रतिशत डीएपीएसटी आवंटन
2018 - 19 (वास्तविक)	702814.83	39545.48	35352.77	89.40	5.63
2019 - 20 (वास्तविक)	800887.07	47748.83	45856.40	96.04	5.96
2020 - 21 (वास्तविक)	1407067.05	51780.82	48084.10	92.86	3.68
2021 - 22 (वास्तविक)	1295475.3	85930.47	82530.58	96.04	6.63
2022 - 23 (वास्तविक)	1477952.12	92781.15	90972.76	98.05	6.28
2023 - 24 (आरई)	1394078.99	107455.6	104777.8	97.51	7.71

नोट: * अनंतिम आंकड़े

डेटा स्रोत: (1) वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट, विवरणी 10ख के अनुसार वास्तविक व्यय

(2) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एसटीसी-एमआईएस पोर्टल से व्यय

तालिका 6.2
केंद्रीय बजट 2023-24 में दर्शाए गए अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से किए गए आवंटन का विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत का चिन्हन	कुल योजना (सीएस + सीएसएस) आवंटन (बीई)	कुल योजना (सीएस + सीएसएस) आवंटन (आरई)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2023-2024	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संशोधित अनुमान 2023-2024	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट अनुमान के संदर्भ आबंटन का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा संशोधित अनुमान (आरई) के संदर्भ आवंटन का प्रतिशत
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	2423.41	2574.36	104.21	110.69	4.30	4.30
2	कृषि ,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8.60	113655.85	115053.12	9811.05	9992.60	8.63	8.69
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60	4095.64	3691.50	376.92	268.69	9.20	7.28
4	वाणिज्य कर विभाग	4.30	4351.47	5244.39	25.37	25.51	0.58	0.49
5	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30	113.50	182.61	0.80	1.10	0.70	0.60
6	पेयजल और स्वच्छता विभाग	10.00	77192.00	77000.00	7615.90	7596.70	9.87	9.87
7	दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग	8.60	680.00	657.00	58.48	56.59	8.60	8.61
8	उर्वरक विभाग	4.30	175103.37	188901.50	7699.72	8274.31	4.40	4.38
9	मत्स्य विभाग	8.60	2025.00	1525.00	182.59	136.44	9.02	8.95
10	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	205293.17	221453.18	9359.15	9598.91	4.56	4.33
11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	56167.50	47980.58	4830.41	4126.33	8.60	8.60
12	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.60	6468.03	4480.39	2061.00	2116.86	31.86	47.25
13	भूमि संसाधन विभाग	10.00	2395.75	1875.00	239.58	15.98	10.00	0.85
14	औषधि विभाग	4.30	3120.00	2303.76	26.45	14.57	0.85	0.63
15	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	157365.98	170881.18	20400.56	20089.38	12.96	11.76
16	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	54374.48	46958.00	6824.04	6004.01	12.55	12.79
17	विज्ञान और तकनीकी विभाग	4.30	2777.00	1340.00	119.40	57.62	4.30	4.30
18	दूरसंचार विभाग	4.30	14843.32	6678.27	453.65	596.17	3.06	8.93
19	जल संरक्षण ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8.60	18645.43	18187.07	358.00	301.59	1.92	1.66
20	आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	1385.44	950.00	71.00	54.91	5.12	5.78

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत का चिन्हन	कुल योजना (सीएस + सीएसएस) आवंटन (बीई)	कुल योजना (सीएस + सीएसएस) आवंटन (आरई)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2023-2024	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संशोधित अनुमान 2023-2024	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट अनुमान के संदर्भ आबंटन का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा संशोधित अनुमान (आरई) के संदर्भ आवंटन का प्रतिशत
21	कोयला मंत्रालय	8.60	113.50	110.50	48.46	51.16	42.70	46.30
22	सहकारिता मंत्रालय	8.60	1023.26	650.04	4.74	...	0.46	--
23	संस्कृति मंत्रालय	4.30	650.74	808.77	27.98	35.59	4.30	4.40
24	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.60	5851.00	5850.16	1690.00	1690.00	28.88	28.89
25	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	12440.28	10491.25	833.50	707.92	6.70	6.75
26	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	1707.56	1580.80	159.00	162.35	9.31	10.27
27	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	3092.29	2695.00	67.26	66.43	2.18	2.46
28	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	72548.00	65470.03	1204.01	953.77	1.66	1.46
29	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	8.60	12434.82	11714.99	1069.42	1008.03	8.60	8.60
30	सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	21852.55	21868.97	1883.09	1998.08	8.62	9.14
31	खान मंत्रालय	4.30	--	--	18.40	18.40	--	--
32	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	9874.81	7623.46	572.00	736.21	5.79	9.66
33	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	971.00	941.14	83.51	83.51	8.60	8.87
34	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	40785.60	14616.39	77.96	498.50	0.19	3.41
35	विद्युत मंत्रालय	8.60	16108.92	13921.52	957.23	900.00	5.94	6.46
36	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	270250.38	276176.45	23375.00	18647.90	8.65	6.75
37	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	3172.83	2905.97	251.29	183.38	7.92	6.31
38	वस्त्र मंत्रालय	8.60	3603.78	2654.87	187.00	172.25	5.19	6.49
39	पर्यटन मंत्रालय	4.30	2291.49	1599.27	98.50	69.00	4.30	4.31
40	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	12461.88	7544.77	12386.00	7529.77	99.39	99.80
41	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	25190.44	25151.15	2166.00	2370.00	8.60	9.42
42	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	8.60	1913.51	1786.58	165.10	134.43	8.63	7.52
		कुल	**1420814.98**	**1394078.99**	**117943.73**	**107455.64**	**8.30**	**7.71**

6.6 2020-21 से 2023-24 तक डीएपीएसटी निधियों के मंत्रालयों/विभाग-वार आवंटन का विवरण **अनुलग्नक-6क** में दिया गया है।

6.7 केंद्रीय टीएसपी के लिए दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मंत्रालयों/विभागों को अंतरों (गैप्स) का अनुमान लगाना होगा, अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी होगी और अंतरों को पाटने के लिए योजनाओं को उन्मुख बनाना होगा।
- टीएसपी/डीएपीएसटी के तहत केवल उन योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों या परिवारों को सीधे लाभ सुनिश्चित करती हैं।
- दर्शाए गए प्रतिशत आवंटन को केवल न्यूनतम और निम्नतम प्रतिशत के रूप में माना जाना चाहिए।
- टीएसपी के लिए निर्धारित निधियों को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष '796' के तहत रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका किसी अन्य योजना में विपथन न किया जा सके।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग में टीएसपी के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल इकाई के रूप में एक समर्पित इकाई का गठन किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 40% से अधिक आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वाली बस्तियों/गांवों को सीधे लाभान्वित करने वाली क्षेत्र-उन्मुख योजनाओं के परिव्यय को टीएसपी में शामिल किया जाएगा।
- जिन मंत्रालयों/विभागों के पास अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है, उन्हें निर्धारित आवंटन को अलग रखना चाहिए, उन्हें नए और केंद्रित (फोकस्ड) उपाय विकसित करने चाहिएं और नोडल मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त योजनाओं/गतिविधियों के लिए इन्हें उपयोग में लाना चाहिए।

6.8 नीति आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजनाओं के अंतर्गत आवंटन, उपयोग और कार्यान्वयन तंत्र में सुधार के लिए डीएपीएससी/डीएपीएसटी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति ने सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें की हैं और नीति आयोग द्वारा संशोधित दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य टीएसपी

6.9 तत्कालीन, योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए 18 जून, 2014 को दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है | दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ टीएसपी के तहत

निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया गया है जो कुल योजना परिव्यय में, 2011 की जनगणना के राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं है। तथापि, 'प्लॉन और नॉन प्लॉन' वर्गीकरण के मध्य अंतर को हटाने के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग के दिनांक 23 अगस्त, 2016 के 'प्लॉन और नॉन प्लॉन' समामेलन पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार, टीएसपी आवंटन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राज्यों के मामले में राज्य सरकार की स्कीमों दोनों के लिए, प्लॉन और नॉन प्लॉन दोनों प्रावधानों सहित, स्कीमों के कुल आवंटन को प्रतिशत के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास को गति देकर उन्हें (i) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाकर मानव संसाधन विकास करना, (ii) आवासों सहित, जनजातीय क्षेत्रों / इलाकों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके जीवन स्तर को उन्नत बनाना; (iii) गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण और आय सृजन के अवसर पैदा करना (iv) अवसरों का लाभ उठाने, अधिकार और पात्रता प्राप्त करने और अन्य क्षेत्रों के समान सुविधाओं में सुधार की क्षमता को बढ़ाना, और (v) शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य लोगों के बीच अंतर को पाटना है|

पूर्ववर्णित टीएसपी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, टीएसपी के लिए चिह्नित / आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी:

i. टीएसपी के तहत व्यय, सामान्य प्रावधानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास की कमी को पूरा करने के लिए हैं, जो महत्पूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होने चाहिएं |

ii. टीएसपी के तहत निधियां, कुल योजना परिव्ययों (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं-ईएपी तथा किसी अन्य योजना के तहत निवेशों को बिना छोड़े) से चिन्हित की गई हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं हो।

iii. निधियां, वित्तीय वर्ष की शुरू होने से कम से कम छ: माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिएं| प्रत्येक विभाग के टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए निर्धारित टीएसपी निधियों की मात्रा की सूचना सभी विभागों को दी जाएगी |

iv. जिनके पास अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ देने की योजनाएं नहीं हैं, उन्हें सैद्धान्तिक/वैचारिक तौर पर कोई भी आवंटन नहीं किया जाएगा |

v. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिक निधियां आंवटित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा |

vi. जनजातीय पर्यावासों की वास्तविक दूरी तथा दुर्गम भूभाग में होने के कारण सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में उच्च वित्तीय मानक तय करने की आवश्यकता है | यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझौता न हो|

vii. प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कौशल मूल्यांकन शुरू करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे तथा गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी की जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करेंगे |

viii. संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का तालमेल और अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण/अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है|

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे |

x. निधि के अन्यत्र उपयोग पर रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां, क्रियाशील मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्षों के तहत एक पृथक लघु शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित की जाएंगी।

6.10 वर्ष 2020-21 से 2023-24 (02.04.2024 तक) के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल राज्य योजना (स्कीम) आवंटन और टीएसपी आवंटन और व्यय का विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है

तालिका: 6.3: राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 2020-21 से 2023-24 (02.04.2024 तक) तक का टीएसपी आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल योजना (स्कीम) आवंटन	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन का %	टीएसपी व्यय	कुल योजना (स्कीम) आवंटन पर व्यय %	कुल टीएसपी आवंटन पर % व्यय
2020-21	1957942.66	164814.53	8.42	129566.98	6.62	78.61
2021-22	2070532.57	183358.65	8.86	149471.03	7.22	81.52
2022-23@	2340667.32	207508.19	8.87	178154.05	7.61	85.85
2023-24*	2734381.32	243556.63	8.91	35732.71	1.31	14.67
स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना। @मिलान किया जा रहा है, *अनंतिम आंकड़े						

तीन वर्षों अर्थात 2021-22 से 2023-24 (02.04.2024 तक) के लिए राज्यों द्वारा टीएसपी निधियों का आवंटन और व्यय **अनुलग्नक-6ख** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) :

6.11 जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) : पहले, जनजातीय कार्य मंत्रालय 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) ' की योजना को कार्यान्वित कर रहा था। ऐतिहासिक दृष्टि से, यह योजना 1977-78 में 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)' नाम से शुरू की गई थी। योजना और गैर-योजना व्यय के समामेलन के परिणामस्वरूप, योजना का नामकरण 2017 के दौरान 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष

केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस)' में बदल दिया गया था। योजना के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन, आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को पाटने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित अनुसूचित जनजाति की आबादी वाली राज्य सरकारों को निधियां जारी की गयी थीं। इस योजना ने केंद्रीय लाइन मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजनाओं के पूरक और परिवर्धक के रूप में जनजातीय लोगों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास और कल्याण में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। राज्य सरकारों के सक्रिय और उत्तरदायी समर्थन के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय 2014-15 से योजना के आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम है जैसा कि नीचे तालिका 6.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.4: "टीएसएस को एससीए" योजना का बजट आवंटन, 2014-15 से

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2014-15	1200.00	1040.03	1039.61
2015-16	1250.00	1132.27	1132.17
2016-17	1250.00	1200.00	1195.02
2017-18	1350.00	1350.00	1349.19
2018-19	1350.00	1350.00	1350.00
2019-20	1350.00	1350.00	1350.00
2020-21	1350.00	800.00	799.49

6.12 वर्ष 2019-20 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनगणना 2011 के डेटा और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा बनाए गए मिशन अंत्योदय डेटा का उपयोग करके एक अंतर विश्लेषण किया। विश्लेषण के माध्यम से यह पाया गया कि भारत में ≥ 25 % के साथ अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले लगभग 1,45,000 जनजातीय गाँव हैं; जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आवास, सड़क संपर्क, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पेयजल, बिजली आपूर्ति आदि सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल मौजूद हैं। यह महसूस किया गया कि आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य बुनियादी सेवाओं के साथ इन जनजातीय गांवों को संतृप्त स्थिति में लाने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होगी। । इस प्रकार नीतिगत निर्णय के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 'टीएसएस को एससीए' की योजना का ध्यान अभिसरण के माध्यम से उचित एकीकृत ग्राम विकास पर स्थानांतरित किया जाए, मौजूदा योजना में जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य को शामिल किया गया है।

6.13 इस प्रकार, मंत्रालय ने जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी सुविधाए प्रदान करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से एकीकृत विकास के उद्देश्य से जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की मौजूदा योजना को 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' में बदल दिया है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 जनजातीय आबादी (एसटी) वाले 36,428 गांवों को लिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। पीएमएएजीवाई की योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

I. जरूरतों, क्षमता और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना;

II. केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के कवरेज को अधिकतम करना;
III. स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार;

6.14. पीएमएएजीवाई की योजना में विकास के 8 क्षेत्रों अर्थात सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर्गांव/ब्लॉक), दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतरों को प्रमुखता से कम करने की परिकल्पना की गई है। पीएमएएजीवाई के तहत प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए प्रति गांव 220.38 लाख की धनराशि का 'अंतर-भरण' (गैप-फिलिंग) के रूप में प्रावधान गया है। इसके अलावा पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित किए गए गांवों में अंतर को भरने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधनों के अभिसरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि केंद्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधि और उनके पास उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधन। राज्य-वार पीएमएएजीवाई तहत पहचाने गए कुल गांवों का विवरण अनुमोदित ग्राम विकास योजनाओं और 30.12.2023 तक निर्मुक्त निधियों का विवरण **अनुलग्नक - 6ग** में है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत सहायता अनुदान

6.15 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत सहायता अनुदान' भारत सरकार से 26 राज्यों को 100% वार्षिक अनुदान है। यह भारत की संचित निधि (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदानों को छोड़कर, एक अनिवार्य मद) के लिए चार्ज किया जाता है और यह राज्य योजना निधियों और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक योजक है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान "अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान" योजना के तहत आवंटन, संशोधित अनुमान और निर्मुक्त निधियों का विवरण नीचे **तालिका 6.5** में दिया गया है:

तालिका 6.5 : 2019-20 से 2023-24 (10.04.2024 तक) के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान योजना का आवंटित बजट/निर्मुक्त निधि

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**बजट आवंटन (ब.अ.)**	**संशोधित अनुमान (सं.अ.)**	**निर्मुक्त निधि**
2019-20	2662.55	2662.55	2662.55
2020-21	1350.00	800.00	799.69
2021-22	1350.00	923.24	923.24
2022-23	1350.00	976.49	976.49
2023-24	1472.10	1172.10	1172.10

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान के तहत पिछले *2* वर्षों और चालू वर्ष (प्रशासनिक खर्चों को छोड़कर) के दौरान निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-6घ** में दिया गया है।

अध्याय 7

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

पृष्ठभूमि

7.1 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे है, वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देने और निहितता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, इस तरह के निहित वन अधिकारों को रिकॉर्ड करने और ऐसी मान्यता और वन भूमि के संबंध में निहितता प्रदान करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति को रिकॉर्ड करने के लिए एक वैधानिक रुपरेखा भी प्रदान करता है। अधिनियम वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाओं को वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार भी देता है।

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताएं

7.2 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

(1) अधिनियम की धारा 3 में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमियों पर वन अधिकार होंगे। वन अधिकार इस प्रकार हैं:

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व-कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार;

(ख) सामुदायिक अधिकार जैसे 'निस्तार', जिस भी नाम से जाना जाता हो, सहित भूतपूर्व रियासतों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त अधिकार;

(ग) लघु वन उपज/उत्पादों के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार, जिन्हें गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया जाता है;

(घ) उपयोग तथा हकदारी के सामुदायिक अधिकार, जैसे- मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतू या चरवाहा समुदायों की परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच;

(ड.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

(च) विवादित दावों वाले किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमि में अथवा उस पर अधिकार;

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों में परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार;

(ज) सभी वन गांवों, पुरानी बस्तियों, गैर-सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के व्यवस्थापन तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो;

(झ) किसी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुन: उत्पन्न करने या संरक्षण या प्रबंध करने का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं;

(ञ) वे अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हों या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रथागत विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हों;

(ट) जैव-विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव-विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से भोगित कोई अन्य परम्परागत अधिकार, जैसी भी स्थिति/मामला हो, जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें किसी भी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के अंग को निकालने का परम्परागत अधिकार शामिल नहीं है;

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में वैकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से उनके पुनर्वास के वैध हक प्रदान किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो;

(2) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं जैसे स्कूलों, अस्पतालों, जल आपूर्ति के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ग्राम सभा द्वारा ऐसी विकास परियोजना की निकासी (क्लीयरेंस) की सिफारिश किया जाना शामिल है।

(3) अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त पर वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने का विषय है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 से पहले

वन भूमि पर कब्जा कर लिया था। धारा 4(4) निर्धारित करती है कि इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे लेकिन अन्य संक्राम्य या हस्तांतरणीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होंगे।

(4) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(5) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(6) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह साबित कर सकते हैं कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर इस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(7) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्रामसभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीवों, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा; (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती जलागम-क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थतिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो; (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों, जंगल और जैव-विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, की रोक का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

(8) इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय-IV) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन-स्तरीय संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप-

मण्डल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से संतप्त कोई भी व्यक्ति उप-मण्डल स्तरीय समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उप-मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा संतप्त कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों के रिकार्ड पर जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) है।

(9) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

(10) धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय-IV में संदर्भित प्राधिकरणों (प्राधिकारियों) को निर्देश जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

(11) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान उस समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष (विरूद्ध) में नहीं होंगे |

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

7.3 अधिनियम का कार्यान्वयन इसकी स्थापना के बाद से ही विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा एक सतत प्रक्रिया के रूप में किया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एफआरए के कार्यान्वयन में प्रगति राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है, जिसमें प्राप्त दावों, वितरित किए गए अधिकार पत्रों और वन भूमि की सीमा का संकेत दिया जाता है जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों को संकलित किया जाता है और सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है। राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई और एमपीआर के तहत संकलित नवीनतम जानकारी के अनुसार, एफआरए 20 राज्यों 1 संघ शासित प्रदेश में 391 जिलों को कवर करते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिनांक 29.02.2024 तक, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 50,26,801 है, जिनमें से 84.44% दावों का निपटारा किया जा चुका है और 24,85,191 अधिकार पत्र (49.44%) जारी किए गए हैं। दिनांक 29.02.2024 तक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दावों के संबंध में निपटाए गए दावों का प्रतिशत (राज्य-वार) दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-7** में दिया गया है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.4 (क) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन और वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य परपंरागत वन निवासियों (ओटीएफडी) की आजीविका में सुधार की क्षमता का दोहन करने तथा राज्य स्तर पर जनजातीय और वन विभाग के अधिकारियों के बीच

तालमेल के माध्यम से क्षेत्र स्तर के मुद्दों को हल करने के लिए, एमओईएफसीसी और एमओटीए द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित दूसरा "संयुक्त पत्र" जारी किया गया है। यह 14 मार्च 2024 को जारी किया गया था। ये संयुक्त पत्र और सलाह एफआरए पट्टा धारकों को दावा के बाद सहायता की सुविधा प्रदान करते हैं जिसमें आवास, कृषि, आजीविका आदि का प्रावधान शामिल है।

(ख) धारा 5 के तहत एफआरए ग्राम स्तरीय संस्थाओं ग्राम सभा और ऐसे गांवों के वन अधिकार धारकों को जैव विविधता की रक्षा तथा संरक्षण करने और सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। वन संसाधनों के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 12.09.2023 को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत 4390.12 लाख रुपये की कुल लागत पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और यवतमाल जिलों के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन योजनाओं को भी मंजूरी दी है और इसमें 200 से अधिक सामुदायिक वन संसाधनों को शामिल किया गया है ताकि वनों पर निर्भर समुदायों के आजीविका के अवसरों को बढ़ाया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

(ग) ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी समुदायों के लिए आवास अधिकार शुरू किया गया और उन्हें प्रदान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: -

- छत्तीसगढ़ में, जीएमपी जिले के 19 गांवों में बैगा पीवीटीजी और धमतरी जिले के 22 गांवों में कमार पीवीटीजी को आवास अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- ओडिशा में देवगढ़ जिले के पौडी भुइयां पीवीटीजी को आवास अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा के 12 गांवों में भारिया पीवीटीजी को आवास अधिकार प्रदान किए गए हैं। मध्य प्रदेश ने मंडला जिले के 6 गांवों में बैगा पीवीटीजी को आवास अधिकार प्रदान किए हैं।

(घ) कुल 7 लाख पीवीटीजी किसान/एफआरए पट्टा धारक पंजीकृत किए गए हैं और पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का लाभ लगभग 4.5 लाख पीवीटीजी किसानों/एफआरए पट्टा धारकों को जारी किया गया है।

(ङ) जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) द्वारा दिनांक 6/12.9.2017 के अपने आदेश के अनुसार, पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए भूमि अधिग्रहण (एलए) और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया (आर एंड आर) हेतु निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा कर रही है। दिनांक 30.10.2023 को आयोजित 9वीं समीक्षा बैठक में शेष परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) का स्थानांतरण, आर एंड आर गतिविधियों का पूरा कार्यक्रम, वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का कार्यान्वयन, परियोजना प्रभावित जनजातीय लोगों पर एनसीएसटी की विशेष रिपोर्ट इत्यादि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण से सभी आर एंड आर गतिविधियों को अत्यंत मानवीय विचार के साथ पूरा करने का अनुरोध किया गया।

(महाराष्ट्र के पालघर के दहानु में विकासित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अधिकार पत्रों का वितरण)

(पालघर, महाराष्ट्र के पीवीटीजी (कटकारी) एफआरए पट्टा धारक)

(नांदेड़ जिला, महाराष्ट्र के अजजा लाभार्थी (गोंड जनजाति) को एफआरए के तहत व्यक्तिगत अधिकार पत्र का वितरण)

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन हेतु कार्यक्रम

8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक स्कीमें और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। ये नीचे दिए गए हैं :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

8.2 2018-19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्कूल स्थापित किया जाएगा।। कैबिनेट द्वारा 17.12.2018 को जनसंख्या मानदंड के आधार पर 452 नए स्कूल स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। ये ईएमआरएस खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालयों के समान होंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नवस्वरूपित कार्यक्रम का शुभारंभ 12 सितंबर, 2019 को रांची, झारखंड में किया गया था।

8.3 पुर्नोत्थान योजना की शुरूआत से पहले, 1998 से अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत कुल 288 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 200 स्कूल कार्यशील थे। प्रति छात्र आवर्ती लागत 61,000 रु. थी और इन स्कूलों के निर्माण के लिए दी गई धनराशि मैदानी इलाकों में 12 करोड़ रु. और पहाड़ी इलाकों में 16 करोड़ रु. थी। स्कूल के निर्माण की लागत की तुलना में प्रति छात्र मौजूदा आवर्ती लागत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों को तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन विद्यालयों के प्रबंधन में कोई एकरूपता नहीं थी। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पाठ्यक्रम और शिक्षा के अलग-अलग मानक थे। जनजातीय छात्रों के समग्र विकास के लिए ईएमआरएस को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संस्थानों में बदलने के लिए निर्माण, शैक्षणिक, खेल और सह-पाठ्यचर्या, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और स्कूलों के प्रबंधन सहित स्कूल के लगभग हर पहलू में पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता थी।

8.4 नई योजना के तहत देश भर में 452 नए ईएमआरएस स्थापित किए जाएंगे। पुरानी योजना के तहत पहले से ही स्वीकृत 288 स्कूलों के साथ, स्थापित किए जाने वाले स्कूलों की कुल संख्या 740 हो जाती है। यह परिकल्पना की गई है कि 2025 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी या कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस होंगे जो 480 छात्रों के साथ अपने स्वयं के भवन से कार्यशील होंगे। जनजातीय लोगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाऐंगे, जिनमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे (भवन, उपकरण आदि) और दो चुनिंदा खेलों (एक सामूहिक खेल और एक वैयक्तिक खेल सहित) की सुविधाएं होंगी।

8.5 ईएमआरएस के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और खेल एवं पाठ्येतर गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 15 एकड़ भूमि का प्रावधान आवश्यक है। स्कूल में सुविधाओं में अत्याधुनिक कक्षाएं, पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं; पुस्तकालय; प्राचार्य और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुविधाएं; स्वच्छता और पेयजल सुविधा; खेल और क्रीडा सुविधाएं (इनडोर और आउटडोर) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, रसोई और भोजन कक्ष तथा शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर आदि शामिल हैं। मानदंडों के अनुसार कक्षा VI से कक्षा X तक प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ दो सेक्शनों में प्रति कक्षा कुल 60 विद्यार्थी तथा विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की विधाओं में कक्षा XI और XII के प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ तीन सेक्शनों में प्रति कक्षा कुल 90 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

8.6 वर्ष 2018-19 में योजना को 50% अजजा आबादी और 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले सभी ब्लॉकों तक भौगोलिक पहुंच बढ़ाने के लिए नवस्वरूपित किया गया है। तदनुसार, ईएमआरएस की स्थापना के लिए 452 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में, छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत मैदानी इलाकों में 20.00 करोड़ रुपये से संशोधित करके (बढ़ाकर) 37.80 करोड़ रुपये और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रुपये से संशोधित करके (बढ़ाकर) 48.00 करोड़ रुपये कर दी गयी है। स्कूलों के सचांलन के लिए और छात्रों के खर्च (वर्दी, किताबें और स्टेशनरी, भोजन आदि) के लिए आवर्ती लागत रु. 1.09 लाख प्रति वर्ष प्रति छात्र का भुगतान किया जाता है।

8.7 वर्ष 2023-24 के दौरान, 2018-19 की बजट घोषणा के अनुरूप चिन्हित ब्लॉकों में कुल 9 नए स्कूलों को स्वीकृत किया गया है। 31.03.2024 तक 2018-19 की बजट घोषणा के अनुरूप चिन्हित ब्लॉकों में संचयी रूप से 699 स्कूलों को स्वीकृत किया गया है। इन 699 स्कूलों में से 411 स्कूलों को 2019 से नई योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। 31.03.2024 तक 404 ईएमआरएस के कार्यशील होने की सूचना है। अब तक स्वीकृत ईएमआरएस (ब्लॉक-वार) की सूची https://www.tribal.nic.in/emrs पर उपलब्ध है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए और यह सुनिश्चित करे कि स्वीकृत विद्यालयों का निर्माण 2 वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया जाए। राज्य एक उपयुक्त भवन किराए पर लेकर स्कूल को क्रियाशील भी बना सकता है बशर्ते उसके पास शिक्षकों की उपलब्धता सहित आवश्यक बुनियादी ढाँचा हो। अनुमोदित विद्यालयों का राज्य-वार सारांश और उनकी कार्यशील स्थिति **नीचे तालिका 8.1** में दी गई है:-

तालिका 8.1: स्वीकृत और कार्यशील ईएमआरएस की संख्या (31.03.2024 तक)

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत ईएमआरएस	कार्यशील ईएमआरएस
1.	आंध्र प्रदेश	28	28
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	5
3.	असम	14	1
4.	बिहार	3	0
5.	छत्तीसगढ़	74	74

6.	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	1
7.	गुजरात	43	34
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4
9.	जम्मू और कश्मीर	6	6
10.	झारखंड	89	7
11.	कर्नाटक	12	12
12.	केरल	4	4
13.	लद्दाख	3	0
14.	मध्य प्रदेश	70	63
15.	महाराष्ट्र	37	37
16.	मणिपुर	21	3
17.	मेघालय	27	0
18.	मिजोरम	17	6
19.	नागालैंड	22	3
20.	ओडिशा	106	32
21.	राजस्थान	31	30
22.	सिक्किम	4	4
23.	तमिलनाडु	8	8
24.	तेलंगाना	23	23
25.	त्रिपुरा	21	6
26.	उत्तर प्रदेश	4	2
27.	उत्तराखंड	4	4
28.	पश्चिम बंगाल	8	7
	कुल	**699**	**404**

8.8 राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर किसी विशेष ब्लॉक में एक स्कूल को एनईएसटीएस द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि भूमि सभी बाधाओं से मुक्त है। तब निर्माण एजेंसी मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, पानी की उपलब्धता, सड़क संपर्क और वन विभाग की अनापत्तियों (क्लीयरेंस) के आधार पर निर्माण के लिए भूमि की उपयुक्तता सत्यापित करती है। भूमि को राज्य ईएमआरएस सोसाइटी के नाम हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की स्वीकृति केवल तभी दी जाती है जब मास्टर लेआउट प्लान और डीपीआर प्रस्तुत किया जाता है और फिर निर्माण एजेंसी को निधियाँ जारी की जाती हैं।

वर्ष 2023-24 की मुख्य विशेषताएं:

8.9 ईएमआरएस का शिलान्यास समारोह और उद्घाटन

वर्ष 2023-24 में केंद्रीय और राज्य स्तर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 34 ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई है। ये स्कूल 5 राज्यों के 14 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। 34 स्कूलों में से 24 ओडिशा में, 6 झारखंड में और 2

असम में तथा 1-1 अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हैं। ये स्कूल देश के सुदूर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं। इनका विवरण **अनुलग्नक 8क** में दिया गया है।

(माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा झारखंड के थेतईनगर में ईएमआरएस की आधारशिला रखते हुए)

(माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडु ओडिशा के फूलबानी में ईएमआरएस की आधारशिला रखते हुए।)

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल, वर्ष 2023-24 में केंद्रीय/राज्य स्तर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 21 ईएमआरएस का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किए गए 21 स्कूलों में से 6 का उद्घाटन राजस्थान में, 6 का झारखंड में, 4 का ओडिशा में, 02-02 का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में और 01 का असम में किया गया। इसे **अनुलग्नक 8ख** में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 8.2: 2023-24 का बजट

(करोड़ रूपये में)

योजना	बजट अनुमान 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24	निर्मुक्त
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	5943.00	2471.81	2447.61

8.10 पुराने ईएमआरएस का उन्नयन

1997-98 से, सीमित बजट पर अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत 288 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। कई स्कूल बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे कि परिसर की दीवार, प्रयोगशाला, खेल सुविधा, अतिरिक्त कक्षाएँ, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास ब्लॉक, फर्नीचर आदि के बिना चल रहे हैं। न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की स्वीकृत निधि के भीतर संचालित स्कूलों को उन्नत करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए, चेकलिस्ट के आधार पर ऐसे स्कूलों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और उन्नयन के लिए 211 ईएमआरएस की पहचान की गई। आज तक 167 ईएमआरएस के उन्नयन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विवरण **अनुलग्नक 8ग** में है।

8.11 राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के माध्यम से की गई पहलें:

एनईएसटीएस के संचालन को सुचारू बनाने के लिए की गई पहलें इस प्रकार हैं:

- व्यय विभाग ने 740 ईएमआरएस के लिए 38,480 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। तदनुसार, एनईएसटीएस ने पहले चरण में 10391 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।

- वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एनईएसटीएस के सिविल विंग को मजबूत करने के लिए 06 अस्थायी पदों को भी मंजूरी दी है।

- एनईएसटीएस के प्रशासन/शैक्षणिक/सिविल विंग में दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सहायता के लिए कर्मचारियों को जीईएम से आउटसोर्स किया गया है।

8.12 राज्य ईएमआरएस समितियां

यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे कि ईएमआरएस रखने वाला प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस स्थापित करने के लिए पात्र हो, साथ ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर की ईएमआरएस सोसाइटी भी स्थापित करे। तदनुसार, 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में से 27 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर की ईएमआरएस सोसाइटी की स्थापना की गई है। शेष राज्य (बिहार) में जल्द से जल्द सोसायटी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सोसायटियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू): ईएमआरएस की नवस्वरूपित योजना के लिए राज्यों को ऑन-बोर्ड (एक साथ) लाने के लिए, एनईएसटीएस द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की ईएमआरएस सोसायटियां एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्वीकृत/स्थापित स्कूलों के समग्र कार्यान्वयन/प्रबंधन/प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगी। समझौता ज्ञापन (एमओयू) मूल रूप से ईएमआरएस के नवस्वरूपित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में एनईएसटीएस और राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों की ईएमआरएस समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है। अब तक, 25 राज्यों ने एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस के लिए 38,480 पदों की स्वीकृति और इन पदों को भरने के लिए डीओई के निर्देशों के मद्देनजर, केंद्रीकृत भर्ती के लिए एमओयू को संशोधित किया गया है। एमओयू को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है। अब तक 9 राज्यों ने संशोधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

8.13 ईएमआरएस सांस्कृतिक उत्सव 2023-24

ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव और कला उत्सव 2023 का चौथा संस्करण (भाग) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा 03 अक्टूबर 2023 से 06 अक्टूबर 2023 तक एकलव्य विद्यालय संगठन समिति (ईवीएसएस), उत्तराखंड द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस 4 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की एकलव्य विद्यालय संगठन समिति (ईवीएसएस), उत्तराखंड द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड में मेजबानी की गयी। कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि, श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य और श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और माननीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाले भाषण दिए गए। देश भर से लगभग 1700 ईएमआरएस छात्र भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। इस चार दिवसीय महोत्सव में नृत्य-गीत से लेकर प्रश्नोत्तरी और दृश्य कला आदि 20 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्टॉल लगाए गए।

(ईएमआरएस सांस्कृतिक महोत्सव 2023-24 की झलकियां)

8.14 शैक्षणिक पहलें और उपलब्धियाँ

क. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार- 2023 प्रदान किया गया

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से चुने गए 75 सबसे प्रतिभाशाली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार - 2023 से सम्मानित किया। इन 75 पुरस्कार विजेताओं में से, इस वर्ष ईएमआरएस श्रेणी में पुरस्कार श्री यशपाल सिंह, प्रधानाचार्य, ईएमआरएस भोपाल, मध्य प्रदेश को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान

किया गया। उनके अद्वितीय योगदानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास, स्मार्ट क्लास सक्षमता, वृक्षारोपण और आनंददायक शिक्षण-अधिगम तकनीक शामिल हैं।

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लगातार चौथी बार ईएमआरएस शिक्षकों को दिया गया है। यह पुरस्कार जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने वाले सभी ईएमआरएस शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को भी मान्यता देता है। यह पुरस्कार वास्तव में जनजातीय कार्य मंत्रालय के जनजातीय स्कूलों और छात्रों की सुविधा के लिए समर्पित प्रयासों; उन्हें मुख्यधारा में एकीकृत करने तथा इस प्रकार एक उज्जवल, सफल भविष्य सुनिश्चित करने को दर्शाता है।

(ईएमआरएस भोपाल, मध्य प्रदेश के प्राचार्य डॉ. यशपाल सिंह ने भारत के माननीय राष्ट्रपति से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2023 प्राप्त किया)

ख. जनजातीय भारत में स्कूली बच्चों का पोषण और मानसिक कल्याण: ईएमआरएस प्रधानाचार्यों और शिक्षकों (बैच I, II और III) के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) ने आमने-सामने कार्यशाला के माध्यम से पोषण और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण पर ईएमआरएस के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। पीएचएफआई के लिए प्रशिक्षण तीन बैचों में आयोजित किया गया है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के आदेश के बाद प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इन विषयों पर गहन अध्ययन करके, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र के विशिष्ट संदर्भ के अनुरूप बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की। यह कार्यक्रम पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा परिदृश्य को विकसित करने की दिशा में एक कदम आगे है। इस सहयोगी पहल का उद्देश्य प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को उनके स्कूलों में जनजातीय बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञता से लैस करना है।

(जनजातीय भारत में स्कूली बच्चों के पोषण और मानसिक स्वास्थ्य का बैच-III: ईएमआरएस प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए त्रिपुरा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम)

ग. उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में ईएमआरएस प्राचार्यों का एक्सपोजर दौरा

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में ईएमआरएस प्राचार्यों के लिए एक्सपोजर दौरे का आयोजन किया। इन दौरों का उद्देश्य सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों में कौशल शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है। एक्सपोजर दौरे की पहल का उद्देश्य स्कूल प्रमुखों के लिए भारत में प्रतिष्ठित संगठनों के संपर्क में आने और देश भर के संस्थानों द्वारा नियोजित उन्नत प्रक्रियाओं और तकनीकों से परिचित होने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है। इस कार्यक्रम ने एक परस्पर संवादात्मक अधिगम (इंटरैक्टिव लर्निंग) का अनुभव, विभिन्न वातावरणों तक पहुँच, सामाजिक संपर्क के अवसर और कार्यस्थल में नवीनतम रुझानों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। यह पहल स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जो कौशल-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देती है। इन दौरों में भाग लेने वाले प्रधानाचार्य बाद में अपने आस-पास के स्कूलों में शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे शिक्षक सशक्तिकरण के लिए प्रचुर अवसर पैदा होंगे।

चरण-IV एक्सपोजर विजिट के दौरान ईएमआरएस के प्रिंसिपल

घ. ईएमआरएस छात्रों के लिए अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम (बैच- II):

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में 'अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। दूसरे चरण में एक उन्नत ब्लॉक प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम शामिल होगा। सचिव (जनजातीय कार्य), श्री अनिल कुमार झा ने तीन दिवसीय व्यक्तिगत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला के साथ-साथ ईएमआरएस कोडर्स एक्सपो का उद्‌घाटन किया, जो पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान ईएमआरएस से शीर्ष 20 कोडिंग परियोजनाओं की एक प्रदर्शनी थी।

पिछले वर्ष के कार्यान्वयन के उत्साहजनक परिणामों के आधार पर, संशोधित मॉड्यूल एक अनुकूलित कोडिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पाठ्यक्रम पेश करेगा जो सीबीएसई कौशल शिक्षा के साथ संरेखित है। यह कोडिंग, तार्किक अनुक्रमण, लर्निंग लूप और ब्लॉक प्रोग्रामिंग के मौजूदा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त होगा। 20 घंटे का मॉड्यूल जनजातीय छात्रों के कंप्यूटर विज्ञान और कोडिंग के वर्तमान प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कक्षा छ: के छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की मूल बातें सिखाई जाएंगी, सातवीं कक्षा को विज़ुअल प्रोग्रामिंग की उन्नत अवधारणाओं से परिचित कराया जाएगा; कक्षा आठ को एआई के परिचयात्मक प्रदर्शन सत्र मिलेंगे; और कक्षा नौ को एआई की मूल बातें सिखाई जाएंगी। कक्षा 10 के लिए, सीबीएसई कौशल पाठ्यक्रम के साथ संरेखित एआई मॉड्यूल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में शुरू किया जाएगा।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम के पायलट चरण का शुभारंभ करते हुए एक संदेश में कहा, "अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम पहल यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है कि आने वाली जनजातीय पीढ़ियाँ डिजिटल अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों। अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम और जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) के बीच सहयोग में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को पाटने की क्षमता है, जिससे उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल कैरियर सुनिश्चित होंगे।"

पिछले साल अमेज़न इंडिया और लर्निंग लिंक्स फ़ाउंडेशन (एलएलएफ) के सहयोग से शुरू किए गए पायलट चरण में छठी से आठवीं कक्षा तक के 6,000 से अधिक छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान और ब्लॉक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल की मूल बातें सिखाई गई हैं। जनजातीय छात्रों को लगातार बढ़ते तकनीकी परिदृश्य के लिए तैयार करने के लिए, यह उचित है कि शिक्षकों को सही ज्ञान और संसाधनों से सुसज्जित किया जाए। 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला के माध्यम से 50 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसके बाद चरण I में समय-समय पर आभासी सत्र आयोजित किए गए।

इस कार्यक्रम में अमेज़न इंडिया के सार्वजनिक नीति (ग्राहक विश्वास) प्रमुख श्री नितिन सलूजा, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन की प्रबंध भागीदार सुश्री नूरिया अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

(श्री अनिल कुमार झा, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दौरान ईएमआरएस छात्रों के साथ बातचीत की)

ङ. इस्कॉन के साथ ईएमआरएस छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा ओलंपियाड (बैच-II)

एनईएसटीएस ने श्री श्री राधा राधिकारमण-कृष्ण बलराम मंदिर और वैदिक शैक्षिक केंद्र के नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसायटी (इस्कॉन) के साथ मिलकर ईएमआरएस छात्रों के लिए एक व्यापक 'मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम' लागू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में मूल मूल्यों और नैतिकता को स्थापित करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा ओलंपियाड, पाठ्यक्रम सामग्री और रिकॉर्ड किए गए सत्रों के माध्यम से छात्रों को वैश्विक पर्यावरण संकट के प्रति संवेदनशील बनाना और पुस्तकों का वितरण शामिल है। 15 अक्टूबर 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा ओलंपियाड को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हुई। ओलंपियाड के शीर्ष तीन विजेताओं (तीन श्रेणियों में) को पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार और यूएनईपी एफएफई पहल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया। यह मूल्य-आधारित ओलंपियाड सात राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान,

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आयोजित किया गया । इस पहल का उद्देश्य ईएमआरएस छात्रों के बीच मूल्यों को बढ़ावा देकर और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देकर समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इस सहयोग के माध्यम से, नेस्ट्स और इस्कॉन छात्रों को जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान से सुसज्जित करने का प्रयास करते हैं।

च. भारतीय भाषा उत्सव'

'भारतीय भाषा उत्सव', भाषाई विविधता का जश्न मनाने, क्षेत्रीय भाषाओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भाषा सीखने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल है। यह कार्यक्रम 28 सितंबर से 11 दिसंबर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय भाषाएँ भारतीय संस्कृति, कला, संगीत, विचारों और भारत के लोगों की एकता और सद्भाव के गहरे संबंध (बान्ड) जोड़ने की प्राथमिक संवाहक हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं तथा अविभाज्य हैं और भाषाओं से निकलते हैं। इसलिए भारतीय भाषा उत्सव को उत्सवी उत्साह और जोश के साथ मनाने से छात्रों में ऊर्जा का संचार होगा तथा वे गर्व और आत्मविश्वास से भर जाएँगे।

छ. ईएमआरएस में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना

परियोजना "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) में बुद्धिमान शैक्षिक अवसंरचना (स्मार्ट) की स्थापना" इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम है और एमईआईटीवाई, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) द्वारा वित्त पोषित/समर्थित है। ईआरएनईटी इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है जो स्मार्ट क्लास परियोजना को निष्पादित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना का उद्देश्य एक डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड, एक्सेस प्वाइंट, यूपीएस, मैनपावर सपोर्ट और बीएसएनएल इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करना है। पूरे देश में 175 ईएमआरएस में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास सक्षमीकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया है। चरण 1 में, 48 ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास अवसंरचना सक्षम की गई है और इन 48 स्कूलों में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया शुरू की गई है। दूसरे चरण में शेष 127 ईएमआरएस में सक्षमीकरण किया जाएगा।

ज. स्कूलों की सीबीएसई संबद्धता की सुविधा

ईएमआरएस को विभिन्न श्रेणियों के तहत सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। ईएमआरएस की सीबीएसई संबद्धता के संबंध में मामले को एनईएसटीएस द्वारा केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जा रहा है और स्कूलों को संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए प्रत्येक चरण पर प्रोत्साहित किया जाता है और सुविधा प्रदान की जाती है। अब तक सीबीएसई से कुल 322 ईएमआरएस संबद्ध हैं, 34 राज्य बोर्डों के तहत संबद्ध हैं और शेष 48 ने आवेदन किया है/आवेदन किया जाना है।

झ. राष्ट्रपति भवन में ईएमआरएस छात्रों का विशेष दौरा

22 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति भवन में 6 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड के 460 ईएमआरएस छात्रों का राष्ट्रपति भवन का दौरा राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) द्वारा राष्ट्रपति भवन के समन्वय में आयोजित किया गया था। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ईएमआरएस छात्रों के साथ बातचीत की और ईएमआरएस छात्रों को प्यार और स्नेह के प्रतीक के रूप में एक छोटा सा उपहार भेंट किया। बातचीत के दौरान, छात्रों ने राष्ट्रपति भवन का दौरा करने और भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने में सक्षम होने पर अपनी खुशी व्यक्त की, जो उनके लिए एक यादगार अनुभव होगा।

(ईएमआरएस छात्रों के राष्ट्रपति भवन दौरे की झलक)

इन छात्रों ने 23 अगस्त, 2023 को संसद भवन का दौरा भी किया, ताकि भारतीय संसदीय प्रणाली के कामकाज के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और शानदार संसद भवन की सराहना की जा सके। उन्हें संसद संग्रहालय और संसद पुस्तकालय का दौरा भी कराया गया। इन छात्रों को 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजित उद्भव नामक कार्यक्रम में आजीवन यादगार अनुभव के साथ शामिल

होने का मौका दिया गया, जिसका उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। छात्रों को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा से ज्ञान के शब्द सुनने का अवसर मिला।

इन यात्राओं ने न केवल ईएमआरएस छात्रों को एक अनूठा शैक्षिक अवसर प्रदान किया, बल्कि उन्हें चिरस्थायी यादें सृजित करने का मौका भी दिया, जो निस्संदेह उनके दृष्टिकोण को आकार देंगी और उनके व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास में योगदान देंगी।

ञ. केंद्रीय शैक्षिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान-एनसीईआरटी द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण और वर्चुअल कार्यशाला के माध्यम से क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 (एनईपी- 2020) में शिक्षा और प्रौद्योगिकी के परस्पर संबंध पर जोर दिया गया है। सीआईईटी-एनसीईआरटी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करता है। इस आलोक में, एनईपी, 2020 ने डिजिटल सामग्री विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मानक निर्धारित किए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता विकास के लिए एक डिजिटल वर्धक/प्रेरक बन जाएगा। सीआईईटी-एनसीईआरटी ने शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन के लिए डिजिटल स्पेस में संरक्षा और सुरक्षा पर शिक्षकों, छात्रों, शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रशासकों और स्कूली शिक्षा के अन्य हितधारकों की समझ का लाभ उठाने के लिए 5-9 जून 2023 तक शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक "डिजिटल स्पेस में सुरक्षा और संरक्षा" पर पांच घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया था। सीआईईटी-एनसीईआरटी ने 12-16 जून 2023 तक शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक "शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझान" पर पांच घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किया था, ताकि स्कूली शिक्षा के विभिन्न हितधारकों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों की आवश्यकता, महत्व और उपयोग के बारे में बताया जा सके, जिन्हें शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, सीआईईटी-एनसीईआरटी ने 26-30 जून 2023 तक शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक "ई-सामग्री का विकास: श्रव्य संसाधन" पर पांच घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किया था, ताकि श्रव्य संसाधनों के विभिन्न रूपों की पहचान की जा सके और विभिन्न मंचों के माध्यम से इसका प्रसार किया जा सके। विभिन्न राज्यों के ईएमआरएस प्रधानाचार्यों ने सीआईईटी-एनसीईआरटी के उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों में सक्रिय रूप से भाग लिया और आयोजित सत्रों से ज्ञान प्राप्त किया।

ट. ईएमआरएस में खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र

ईएमआरएस में खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) खेलों के लिए एक समर्पित बुनियादी ढांचा है, जिसमें एक पहचाने गए व्यक्तिगत खेल और एक समूह खेल के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए सभी संबंधित बुनियादी ढांचे (भवन, उपकरण आदि) के साथ 15 ईएमआरएस में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों के बीच खेलों को बढ़ावा देना और शारीरिक दक्षता बढ़ाना है। इन खेलों के लिए सीओई में भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाएं, उपकरण और वैज्ञानिक रूप से समर्थित विशेष प्रशिक्षण होगा। ईएमआरएस में खेलों के लिए सीओई की स्थापना के लिए, मंत्रालय ने प्रत्येक केंद्र के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण, खेल उपकरणों की खरीद, खेल के मैदान का सुधार

और रखरखाव आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी ने खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 15 ईएमआरएस और खेल विषयों की पहचान की थी। कार्यक्रम का पहला चरण 5 ईएमआरएस स्कूलों में शुरू किया जाएगा और खेल के लिए सीओई के चरण-1 में एक जिला स्तरीय प्रतिभा खोज को खेलो इंडिया के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। कार्यान्वयन तंत्र और परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन के संबंध में प्रभावी तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ठ. माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया के साथ ईएमआरएस में डिजिटल रूपान्तरण।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के एनईएसटीएस ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ईएमआरएस में डिजिटल रूपान्तरण को सक्षम बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्यों के उन्मुखीकरण, नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शिक्षकों का कौशल विकास और छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, स्कूलों में एमएस सॉफ्टवेयर का परिनियोजन, ईएमआरएस छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम की शुरुआत आदि शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने मई-जून 2023 के महीने में 3 घंटे की अवधि के पांच ऑनलाइन सत्र आयोजित किए थे, अर्थात् प्रधानाचार्यों/स्कूल प्रमुखों/निर्णयकर्ताओं के लिए 1 सत्र और शिक्षकों के लिए 4 सत्र। देश भर के ईएमआरएस के शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और प्रधानाचार्यो ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। 287 प्रधानाचार्यो/स्कूल प्रमुखों शिक्षा रूपान्तरण ढांचे (ईटीएफ) सत्र में शामिल हुए और रूपान्तरण के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। सत्र के दौरान, माइक्रोसॉफ्ट के शिक्षकों और प्रमुखों ने एमएस लर्न पर अपना प्रोफ़ाइल बनाया और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोड पुन: प्राप्त किया। माइक्रोसॉफ्ट प्रशिक्षण ईएमआरएस परिदृश्य में एक मिशन के रूप में डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना करता है।

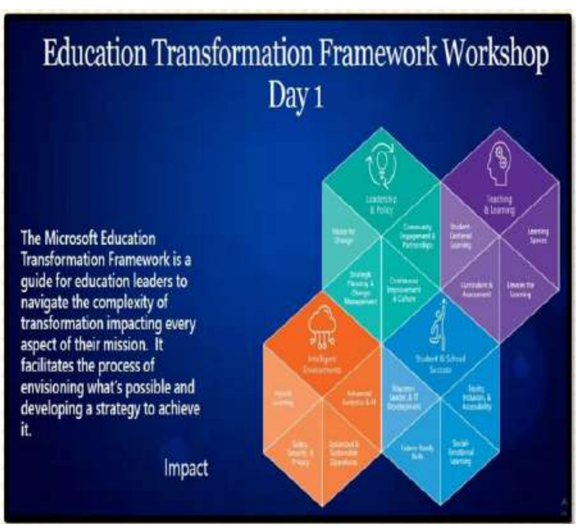

ड. ईएमआरएस के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती

व्यय विभाग ने ईएमआरएस के लिए वर्ष 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से 38480 कर्मचारियों (52 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी x 740 स्कूल) की भर्ती को मंजूरी दे दी है। भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, जो बाद में कार्यात्मक ईएमआरएस की संख्या में वृद्धि पर निर्भर करेगा। एनईएसटीएस ने ईएमआरएस में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चरण-। केंद्रीकृत भर्ती शुरू की है। प्रधानाचार्य, पीजीटी और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए क्रमशः 28.06.2023 और 19.07.2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भर्ती प्रक्रिया सीबीएसई द्वारा आयोजित की जानी है।

भर्ती के पहले चरण (2023-24) के लिए कुल आवश्यकता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद	कुल रिक्तियां
1	प्रधानाचार्य	303
2	पीजीटी	2266
3	टीजीटी	5660
4	छात्रावास वार्डन	669
5	कनिष्ठ सचिवालय सहायक.	759
6	लेखापाल (लेखाकार)	361
7	लैब अटेंडेंट	373
कुल		**10391**

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18.08.2023 थी। उपर्युक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं 16, 17, 23 और 24 दिसंबर 2023 को आयोजित की गईं, जिनके परिणाम 22 जनवरी और 24 जनवरी 2024 को घोषित किए गए।

12 फरवरी 2024 को आयोजित रोजगार मेले के 12वें चरण के दौरान, कुल 135 उम्मीदवारों ने 16 स्थानों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम और लद्दाख) पर व्यक्तिगत रूप से अपनी अनंतिम नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त किया।

कनिष्ठ (जूनियर) सचिवालय सहायक के पद के लिए 2769 उम्मीदवारों हेतु कौशल परीक्षण अप्रैल, 2024 में अनंतिम रूप से आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रधानाचार्य के पदों के लिए साक्षात्कार 16 फरवरी 2024 को शुरू हुए और कुल 630 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। शेष उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार अप्रैल 2024 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

ढ़. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और सीबीएसई की कौशल हब परियोजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की पहल के लिए सीबीएसई और कौशल विकास मंत्रालय (एम/ओएसडीई) के साथ सहयोग किया था। स्कूल के घंटों के बाद या सप्ताहांत में शिक्षा से बाहर के युवाओं (स्कूल नहीं जाने वाले युवाओं) के लिए कौशल केंद्रों के रूप में नामोद्दिष्ट स्कूलों के परिसर में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में कौशल केंद्रों के

निर्माण की पहल पायलट (प्रायोगिक) चरण में, स्कूल से बाहर के (स्कूल में नहीं जाने वाले) बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 52 ईएमआरएस को कौशल केंद्र केंद्रों के रूप में नामित किया गया था। यह उम्मीद की जाती है कि स्कूल समय के साथ आंतरिक व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करने में सक्षम होंगे। पहले चरण में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में पर्यटन और आतिथ्य, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी और हस्तशिल्प आदि शामिल हैं। अपने दूसरे चरण में, कौशल केंद्र, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए पहचाने गए नोडल कौशल केंद्र हैं, जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक की आबादी के लक्षित हिस्सों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। इस योजना का लक्ष्य, स्कूल से बाहर के (स्कूल में नहीं जाने वाले) बच्चों, युवाओं और ड्राप आऊटों के लिए एनएसडीसी प्रमाणित कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करना है।

ण. युवा मंथन मॉडल जी-20 के माध्यम से मानव-केंद्रित वैश्वीकरण:

यूथ 20 (वाई20) सभी जी20 सदस्य देशों के युवाओं के लिए एक आधिकारिक परामर्श मंच है, जहाँ वे एक-दूसरे से संवाद कर सकते हैं। वाई20 युवाओं को भविष्य के नेतृव्यकर्ताओं (लीडर्स) के रूप में वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान-प्रदान करने, तर्क-वितर्क करने, बातचीत करने और आम सहमति तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित करता है। वाई20 दुनिया भर के युवाओं के लिए वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच है। तदनुसार, वाई20 इंडिया ने ई-मॉड्यूल के प्रसार और 'मॉडल जी20 शिखर सम्मेलन' अर्थात् आगामी जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए 'युवामंथन' के साथ सहयोग किया है। ईएमआरएस के छात्रों के बीच जी20 के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एनईएसटीएस ने ईएमआरएस में जी20 के प्रोटोटाइप (प्रतिरूप) वाईएमजी20 के संचालन के लिए 'युवामंथन' के साथ सहयोग किया है। युवामंथन ने ईएमआरएस को वाईएमजी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से 12 से 16 जून 2023 तक 'वाई20 थीम (विषय वस्तु)' और 'वाईएमजी20' के आयोजन जैसे विषयों पर अंचल-वार ईएमआरएस के शिक्षक समन्वयकों के लिए उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किया था। उन्मुखीकरण कार्यक्रम को अलग-अलग थीम (विषय वस्तु) के साथ देश भर में आठ (8) अंचलों में विभाजित किया गया था। उन्मुखीकरण कार्यक्रम का संचालन युवामंथन के कार्यनीति और संचार निदेशक श्री दानिश कमाल, वाई20 इंडिया की समन्वयक सुश्री पलक कोहली और युवामंथन की संचालन प्रमुख सुश्री साक्षी वर्मा ने किया। प्रत्येक अंचल (जोन) से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने उक्त कार्यक्रम में भाग लिया था।

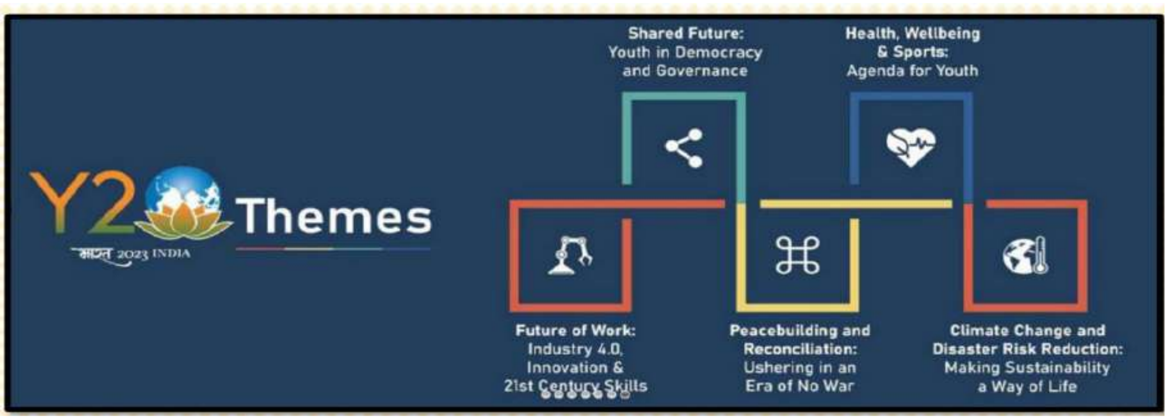

त. आईहब दिव्यसंपर्क, प्रौद्योगिकी नवाचार हब:

आईहब दिव्य संपर्क, प्रौद्योगिकी नवाचार हब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और आईआईटी रुड़की की एक संयुक्त पहल है। यह ईएमआरएस में अनुभव केंद्र/प्रयोगशाला स्थापित करने की एक पहल है। ईएमआरएस स्कूलों में एक अनुभव केंद्र/प्रयोगशाला की स्थापना से जनजातीय छात्रों को बहुत लाभ होगा और उन्हें प्रयोगात्मक प्रयोगों में शामिल होने और उभरती हुई तकनीक में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस परियोजना को 20 ईएमआरएस में पायलट आधार पर शुरू (लॉन्च) किया गया था और इन सभी 20 ईएमआरएस में ड्रोन और आईओटी लैब सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं।

थ. ईएमआरएस छात्रों के लिए कैरियर परामर्श सत्र

छात्रों को भविष्य के करियर के लिए तैयार करने के अपने प्रयास में, जो ईएमआरएस योजना के सफल कार्यान्वयन की प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक है, एनईएसटीएस ने ईएमआरएस छात्रों को परामर्श और मार्गदर्शन देने और उन्हें विभिन्न करियर विकल्पों और व्यवसायों के पाठ्यक्रम को समझने के लिए उन्मुख करने की आवश्यकता को महसूस किया है जो छात्रों को और अधिक प्रबुद्ध कर सकते हैं। छात्र विकास के इस महत्वपूर्ण पहलू को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो नवंबर और दिसंबर, 2023 के महीनों के दौरान ऑनलाइन रखी गई थी। अपनी शैक्षणिक यात्रा में उस महत्वपूर्ण मोड़ को पहचानते हुए, जिस पर वे खड़े हैं, इस कार्यशाला के लिए लक्षित दर्शकों में कक्षा IX से XII के छात्र शामिल थे, यह अवधि भविष्य के शैक्षिक और कैरियर के पथ (मार्ग) बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए विशिष्ट है, जो इसे मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त अवसर का समय बनाता है। छात्रों के समग्र विकास का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, एनईएसटीएस ने वेबिनार श्रृंखला आयोजित करने के लिए आठ उद्योगों से विशेषज्ञ व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। 1 से 1.5 घंटे की लचीली अवधि के साथ डिज़ाइन किए गए वेबिनार के बाद छात्रों और कर्मचारियों दोनों के प्रश्नों का समाधान करने के उद्देश्य से एक खुला सत्र आयोजित किया गया। एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण चर्चा सुनिश्चित करने के लिए, कौशल क्षेत्र में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का व्यापक सिंहावलोकन प्रदान करते हुए विशेषज्ञ व्यक्तियों ने कई प्रमुख बिंदुओं की एक सीमा को कवर किया।

द. ज्ञान और जागरूकता मैपिंग (मानचित्रण) मंच (केएएमपी) -एनएएसटीए -2023

केएएमपी - एनएएसटीए 2023 पहल की स्थापना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) प्रणाली में नामांकित छात्रों की विज्ञान क्षमताओं और प्रतिभाओं का मूल्यांकन और अभिस्वीकृति के मूल लक्ष्य के साथ की गई थी। ये स्कूल हाशिए के समुदायों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनका उद्देश्य उनके समग्र विकास को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इन छात्रों की क्षमता की पहचान करने और उसका पोषण करने के महत्व को समझते हुए, इस पहल के तहत मूल्यांकन अत्यधिक महत्व रखता है। संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, मूल्यांकन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों घटकों को शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक संरचित किया गया है। इसका मतलब यह है कि मूल्यांकन पद्धति उन पहलुओं को शामिल करती है जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या तकनीक पर निर्भर नहीं हैं। ऑफ़लाइन तरीकों को शामिल करके, मूल्यांकन द्वारा

छात्रों की शैक्षणिक कौशल और प्रतिभा के विभिन्न आयामों को प्रभावी ढंग से माप सकता है, विशेष रूप से विज्ञान में, उनकी क्षमताओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकता है।

ध. ईएमआरएस के छात्रों की साहसिक गतिविधि के तहत शिखर तक पहुंच (रीच) :

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा का क्षेत्र पारंपरिक कक्षाओं की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएसa) के छात्रों ने वास्तव में एक रोमांचक यात्रा शुरू की है जो किसी भी तरह से कम उल्लेखनीय नहीं है। सावधानीपूर्वक नियोजित तीन बैचों में, 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और सिक्किम) से कुल 58 ईएमआरएस छात्रों ने मनाली के खूबसूरत परिदृश्य में स्थित प्रतिष्ठित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान (एबीवीआईएमएएस) में आयोजित 'बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स' में उत्सुकता से भाग लिया। यह पहल पारंपरिक मानदंडों से परे शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए एनईएसटीएस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

58 छात्रों के एक अति उत्साही और साहसी समूह ने 26 दिनों की असाधारण यात्रा शुरू की, जो केवल ऊंची चोटियों पर चढ़ने के कार्य से कहीं आगे थी। यह प्रयास छात्रों को पारंपरिक सीमाओं से परे शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए एनईएसटीएस के अटूट समर्पण को रेखांकित करता है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में साहसिक कदम रखकर, एनईएसटीएस न केवल छात्रों के क्षितिज को व्यापक बनाता है बल्कि उनमें अमूल्य जीवन कौशल और साहस की भावना भी पैदा करता है। यह पहल विविध परिवेशों में बढ़ते हुए (सक्षम) सर्वांगीण व्यक्तित्व (व्यक्तियों) विकसित के लिए एनईएसटीएस की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अनुभव पर विचार करते हुए, जिग्दल हिसे (कक्षा XI) के छात्र ने कहा, **"मैंने अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए अपरिमित साहस संचित (अर्जित) किया है। विशेष रूप से, शेतिधर की चोटी (शिखर) (15,700 फीट) पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मुझे जो संतुष्टि प्राप्त हुई है, उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मै अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ।''**

न. परीक्षा पे चर्चा- 2024

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के छात्रों को 29 जनवरी, 2024 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा-पे-चर्चा (पीपीसी), 2024 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिए गए निमंत्रण को अनुग्रह-पूर्वक स्वीकार कर लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना, साथियों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देना, परीक्षाओं के दौरान धैर्य को बढ़ावा देना और चुनौतियों से निपटने में आत्मविश्वास पैदा करना था। एनईएसटीएस देश भर के विभिन्न ईएमआरएस के छात्रों को यह शिक्षित बनने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, सिक्किम और त्रिपुरा सहित 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सौ (100) ईएमआरएस छात्रों ने पहली बार दिल्ली में परीक्षा-पे-

चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और सभी छात्र कार्यक्रम स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सम्मानित महसूस कर रहे थे।

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे देश भर के लाखों छात्र लाभान्वित हुए। देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) द्वारा स्कूल परिसर में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। 402 ईएमआरएस के छात्र और शिक्षक इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर ध्यान देने और शांति और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने का संकल्प लिया। ईएमआरएस के छात्रों और शिक्षकों ने पीपीसी 2024 का हिस्सा बनने का यह अमूल्य अवसर प्रदान करने के लिए एनईएसटीएस के प्रति गहन आभार व्यक्त किया। पीपीसी के महत्व पर विचार करते हुए, छात्रों ने तनाव को कम करने, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और व्यावहारिक जीवन के सबक प्रदान करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने प्राप्त अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया, जिससे उनकी शैक्षणिक यात्रा और व्यक्तिगत विकास समृद्ध होगा। यह कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और मूल्यवान साबित हुआ, जिसने परीक्षाओं से जुड़े तनाव और दबाव को काफी हद तक कम किया। ईएमआरएस के छात्रों को शिक्षा मंत्रालय की ओर से माननीय कैबिनेट मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बाल भवन में आमंत्रित किया गया है।

प. ईएमआरएस का शैक्षिक भ्रमण एवं साहित्यिक उत्सव

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) ने 8 से 12 फरवरी, 2024 तक एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया। यह भ्रमण भारत के तीन पूर्वोत्तर राज्यों - मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के 255 छात्रों और शिक्षकों के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। उनका गंतव्य कुछ और नहीं बल्कि नई दिल्ली का हलचल भरा राजधानी शहर था। यात्रा की शुरुआत 8 फरवरी को एक शुभ अवसर के साथ हुई, जिसे एनईएसटीएस के सहयोग से राष्ट्रपति भवन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। छात्रों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति संग्रहालय और शांत अमृत उद्यान का दौरा करने का विशेषाधिकार दिया गया। यह इन जनजातीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि यह राजधानी शहर की उनकी पहली यात्रा थी, जिसमे दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व में उन्होंने स्वंय को तल्लीन कर दिया।

छात्र अपने आस-पास की भव्यता, विशेष रूप से भव्य राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के भीतर ऐतिहासिक विलक्षणता से अचंभित थे। अमृत उद्यान की शांत सुंदरता ने उनके अनुभव को और भी बेहतर बना दिया, जिसने उनके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ एक यादगार बातचीत थी। यह मुलाकात छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि उन्हें देश के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्तियों में से एक के साथ बातचीत करने का सम्मान मिला था। उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ एक यादगार बातचीत थी।

इसके अलावा, छात्रों को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव में भाग लेने का अनूठा अवसर मिला। इस कार्यक्रम ने न केवल उन्हें सांस्कृतिक उत्सव के भव्य आयोजन में स्वंय को तल्लीन होने का मौका दिया, बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। एनईएसटीएस के आयुक्त श्री असित गोपाल और अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा के ईएमआरएस छात्रों ने महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह भ्रमण केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बारे में नहीं था; यह समग्र विकास के बारे में था। अपनी पाँच दिवसीय यात्रा के दौरान, छात्रों ने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, इंडिया गेट, नेहरू तारामंडल, अक्षरधाम मंदिर और आदि महोत्सव सहित कलात्मक महत्व के स्थानों का दौरा करके सीखने के विभिन्न पहलुओं को जाना। इन अनुभवों का उद्देश्य पारंपरिक कक्षा में सीखने की सीमाओं से परे उनकी समझ को समृद्ध करना था, जिससे एक समग्र विकास पथ को बढ़ावा मिले। पूरे अनुभव ने छात्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उन्हें ऐसी यादें मिलीं जो जीवन भर याद रहेंगी। यह कार्यक्रम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की विविध संस्कृतियों के बीच एकता को बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त, इसने तीनों राज्यों के छात्रों को एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से बातचीत करने, दोस्ती और आपसी समझ के गहरे संबंध (बॉन्ड) को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया, जैसाकि उन्होंने अपने अनूठे अनुभव साझा किए।

8.15 ईएमआरएस खेल प्रतियोगिता

बढ़ते कोविड मामलों (जेएन.1 वेरिएंट) के कारण, जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली चौथी ईएमआरएस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई थी।

छात्रवृत्ति योजनाएँ :

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की पाँच छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं जैसे कि मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति (राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति) और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं।

अनुसूचित जनजाति के कक्षा IX और X में पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

8.16 उद्देश्य: योजना का उद्देश्य कक्षा IX और X में पढ़ने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सहायता करना है ताकि विशेष रूप से प्रारंभिक (एलीमेन्ट्री) से माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पारण (ट्रांजीशन) के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की घटनाओं को कम किया जा सके और उनके पास मैट्रिक के बाद की शिक्षा के चरणों में आगे बढ़ने का एक बेहतर मौका हो।

8.17 मुख्य विशेषताएं :

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां यह 90:10 है सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।
- छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
- लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और छात्रवृत्ति के समय पर लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र उत्तरदायी हैं।

8.18 पात्रता:

- छात्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता-पिता / अभिभावक की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह कोई अन्य केंद्रीय वित्तपोषित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति नहीं ले रहा हो/ले रही हो।
- वह सरकारी स्कूल या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाला एक नियमित, पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।
- किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए मिलेगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी पड़ती है, तो उसे दूसरे (या बाद के) वर्ष के लिए उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

8.19 लाभ:

- छात्रवृत्तियों का भुगतान एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दिवा विद्यार्थियों के लिए रु. 225/- प्रति माह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए रु. 525/- प्रति माह की दर से किया जाता है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा विद्यार्थियों के लिए रु. 750/- प्रति वर्ष की दर से और छात्रावासियों के लिए रु. 1000/- प्रति वर्ष की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग छात्रावासियों (हॉस्टलर्स) को 800/- रुपये मासिक (9600 रुपये वार्षिक) और दिवा-छात्रों (डे स्कॉलर्स) के लिए 600 रुपये/मासिक (7200 रुपये वार्षिक) का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
- एक बार दिया गया पुरस्कार (छात्रवृत्ति) अच्छे आचरण और उपस्थिति में नियमितता के अध्यधीन जारी रहेगा। छात्र के कक्षा IX उत्तीर्ण करने के बाद इसे कक्षा X के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

8.20 निष्पादन (परफार्मेंस): योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 308.61 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 308.60 करोड़ रुपये 31.03.2023 को निर्मुक्त किए गए थे। वर्ष 2021-22 से 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान लाभार्थियों और निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक – 8घ** में दिया गया है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

8.21 उद्देश्य और कार्यक्षेत्र: योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा के माध्यमिकोत्तर स्तर को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन सभी एसटी छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नही है। छात्र देश में कहीं भी अध्ययन कर सकता है और छात्रवृत्ति उस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती है जहां उसका अधिवास है।

8.22 मुख्य विशेषताएं:

i. इस योजना में राज्य शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क पूरी तरह से कवर किया गया है। शुल्क घटक राज्य की राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय किया जाएगा। निजी क्षेत्र के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के मामले में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष और एमबीबीएस/एमएस/एमडी पाठ्यक्रमों के लिए 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा होगी। छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर वजीफा भी दिया जाता है। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है और दरें 2300/- रुपये प्रति वर्ष से लेकर 12000/- रुपये प्रति वर्ष तक भिन्न होती हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, छात्रावास में रहने वाले दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 800 रुपये मासिक (9600 रुपये वार्षिक) तथा दिवा छात्रों (डे-स्कॉलर्स) के लिए 600 रुपये मासिक (7200 रुपये वार्षिक) अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।

ii. यह छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि को कवर करती है और इसका भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाता है और यह छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन और अच्छे आचरण के अध्यधीन है।

iii. लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और छात्रवृत्ति के समय पर लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिम्मेदार हैं

समूह	पाठ्यक्रम	रखरखाव भत्ते की दर (रुपये प्रति माह)	
		छात्रावास	दिवा छात्र
समूह।	विभिन्न विषयों (संकायों) में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक, मास्टर डिग्री, एमफिल/पीएचडी डिग्री से लेकर डिग्री, पीजी डिप्लोमा तक	12000	5500

समूह II	कला, विज्ञान और वाणिज्य में ग्रुप I के अंतर्गत शामिल न होने वाले बैचलर (स्नातक), मास्टर (स्नातकोत्तर) डिग्री, एमफिल/पीएचडी डिग्री की ओर ले जाने वाले सभी गैर-पेशेवर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जैसे बीए/बीएससी/बी.कॉम या एमए/एमएससी/एम.कॉम	8200	5300
समूह III	व्यावसायिक विषय (संकाय), आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक आदि में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	5700	3000
समूह IV	सभी मैट्रिकोत्तर स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा दसवीं) है, जैसे सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI और XII)।	3800	2300

8.23 वित्तपोषण पैटर्न: इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का योगदान 75% होगा और राज्य का योगदान 25% होगा। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के मामले में, भारत सरकार का योगदान 90% होगा और राज्य का योगदान 10% होगा। अंडमान और निकोबार जैसे बिना विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, भारत सरकार का योगदान 100% होगा।

8.24 राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में 2668.83 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के सापेक्ष 31.03.2024 तक 2668.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार कवरेज और जारी की गई केंद्रीय सहायता **अनुलग्नक 8ड.** में दी गई है।

अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.25 उद्देश्य: योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है।

8.26 कवरेज: यह योजना भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को कवर करती है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

i. यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च)और/ या 12(ख) के तहत शामिल विश्वविद्यालय/ संस्थान/कॉलेज।
ii. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित और यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त करने के पात्र विश्वविद्यालय।
iii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज।
iv. उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

अध्येतावृत्ति की अवधि और राशि इस प्रकार है:

(01.04.2022 से प्रभावी)

	एम.फिल पूरा करने के बाद पीएचडी का नामांकन	2 वर्ष (एम. फिल) और 3 वर्ष (पीएचडी)
	एम. फिल	2 वर्ष
	पीएचडी	5 वर्ष

पाठ्यक्रम	विषय (संकाय)	छात्रवृत्ति मासिक (01.01.2023 से संशोधित दरें)	वार्षिक आकस्मिक व्यय
एम.फिल	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	रू. 37000/-	रू. 10,000/-
	विज्ञान / इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		रू. 12,000/-
पीएचडी	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	रू. 37000 / - पहले दो वर्षों के लिए और रू. 42000/- शेष 3 वर्षों के लिए	रू. 20,500/-
	विज्ञान / इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		रू. 25,000/-
सभी पाठ्यक्रमों के लिए एचआरए (मासिक): यूजीसी दरों के बराबर [शहर के आधार पर 8% या 16% या 24%]			
दिव्यांगजनों के लिए सहायता (एस्कॉर्ट) भत्ता (मासिक): रु. 2000/- (यूजीसी दरों के बराबर)			

उपरोक्त दरें यूजीसी की दरों के बराबर हैं, जिन्हें यूजीसी द्वारा संशोधित किए जाने पर संशोधित किया जा सकता है।

8.27 निधियन पद्धति (फंडिंग पैटर्न): यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है:

छात्रवृत्ति (अध्येतावृत्ति) को डीबीटी मोड में केनरा बैंक के माध्यम से सीधे (स्कालर्स) विद्वानों के खातों में स्थानांतरित किया जाता है, , जो कि 2011 से यूजीसी द्वारा नामोद्दिष्ट अधिकृत बैंक है। स्कालर्स (शोध छात्रों) को छात्रवृत्ति राशि जारी करने के लिए तिमाही निरंतरता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8.28 मुख्य विशेषताएं:

- योजना के तहत हर साल एसटी छात्रों को 750 अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप) प्रदान की जाएंगी।
- पीएचडी के मामले में अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है और एम.फिल के लिए 2 वर्ष।
- इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं है।

8.29 निष्पादन (परफार्मेंस): वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. 230.00 करोड़ के बजट आवंटन के सापेक्ष दिनांक 31.03.2024 तक रू0 230.00 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। {छात्रवृत्ति के लिए (शीर्ष श्रेणी घटक) सहित}।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति - (शीर्ष श्रेणी) योजना [स्नातक और स्नातकोतर स्तर]:

8.31 उद्देश्य: योजना का उद्देश्य उन मेधावी एसटी छात्रों को अधिसूचित 265 संस्थानों में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनके माता-पिता की आय 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह योजना 2007-08 से प्रारंभ की गई है।

8.32 प्रमुख विशेषताएं :

(i) यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% वित्तपोषित है। एसटी (अजजा) छात्रों की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) छात्रवृत्ति के 2 घटक हैं - फीस और वजीफा। सरकारी/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के संबंध में पूरी ट्यूशन फीस और अन्य अप्रतिदेय शुल्क संस्थान को दिए जाते हैं। हालांकि, निजी संस्थानों के मामले में, प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा है। वजीफा और कंप्यूटर से संबंधित घटक को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी किया जाता है।

(iii) छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता (शीर्ष श्रेणी) :

घटक	विवरण
ट्यूशन फीस / एडमिन फीस	सरकारी संस्थानों के संबंध में पूर्ण एडमिशन (प्रवेश) शुल्क, शिक्षण शुल्क और अन्य अप्रतिदेय देय राशि
किताबें और स्टेशनरी	रु. 5000/- की दर से
वजीफा (स्टीपेन्ड)	रु. 36000/- प्रति वर्ष
कंप्यूटर के सहायक उपकरण	कार्यकाल के दौरान रु. 45000/- एकमुश्त सहायता

8.33 निष्पादन (परफार्मेंस): 230.00 करोड़ रुपये (अध्येतावृत्ति घटक सहित) के बजट आवंटन के सापेक्ष 31.03.2024 तक 230.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। नए और नवीयन छात्रों के लिए आवेदन https://scholarships.gov.in (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल) पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आमंत्रित करने के लिए नए उम्मीदवारों हेतु एनएसपी पोर्टल 01.10.2023 से खोला गया था और 15.01.2024 तक खुला रहा और नवीयन उम्मीदवारों के लिए 31.01.2024 तक खुला रहा।

8.34 ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन: मंत्रालय ने पीएफएमएस ईएटी (व्यय अग्रिम अन्तरण) मॉड्यूल पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च श्रेणी के संस्थानों को जोड़ा है और इसके परिणामस्वरूप योजना के तहत निधि निगरानी को सुदृढ़ किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस):

8.35 उद्देश्य: इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर डिग्री, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

8.36 कार्यक्षेत्र: 17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों) से संबंधित 3 उम्मीदवारों को विदेश में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट के स्तर के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

8.37 मुख्य विशेषताएं: अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (परिवार में एक सदस्य) को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, बशर्ते उम्मीदवार और उसके माता-पिता/अभिभावक की कुल आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।

i. प्रासंगिक योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड आवश्यक है।

ii. पोस्ट-डॉक्टोरल, पीएचडी और मास्टर पाठ्यक्रम हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमश: 38 वर्ष, 35 वर्ष और 32 वर्ष है।

8.38 निधियन पद्धति (फंडिंग पैटर्न): विदेशों में भारतीय मिशनों/दूतावासों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा चयनित उम्मीदवारों को अनुदान दिया जाता है।

8.39 निष्पादन: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, चयन वर्ष 2023-24 के लिए 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। 7.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के सापेक्ष 31.03.2024 तक 7.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। चयन प्रक्रिया का प्रबंधन एक समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nos.aspx के माध्यम से किया जाता है, जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

छात्रवृत्ति की राशि

क्र.सं.	छात्रवृत्ति घटक	विवरण
1	वार्षिक रखरखाव भत्ता	सभी स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए यूए में वार्षिक रखरखाव भत्ता यूएसडी15,400 ($पंद्रह हजार चार सौ मात्र)/यूके में पाउंड स्टर्लिंग 9,900 (£ नौ हजार नौ सौ केवल)। अन्य देशों के लिए, यूएसडी या समतुल्य दरें लागू होंगे।
2	वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता	अमेरिका में उम्मीदवारों के लिए पुस्तकों/आवश्यक उपकरणों/अध्ययन दौरे/टाइपिंग और थीसिस (शोध) की जिल्दसाजी आदि के लिए वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता $ 1532 (यूएस डॉलर एक हजार पांच सौ बत्तीस मात्र) होगा और यूनाइटेड किंगडम में उम्मीदवारों के लिए, यह £ 1116 (पाउंड स्टर्लिंग एक हजार एक सौ सोलह केवल) होगा। अन्य देशों के लिए, यूएस डॉलर या समतुल्य दरें लागू होंगी।
3	पॉल कर	जहां भी लागू हो, वास्तविक भुगतान किया जाएगा
4	वीजा फीस	भारतीय रुपये में वास्तविक वीजा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
5	आकस्मिक यात्रा	आकस्मिक यात्रा खर्च यूएस डॉलर 20 या भारतीय रुपये में उसके

क्र.सं.	छात्रवृत्ति घटक	विवरण
	खर्च	समतुल्य स्वीकार्य हैं।
6	फीस	ट्यूशन फीस और अन्य अप्रतिदेय शुल्क जो वास्तविक के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्र द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान करना आवश्यक है।
7	चिकित्सा बीमा प्रीमियम	शुल्क के रूप में वास्तविक स्वीकार्य होगा। हालांकि, संबंधित देश में भारतीय दूतावास/मिशन छात्र द्वारा चुने गए/दावे किए गए मेडिकल प्रीमियम के औचित्य की जांच करेगा।
8	हवाई मार्ग की लागत	भारत से शैक्षिक संस्थान के निकटतम स्थान और वापस भारत के लिए वास्तविक आधार पर हवाई यात्रा अनुदान, इकोनॉमी क्लास और सबसे छोटे मार्ग से सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर प्रदान किया जाएगा।
9	स्थानीय यात्रा	अवतरण के बंदरगाह से अध्ययन के स्थान तक और वापसी के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया; दूर-दराज के स्थान रेल से नहीं जुड़े होने की स्थिति में, निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक बस का किराया, फेरी द्वारा क्रॉसिंग का वास्तविक शुल्क, यात्रियों के लिए हवाई किराया निकटतम रेल-सह-एयर स्टेशन (हवाई अड्डे) की अनुमति होगी।

8.40 उमंग ऐप: राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम को एमईआईटीवाई के उमंग के साथ एकीकृत किया गया है। छात्र अब इन योजनाओं के तहत आवेदन भरने और देखने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

8.41 ई-पहल (डीबीटी पोर्टल):

2018 तक, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर दोनों योजनाओं को कई राज्यों द्वारा 'मैन्युअल मोड' में क्रियान्वित किया जा रहा था। आवेदन दस्तवेजी रूप में मंगाए जाते थे और संबंधित संस्थानों / जिला अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से सत्यापित किए जाते थे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में भी, प्रसंस्करण और सत्यापन प्रक्रिया पेपर आधारित होने (लिखित रूप में) होने के कारण बोझिल और समय की खपत करने वाली थी जिसके परिणामस्वरूप फर्जी लाभार्थियों और फर्जी संस्थानों को लाभ मिलने की बहुत अधिक संभावना के साथ छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी होती थी। कई राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाले हुए। राज्यों और छात्रों के साथ मजबूत संचार या शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति के साथ-साथ बहुत बड़ी लंबित बकाया राशि के कारण, अंतर-राज्य परिषद में कई उच्च न्यायालय मामले और विवाद थे।

2018 में डीबीटी मिशन के तहत छात्रवृत्ति निर्मुक्त/अंतरण करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने के निर्देशों के साथ-साथ विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रवृत्ति की राशि छात्र के

आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाए, जिस योजना में विशिष्ट एमआईएस के विकास के साथ लाभार्थी की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा हो। सभी 5 योजनाओं का प्रबंधन समर्पित योजना विशिष्ट पोर्टलों के माध्यम से किया जाता है।

छात्रवृत्ति योजना	यूआरएल
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	https://dbttribal.gov.in
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	https://dbttribal.gov.in
राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	https://fellowship.tribal.gov.in
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	https://scholarships.gov.in
राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	https://overseas.tribal.gov.in

तदनुसार, निम्नलिखित विशेषताओं के साथ कागज आधारित लिखित प्रारूप से डिजिटल मोड में बदलाव के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया में सुधार किया गया है।

(i). राज्यों द्वारा डेटा साझाकरण, डेटा विश्लेषण और प्रदर्शन डैशबोर्ड: सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का अब या तो अपना पोर्टल है या आवेदन आमंत्रित करने और प्रसंस्करण के लिए वे एमईआईटीवाई द्वारा विकसित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि ये पोर्टल, विभिन्न डेटाबेस और विभिन्न प्रारूपों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों (कम्प्यूटर भाषा मंच) पर हैं, इसलिए, राज्यों द्वारा डेटा साझा करने के लिए एक 31-फ़ील्ड (विषय क्षेत्रों) वाला सामान्य प्रारूप तैयार किया गया है ताकि लाभार्थी विवरण, बैंक विवरण, स्कूल का स्थान, पाठ्यक्रम विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त किया जा सके। डीबीटी पोर्टल में, राज्यों को वेब सेवाओं, एक्सेल/सीएसवी फ़ाइल या राज्य की आईटी क्षमता के आधार पर डेटा की मैन्युअल प्रविष्टि के माध्यम से ऑनलाइन लाभार्थी डेटा साझा करने की सुविधा दी गई है। राज्यों को पूछताछ, दस्तावेज उपयोग प्रमाण पत्र, और व्यय विवरण ऑनलाइन अपलोड करने और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संवाद करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे प्रसंस्करण समय कम हो गया है और शिकायतें कम हो गई हैं। संपूर्ण डेटा को एनआईसी द्वारा प्रबंधित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए)' के साथ क्लीन, संकलित, एकत्र और साझा किया जाता है। डुप्लिकेट और धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है और छात्रवृत्ति वितरण तंत्र में सुधार के लिए 'डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट' राज्यों के साथ साझा की जाती हैं। डेटा का उपयोग विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है और मंत्रालय के प्रदर्शन डैशबोर्ड पर साझा किया जाता है। आउटपुट परिणाम संकेतकों की निगरानी के लिए संकलित डेटा को डीबीटी मिशन, प्रयास डैशबोर्ड और नीति आयोग के साथ भी साझा किया जाता है।

(ii). डिजी-लॉकर के साथ एकीकरण: 'अध्येतावृत्ति' और 'समुद्रपारीय छात्रवृत्ति' पोर्टल दोनों को डिजी-लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। डिजी-लॉकर पर उपलब्ध सभी दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।

(iii). अध्येतावृत्ति पोर्टल के साथ विश्वविद्यालयों का एकीकरण: सभी 331 विश्वविद्यालयों जहां छात्र शोध कर रहे हैं, को "सत्यापन मॉड्यूल" के माध्यम से अध्येतावृत्ति पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के पंजीकृत नोडल अधिकारी डिजी-लॉकर पर उपलब्ध दस्तावेजों और स्कॉलर द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को देख सकते हैं और डिजिटल रूप से आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकते हैं।

(iv). शिकायत निवारण और संचार तंत्र: तेजी से संचार और शिकायत निवारण के लिए, सभी हितधारकों, अर्थात, छात्रों, विश्वविद्यालयों, संवितरण के लिए अधिकृत बैंक और डिजी-लॉकर्स को अध्येतावृत्ति पोर्टल के "संचार मॉड्यूल" के साथ पंजीकृत किया गया है। छात्रों को यूजर मैनुअल, वीडियो क्लिपिंग, फोन हेल्पलाइन, ईमेल, हेल्प डेस्क द्वारा रिमोट एक्सेस के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप मैन्युअल पेपर-आधारित, यूसी-आधारित निगरानी से डेटाबेस आधारित ऑनलाइन निगरानी में एक सराहनीय बदलाव आया है। निर्मुक्त की गई निधियों और उनके उपयोग का आकलन संभव हो पाया है। सत्यापन प्रक्रिया मजबूत हुई है और इसने फर्जी और धोखाधड़ी के मामलों को रोका है और इसके परिणामस्वरूप त्वरित और सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ समय की बचत होती है। सभी हितधारकों के प्रदर्शन, लाभार्थियों के जिलेवार विवरण और जिस तरीके से निधियों का उपयोग किया गया है, उसे प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है। केपीएमजी ने, नीति आयोग के लिए अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में, सामाजिक समावेश पर केंद्रित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का राष्ट्रीय मूल्यांकन किया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल को ई-गवर्नेंस में एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी है, जिससे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और आमूलचूल सुधार आया है। मंत्रालय ने 2020 में "आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण" के लिए 'स्कॉच गोल्ड' पुरस्कार (अवार्ड) भी जीता है।

8.42 मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान सहायता की योजना को क्रियान्वित कर रहा है जिसके तहत राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राज्य को निधियाँ दी जाती है। मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों जैसे मौजूदा भवन अवसंरचना में वृद्धि, आवासीय विद्यालय का निर्माण, बालिकाओं और बालकों के छात्रावासों का निर्माण, आश्रम विद्यालयों का निर्माण, सीएचसी/पीएचसी के लिए अस्पताल भवन का निर्माण/परिवर्धन/सुदृढ़ीकरण, उपकरणों का प्रावधान, कौशल विकास, जनजातीय घरेलू आय बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक और पारंपरिक फसलों को अपनाना और उनका विस्तार करना, कृषि पहलों/जैविक खेती को बढ़ावा देना आदि के लिए निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

अध्याय 9

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)

9.1 जनजातीय आबादी में कुछ ऐसे समूह हैं जिनके सदस्यों की संख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर निम्न और प्रौद्योगिकी कृषि-पूर्व स्तर की है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह सामान्यत: घटिया अवसरंचना एवं कम प्रशासनिक सहायता वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है तथा उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-9 क में दी गई है।

9.2 पीवीटीजी समुदायों को केंद्र सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण विभागों की सभी स्कीमों में सहायता दी जा रही है, 1998-99 में ऐसे समुदायों के लिए एक समर्पित स्कीम शुरू की गई थी। पीवीटीजी के विकास के लिए यह अनन्य रूप से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है और केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

9.3 सरकार ने हाल ही में लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है। पीएम-जनमन सभी पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों / पीवीटीजी गांवों और बस्तियों को कवर करने के लिए 11 महत्वपूर्ण उपायों (हस्तक्षेपों) पर ध्यान केंद्रित करता है, जो इस उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्रित मौजूदा अंतरों (गैप्स) पर आधारित है।

9.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक मंथन शिविर - राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें भारत सरकार के 9 मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों और सचिवों, 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 9 संबंधित राज्य विभागों के प्रधान सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित उपाय के लिए एक आम एकीकृत कार्यान्वयन कार्यनीति, बस्ती स्तर की कार्य योजना और निधि प्रवाह तंत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। प्रत्येक मंत्रालय ने इस कार्य योजना को मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया।

9.5 15.01.2024 को एक विशाल कार्यक्रम (मेगा इवेंट) आयोजित किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के लाभार्थियों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाभार्थियों ने माननीय

प्रधानमंत्री से बातचीत की। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 1 लाख पक्के घरों के निर्माण के लिए पीवीटीजी लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। देश भर के 100 जिलों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न स्थानों पर कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने भाग लिया।

9.6 31.03.2024 तक पीएम-जनमन के अंतर्गत की गई प्रगति निम्नानुसार है:

मंत्रालय का नाम	गतिविधि	31.03.2024 तक प्राप्त लक्ष्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	188696 घर
	सड़कों को जोड़ना	3001.698 किमी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल मेडिकल यूनिट	300 एमएमयू
जल शक्ति मंत्रालय	नल (पाइप) द्वारा जलापूर्ति	292941 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	1050 आंगनवाड़ी केन्द्र
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	100 छात्रावास
जनजातीय कार्य मंत्रालय	वीडीवीके की स्थापना	502 वीडीवीके
	बहुउद्देशीय केंद्र	822 एमपीसी
विद्युत मंत्रालय	बिजलीरहित घरों का विद्युतीकरण	124016 एचएच
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	559 गांवों को कवर करने वाले 227 टावर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत स्वीकृत घर	नई सौर ऊर्जा योजना के तहत 5067 परिवारों को मंजूरी दी गई

2023-24 के लिए स्वीकृत बहुउद्देश्यीय केंद्रों की राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2023-24 के लिए अनुमोदित एमपीसी की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	125
2.	छत्तीसगढ़	73
3.	गुजरात	39
4.	झारखंड	46
5.	कर्नाटक	74
6.	केरल	15
7.	मध्य प्रदेश	125
8.	महाराष्ट्र	121
9.	ओडिशा	61
10.	राजस्थान	16
11.	तमिलनाडु	25
12.	तेलंगाना	49
13.	त्रिपुरा	39
14.	उत्तर प्रदेश	05
15.	उत्तराखंड	09
कुल		822
31.03.2024 तक जारी की गई कुल निधियां		9999.99 (रू. लाख में)

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (31.03.2024 तक) में पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियां **अनुलग्नक - 9ख** में दी गई हैं।

पीएम-जनमन प्रगति-लाइन (संबंधित) मंत्रालय स्वीकृति **अनुलग्नक - 9ग** पर दी गई है।

अध्याय – 10

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

10.1 जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन करने, आंकड़ों का संग्रह करने, जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में चुनौतियों की पहचान करने तथा विभिन्न अध्ययनों एवं अन्य प्रकार के उपायों (हस्तक्षेपों) के माध्यम से उनकी संस्कृति को समझने, बढ़ावा देने और संरक्षित करने के कार्य में लगे हुए हैं। हितधारकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, तथा ज्ञान पैरवी (एडवोकेसी) जो साक्ष्य-आधारित नीति एवं योजना तैयार करने में मदद करेगी, भी इन टीआरआई के मुख्य क्षेत्र हैं। ये सभी गतिविधियाँ केंद्र प्रायोजित योजना 'टीआरआई को सहायता' के तहत समर्थित किए जाने के लिए पात्र हैं, हालांकि टीआरआई मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन संस्थान हैं। टीआरआई की शोध गतिविधियों के भाग के रूप में मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं संस्कृति को संरक्षित करने के लिए टीआरआई के परिसर में जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण में भी सहायता करता है। अपनी स्थापना के बाद से, टीआरआई ने बड़ी संख्या में शोध अध्ययन, नृवंशविज्ञान/सांस्कृतिक अध्ययन किए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और रीति-रिवाजों को संरक्षित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसके तहत जनजातीय समुदायों की जनजातीय संस्कृति, अभिलेखों, कलाकृतियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता" योजना के तहत, मंत्रालय जनजातीय समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की विभिन्न परियोजनाओं को निधि प्रदान कराता है, जिसमें उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और जनजातीय लोगों के विविध रूपों में स्वदेशी आस्था, प्रथाओं, अद्वितीय विचारों और ज्ञान की सुरक्षा शामिल है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 जनजातीय अनुसंधान संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। देश भर में 25 राज्यों और 03 संघ राज्यक्षेत्रों में इन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की स्थापना की गई हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। टीआरआई का विवरण **अनुलग्नक-10क** में दिया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि टीआरआई को जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, साक्ष्य आधारित योजना और उपयुक्त कानून बनाने के लिए राज्यों को इनपुट प्रदान करने, जनजातीय लोगों और जनजातीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं की क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए ज्ञान के एक निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, "टीआरआई को सहायता" योजना के अंतर्गत इन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण (प्रलेखन)

गतिविधियों तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में मजबूती प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2017 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'टीआरआई को सहायता' योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

10.2.1 अवसंरचना निर्माण:

क. टीआरआई/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए अत्याधुनिक भवन।

ख. गृह - व्यवस्था (हाउस - कीपिंग), अत्याधुनिक अनुरक्षण, उपयोग बिल आदि जैसे दैनिक रख-रखाव को छोड़कर, मौजूदा टीआरआई भवन की मरम्मत/विस्तार/उन्नयन।

ग. आभासी (वर्चुअल) संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए सहायता (वित्तीय)।

घ. डिजिटल कोष (रिपोजिटरी) सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सहायता (वित्तीय)।

ङ. टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षण/ संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास (जांच करना और परिशोधन करना)।

च. टीआरआई/संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय भोजन (फूड) कैफे, कारीगर कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कलाकृतियों (कारीगरी) की प्रर्दशनी-सह-बिक्री केन्द्र, सूवनीर (स्मारक) इत्यादि स्थापित करना।

10.2.2 (श्रव्य/दृश्य/ आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियल्टी) (वीआर)/संवर्धित वास्तविकता (एआर) तथा नई प्रौद्योगिकी सहित) अनुसंधान तथा प्रलेखनः

(क) जनजातीय कल्याणकारी उपाय।

(ख) सफलता की कहानियां।

(ग) जनजातीय प्रोफाइल।

(घ) जनजातीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला तथा कलाकृतियां (कारीगरी), परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां, जनजातीय कल्पित कथाएं तथा कहानियां, जनजातीय व्यंजन तथा अन्य विशिष्ट विशेषताएं (लक्षण)।

(ङ) विभिन्न सरकारी उपायों की निगरानी (मॉनीटरिंग) तथा मूल्यांकन।

(च) स्थानीय जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिकाएं (प्राइमर) तैयार करना तथा उनका मुद्रण।

(छ) जनजातीय कला, परम्परा तथा संस्कृति से संबंधित कोई अन्य पहलू।

10.2.3 प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण:

(क) अनुसूचित क्षेत्र/जनजातीय अधिकारों के संबंध में कानून/संवैधानिक प्रावधान। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम आदि सहित)।

(ख) सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध कार्यकर्ताओं तथा जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण।

(ग) कारीगरों की क्षमता का निर्माणः कला तथा शिल्प, धातु शिल्प, चित्रकारी, नृत्य/नाटक, वस्त्र, हस्तशिल्प कारीगरों

की क्षमता का निर्माण के साथ-साथ कला, शिल्प तथा डिजाइन आदि के लिए मूल्यवर्धन। इसमें किट और उपकरण इत्यादि शामिल किए जा सकते हैं।

(घ) जनजातीय संबंधी विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।

(ड.) विचारक-मण्डल (थिंक टैंक) से जुड़े हुए कार्यकलाप।

10.2.4 अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों/यात्राओं का आयोजन।

10.2.5 "जनजातियों में पारस्परिक यात्राओं का आयोजन (एक्चेंज विजिट्स), ताकि वे संस्कृति और परंपराओं के बारे में व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ सकें और सामाजिक-आर्थिक विकास /अन्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम पद्धतियों (तरीकों) को सीख सकें।

10.2.6 जनजातीय समुदायों या जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभकारी कार्य अनुसंधान परियोजनाएं।

10.3 "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता" योजना के तहत वित्त पोषणः

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। टीआरआई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसकी अध्यक्षता सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय करते हैं। जनजातीय आबादी की शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के तरीकों पर कार्य (कार्रवाई) अनुसंधान और परियोजना कार्यान्वियन के लिए अनुदान दिया जाता है। अनुसंधान केवल जनजातियों पर ही नहीं बल्कि जनजातियों के लिए भी होना चाहिए; और नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वियन के लिए साक्ष्य-आधारित अध्ययनों के लिए होना चाहिए। अनुसंधान और परियोजनाओं के क्षेत्र प्रासंगिक और कार्यात्मक होने चाहिए। टीआरआई एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं और मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। 2021-22 से 2023-24 के दौरान "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-10ख** में दिया गया है।

10.4 2015 में, नीति आयोग ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के टीआरआई के प्रतिनिधियों और कुछ गैर-आधिकारिक सदस्यों/विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व के साथ डॉ. एस.एम. झारावल, चांसलर (कुलपति), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, की अध्यक्षता में एक उप-समूह का गठन किया। उप-समूह ने नीति आयोग के निर्देशन में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के माध्यम से टीआरआई का 'एसडब्ल्यूओटी' विश्लेषण और कुछ चयनित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन किया। उप समूह की रिपोर्ट में पाया गया कि जनजातीय अनुसंधान और विकास के लिए कोई संस्थान राष्ट्रीय स्तर का नहीं था। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की गतिविधियां प्रेरक नहीं थीं और उनमें से कई संस्थान जनशक्ति (स्टाफ) की कमी, प्रशासनिक बाधाओं, वित्तीय बाधाओं, बुनियादी ढांचे की बाधाओं आदि के कारण निष्क्रिय थे। यद्यपि, जनजातीय विकास के लिए एक विचारक मंडल (थिंक टैंक) के रूप में ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के रूप में काम करने की परिकल्पना की गई थी, परंतु कई टीआरआई राज्य

के समाज कल्याण/जनजातीय कल्याण विभागों में नियमित प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थे। इसलिए, वे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में विफल रहे।

10.5 उप-समूह द्वारा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर नीति आयोग ने इस मंत्रालय को राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के नवीनीकरण और राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधानों के बेहतर समन्वय और गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए कहा। टीआरआई योजना का बजट 2013-14 में 13 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 121 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2014-15 के बाद 9 टीआरआई स्वीकृत किये गये हैं। "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्य टीआरआई स्थापित करने के लिए आगे आए हैं और कई मौजूदा टीआरआई ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया है। टीआरआई उत्तराखंड भवन का निर्माण कार्य 2019 में संपन्न हुआ था और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में इसका उद्घाटन किया था और टीआरआई आंध्र प्रदेश का कार्य 15 अगस्त 2021 को पूरा किया गया और उद्घाटन किया गया था।

2014 के बाद स्वीकृत नए टीआरआई की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्थान	मंत्रालय द्वारा अनुमोदन का वर्ष	पूरा होने की अनंतिम (संभावित) तिथि
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	2014	15 अगस्त 2021 को उद्घाटन
2	अरुणाचल प्रदेश	निकारागुआन	2018	दिसंबर 2024
3	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	2016	जुलाई 2024
4	मिजोरम	आइजोल	2018	अक्टूबर 2023 में पूर्ण
5	नागालैंड	कोहिमा	2018	मार्च 2025
6	सिक्किम	गंगटोक	2016	जून 2024
7	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	2018	मार्च 2025
8	उत्तराखंड	देहरादून	2016	2019 में पूर्ण
9	गोवा	संगम	2020	अभी तय नहीं हुआ है

पुराने टीआरआई की भवन स्थिति जहां 2014 के बाद भवन स्वीकृत किए गए

क्र.सं.	राज्य	स्थान	टी.आर.आई. की स्थापना का वर्ष	वह वर्ष जिसमें भवन स्वीकृत हुआ	पूरा होने की संभावित तिथि
1	तेलंगाना	हैदराबाद	1963	2018-19	सितंबर 2023 में पूर्ण
2	मणिपुर	इम्फाल	1988	2018-19	दिसंबर 2024
3	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	1993	2018-19	मार्च 2025
4	कर्नाटक	मैसूर	2005	राज्य निधि से	2023 में पूर्ण

10.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जनजातीय विकास के मामलों में सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करने और जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर शोध कार्य करने में शामिल राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) और अन्य शोध संस्थानों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (एनटीआरआई) की परिकल्पना की है। एनटीआरआई जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र और सूचना के भंडार के रूप में भी कार्य करेगा और साथ ही अजजा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कार्य करेगा। एनटीआरआई दिल्ली में स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान होगा जो शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं (विषयों), मुद्दों और मामलों का केंद्र बनेगा और जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र और सूचना के भंडार के रूप में कार्य करेगा और साथ ही अजजा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कार्य करेगा। एनटीआरआई आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली 110002 (आईआईपीए परिसर) में स्थित है। इस भवन में एक प्रदर्शनी हॉल, एक सभागार, सम्मेलन हॉल, एक पुस्तकालय, गेस्टहाउस और एक बहुउद्देशीय हॉल है।

10.7 यह देखा जा सकता है कि 2014-15 तक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप में कार्य करते थे। अब देश भर में 28 क्रियाशील जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और गोवा में स्वीकृत नई टीआरआई क्रियाशील हैं। इनमें से कई राज्यों में टीआरआई भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय:

10.8 मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष करने वाले जनजातीय समुदायों के वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्यों को मान्यता देने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की सराहना करने के लिए, मंत्रालय ने 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है। माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2016 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना के संबंध में घोषणा की थी। कुछ अंश इस प्रकार हैं: "भाइयों और बहनों, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की जब हम बात करते हैं, तो कुछ लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, कुछ का अत्यधिक उल्लेख किया जाता है, लेकिन जंगलों में रहने वाले लोगों का, आदिवासियों का, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा, वह अतुलनीय (बेजोड़) है। वे जंगलों में रहते थे। हम बिरसा मुंडा का नाम तो सुनते हैं, लेकिन शायद कोई जनजातीय बहुल ज़िला ऐसा नहीं होगा, जहाँ 1857 से लेकर आज़ादी मिलने तक जनजातियों ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी और बलिदान नहीं दिया होगा। उन्होंने अपने बलिदान से सिद्ध कर दिया, दिखा दिया कि आज़ादी क्या होती है और गुलामी के ख़िलाफ़ संघर्ष क्या होता है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सरकार विभिन्न राज्यों में जनजातीय बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित स्थायी संग्रहालय बनाने की दिशा में काम करेगी, जहां भी इस उद्देश्य के लिए भूमि उपलब्ध होगी, वहां उनके योगदान और संस्मरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए

उनके बलिदानों के बारे में जान सकें।" इस ज्ञान को संरक्षित और दस्तावेजित करने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में नहीं जान पाएंगी।

10.9 माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण के लिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत बार परामर्शी बैठकें आयोजित की जहां जनजातीय रहते थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया तथा झुकने से इंकार किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि हमारे जनजातियों ने भारत माता के गौरव के लिए कैसे बलिदान दिया। मंत्रालय ने प्रगति की निगरानी सहित प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय समिति (एनएलसी) का गठन किया है। एनएलसी में विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों के सदस्य होते हैं, जिनमें संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, योजना और वास्तुकला विद्यालय, भारतीय संस्कृति अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) और एक बाह्य विशेषज्ञ शामिल हैं। एनएलसी की प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होती है। विभिन्न हितधारकों, इतिहासकारों, मानवविज्ञानियों, निजी वास्तुकारों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी। इन अधिकारियों को, विरासत-ए-खालसा संग्रहालय, पंजाब और भोपाल में मानव संग्रहालय का दौरा कराया गया ताकि वे कहानी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ संग्रहालय की डिजाइनिंग से स्वयं परिचित हो सकें। जिन राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें निर्मुक्त की गई निधि की स्थिति सहित विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	राज्य	स्थान	स्वीकृति वर्ष	परियोजना की लागत	जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता	निर्मुक्त निधि
1	गुजरात	राजपीपला	2017-18	102.55/137.01 (संशोधित)	50.00	50.00
2	झारखंड	रांची	2017-18	36.66	25.00	25.00
3	आंध्र प्रदेश	लांबासिंगी	2017-18	35.00	15.00	8.75
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	2017-18	25.66	15.00	4.65
5	केरल	वायनाड	2017-18	16.16	15.00	7.50
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	2017-18	38.26	15.00	11.77
		जबलपुर	2019-20	12.07	8.66 (अनुच्छेद 275 के तहत वित्त पोषित) + 5.73 करोड़ रुपये टीआरआई योजना को समर्थन से = 14.39 करोड़ रुपये	8.66+1.43= 10.09
7	तेलंगाना	हैदराबाद	2018-19	18.00	25.00	1.00
8	मणिपुर	लुआंगकाओ, तामेंगलोंग	2018-19	51.38	15.00	1.00
9.	मिजोरम	केल्सिह	2019-20	15.00	18.00	11.51
10.	गोवा	पोंडा	2020-21	30.00	15.00	0.10
				कुल	222.39	131.37

10.10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय भारत में जनजातीय लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के प्रति समर्पित होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए उनके बलिदानों के बारे में जान सकें और उनकी सराहना कर सकें। अपनी अवस्थिति के कारण ये संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं; वास्तुकला और ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले तैयार किए जा रहे हैं और जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और जनजातीय-कला को संरक्षित और बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये संग्रहालय, समय क्रमानुसार (ट्रेल्स-घटना क्रम के अनुसार साथ) इतिहास का पता लगाएंगे, जिसमें पहाड़ियों और जंगलों में जनजातीय लोगों ने अपने जीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसलिए, स्वस्थानी संरक्षण, आत्मोन्नति की पहल के साथ 'एक्स-सिटू' (डिस्प्ले) का प्रदर्शन जोड़ेंगे। इन संग्रहालयों में जनजातियों द्वारा अपने वनों, भूमि अधिकारों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने के तरीके और देश की जैविक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 15 नवंबर,2023 को किया गया था।

10.11 'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम योजना (टीआरआई-ईसीई)

'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)' एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित शोध संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों को जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतरों को पूरा करने के लिए विभिन्न शोध अध्ययन/पुस्तकों का प्रकाशन/ऑडियो विजुअल वृत्तचित्रों सहित दस्तावेजीकरण और जनजातीय कार्यों से जुड़े जनजातीय व्यक्तियों/संस्थाओं की क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता पैदा करने को मंजूरी दी जाती है। जनजातीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी योजना के भाग के रूप में स्वीकृत हैं। इस योजना के तहत जनजातीय चिकित्सकों एवं औषधिय पौधों द्वारा स्वदेशी प्रथाओं (प्रैक्टिस) का अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण, जनजातीय भाषाओं, कृषि प्रणालियों, नृत्यों तथा चित्रकलाओं, साक्षरता त्यौहारों के आयोजनों, जनजातीय लेखकों/साहित्यकारों द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकाशनों, अनुवाद कार्यों और साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ऐसे संगठनों द्वारा ऑनलाइन या वास्तविक रूप से प्रस्तुत परियोजनाओं की मंत्रालय के टीआरआई प्रभाग द्वारा जांच की जाती है और उन्हें सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष रखा जाता है।

इस योजना के मुख्य उदाहरणात्मक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) जनजातीय जीवन, संस्कृति और आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिया (कार्य)-अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(ख) जनजातीय समुदायों के सतत विकास के लिए नवीन रणनीतियों का निर्माण और सार्थक परियोजनाओं का कार्यान्वयन, जिसमें आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन के पहलुओं को शामिल किया गया हो।

(ग) पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता और वन संसाधनों के पुनर्जनन (पुनरुद्धार) के संवर्धन के लिए परियोजनाओं के अनुसंधान और कार्यान्वयन में सहायता करना;

(घ) जनजातीय विकास से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं/उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना;

(ङ) जनजातीय विकास और कल्याण के लिए किए गए उपायों का मूल्यांकन करना;

(च) जनजातीय जीवन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन; और

(छ) जनजातीय विकास और कल्याण के लिए प्रशासनिक, सांविधिक और कार्यान्वयन तंत्रों पर नीति-चर्चा सहित जनजातीय जीवन, आजीविका और संस्कृति के पहलुओं पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय समुदायों के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, अन्य क्षेत्रों/क्षेत्रों में परिचयात्मक (एक्सपोजर) यात्राओं का आयोजन।

10.12 अलिखित जनजातीय लोककथाओं सहित, जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने या अनुवाद करने के लिए प्रख्यात लेखकों/लेखकों/विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, यह मंत्रालय, अधिमानतः एक संस्थान को, जिससे ऐसे ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं, एक परियोजना/पुस्तक के लिए 30,000/- रुपये तक अनुदान प्रदान करता है।

10.13 इस योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास में राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, संघ/राज्य/राज्यक्षेत्र सरकारों के संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, गैर-लाभकारी निजी संगठनों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को वित्तीय सहायता दी जाती है। 2023-24 के दौरान स्वीकृत की गई इनमें से कुछ परियोजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

संगठन का नाम	परियोजना का नाम
भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर	जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए सेमी-कंडक्टर निर्माण और लक्षण वर्णन प्रशिक्षण"
बिट्स पिलानी	एक उपयोगकर्ता-अनुकूल, एआई-आधारित उपकरण विकसित करना जो भारत में बोली जाने वाली शीर्ष दस प्राथमिकता वाली जनजातीय भाषाओं को अंग्रेजी/हिंदी में और इसके विपरीत रूपांतरित कर सके।
आईआईएम, अहमदाबाद	भारत में जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम जिसमें 30 चयनित जनजातीय परियोजनाओं के लिए एक विपणन योजना का विकास शामिल है
नाबार्ड	जनजातीय क्षेत्रों में प्रचारित स्वयं सहायता समूहों के साथ ईएमआरएस को जोड़ना
सैटकॉम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)	सुदूर जनजातीय गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए (कृपया परियोजना का पूरा विवरण दें?)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली	जनजातीय स्वास्थ्य एवं रक्त विज्ञान के लिए भगवान बिरसा मुंडा पीठ की स्थापना
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	आईआईटी, दिल्ली से प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जनजातीय समुदायों के लिए उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पीठ की स्थापना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद	आईआईटी (आईएसएम), धनबाद से प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जनजातीय समुदायों के लिए उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पीठ की स्थापना
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन
भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (बीआरएलएफ)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

10.14 12 मार्च, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में विकसित भारत @ 2047 कार्यक्रम जनजातीय विकास में तेजी लाने की दिशा में: हितधारकों - संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक साझेदारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12.03.2024 को आयोजित किया गया।

उत्सव, प्रचार और विज्ञापन

10.15 इस योजना के अंतर्गत गणतंत्र दिवस समारोह के साथ-साथ जनजातीय नृत्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, आदि-महोत्सव, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित संगठनों को समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन , सूचना का प्रसार करने और जागरूकता पैदा करने के लिए परियोजनाएं भी दी जाती हैं। मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेता है और जनजातीय झांकी बनाने, आदिवासी मेहमानों के भोजन व आवास, कलाकारों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन और देश भर से आमंत्रित मेहमानों, दिल्ली और उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों का दौरा और माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना कार्य निष्पादन

10.16 "**जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)"** योजना के तहत किए गए व्यय और पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है-

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	नई और चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या
2017-18	0.41	5
2018-19	4.50	16
2019-20	7.00	24
2020-21	8.00	17
2021-22	14.63	0
2022-23	15.47	0
2023-24	33.01	10

बहुत कम बजट वाली योजना होने के बावजूद, इस योजना में पिछले 3-4 वर्षों में स्वीकृत 62 परियोजनाओं से संबंधित सफलता की कई कहानियां और साझा करने के लिए सर्वोत्तम परंपराएं (प्रथाएं) हैं, जिन्हें tribal.gov.in, adiprasaran. tribal.gov.in और dashboard.tribal.gov.in पर देखा जा सकता है। मंत्रालय को वर्ष 2020-21 के दौरान ई-गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए "स्कॉच चैलेंजर अवार्ड" से सम्मानित किया गया। आइस-स्तूप, स्वास्थ्य, जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण, पोर्टल का उपयोग करते हुए जल प्रबंधन में अभिनव डिजाइन, जनजातीय गांवों के पारिस्थितिकी-पुनर्वास की परियोजना, प्रदर्शन डैशबोर्ड - भारत को बदलने वाले जनजातियों के सशक्तिकरण तथा "आईटी सक्षम छात्रवृत्ति" योजनाओं के माध्यम से स्कॉच गोल्ड श्रेणी पुरस्कार प्राप्त किया। मंत्रालय को विभिन्न आईसीटी पहलों के माध्यम से 18वें सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड्स 2020 में प्रोजेक्ट कैटेगरी-सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी के लिए, 'परफॉर्मेंस डैशबोर्ड'-एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' के लिए और 19वें सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड्स 2021 में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल - स्वास्थ्य पोर्टल के लिए प्रोजेक्ट कैटेगरी-सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ। परियोजनाओं को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जगह मिली और मीडिया में भी व्यापक स्थान दिया गया।

अध्याय 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में

11.1 संगठनः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 10.04.2001 को स्थापित एक शीर्ष संगठन है। इस निगम को सरकारी कंपनी के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत निगमित किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाता है।

उद्देश्य

11.2 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और कार्यरत रहकर प्रशिक्षण (ऑन दि जॉब ट्रेनिंग) दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एससीए) और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अंश पूंजी

11.3 निगम की अधिकृत अंश पूंजी 765.00 करोड़ रुपए है और 31.03.2024 तक प्रदत्त पूंजी 765.00 करोड़ रुपए थी।

पात्रता मानदण्ड

11.4 एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैं: -

क. व्यक्तिगत/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदक (आवेदकों) अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आवेदक (कों) की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ख. सहकारी समितियां: कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के परिवर्तन के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण की मुद्रा की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

योजनाएं

11.5 निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा विपणन समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत प्रमुख योजनाएं:

- **मियादी ऋण योजना**: एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी योजना की लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/उपान्त धनराशि (मार्जिन मनी) के माध्यम से पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी 2 लाख रुपए तक की लागत वाली योजना के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है।
- **लघु (माइक्रो) ऋण योजना**: यह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) हेतु एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य 50,000/- रूपये और प्रति स्व-सहायता समूह (एसएचजी) 5.00 लाख रूपये ऋण प्रदान करता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना**: यह एक शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत, निगम 10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना के लिए ब्याज-सब्सिडी प्रदान करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा नौकरी प्राप्त होने के पश्चात एक वर्ष या छह माह तक, जैसा भी मामला हो, विद्यार्थी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।

तालिका 11: एनएसटीएफडीसी की उपर्युक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के मानदण्ड सरसरी दृष्टि से (एक नजर में) इस प्रकार हैं:

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">सहायता का प्रकार</th><th rowspan="2">प्रति इकाई लागत</th><th rowspan="2">एनएसटीएफडीसी का अंश</th><th colspan="2">प्रतिवर्ष देय ब्याज</th></tr>
<tr><th>एससीए द्वारा</th><th>लाभार्थियों द्वारा</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1.</td><td rowspan="6">सावधि ऋण योजना</td><td rowspan="6">50.00 लाख रुपए</td><td rowspan="6">इकाई लागत का 90%</td><td>3%</td><td>6%</td></tr>
<tr><td colspan="2">(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)</td></tr>
<tr><td>5%</td><td>8%</td></tr>
<tr><td colspan="2">(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक)</td></tr>
<tr><td>7%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से ऊपर) (उपर्युक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)</td><td>2 लाख रुपए</td><td>इकाई लागत का 90%</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>3.,</td><td>स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ)</td><td>प्रति सदस्य 50,000 रुपए तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए</td><td>100%</td><td>3%</td><td>6% (एसएचजी द्वारा देय)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)</td><td>10 लाख रुपए</td><td>ऋण राशि का 90%</td><td>3%</td><td>6%</td></tr>
</table>

11.6 निगम का निष्पादन

क. स्वीकृतियां: 31.03.2024 तक, निगम ने 93,609 लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान के लिए 383.18 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी वाली आय सृजन गतिविधियों के तहत 272 योजनाओं को स्वीकृति दी है।

ख. संवितरण: 31.03.2024 तक, निगम ने 95,025 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाली स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 351.65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें सावधि ऋण के तहत 239.48 करोड़ रुपए और माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत 94.74 करोड़ रुपए का संवितरण शामिल है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-11** में दी गई है।

अध्याय 12

जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

12.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन" योजना के विलय के माध्यम से तैयार किया गया है। योजना के दिशानिर्देश 27 मार्च, 2023 को अधिसूचित किए गए।

12.2 इस स्कीम में, चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की जाती है। किसी विशेष एमएफपी वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य, न्यूनतम निर्धारित एमएसपी मूल्य से कम हो जाने के मामले में पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रापण व विपणन का प्रचालन निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रहण, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार और बाजार आसूचना विकास का समाधान भी किया जाएगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.3 पीएमजेवीएम योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 87 एमएफपी/वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया है। पीएमजेवीएम की नई योजना के दिशा-निर्देश सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रसारित किए गए और एमएफपी के लिए एमएसपी के निर्धारण के लिए योजना के तहत 29/02/2024 को एमएफपी मूल्य निर्धारण सेल (एमएफपीपीसी) का भी गठन किया गया। मंत्रालय द्वारा एमएफपीपीसी की सिफारिश पर वस्तुओं को जोड़ने/हटाने सहित एमएसपी तय/संशोधित किया जाएगा। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली खरीद योजना के अनुसार एमएफपी की खरीद के लिए परिक्रामी निधि (100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित) प्रदान की जाएगी। यदि कोई नुकसान होता है, तो उसे केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाएगा। पीएमजेवीएम योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु वन उत्पादों (एमएफपी) और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सूची **अनुलग्नक 12** में दी गई है।

वन धन योजना

12.4 वन धन योजना के तहत वन धन स्व-सहायता समूह (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने वाली एक ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाई की स्थापना की जाती है, जिसमें 20 वनवासी शामिल होते हैं, जो लघु वन उत्पादों कृषीय उपज, औषधीय पौधों इत्यादि के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का कार्य करती है। 15 ऐसे वीडीएसएचजी को एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) में शामिल कर लिया गया है, जो प्रशिक्षण, कच्चे माल के

एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए 300 सदस्यों को जोड़ता है। यह वन धन अर्थात वन संपदा का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय आधारित उद्यमों, वन धन विकास केंद्रों के सृजन और संचालन के माध्यम से, जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान तथा कौशल का उपयोग करना और जनजातीय के ज्ञान को एक अधिक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में मजबूत करना है। वन धन विकास केन्द्रों को जनजातीय आवास में और उसके आसपास उपलब्ध विभिन्न वन उत्पादों के मूल्यवर्धन और बेहतर विपणन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण इनपुट, उपकरण और अन्य सहायता दी जाएगी है।

अगस्त, 2019 के बाद से, ट्राइफेड को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उद्यमशीलता एवं आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए 11.82 लाख लाभार्थियों से जुड़े 25 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों में 3958 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई।

जबकि केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को भूमि/भवन नि:शुल्क उपलब्ध कराना होता है, वहीं केंद्र सरकार प्रशिक्षण, पक्ष समर्थन (एडवोकेसी), कच्चा माल, उपकरण किट आदि के लिए व्यय प्रदान करेगा। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी जनजातीय उद्यमिता स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए वन धन योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संशोधित किया गया है। यह जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करेगा।

तालिका 12.1: विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	वन धन लाभार्थियों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123578	6,162.90
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	471	143309	7065
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457
10	लद्दाख	10	3000	150
11	झारखंड	146	43701	2174.7
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4
13	केरल	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960

16	मणिपुर	200	60403	2996.8
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	259	76168	3806.55
19	नागालैंड	284	85198	4259.9
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	80	23381	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		**3958**	**11,83,412**	**58,736.50**

राज्य स्तरीय पक्ष समर्थन (एडवोकेसी)

12.5 लघु वन उपज के लिए एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत सभी वन धन विकास केंद्रों के संचालन के लिए राज्य नोडल विभागों/राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ पैरवी बैठकें/वेबिनार आयोजित किए गए।

योजना का प्रदर्शन

12.6. वर्ष 2014-15 से 2023-2024 के दौरान लघु वन उपजों/उत्पादों की खरीद के लिए जारी की गई परिक्रामी निधियों का विवरण नीचे **तालिका 12.2 (क)** में दिया गया है, जबकि वर्ष 2014-15 से 2023-2024 के दौरान बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए जारी की गई निधियों का विवरण नीचे **तालिका 12.2 (ख)** में दिया गया है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्यों द्वारा की गई लघु वन उपजों/उत्पादों (एमएफपी) की खरीद **तालिका 12.2 (ग)** में दी गई है।

तालिका 12.2 (क): 2023-24 के दौरान एमएफपी की खरीद के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी सहायता अनुदान (परिक्रामी निधियां)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राज्यों को स्वीकृत/निर्मुक्त की गई परिक्रामी निधियां
1	छत्तीसगढ़	15366.00
2	गुजरात	622.00
3	झारखंड	2415.00
	झारखंड	2257.00

4	महाराष्ट्र	500.00
5	आंध्र प्रदेश	828.75
6	मध्य प्रदेश	3489.00
7	ओडिशा	4991.00
8	राजस्थान	20.00
9	पश्चिम बंगाल	201.72
10	मणिपुर	10.50
11	नागालैंड (डूडा)	252.16
12	उत्तर प्रदेश	240.00
13	केरल	59.74
14	कर्नाटक	124.60
15	असम	66.935
16	त्रिपुरा (टीआरपीसी लिमि.)	192.15
	त्रिपुरा (मार्कफेड)	8.51
17	तमिलनाडु	228.97
18	मिजोरम	91.50
कुल		**31965.54**

तालिका 12.2 (ख): अवसंरचना के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राज्यों को निर्मुक्त की गई अवसंरचना निधियां
1	छत्तीसगढ़	990.25
2	गुजरात	497.37
3	झारखंड	39.00
4	महाराष्ट्र	325.00
5	आंध्र प्रदेश	709.50
6	मध्य प्रदेश	2681.25
7	ओडिशा	820.00
8	पश्चिम बंगाल	455.44
9	मणिपुर	300.00
10	नागालैंड (डूडा)	65.80
11	उत्तर प्रदेश	821.25

12	केरल	357.75
13	असम	708.380
14	त्रिपुरा	114.00
15	तमिलनाडु	30.94
कुल		**8915.93**

तालिका (12.2 (ग): वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्यों द्वारा लघु वन उपजों/उत्पादों (एमएफपी) की खरीद

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**खरीदे गए एमएफपी का मूल्य**	
		2022-23	**2023-24**
1	ओडिशा	2163.11	7571.79
2	छत्तीसगढ़	4938.399	4159.958
3	आंध्र प्रदेश	46.37	119.68
4	गुजरात	102.04	180.72
5	राजस्थान	0.79	0
6	महाराष्ट्र	22.66	0
7	झारखंड	183.98	0
8	नागालैंड	7.12	0
9	पश्चिम बंगाल	18.93	0
10	कर्नाटक	38.41	0
11	मध्य प्रदेश	1191.37	0
12	केरल	81.36	0
कुल		**8794.54**	**12032.15**

"प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)" योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान ट्राइफेड को जारी सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**
2021-22	305.00	235.00	219.90
2022-23	499.00	140.27	135.27
2023-24	288.49	153.00	151.28

अध्याय 13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था | इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी |

13.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं | आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है।

कार्यालय की अवधि

13.3 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

कार्य एवं कर्तव्य

13.4 आयोग के मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है।

13.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में दी गई हैं | संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5 के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) इस संविधान के तहत या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी भी आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ एवं किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को सालाना और ऐसे अन्य समय पर जैसा आयोग उपयुक्त समझे, उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिश करना जो संघ या किसी राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने चाहिएं; तथा

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास एवं उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जैसा कि राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 8 के अनुसार, आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थात्:

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से आयोग के किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की आवश्यकता;

(ड.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए शासन आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें;

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

13.6 इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2005 जारी की अधिसूचना एफ.सं.

17014/3/2004-सी एंड एलएम-II के अनुसार, आयोग अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थात्:

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य हस्तान्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही हस्तान्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे-धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के पते (स्थान)

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते (स्थान) और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक-13** में दिए गए हैं।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

13.8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) की शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और अन्य समय पर, आयोग जब भी उचित समझे, प्रस्तुत करना अपेक्षित है| संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) की शर्तों के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी किन्ही सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी के गठन और उसके बाद एनसीएसटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की स्थिति नीचे तालिका मे दी गयी है :-

तालिका 13: एनसीएसटी के सृजन और तत्पश्चात इसके द्वारा कृत कार्रवाई के बाद प्रस्तुत रिपोर्टों की स्थिति

रिपोर्ट	वर्ष	एनसीएसटी द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद (लोकसभा/राज्यसभा) में रखने की तिथि
पहली	2004-05 और 2005-06	08.08.2006	30.08.2012 और 31.08.2012
दूसरी	2006-07	03.09.2008	26.04.2013 और 02.05.2013
तीसरी	2007-08	29.03.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
चौथी	2008-09	27.08.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
पांचवी	2009-10	13.07.2011	08.08.2016 और 10.08.2016
जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सुशासन की विशेष रिपोर्ट	2012	18.06.2012	12.12.2013 और 13.12.2013
6ठीं	2010-11	25.10.2013	10.4.2017. और 29.3.2017
7वीं	2011-12	20.02.2015	10.4.2017 और 29.3.2017
8वीं	2012-13	16.11.2015	10.4.2017 और 29.3.2017
9वीं	2013-14	24.05.2016	31.12.2018 और 03.01.2019
10वीं	2014-15	31.05.2016	11.02.2019 और 07.02.2019
11वीं	2015-16	28.10.2016	25.11.2019 और 28.11.2019
12वीं	2016-17*	14.11.2019	24.07.2023 और 26.07.2023
13वीं	2017-18*	15.01.2020	11.12.2023 और 20.12.2023
आन्ध्र प्रदेश (एपी) में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों पर एनसीएसटी की विशेष रिपोर्ट	2018	03.07.2018	13.03.2023 और 15.03.2023
विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास एवं पुन:स्थापन पर राउरकेला स्टील प्लांट की स्थिति संबंधी विशेष रिपोर्ट	2020	15.01.2020	13.03.2023 और 15.03.2023
14वीं *	2018-19	24.03.2021	-
15वीं *	2019-20 & 2020-21	21.06.2022	-
16वीं *	2021-22	20.07.2023	-

*मंत्रालय में प्रक्रियाधीन

अध्याय 14

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

14.1 स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के स्थानीय आधार और पहुंच के साथ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ बड़ी सख्या में लक्षित आबादी तक पहुंचें। योजना के तहत, मंत्रालय इन स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का समर्थन करता है जो देश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केवल उन गैर सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किया जा रहा है जो नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन को अनुदान सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग की परियोजना के लिए निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित है। अनुदानों को समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017, के नियम (मों) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किया जाता है और मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निबंधन और शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है।

14.2 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का चयन, पारदर्शी तरीके से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की बृहद् भागीदारी के साथ सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य समिति" का गठन किया है। समिति गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत नए प्रस्तावों की जांच करती है और आवश्यक सिफारिशें करती है। हालाँकि, चल रहे प्रस्तावों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के जनजातीय कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव की सिफारिश की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रस्तावों को "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति (एससीएसवीई)" के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

14.3 2018 तक, इस योजना को मैनुअल मोड में लागू किया जा रहा था। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्ताव को ऑफ़लाइन प्रस्तुत करना आवश्यक था और प्रस्तावों को वास्तविक (फिजिकल) सत्यापन के लिए राज्यों को भेजा जाता था और इसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान जारी करने से पहले कुछ वर्षों का समय लगता था। निधियों को जारी करने में देरी के कारण, गैर सरकारी संगठनों को अपने लंबित अनुदानों के बारे में पूछताछ करने

के लिए राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में बार-बार जाना पड़ता था और कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं था।

14.4 योजना के संचालन को ऑनलाइन करने के नीति आयोग के अधिदेश के बाद, मंत्रालय ने एक समर्पित एनजीओ पोर्टल विकसित किया है जो एनजीओ योजना को लागू करने के लिए अनुकूलित एंड-टू-एंड(आद्योपान्त) समाधान प्रदान करता है। इस पोर्टल में ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने, निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने, ऑनलाइन सिफारिश या अस्वीकृति सुविधा, प्रसंस्करण और निधि जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने की सुविधा है। ऑनलाइन प्रस्ताव दाखिल करने, सत्यापन, आवेदनों के प्रसंस्करण और पीएफएमएस के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के खाते में निधियों के सीधे वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, पोर्टल को एनजीओ, जिला, राज्य, एनजीओ डिवीजन और आईएफडी के साथ एकीकृत किया गया है, जिन्हें लॉगिन आईडी के माध्यम से एक्सेस दिया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए, एनजीओ के पास नीति आयोग के एनजीओ दर्पण से यूनिक-आईडी होना आवश्यक है। एक परियोजना के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन को जिला और राज्य के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। ऑनलाइन प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के बाद, स्वीकृति आदेश उत्पन्न होता है और पीएफएमएस के माध्यम से अनुदान जारी किया जाता है। मंत्रालय से निधियां प्राप्त करने वाले एनजीओ के सभी व्यय और रसीदों को दर्ज करने के लिए आवश्यक है कि गैर सरकारी संगठन अपना व्यय विवरण प्राप्ति व्यय अग्रिम अंतरण (आरईएटी मॉड्यूल) के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराएं। पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है। सभी हितधारक अपने लॉगिन आईडी के साथ आवेदन की लाइव स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। डेटाबेस में एनजीओ और राज्यों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए राज्य-वार, एनजीओ-वार, क्षेत्र-वार, जिला-वार जारी निधियों जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है। रिपोर्टों को प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

14.5 समर्पित एनजीओ पोर्टल (ngo.tribal.gov.in) एनजीओ योजना के ऑनलाइन कार्यान्वयन और 24 राज्यों में 320 से अधिक परियोजनाओं के लिए लगभग 190 एनजीओं, मुख्य रुप से स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, को जारी अनुदानों की निगरानी के लिए अनुकूलित एंड-टू-एंड (आद्योपान्त) समाधान प्रदान करता है।

14.6 इस पहल से प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। न केवल प्रसंस्करण समय कम हो गया है, बल्कि मंत्रालय उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान के बड़े हिस्से को मंजूरी देने और शिकायतों का तेजी से निवारण करने में भी सक्षम हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल विश्वसनीय एनजीओ को ही योजना के दायरे में

लाया जाए, मंत्रालय सामान्यतः एनजीओ के सत्यापन के लिए स्वतंत्र एजेंसी/तृतीय पार्टी को नियुक्त करता है, जिनको उनके प्रदर्शन के आधार पर भी निरिक्षित/ वर्गीकृत किया जाता है।

14.7 सामान्यतया जिला क्लेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। इस योजना के तहत मंत्रालय निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहा है।

स्कीम का निष्पादन

14.8 विगत 2 वर्षों में किए गए आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे के साथ वर्ष 2023-24 के दौरान स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा आवंटन एवं किये गये व्यय **तालिका 14** में दिये गये हैं। योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी सगठनों, निर्मुक्त निधि और लाभार्थियों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक 14** पर है।

तालिका 14: वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय
	ब.अ.	सं.अ.	
2021-22	110.00	90.00	89.25
2022-23	110.00	110.00	109.25
2023-24	140.0	140.00	139.95

अध्याय 15

अनुसूचित जनजातियों के लिए मानवाधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

प्रस्तावना

15.1 ''मानव अधिकार'', "मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" की धारा 2 (घ) के तहत परिभाषित किये गए हैं, जो भारत में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

15.2 अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

क. अजजा के रूप में समुदायों की परिभाषा और निर्धारण

i. अनुच्छेद 366 (25) में उन जनजातियों की परिभाषा दी गई हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है।

ii. अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना के द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजाति समुदायों के भागों या जनजातीय समूहों या अनुसूचित जनजातीय होने वाले समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और (2) संसद, खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन या उसमें से अपवर्जन कर सकेगी।

भारत सरकार ने समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित करने की प्रविधियां जारी की हैं। ये प्रविधियां निर्दिष्ट करती हैं कि राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव को यथावत, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा संबंधित अधिसूचना के तहत संशोधन के भारत सरकार द्वारा उपयुक्त अधिनियमन के लिए इस प्रस्ताव को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व इस पर आरजीआई और एनसीएसटी दोनों की सहमति आवश्यक होगी।

ख. अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान

iii. अनुच्छेद 244 (1) में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किये गये हैं कि पांचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे और 244 (2) में कहा गया है कि छठी अनुसूची के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इन चार राज्यों (असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) में लागू होंगे।

iv. अनुच्छेद 339 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों के अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा और (2) संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवश्यक बताई गई योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वयन के बारे में हैं।

ग. सार्वजनिक नियोजन, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और अजजा के विकास से संबंधित प्रावधान

v. अनुच्छेद 15 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, नस्ल (मूलवंश), जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव (विभेद) नहीं करेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधान हैं कि इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

vi. अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

vii. अनुच्छेद19 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को निम्नलिखित का अधिकार होगाः

(क) वाक्-स्वातंर्त्य और अभिव्यक्ति स्वातंर्त्य का अधिकार;

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार;

(ग) संगम या संघ (या सहकारी सोसाइटी) बनाने का अधिकार;

(घ) समस्त भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार;

(ङ) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बस जाने का अधिकार; तथा

(च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ये स्वतंत्रता और सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश के समान नागरिकों के अनुरूप अपने अधिकारों का उपयोग करने में ये सुरक्षा –उपाय, अनुसूचित जनजातियों को सक्षम बनाते हैं।

viii. अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मानव का दुर्व्यापार (तस्करी) और बेगार (बंधुआ मजदूरी) के साथ-साथ बाल-श्रम भी प्रतिषिद्ध (मना) है। अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

ix. अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि एक सांस्कृतिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है।

x. अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

xi. अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के तहत, राज्य द्वारा उस राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण या उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर के उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली ऐसी विकासात्मक योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान का प्रावधान है ।

xii. अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा परंतु, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में, या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी भी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

घ. राजनीतिक सुरक्षा-उपायों से संबंधित प्रावधान

xiii. अनुच्छेद 330, 332, 243 घ और 243 न में क्रमशः लोक सभा (हाऊस ऑफ पीपल), राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों (पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं) में अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार सीटों के आरक्षण के प्रावधान दिये गये हैं।

ङ. सांविधानिक उपचार का अधिकार

XIV. अनुच्छेद 32 में राज्य या अन्य संस्थानों / व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों का प्रावधान है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जिसका मौलिक अधिकारों के साथ टकराव होता हो। यह अधिकार भारत की जनजातीय आबादी के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

च. अजजा के हितों की सुरक्षा के लिए सांविधिक प्रावधान

भारत सरकार ने माना है कि सांविधानिक सुरक्षा उपायों को कानूनी और अन्य उपायों में निरूपित किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जनजातीय (एसटी) लोग अपनी अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए समाज के अन्य वर्गों के साथ अपना विकास करने में सक्षम हो सकें। इस संबंध में मुख्य सांविधिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

i. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को "अस्पृश्यता" को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता का व्यवहार करने पर उससे संबंधित मामलों में उत्पन्न किसी भी दिव्यांगता के खिलाफ दंडित करने के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

ii. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ एक सुरक्षा-उपाय है। यह अधिनियम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के साथ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया है।

iii. पंचायत अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (संक्षेप में 'पेसा') को, संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित दिए गए प्रावधानों का, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

iv. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम {वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के नाम से प्रसिद्ध}, 2006 का मुख्य उद्देश्य, वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्पारगत वन निवासियों के जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है और वन भूमि में कब्जों को मान्यता देना तथा उन्हें निहित वन अधिकार प्रदान करना है।

v. अनुसूचित जनजातियों के हितों और अधिकारों से संबद्ध अन्य कानून हैं- भारतीय वन अधिनियम 1927, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 , भारतीय वन नीति 1988, भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 जैसा कि 2023 में संशोधित किया गया, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, क्षतिपूरक वनीकरण कोष नियम 2018, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि का हस्तांतरण और बहाली या परिवर्तन से संबद्ध सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम और विनियम।

15.3 सुरक्षा-उपायों की निगरानी के लिए एजेंसी: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना संविधान में,'संविधान अधिनियम, 2003 (89वां संशोधन)', अनुच्छेद 338 में संशोधन और नए अनुच्छेद 338क को शामिल करके, 19 फरवरी 2004 को की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य के मंत्री का जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का रैंक दिया गया है।

<u>आयोग के कार्य</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य और कर्त्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (5) के अंतर्गत किया गया है।

आयोग का कर्तव्य होगा कि:-

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायो से संबंधित सभी मामलों की जांच करना तथा मॉनीटर करना ।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक तौर पर और अन्य ऐसे समयों पर, जब भी आयोग उपयुक्त समझें, उन सुरक्षा उपायों के आकलन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के बारे में लिए जो संघ या किसी भी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, सिफारिश करना; तथा

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नयन के संबंध ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

आयोग, उपरोक्त कार्यों के अलावा, निष्पादन, कल्याण और विकास तथा अनुसूचित जनजातियों के उन्नकयन के संबंध में निम्नलिखित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा जैसे –

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाले अजजा के लोगों को लघु वन उपज (एमएफपी) के संबंध में स्वामित्व-अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय करना;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए खामियों को दूर करने और अधिक व्यवहारिक आजीविका संबंधी कार्यनीतियां बनाने के काम करने के लिए उपाय करना ;

(घ) विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वासन-उपायों की पर्याप्तता में सुधार के लिए उपाय करना;

(ङ) जनजातीय लोगों को भूमि से अलग किये जाने से बचाव और ऐसे लोगों जिनके मामले में भूमि से पहले ही अलग किया जा चुका है, को प्रभावी ढंग से पुनर्वासित करने के लिए उपाय करना;

(च) वनों की रक्षा और सामाजिक तौर पर वनीकरण के लिए जनजातीय समुदायों के अधिकतम सहयोग और भागीदारी के लिए उठाए जाने वाले उपाय करना;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने वाले उपाय करना ;

(ज) जनजातियों द्वारा स्थानांतरी जुताई (शिफ्ट) कल्टीवेशन (खेती) को कम करने और अंततः उसे समाप्त करने के उपाय करना जो उन्हें निरंतर उनके निशक्त होने और भूमि और पर्यावरण के क्षरण की प्रवृत्ति की ओर ले जाती है ।

अध्याय 16

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केन्द्रण/केंद्रित करना

मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में की गईं पहलें

16.1. तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने-अपने बजट आबंटन का कम से कम 10%, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निधियां आवंटित करता रहा है। सामान्यतया, प्रदान की गयी धनराशि, कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक होती है।

16.2. मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र-प्रायोजित योजनाओँ के तहत राज्य सरकारों को अनुदान जारी करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों मे कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान", नामक योजना के तहत की सीधे अनुदान जारी करता है। 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' और विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में 'परियोजना आकलन समिति' द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात जारी किया जाता है। मंत्रालय, ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान जारी करने पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन योजनाओं के लिए बजट आबंटन का कम से कम 10% प्रवाह सुनिश्चित की है।

16.3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों के योजना-वार विवरण **अनुलग्नक-16** में दिये गये हैं।

16.4 145 करोड़ रुपये के बजट से ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभारिकी विकास '' नामक एक पृथक स्कीम स्वीकृत की गई है जिसे पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्याय 17

जेंडर बजट

संवैधानिक तथा विधिक ढांचा

17.1 संविधान में महिलाओं को न केवल समानता प्रदान की गयी है, बल्कि भेद-भाव के विरुद्ध महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपाय अपनाने के लिए भी राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी पात्रताओं के सुरक्षोपाय के रुप में संसद के एक अधिनियम के तहत, वर्ष 1990 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान करता है ।

मंत्रालय की पहलें

17.2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्यतः, महिलाओं और विशेष रुप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई महिलाओं की स्थिति (स्टेटस) में उन्नयन, न केवल नैतिक दृष्टि से आवश्यक है अपितु, कार्यनीतिक दृष्टि से भी अनिवार्य है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाओं को योजनाओं का लाभ समान रुप से प्राप्त हो, मंत्रालय की कुछ विशेष योजनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बालिकाओं के हित के लिए ही बनी हैं ।

17.3 मंत्रालय में अगस्त, 2017 में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है जो विभिन्न जेंडर विशिष्ट बजट-कार्यों अर्थात मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार से देखता है कि वह लैंगिक दृष्टि से असंतलुन का समाधान कर सके और लैंगिक समानता और विकास को बढ़ावा दे सके तथा बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन और उनका तदनुसार प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

17.4 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) की नव स्वरूपित (परिष्कृत) योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 के दौरान कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अजजा वाले कुल 36,428 गांवों को लिया जा रहा है। योजना के तहत कवर की जाने वाली कुल आबादी लगभग 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40%) होगी। इसमें से 2.10 करोड़ की महिला अजजा आबादी को कवर किया जाएगा जो कुल लाभार्थियों का लगभग 50% है।

17.5 "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान" का आशय अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन से है ।जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। दिशानिर्देशों में विशेष रुप से यह परिकल्पना की गई है कि परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने में आयोजना से कार्यान्वयन के स्तर तक, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सरोकारों/मुद्दों को महिलाओं की सहभागिता सहित प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि कुल लाभार्थियों में से कम-से-कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं/बालिकाएं होनी चाहिएं।

17.6 "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" योजना के तहत 31.03.2024 तक शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान 1,23,841 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है । इनमें से नामांकित बालिकाओं की संख्या 62,828 (50.7%) है ।

17.7 कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना 01.07.2012 से शुरू की गई है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों का भुगतान, दिवा-छात्र के लिए 225/- रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/- रूपये प्रतिमाह की दर से, वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा-छात्र के लिए 750/- रुपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/- रुपये वार्षिक की दर से किया जाता है। छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता /अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है । वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 54% है ।

17.8 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जा रहे मैट्रिकोत्तर /माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 51% था।

17.9 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' की योजना के तहत**,** अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अध्येतावृत्तियों के रुप में उच्चतर शिक्षा अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं । कुल 750 स्लॉट्स में से अन्य बातों के साथ-साथ**,** 30% स्लॉट्स महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं । एमफिल के लिए चयनित अभ्यर्थियों

को प्रति माह 31,000/- रुपये तथा पीएचडी अभ्यर्थियों के लिए प्रतिमाह 35,000/- रुपये की दर से अध्येतावृत्ति राशि तथा चयनित अभ्यर्थियों को अन्य स्वीकार्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं ।

17.10 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) में विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली कुल 20 छात्रवृत्तियों में से 6 छात्रवृत्तियां (30%) बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं । तथापि, निर्धारित स्लॉट्स खाली रह जाने की स्थिति में ये स्लॉट्स, बालकों को दे दिए जाते हैं । माता-पिता/परिवार की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने विदेश के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उन्हें वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता तथा अन्य भत्ते, विदेश में स्थित 'भारतीय मिशन' के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं ।

17.11 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के तहत, जनजातीय पॉकेट्स में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले इलाकों में शैक्षिक परिसर स्थापित करना, जिसे 1993-94 में शुरू किया गया था, को 2008-09 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़ करना" रखा गया। संशोधित योजना 54 कम साक्षरता वाले जिलों में लागू की जा रही है, जहां 2001 की जनगणना के अनुसार एसटी आबादी 25% या उससे अधिक है और अजजा महिला साक्षरता दर 35% या उसके अंश से कम है। उपरोक्त 54 पहचाने गए जिलों के अलावा किसी जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक, जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% या उससे अधिक है और जनजातीय महिला साक्षरता दर 35% या उसके अंश से कम है, को भी कवर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला आबादी और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तरों में अंतर को पाटना है। इस योजना में उन्हें नियमित स्कूलों में जाने में सक्षम बनाने के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

17.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)', एक शीर्ष संस्थान है । इस निगम के पास जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना' (एएमएसवाई) शीर्षक के तहत एक विशिष्ट योजना है। योजना के तहत, निगम 2 लाख रुपये तक की इकाई लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4% अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। एएमएसवाई के तहत, इस वर्ष के दौरान 31.03.2024 तक, एनएसटीएफडीसी ने 2052 महिला लाभार्थियों के

आर्थिक विकास के लिए 12.21 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम, अन्य आय-सृजनकारी स्कीमों के तहत भी महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ।

17.13 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' और 'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई ईसीई)' योजनाओं के तहत जनजातीय लोगों द्वारा देश के विभिन्न भागों में आदान-प्रदान यात्राओं (एक्सचेंज विज़िट्स) के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है। अतिथि समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

17.14 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ''ग्राम सभा'' से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिल कर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में जिनमें कोई पंचायत पाड़ा, टोला तथा ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां नहीं है, जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिबंधित भागीदारी है'' के तौर पर परिभाषित {धारा 2(छ)} किया गया है । इसके अतिरिक्त धारा 4(4) उपबंधित करती है कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशानुगत होगा, किन्तु हस्तांतरणीय या अंतरणीय नहीं होगा और विवाहित लोगों की दशा मे पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रुप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में पंजीकृत होगा और सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशानुगत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा। धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप खंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की निगरानी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा विहित किया जाए'' । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 में प्रावधान है कि (नियम 3 (1) के तहत) ग्राम संभाएं ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाएंगी और इनकी प्रथम बैठक में, इनके सदस्यों से ही कम से कम दस और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों की एक समिति का 'वन अधिकार समिति' के रुप में चयन किया जाएगा, जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्तें कि ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी । यह आगे भी उपबंधित करता है कि जहां अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां, कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

17.15 वर्ष 2023-24 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां **अनुलग्नक -17** में दी गई हैं ।

अध्याय 18

दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

18.1 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए योजना-वार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

18.2 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रावास में रहने वाले दिव्यांगजन छात्र को 800/- रुपये मासिक (9600 रुपये वार्षिक) और दिवा छात्र को 600/- रुपये मासिक (7200 रुपये वार्षिक) का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। अधिनियम के तहत परिभाषित के अनुसार दिव्यांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। विकलांगता भत्ते के प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके और सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया से पीड़ित छात्रों पर भी आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ लागू होंगे ।

18.3 इसी प्रकार मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी छात्रावास में रहने वाले दिव्यांगजन छात्र को 800/- रुपए मासिक (9600 रुपए वार्षिक) तथा दिवा छात्र को 600/- रुपए मासिक (7200 रुपए वार्षिक) का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। सभी बारह महीनों के लिए अतिरिक्त विकलांगता भत्ता दिया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:

18.4 शारीरिक और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों (विद्यार्थियों) के मामलों में 2,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान सहायता

18.5 पीएसी बैठकों के दौरान, राज्यों को दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सुविधा के लिए बाधा रहित बुनियादी ढांचे (जैसे रैंप) बनाने पर जोर दिया जाता है।

एनजीओ योजनाएं

18.6 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वैच्छिक/गैर-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले एनजीओ को राष्ट्रीय दिव्यांग जन नीति, 2006 के अनुसार आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों आदि जैसी इमारतों में बाधा रहित परिवेश (वातावरण) सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दें।

अध्याय 19

लोक शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

लोक शिकायत

19.1 मंत्रालय में एक अलग लोक शिकायत प्रभाग है जिसके प्रमुख निदेशक, लोक शिकायत हैं। निदेशक (शिकायत)/ अपर सचिव (नोडल अपीलीय प्राधिकारी) के संपर्क ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://tribal.nic.in/publicGriev.aspx) पर भी उपलब्ध हैं।

19.2 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक पीजी पोर्टल विकसित किया है जो नागरिकों को कहीं से भी और किसी भी समय ऑनलाइन शिकायतें/आपत्तियां दर्ज करने और सरकारी विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसके दो इंटरफेस हैं:- (क) नागरिकों के लिए लोक शिकायत दर्ज करना और निगरानी प्रणाली, तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/संगठनों के लिए केन्द्रीकृत लोक शिकायत और निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल विंडो प्रणाली है जो: (i) नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए, और (ii) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल लोक शिकायत अधिकारी तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करती है।

19.3 इस मंत्रालय को डाक, व्यक्तिगत रूप से और सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त होती हैं। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर उनसे संबद्ध वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है और उनका उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर की गई कृत कार्रवाई के विषय में भी अवगत कराया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान अर्थात् 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, 169 शिकायतें आगे लाई गई और 2065 शिकायतें प्राप्त हुई और कुल मिलाकर 2234 शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 2152 शिकायतों का निपटान किया गया अर्थात् 96.32 प्रतिशत निपटान किया गया। निदेशक शिकायत/ अपर सचिव (नोडल अपीलीय प्राधिकारी) द्वारा और सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में भी शिकायतों के निपटान की स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है।

19.4 मंत्रालय के छात्रवृत्ति और एनजीओ पोर्टल के पास समर्पित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। प्रत्येक छात्र जो 3 केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना, अर्थात् राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत मंत्रालय से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, को एक विशिष्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है ताकि वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सके। इसी तरह, मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ऑनलाइन संचार प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी नियमित रूप से निगरानी ब्यूरो प्रमुखों और सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है।

19.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में प्रावधान किया गया है कि मंत्रालय के संबंध में नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय लोक (जन) सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को पदनामित कर दिया गया है। संबंधित अनुदेशों को भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मंत्रालय में संसद एवं समन्वय अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित आवेदकों द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित ई- रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

19.6 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय लोक (जन) सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के ब्यौरे **अनुलग्नक-19** में दिए गए हैं। श्री मनोज कुमार सिंह, उप-सचिव को मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दी गई हैं।

19.7 इस प्रकार की आरटीआई संबंधी अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा भी प्रकाशित की गई हैं और उन्हें अपनी-अपनी संबंधित वेबसाइटों पर डाल दिया है, जिसका लिंक मंत्रालय की वेबसाइट में दिया गया है।

19.8 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान प्राप्त आवेदनों और उनके उत्तरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान आरटीआई की स्थिति

आवेदन का तरीका	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
ऑनलाइन	2666	2451	215
ऑफलाइन	189	142	47
कुल	**2855**	**2593**	**262**

19.9 संबंधित निदेशक/उप-सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय में उनके द्वारा नियंत्रित (संचालित) किए जा रहे संबंधित विषयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनयम, 2005 के तहत दिनांक 15.02.2024 से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। आरटीआई लेखा परीक्षा पार्टी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार सीपीआईओ को अन्य सीपीआईओ के लिंक अधिकारियों के रूप पदनामित करने की अधिसूचना भी 24.11.2021 को जारी की गई थी। प्राप्त सभी अपीलों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया जाता है। 30.11.2021 को अद्यतन किया गया आरटीआई मैनुअल भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अध्याय 20

विभागीय लेखा

संगठन :

20.1 सचिव,जनजातीय कार्य मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय के लेखा संगठन का प्रमुख होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), सहायता अनुदान सहित विभिन्न प्रकार के बिलों की पूर्ववर्ती जांच-कार्य के अलावा खातों के समेकन, आवंटित बजट के संबंध में व्यय की निगरानी, विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि का निष्पादन करता है। प्रधान लेखा-अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक खातों, खातों के विनियोजन, केन्द्रीय लेन-देन के विवरण, संघीय वित्त-खातों, अन्य संबंधित कार्यों जैसे कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति-बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ समन्वयन आदि का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन एक अधिकृत बैंक है।

व्यय की निर्मुक्ति तथा निगरानी (मॉनीटरिंग)

20.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन, वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है, जो मासिक खातों को, प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

खातों और भुगतान कार्य का कम्प्यूटरीकरण

20.3 वेतन एवं लेखा कार्यालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग कर रहा है, जो एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे लेखा महानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली द्वारा 01.10.2015 से विकसित और कार्यान्वित किया गया है। पीएफएमएस की शुरुआत के साथ, सभी भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/डीबीटी मोड जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं और वास्तविक समय में रसीद और व्यय भी संकलित कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में विभिन्न हितधारकों को वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।

20.4 अब, पीएफएमएस स्वचालित रूप से डेटा को अद्यतन करता है और प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों को ई-

लेखा में डाल देता है, जिससे मंत्रालय और अन्य हितधारकों को विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी करने और पीएओ के काम में पारदर्शिता लाने में मदद मिलती है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

20.5 भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निधियों के अंतरण अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' को आरंभ किया गया है जिसे इससे पूर्व 'सेंट्रल प्लान् स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएस)' के रूप में जाना जाता था। तदनुसार, इस मंत्रालय की सभी 'प्लान स्कीमों' की मैपिंग इस संगठन द्वारा 'सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से की गई है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग-अलग संगठनों/निकायों को निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदान की स्थिति को देखा जा सकता है। राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने भी इसे बेहद उपयोगी पाया है। इस प्रणाली में नई उपयोगिता मुहैया कराई गई है कि विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखा जा सकता है।

20.6 विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियों के प्रत्यक्ष (सीधे) लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में एक अतिरिक्त कार्य-प्रविधि प्रदान की गयी है।

20.7 राज्यों को की गई निर्मुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंतःसरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए एक नई कार्य-प्रविधि प्रदान की गयी है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक को ऑनलाइन भेजा जाता है जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल जमा (क्रेडिट) सुनिश्चित करता है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

20.8 1.1.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, ऐसे कर्मचारियों के वेतन (ग्रेड पे + डी.ए.) का 10% कर्मचारी के अंशदान के रूप में उनके वेतन से वसूला जाएगा और भारत सरकार नियोक्ता के अंशदान के रूप में वेतन (ग्रेड पे + डी.ए.) का 14% अंशदान करेगी। कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान मिलाकर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) में उनके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में क्रियाशील है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

20.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित 'उपयोग प्रमाण-पत्र' की स्थिति

की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए तथा इससे संबंधित समुचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे दर्ज करने के लिए है। द्वितीय स्तर, वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो स्वीकृतियों और बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करता है, जो मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

20.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा-परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा-परीक्षा करती है, अलग-अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। आंतरिक लेखा-परीक्षा अब निम्नलिखित पर भी ध्यान देती हैः

- सामान्यतः आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन तथा विशेषतः वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता; जोखिम वाले कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित);
- धन का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता तथा सेवा प्रदायगी-तंत्र की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण आकलन; और
- कार्य-प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

पीएसी पैरा पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां (एटीएन) / की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)

20.11 जहां तक लोक लेखा समिति (पीएसी) पैरा पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियों (एटीएन) का सवाल है, इस मंत्रालय के संबंध में 31.03.2024 तक कोई भी पीएसी पैरा लंबित नहीं है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के संबंध में 31.03.2024 तक कोई भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) पैरा लंबित नहीं है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1क

संगठनात्मक संरचना
जनजातीय कार्य मंत्रालय

एडीएमएन: प्रशासन
बी एण्ड सी: बजट और रोकड़ (कैश)
पीसी: संसद, समन्वय
एसटीसी: अनुसूचित जनजातीय घटक
एलआईवी: आजीविका
एनजीओ: गैर सरकारी संगठन
एससीएच: छात्रवृति और डीबीटी
सीएलएम: संवैधानिक और विधिक मामले
एफआईएन: वित
जीईएनएल: सामान्य प्रशासन
एफआरए: वन अधिकार अधिनियम
ओएल: राजभाषा
सां: सांख्यिकी
एनआईसी: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
पीजी: सार्वजनिक शिकायत
पीए: नीति विश्लेषण
एनसीएसटी: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
टीआरआई: जनजातीय अनुसंधान संस्थान
स्था.: स्थापना
पीवीटीजी: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
पीएमएएजीवाई: प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
पीएमयू: परियोजना प्रबंधन इकाई

जेएस: संयुक्त सचिव
जेएस एंड एफए: संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
सीवीओ: मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीडीजी: उप महानिदेशक
सीसीए: मुख्य लेखा नियंत्रक
डीआईआर: निदेशक
डीएस: उप सचिव,
जेडी: संयुक्त निदेशक
सीए: लेखा नियंत्रक,
यूएस: अवर सचिव
डीडी: उप निदेशक,
आरओ: अनुसंधान अधिकारी
एसओ: अनुभाग अधिकारी
पी एण्ड एओ: वेतन और लेखा अधिकारी
डीसीए: उप लेखा नियंत्रक
ईए: आर्थिक सलाहकार
एडी: सहायक निदेशक
डीडीओ: आहरण एवं संवितरण अधिकारी

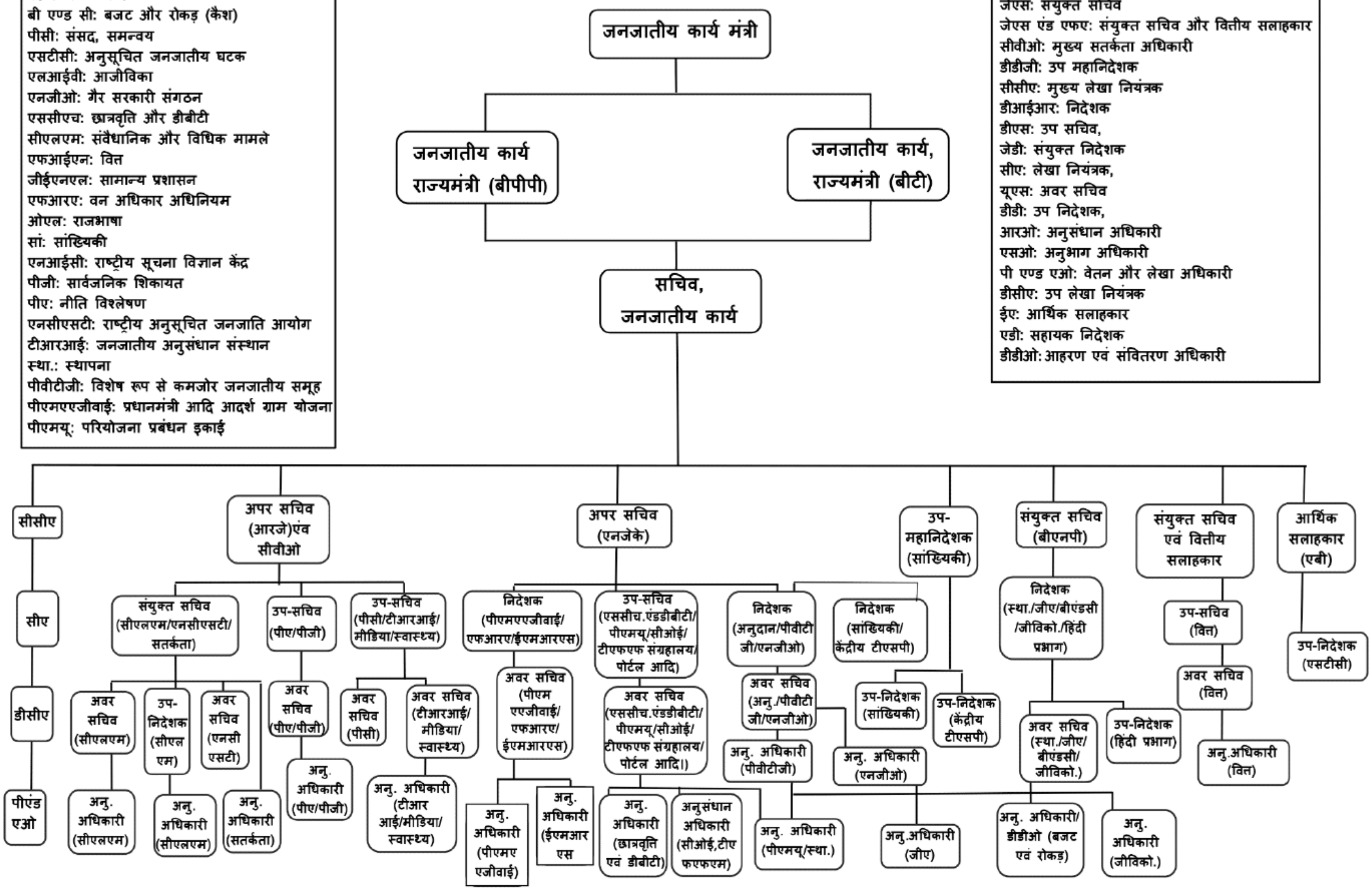

अनुलग्नक - 3क

2021-22 और 2022-23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का योजना-वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन और व्यय

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2021-22 (पूर्वोत्तर सहित)			2022-23 (पूर्वोत्तर सहित)		
		ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	1418.04	1057.74	1057.74	2000.00	2000.00	1999.32
2	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	90.00	89.43	110.00	110.00	109.25
3	अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	20.00
4	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	0.00	0.00	0.00	499.00	140.27	117.12
5	जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता	150.00	120.00	113.06	0.00	0.00	0.00
6	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)	30.00	15.00	14.61	15.00	18.00	15.01
7	निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा-परीक्षा (एमईएसएसए)	5.00	5.00	3.14	15.00	15.00	8.84
8	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति एवं छात्रवृत्ति	150.00	120.00	119.98	145.00	140.00	145.00
9	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	3.00	5.00	4.95	4.00	4.00	4.00
10	लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	155.00	115.00	106.29	0.00	0.00	0.00
11	पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार तंत्र का विकास	0.00	36.00	36.00	107.53	0.01	0.00
12	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	400.00	400.00	394.14	419.00	357.30	357.30
13	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1993.00	2257.72	2257.72	1965.00	1965.00	1965.00
14	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	120.00	60.00	60.00	121.00	58.50	12.40
15	विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	250.00	160.00	160.00	252.00	124.79	137.18
16	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	1350.00	785.00	784.99	1354.38	1354.38	1354.37
17	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत।				0.00	14.05	4.00
18	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान (प्रभारित)	1350.00	900.00	923.44	1350.00	925.00	976.49
19	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड (ए) के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सुधार करना (ईएपी)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**7484.07**	**6126.46**	**6125.51**	**8406.92**	**7246.30**	**7225.29**

अनुलग्नक – 3ख

वर्ष 2023-24 के लिए योजना-वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन एवं व्यय (31.03.2024 तक)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	ब.अ. 2023-24	सं.अ. 2023-24	व्यय* 31.03.2024 तक
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	5943.00	2471.81	2447.06
2	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	140.00	150.00	149.95
3	अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष	30.00	0.00	0.00
4	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	288.49	143.00	137.10
5	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)	25.00	45.00	32.04
6	निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा-परीक्षा (एमईएसएसए)	23.00	15.00	8.80
7	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति एवं छात्रवृत्ति	145.00	230.00	230.00
8	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	4.00	7.00	7.00
9	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)	0.00	110.00	109.96
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार तंत्र का विकास	20.00	0.00	0.00
11	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	411.63	411.63	308.59
12	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1970.77	2371.01	2668.83
13	जनजातीय शोध संस्थानों को सहायता	118.64	50.00	43.54
14	विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	256.14	0.00	0.00
15	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	1485.00	300.00	149.93
16	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत।	53.22	53.22	8.41
17	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान (प्रभारित)	1472.10	1172.10	1172.10
18	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	0.00	0.00
	कुल योग	**12386.00**	**7529.77**	**7473.31**

*अनंतिम

अनुलग्नक-4क

लिंग और निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या: जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
	भारत	कुल	104545716	52547215	51998501
		ग्रामीण	94083844	47263733	46820111
		शहरी	10461872	5283482	5178390
1	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	1275106	666062	609044
		ग्रामीण	1222204	637064	585140
		शहरी	52902	28998	23904
2	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	218193	110195	107998
		ग्रामीण	184629	93011	91618
		शहरी	33564	17184	16380
3	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
4	उत्तराखंड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
5	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
6	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
7	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
8	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
9	अरुणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
10	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459
11	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191
12	मिजोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
13	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
14	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
15	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
16	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
17	झारखंड	कुल	8645042	4315407	4329635
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
18	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
19	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
20	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
21	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
22	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	कुल	193927	96615	97312
		ग्रामीण	158561	78892	79669
		शहरी	35366	17723	17643
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोत: महापंजीयक कार्यालय, भारत

टिप्पणी: **2011** की स्थिति के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है

अनुलग्नक-4ख

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार समग्र जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत और राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत।

क्र. सं.	भारत / राज्य	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	भारत /राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अ.ज.जा. का %	राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. का %
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	-
1	आंध्र प्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छतीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	14,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	1,22,67,013	12,75,106	10.4	1.2
11	झारखंड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	2,74,289	2,18,193	79.5	0.2
15	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
16	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
17	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
18	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
19	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
20	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
21	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
22	पंजाब	2,77,43,338	**एनएसटी**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
23	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
24	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
25	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
26	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
27	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
28	उत्तराखंड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
29	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
30	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
31	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
32	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
33	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	5,86,956	1,93,927	33.0	0.2
34	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुदुचेरी	12,47,953	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: जनगणना **2011**, भारत के महापंजीयक का कार्यालय,

एनएसटी: कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं (**2011** के अनुसार), एनए: लागू नहीं

अनुलग्नक-4ग

भारत में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार लिंग अनुपात

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखंड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन और दीव	947	952	928	977	982	972
दादरा और नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्र प्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोतः जनगणना 2001 और 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय।

अनुलग्नक-4घ

सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनगणना 2011

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	व्यक्ति			पुरूष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा.	अन्तर	सभी	अ.ज.जा.	अन्तर	सभी	अ.ज.जा.	अन्तर
	भारत	**73**	**59**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.2**
1	जम्मू और कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80	-0.4	82.8	83.1	-0.3	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.3	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	-0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	-1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन और दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादरा और नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पणी: 2011 के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

अनुलग्नक - 4ड.

शैक्षिक स्तर-15 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक और ऊपर

क्र.सं.	भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्नातक तथा ऊपर	कुल स्नातक तथा ऊपर की प्रतिशतता (कॉलम 3)							
			तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के अलावा स्नात कोत्तर डिग्री	डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेयरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण*	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	**1763879**	**64.08**	**18.28**	**5.92**	**1.94**	**0.36**	**0.11**	**9.27**	**0.04**
1	जम्मू और कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखंड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखंड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन और दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादरा और नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्र प्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

* शिक्षण - जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक - 4च

जनजातीय क्षेत्रों में उप केंद्रों, पीएचसी एवं सीएचसी की आवश्यकता और कमी											
		(31 मार्च, 2022 तक)									
क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जुलाई, 2021 को वर्ष के मध्य में अनुमानित जनजातीय जनसंख्या	उप केंद्र			पीएचसी			सीएचसी		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्र प्रदेश	2235578	745	955	**	111	158	**	27	17	10
2	अरुणाचल प्रदेश#	856243	285	367	**	42	131	**	10	57	**
3	असम	4101442	1367	844	523	205	188	17	51	36	15
4	बिहार*	1516410	505	लागू नहीं	लागू नहीं	75	लागू नहीं	लागू नहीं	18	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	8073397	2691	2943	**	403	417	**	100	93	7
6	गोवा*	61949	20	लागू नहीं	लागू नहीं	3	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	8462631	2820	2756	64	423	422	1	105	88	17
8	हरियाणा*	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	404760	134	106	28	20	45	**	5	8	**
10	झारखंड	9086894	3028	2465	563	454	159	295	113	100	13
11	कर्नाटक	3449898	1149	195	954	172	31	141	43	7	36
12	केरल	230835	76	285	**	11	40	**	2	13	**
13	मध्य प्रदेश	16584104	5528	3263	2265	829	361	468	207	111	96
14	महाराष्ट्र	9501900	3167	2076	1091	475	318	157	118	66	52
15	मणिपुर	848401	282	239	43	42	48	**	10	8	2
16	मेघालय #	2378890	792	459	333	118	147	**	29	28	1
17	मिजोरम #	536021	178	373	**	26	66	**	6	9	**
18	नागालैंड #	1134576	378	452	**	56	136	**	14	23	**
19	ओडिशा	9635546	3211	2701	510	481	445	36	120	134	**
20	पंजाब *	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	9977780	3325	1557	1768	498	243	255	124	70	54
22	सिक्किम	130572	43	48	**	6	12	**	1	0	1
23	तमिलनाडु	634163	211	545	**	31	96	**	7	21	**
24	तेलंगाना	2733521	911	621	290	136	95	41	34	8	26
25	त्रिपुरा	1043625	347	486	**	52	53	**	13	9	4
26	उत्तराखंड	280175	93	121	**	14	13	1	3	2	1
27	उत्तर प्रदेश *	1182140	394	लागू नहीं	लागू नहीं	59	लागू नहीं	लागू नहीं	14	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	4896019	1632	970	662	244	102	142	61	39	22
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1)	25465	8	41	**	1	4	**	0	1	**
30	चंडीगढ़ *	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	153009	51	49	2	7	6	1	1	0	1
32	दिल्ली *	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	1291499	430	169	261	64	60	4	16	2	14
34	लद्दाख #	208000	69	288	**	10	33	**	2	7	**
35	लक्षद्वीप#(1)	1904	0	9	**	0	4	**	0	3	**
36	पुडुचेरी *	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अखिल भारत/कुल	**101657344**	**33870**	**25383**	**9357**	**5068**	**3833**	**1559**	**1254**	**960**	**372**

टिप्पणियां:

एन ऐप - लागू नहीं

एन ए - डेटा उपलब्ध नहीं है

आवश्यकता की गणना जनजातीय जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके की जाती है। अखिल भारतीय कमी कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष की अनदेखी करते हुए कमी के राज्य-वार आंकड़ों को जोड़कर प्राप्त की जाती है। जनगणना 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के प्रतिशत के आधार पर वर्ष 2022 के लिए मध्य-वर्ष की जनजातीय जनसंख्या की गणना की गई।

आर : आवश्यक; पी : स्थिति (तैनाती); एस : कमी; ** : अधिशेष,

* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है;

: राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं (1)

जनसंख्या 80,000 के मानक (सीएचसी) से कम है

अनुलग्नक - 4छ

	जनजातीय क्षेत्रों में उप-केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम					
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2022 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	स्थिति (तैनाती)	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर1-पी]
1	आंध्र प्रदेश	955	1542	1404	138	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	367	एनए	483	एनए	**
3	असम	844	1203	1159	44	**
4	बिहार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	2943	4119	3470	649	**
6	गोवा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	2756	2786	2567	219	189
8	हरियाणा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	106	106	22	84	84
10	झारखंड	2465	3010	2955	55	**
11	कर्नाटक	195	145	101	44	94
12	केरल	285	278	236	42	49
13	मध्य प्रदेश	3263	4237	2253	1984	1010
14	महाराष्ट्र	2076	3000	2780	220	**
15	मणिपुर	239	419	310	109	**
16	मेघालय #	459	810	807	3	**
17	मिजोरम #	373	0	381	**	**
18	नागालैंड #	452	1151	1100	51	**
19	ओडिशा	2701	2967	2741	226	**
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	1557	2102	1778	324	**
22	सिक्किम	48	72	75	**	**
23	तमिलनाडु	545	590	534	56	11
24	तेलंगाना	621	1213	956	257	**
25	त्रिपुरा	486	एनए	322	एनए	164
26	उत्तराखंड	121	128	104	24	17
27	उत्तर प्रदेश*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	970	1890	1661	229	**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	41	62	62	0	**
30	चंडीगढ़*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	49	69	70	**	**
32	दिल्ली*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	169	203	182	21	**
34	लद्दाख #	288	446	363	83	**
35	लक्षद्वीप #	9	28	28	0	**
36	पुडुचेरी*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियां: एन ऐप - लागू नहीं

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र /जनसंख्या नहीं है

** अधिशेष

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य 1 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति उप केंद्र एक

अनुलग्नक - 4 ज

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 20212 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	स्थिति (स्थिति)	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर1-पी]
1	आंध्र प्रदेश	158	0	0	0	158
2	अरुणाचल प्रदेश #	131	एनए	173	एनए	**
3	असम	188	285	257	28	**
4	बिहार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	417	519	408	111	9
6	गोवा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	422	929	794	135	**
8	हरियाणा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	45	15	5	10	40
10	झारखंड	159	318	260	58	**
11	कर्नाटक	31	177	131	46	**
12	केरल	40	49	41	8	**
13	मध्य प्रदेश	361	671	625	46	**
14	महाराष्ट्र	318	540	432	108	**
15	मणिपुर	48	105	100	5	**
16	मेघालय #	147	340	388	**	**
17	मिजोरम #	66	0	22	**	44
18	नागालैंड #	136	123	238	**	**
19	ओडिशा	445	420	314	106	131
20	पंजाब*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	243	339	296	43	**
22	सिक्किम	12	34	32	2	**
23	तमिलनाडु	96	158	129	29	**
24	तेलंगाना	95	9	6	3	89
25	त्रिपुरा	53	एनए	38	एनए	15
26	उत्तराखंड	13	4	3	1	10
27	उत्तर प्रदेश *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	102	21	10	11	92
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	8	8	0	**
30	चंडीगढ़*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	6	1	2	*	4
32	दिल्ली*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	60	67	60	7	0
34	लद्दाख #	33	41	40	1	**
35	लक्षद्वीप #	4	18	17	1	**
36	पुडुचेरी*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियां: एन ऐप - लागू नहीं

* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

** आधिशेष।

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य 1 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति पीएचसी एक

अनुलग्नक - 4 झ

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ (स्टाफ नर्स)						
		(31 मार्च, 2022 तक)				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अपेक्षित[1]	स्वीकृत	स्थिति	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर1-पी]
1	आंध्र प्रदेश	158	482	434	48	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	131	एनए	273	एनए	**
3	असम	188	397	353	44	**
4	बिहार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	417	1132	868	264	**
6	गोवा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	422	816	706	110	**
8	हरियाणा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	45	13	5	8	40
10	झारखंड	159	318	180	138	**
11	कर्नाटक	31	40	38	2	**
12	केरल	40	104	97	7	**
13	मध्य प्रदेश	361	589	386	203	**
14	महाराष्ट्र	318	387	280	107	38
15	मणिपुर	48	111	89	22	**
16	मेघालय #	147	394	411	**	**
17	मिजोरम #	66	0	206	**	**
18	नागालैंड #	136	167	214	**	**
19	ओडिशा	445	887	214	673	231
20	पंजाब*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	243	705	585	120	**
22	सिक्किम	12	39	44	**	**
23	तमिलनाडु	96	320	260	60	**
24	तेलंगाना	95	181	153	28	**
25	त्रिपुरा	53	एनए	256	एनए	**
26	उत्तराखंड	13	3	1	2	12
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	102	284	184	100	**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	18	18	0	**
30	चंडीगढ़*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव	6	24	24	0	**
32	दिल्ली*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	60	25	19	6	41
34	लद्दाख #	33	12	11	1	22
35	लक्षद्वीप #	4	11	11	0	**
36	पुडुचेरी*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियां: ** अधिशेष

एन ऐप - लागू नहीं

* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य 1

आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति पीएचसी एक

अनुलग्नक - 4 ञ

जनजातीय क्षेत्रों में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2022 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	स्थिति	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर1-पी]
1	आंध्र प्रदेश	119	248	181	67	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	399	एनए	453	एनए	**
3	असम	252	262	263	**	**
4	बिहार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	651	1268	1027	241	**
6	गोवा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	616	579	564	15	52
8	हरियाणा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	56	33	23	10	33
10	झारखंड	700	900	686	214	14
11	कर्नाटक	49	70	70	0	**
12	केरल	91	108	94	14	**
13	मध्य प्रदेश	777	1125	634	491	143
14	महाराष्ट्र	462	572	451	121	11
15	मणिपुर	56	83	67	16	**
16	मेघालय #	196	361	407	**	**
17	मिजोरम #	63	0	37	**	26
18	नागालैंड #	161	168	223	**	**
19	ओडिशा	938	1409	785	624	153
20	पंजाब*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	490	728	654	74	**
22	सिक्किम	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	तमिलनाडु	147	200	174	26	**
24	तेलंगाना	56	70	44	26	12
25	त्रिपुरा	63	एनए	79	एनए	**
26	उत्तराखंड	14	14	6	8	8
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	273	1039	876	163	**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	10	10	0	**
30	चंडीगढ़*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	दिल्ली*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	14	15	13	2	1
34	लद्दाख #	49	41	41	0	8
35	लक्षद्वीप #	21	35	35	0	**
36	पुडुचेरी*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

** अधिशेष

एन ऐप - लागू नहीं

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है 1

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सात

अनुलग्नक - 4 ट

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर[2]

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2022 तक)				
		अपेक्षित	स्वीकृत	स्थिति	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर1- पी]
1	आंध्र प्रदेश	158	316	221	95	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	131	एनए	152	एनए	**
3	असम	188	329	264	65	**
4	बिहार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	417	563	289	274	128
6	गोवा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	422	736	641	95	**
8	हरियाणा*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	45	50	32	18	13
10	झारखंड	159	159	148	11	11
11	कर्नाटक	31	34	28	6	3
12	केरल	40	106	97	9	**
13	मध्य प्रदेश	361	552	332	220	29
14	महाराष्ट्र	318	764	633	131	**
15	मणिपुर	48	154	139	15	**
16	मेघालय #	147	188	195	**	**
17	मिजोरम #	66	0	67	**	**
18	नागालैंड #	136	140	137	3	**
19	ओडिशा	445	474	356	118	89
20	पंजाब*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	243	313	258	55	**
22	सिक्किम	12	16	16	0	**
23	तमिलनाडु	96	194	174	20	**
24	तेलंगाना	95	143	110	33	**
25	त्रिपुरा	53	एनए	121	एनए	**
26	उत्तराखंड	13	13	11	2	2
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	102	155	104	51	**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	8	7	1	**
30	चंडीगढ़*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	6	6	0	0
32	दिल्ली*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	60	82	44	38	16
34	लद्दाख #	33	109	55	54	**
35	लक्षद्वीप #	4	12	12	0	**
36	पुडुचेरी*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: एनए: डेटा उपलब्ध नहीं है। ** आधिक्य। एन ऐप - लागू नहीं

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

#मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य 1

आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 2 एलोपैथिक डॉक्टर

अनुलग्नक - 4 ठ

2015-16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन होल्डिंग्स की संख्या का राज्य-वार प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कृषि जनगणना 2015-16				
		सीमांत	छोटा	अर्द्ध-मध्यम	मध्यम	विशाल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	64.83	21.6	10.47	2.84	0.25
3	अरुणाचल प्रदेश	22.68	21.37	26.12	23.79	6.03
4	असम	60.85	21.64	13.99	3.45	0.07
5	बिहार	87.33	8.34	3.73	0.58	0.02
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
7	छतीसगढ़	47.51	25.42	18.41	7.55	1.11
8	दादरा और नगर हवेली	55.74	26.91	12.63	4.3	0.41
9	दमन और दीव	93.57	5.27	1.15	0	0
10	दिल्ली	-	-	-	-	-
11	गोवा	79.54	10.33	6.11	3.64	0.38
12	गुजरात	38.19	28.74	22.02	10.14	0.9
13	हरियाणा	-	-	-	-	-
14	हिमाचल प्रदेश	72.75	17.82	7.66	1.65	0.12
15	जम्मू और कश्मीर	81.64	12.62	4.76	0.94	0.04
16	झारखंड	62.12	17.14	12.79	6.74	1.2
17	कर्नाटक	51.46	28.81	14.33	4.82	0.58
18	केरल	89.95	6.85	2.96	0.24	0
19	लक्षद्वीप	95.83	2.64	1.3	0.22	0.01
20	मध्य प्रदेश	47	27.8	17.68	6.89	0.62
21	महाराष्ट्र	37.55	33.41	20.41	7.85	0.77
22	मणिपुर	44.71	33.92	19.36	2.01	0
23	मेघालय	52.3	26.19	17.38	4.02	0.11
24	मिजोरम	50.14	30.63	15.4	3.55	0.29
25	नागालैंड	4.14	15.16	32.25	37.55	10.91
26	ओडिशा	68.5	22.48	7.76	1.21	0.05
27	पुदुचेरी	-	-	-	-	-
28	पंजाब	-	-	-	-	-
29	राजस्थान	56.74	22.61	13.86	5.97	0.82
30	सिक्किम	55.06	18.85	18.21	7.16	0.72
31	तमिलनाडु	74.02	17.86	6.35	1.68	0.09
32	तेलंगाना	61.16	26.36	10.64	1.77	0.07
33	त्रिपुरा	75.12	16.15	7.69	1.03	0.02
34	उत्तर प्रदेश	67.09	18.75	9.34	4.26	0.56
35	उत्तराखंड	56.44	15.55	16.24	10.96	0.81
36	पश्चिम बंगाल	85.00	12.34	2.59	0.07	0.00
	अखिल भारत	**56.26**	**23.46**	**13.98**	**5.55**	**0.75**

स्रोत: कृषि जनगणना, 2015-16

अनुलग्नक - 4ड

2020-2022 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध / अत्याचार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020	2021	2022	अजजा के खिलाफ कुल अपराध दर (2022)	चार्जशीट की दर (2022)
राज्य:						
1	आंध्र प्रदेश	320	361	396	15.1	75.3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0.0	-
3	असम	10	16	9	0.2	58.3
4	बिहार	94	103	146	10.9	82.3
5	छत्तीसगढ़	502	506	516	6.6	99.8
6	गोवा	2	5	1	0.7	100.0
7	गुजरात	291	341	330	3.7	96.0
8	हरियाणा	0	0	0	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	3	7	4	1.0	100.0
10	झारखंड	347	250	283	3.3	57.3
11	कर्नाटक	293	361	438	10.3	84.4
12	केरल	130	133	172	35.5	84.5
13	मध्य प्रदेश	2401	2627	2979	19.4	99.8
14	महाराष्ट्र	663	628	742	7.1	90.9
15	मणिपुर	2	0	1	0.1	0.0
16	मेघालय	0	0	0	0.0	-
17	मिजोरम	0	0	29	2.8	100.0
18	नागालैंड	0	0	0	0.0	-
19	ओडिशा	624	676	773	8.1	94.9
20	पंजाब	4	0	0	-	0.0
21	राजस्थान	1878	2121	2521	27.3	44.3
22	सिक्किम	0	1	4	1.9	100.0
23	तमिलनाडु	23	39	67	8.4	86.8
24	तेलंगाना	573	512	545	16.6	82.9
25	त्रिपुरा	2	0	3	0.3	0.0
26	उत्तर प्रदेश	3	4	5	0.4	80.0
27	उत्तराखंड	13	6	1	0.3	100.0
28	पश्चिम बंगाल	90	92	90	1.7	91.8
कुल राज्य (एस)		**8268**	**8790**	**10055**	**9.8**	**80.4**
संघ राज्यक्षेत्र:						
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	3	3	10.5	100.0
30	चंडीगढ़	0	0	0	-	-
31	दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव	0	3	5	2.6	100.0
32	दिल्ली	1	5	0	-	100.0
33	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0.1	100.0
34	लद्दाख	0	0	0	0.0	-
35	लक्षद्वीप	1	0	0	0.0	100.0
36	पुडुचेरी	0	0	0	-	-
कुल संघ राज्यक्षेत्र (एस)		**4**	**12**	**9**	**0.5**	**100**
कुल अखिल भारत		**8272**	**8802**	**10064**	**9.6**	**80.4**

● जनसंख्या जनगणना 2011 (आरजीआई) के अनुसार अ.ज.जा. (एसटी) की वास्तविक जनसंख्या।
● अत्याचार गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अपराधों को संदर्भित करता है। केवल आईपीसी के तहत मामले (एससी/एसटी अधिनियम के बिना) को बाहर रखा गया है क्योंकि उन मामलों में एससी/एसटी द्वारा एसटी के खिलाफ अपराध का उल्लेख है
● राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार ● राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना केवल अपराध के आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती है।
नागालैंड से स्पष्टीकरण लंबित है
श्रोत: भारत में अपराध 2022, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक – 4ढ

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य /संघ राज्यक्षेत्र-वार जिले

(लाख में जनसंख्या)

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1) **कुल 0.24**	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) **0.24**	---	----
आंध्र प्रदेश (1- एलडब्ल्यूई) **कुल 6.19**	---	---	(1) विशाखापट्नम 6.19 (14.4%) **6.19**
अरुणाचल प्रदेश (16) **कुल 9.50**	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबांसिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबांसिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिमी सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अजांव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10) पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11) तवांग 0.35 (69.7%) (12) पापुम परे 1.17 (66.4%) (13) पश्चिमी कमेंग 0.46 (55.2%) **8.23**	(1) लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2) चांगलांग 0.54 (36.3%) (3) लोहित 0.47 (32.5%) **1.27**	----
असम (7) **कुल 20.73**	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%) **6.91**	(1) धीमाजी 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदालगुड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%) **13.82**	
बिहार (6 एलडब्ल्यूई) **कुल 1.81**	----	----	(1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुज्जफरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 0.03 (0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%) **1.81**
छत्तीसगढ़ (11 + 8 एलडब्ल्यूई)	(1) सुकमा (एल) 2.09 (83.5%) (2) बिजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाड़ा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कोंडागांव (एल) 4.11 (71.0%)	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबंद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%)	

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल **65.72**	(6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10) कांकेर (एल) 4.15 (55.4%) **35.4**	(6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05(26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%) **30.32**	----
दादर एवं नागर हवेली (1) कुल **1.79**	(1) दादर एवं नागर हवेली 1.79 (52.0%) **1.79**	----	----
गुजरात (10) कुल **65.7**	(1) डांगस 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदयपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%) **47.17**	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरुच 4.88 (31.5%) (3) महिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%) **18.53**	----
हिमाचल प्रदेश (3) कुल **2.11**	(1) लाहुल तथा स्पिति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%) **0.75**	(1) चम्बा 1.36 (26.1%) **1.36**	----
जम्मू एवं कश्मीर (5) कुल **7.15**	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाक) 0.96 (71.8%) **2.18**	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) राजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%) **4.97**	----
झारखण्ड (4 + 16 एलईडब्ल्यू) कुल **79.45**	(1) खुंटी (एल) 3.90 (73.3%) (2) सिमडेगा(एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला(एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी सिंहभूम (एल) 10.11 (67.3%) (5) लोहारदगा (एल) 2.63 (56.9%) **27.95**	(1) लातेहर(एल) 3.31 (45.5%) (2) दुमका(एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुर 3.79 (42.1%) (4) रांची(एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला-खरसांवा 3.75 (35.2%) (6) जामतारा 2.40 (30.4%) (7) पूर्वी सिंहभूम(एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%) **39**	(1) रामगढ़ 2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामु 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) छतरा 0.46 (4.4%) **12.5**
लक्षद्वीप (1) कुल **0.61**	(1) लक्षद्वीप 0.61 (94.8%) **0.61**	----	----
मध्य प्रदेश (19)	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%)	(1) अनुपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडौल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगांव (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%)	

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल **105.72**	**47.93**	(9) सिंगरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सीधी 3.13 (27.8%) **57.79**	
महाराष्ट्र (4 + 1 एलडब्ल्यूई) कुल **48.86**	(1) नन्दूरबार 11.42 (69.3%) **11.42**	(1) गढ़चिरोली(एल) 4.15 (38.7%) (2) पालघर 11.18 (37.4%) (3) धुले 6.47 (31.6%) (4) नासिक 15.64 (25.6%) **37.44**	----
मणिपुर (5) कुल **11.11**	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरुल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%) (5) सेनापति 4.19 (87.5%) **11.11**	----	-----
मेघालय (7) कुल **25.55**	(1) पश्चिमी खासी हिल 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारों हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिणी गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिमी गारो हिल् 4.74 (73.7%) **25.55**	----	-----
मिजोरम (8) कुल **10.37**	(1) चंफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरिछप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%) (5) लुंगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममिट 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलासिब 0.74 (87.7%) **10.37**	----	----
नागालैंड (11) कुल **17.11**	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलेंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकोक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10) कोहिमा 2.25 (83.9%) (11) दीमापुर 2.24 (59.1%) **17.11**	-----	-----
ओडिशा	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%)	(1) केंदुझार 8.19 (45.5%)	--

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
(12 + 2 एलडब्ल्यूई) **कुल 76.41**	(2) मलकानगिरी(एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजपति 3.14 (54.3%) (6) कंधमल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट(एल) 6.98 (50.6%) **55.25**	(2) देवगढ़ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाडा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुडा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%) **21.16**	
राजस्थान (6) **कुल 51.56**	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डुंगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्रतापगढ़ 5.50 (63.4%) **29.06**	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%) (4) **22.5**	----
सिक्किम (4) **कुल 2.06**	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%) **0.29**	(1) पश्चिमी जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिणी जिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%) **1.77**	----
तेलंगाना (1 + एलडब्ल्यूई) **कुल 6.57**	---	(1) खम्माम (एल) 6.57 (25.2%) **6.57**	----
त्रिपुरा (5) **कुल 8.10**	(1) धलाई 2.11 (55.7%) **2.11**	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिणी त्रिपुरा 1.53(35.5%) (4) उत्तरी त्रिपुरा 1.17 (28.1%) **5.99**	----
पश्चिम बंगाल (2) **कुल 6.33**	----	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुर द्वार 3.82 (26.8%) **6.33**	----
कुल**: 177** **(142 + एलडब्ल्यूई 35)**	**(80 + एलडब्ल्यूई 14)**	**(62 + एलडब्ल्यूई 7)**	**14 एलडब्ल्यूई**
कुल **630.75**	**341.43**	**268.82**	**20.5**

एलडब्ल्यूई**:** वामपंथ उग्रवाद (प्रभावित जिले)

अनुलग्नक- 4ण

राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय : जनगणना 2011

क्र.स.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
1	**आंध्र प्रदेश**			
	1. येनादिस चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मंची येनादी, रेड्डी येनादी	5.34	20.3	%
	2. येरुकुलस, कोराचा, डब्बायेरुकुला, कुंचपूरीयेरुकुला, उप्प्येरुकुला	3.75	14.3	%
	3. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा	3.62	13.7	%
	4. कोन्डा धोरस, कुबी	2.11	8.0	%
	5. सावरस, कापूसावरस, मालियासावरस, खुट्टोसावरस	1.38	5.2	%
	6. बगता	1.33	5.0	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**17.51**	**66.6**	%
	अ.ज.जा. (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	8.05	30.6	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.74	2.8	%
	कुल :	**26.31**	**100**	**%**
2	**बिहार**			
	1. संथाल	4.06	30.4	%
	2. गोंड	2.57	19.2	%
	3. थारू	1.60	12.0	%
	4. उरांव धनगर (उरांव)	1.44	10.8	%
	5. खारवार	1.26	9.4	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**10.93**	**81.8**	%
	अ.ज.जा. (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.27	9.5	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.17	8.8	%
	कुल :	**13.37**	**100**	**%**
3	**छत्तीसगढ़**			
	1. गोंड, अराख, अगारिया, असुर, भटोला, भीम्मा, भूटा/भूटी , भार, मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया,खिरवार, माना, मान्नेवर, मोघिया, मोंघिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, दरोई	42.98	54.9	%
	2. कवर, कनवर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री	8.87	11.3	%
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**59.35**	**75.9**	%
	अ.ज.जा. (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.56	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.32	0.4	%
	कुल :	**78.23**	**100**	**%**
4	**गोवा**			
	1. गवडा	1.07	71.5	%
	2. वेलिप	0.32	21.5	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**1.39**	**92.9**	%
	अ.ज.जा. (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.05	3.4	%
	कुल :	**1.49**	**100**	**%**
5	**गुजरात**			
	1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरीगरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे	42.16	47.3	%
	2. धूबला, तालविया, हालपटी	6.43	7.2	%
	3. राठवा	6.42	7.2	%
	4. धोडिया, धोडी	6.36	7.1	%
	5. नायकदा, नायका	4.60	5.2	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**65.97**	**74.0**	%
	अ.ज.जा. (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	21.10	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.11	2.4	%

क्र.स.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	कुल :	**89.17**	**100**	**%**
6	**हिमाचल प्रदेश**			
	1. गद्दी	1.78	45.4	%
	2. गुज्जर	0.93	23.6	%
	3. कनौरा, किन्नरा	0.51	13.0	%
	4. भोत, बोध	0.27	6.9	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**3.49**	**89.0**	%
	अ.ज.जा. (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.33	8.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.11	2.7	%
	कुल :	**3.92**	**100**	**%**
7	**जम्मू और कश्मीर****			
	1. गुज्जर	9.81	65.7	%
	2. बकरवाल	1.13	7.6	%
	3. बोत, बोतो	0.91	6.1	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**11.85**	**79.4**	%
	अ.ज.जा. (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.96	13.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.12	7.5	%
	कुल :	**14.93**	**100**	**%**
8	**झारखंड**			
	1. संथाल	27.55	31.9	%
	2. ओरांव, धनगर (उरांव)	17.17	19.9	%
	3. मुंडा, पतर	12.29	14.2	%
	4. हो	9.28	10.7	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**66.29**	**76.7**	%
	अ.ज.जा. (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.42	21.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	2.0	%
	कुल :	**86.45**	**100**	**%**
9	**कर्नाटक**			
	1. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाड़िया नायका, मोटानायका, नाना नायका, नायक, नायक, बेदा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6	%
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**32.96**	**77.6**	%
	अ.ज.जा. (49) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.41	15.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.12	7.3	%
	कुल :	**42.49**	**100**	**%**
10	**केरल**			
	1. पनियान	0.88	18.2	%
	2. कुरिच्चान, कुरिचियान	0.35	7.3	%
	3. मलाई अरायान, माला अरायान	0.33	6.9	%
	4. माविलान	0.31	6.4	%
	5. कुरुमांस मुल्लू कुरुमन, मुल्ला कुरुमन, माला कुरुमन	0.25	5.1	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.12**	**43.8**	%
	अ.ज.जा. (31) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.10	43.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.62	12.9	%
	कुल :	**4.85**	**100**	**%**
11	**मध्य प्रदेश**			
	1. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया	59.94	39.1	%

क्र.स.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	2. गोंड, अरख, अर्रख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भिम्मा, भूटा, कोइलाभुता, कोलियाभूति, भर, बाइसनहॉर्न मारिया, छोटा मारिया, दंडमी मारिया, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, गोंडगोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मादिया, मारिया, माना, मान्नेवर, मोघया, मोघिया, मोंग्या, मुदिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, वडे मारिया, दरोई	50.93	33.3	%
	3. कोल	11.68	7.6	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**122.55**	**80.0**	%
	अ.ज.जा. (40) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	27.98	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.64	1.7	%
	कुल :	**153.17**	**100**	**%**
12	**महाराष्ट्र**			
	1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पवारा, वसावा, वसावे	25.89	24.6	%
	2. गोंड, राजगोंड, अरख, अरख, अगरिया, असुर, बडी मरिया, बड़ा मरिया, भटोला, भीम, भूटा, कोइलाभूता, कोइलाभूति, भर, बाइसनहॉर्न मारिया, छोटामारिया, दंदमीमारिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धूलिया, दोरला, गैकी, गट्टी, गट्टी, गट्टी ,गैता, गोंडगोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचाकीमारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवर, मोघ्या, मोगिया, मोंग्या, मुदिया, मुरिया, नागरची, नायकपोड, नागवंशी , ओझा, राज, सोनझारी झरेका, ठटिया, थोटिया, वेड मारिया, वडे मारिया	16.18	15.4	%
	3. कोली महादेव, डोंगरकोली	14.60	13.9	%
	4. वर्ली	7.96	7.6	%
	5. कोकना, कोकनी, कुकना	6.87	6.5	%
	6. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकार, मा ठाकुर, मा ठाकर	5.68	5.4	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**77.18**	**73.4**	%
	अ.ज.जा. (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	26.17	24.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.76	1.7	%
	कुल :	**105.10**	**100**	**%**
13	**ओडिशा**			
	1. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुली कांधा, सीता कांधा, कोंध, कुई, बुडा कोंध, बुरा कांधा, देसिया कांधा, डूंगरिया कोंध, कुटिया कांधा, कंधा गौड़ा, मुलीकोंड, मलुआ कोंध, पेंगो कांधा, राजा कोंध, राज खोंड	16.27	17.0	%
	2. संथाल	8.95	9.3	%
	3. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुरगोंड	8.89	9.3	%
	4. कोल्हा	6.25	6.5	%
	5. मुंडा, मुंडालोहारा, मुंडामहलिस, नागबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा	5.59	5.8	%
	6. साओरा, सावर, सौरा, सहारा, अर्सीसौरा, बसेड साओरा, भीमासौरा, भीम्मासौरा, चुमुरासौरा, जरासावर, जादूसौरा, जातिसौरा, जुआरीसौरा, कम्पूसौरा, कम्पासौरा, कपोसाओरा, किंडलसौरा, कुम्बी कंचेरसाओरा, कालापिठियासाओरा, किरतसाओरा, लंजियासाओरा, लंबलंजियासाओरा, लुआरासाओरा, लुआरसाओरा, लरियासवर, मालियासौरा, मल्लासौरा, उरियासौरा, राइकासौरा, सुड्डासाओरा, सारदासौरा, टंकालासाओरा, पात्रोसोरा, वेसुसाओरा	5.35	5.6	%
	7. शबार, लोधा	5.16	5.4	%
	अ.ज.जा.(7) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**56.46**	**58.9**	%
	अ.ज.जा. (55) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	38.19	39.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.26	1.3	%
	कुल :	**95.91**	**100**	**%**
14	**राजस्थान**			
	1. मीना	43.46	47.0	%
	2. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरीगरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगलिया, भिलाला, पवारा, वसावा, वसावे	42.00	45.5	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**85.56**	**92.5**	**%**

क्र.स.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	अ.ज.जा. (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.25	6.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.58	0.6	%
	कुल :	**92.39**	**100**	**%**
15	**सिक्किम**			
	1. भूटिया (चुंबिपा, दोप्थापा, दुक्पा, कागाटे, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा, योल्मो सहित)	0.70	33.7	%
	2. लिम्बू	0.54	26.0	%
	3. लेप्चा	0.43	20.8	%
	4. तमांग	0.38	18.3	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.04**	**98.8**	%
	अन्य **अ.ज.जा.**(< 5% जनसंख्या)	0.02	1.2	%
	कुल :	**2.06**	**100**	**%**
16	**तमिलनाडु**			
	1. मलयाली	3.58	45.0	%
	2. इरुलार	1.90	23.9	%
	3. कट्टूनायकन	0.47	5.9	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.94**	**74.8**	%
	अ.ज.जा. (33) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	18.3	%
	अन्य **अ.ज.जा.** (< 5% जनसंख्या)	0.55	6.9	%
	कुल :	**7.95**	**100**	**%**
17	**तेलंगाना**			
	1. सुगालीज, लंबाडीज, बंजारा	20.46	62.3	%
	2. कोया, डोलीकोया, गट्टाकोया, कम्माराकोया, मुसराकोया, ओडिकोया, पट्टीडीकोया, राजाह, राशाकोया, लिंगधारीकोया (साधारण), कोट्टूकोया, भीनकोया, राजकोया	4.86	14.8	%
	3. गोंड, नायकपोड़, राजगोंड, कोइतुर	2.98	9.1	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	28.30	86.1	%
	अ.ज.जा. (29) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	**2.96**	**9.0**	%
	अन्य **अ.ज.जा.**(< 5% जनसंख्या)	1.61	4.9	%
	कुल :	**32.87**	**100**	**%**
18	**उत्तर प्रदेश**			
	1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड (महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में)	5.69	50.2	%
	2. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)	1.61	14.2	%
	3. थारु	1.05	9.3	%
	4. सहरिया (जिले ललितपुर में)	0.71	6.2	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.06**	**79.8**	%
	अ.ज.जा. (11) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	12.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.83	7.3	%
	कुल :	**11.34**	**100**	**%**
19	**उत्तराखंड**			
	1. थारु	0.91	31.3	%
	2. जानसारी	0.89	30.4	%
	3. बुक्सा	0.54	18.5	%
	4. भोटिया	0.39	13.4	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.73**	**93.6**	%
	अ.ज.जा. (1) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	0.2	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.18	6.2	%
	कुल :	**2.92**	**100**	**%**
20	**पश्चिम बंगाल**			

क्र.स.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	**2**	**3 (लाख)**	**4 (%)**	
	1. संथाल	25.12	47.4	%
	2. ओरांव	6.44	12.1	%
	3. भूमिज	3.76	7.1	%
	4. मुंडा	3.66	6.9	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**38.99**	**73.6**	%
	अ.ज.जा. (36) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	11.57	21.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.41	4.6	%
	कुल :	**52.97**	**100**	**%**
	पूर्वोत्तर राज्य			
21	**अरुणाचल प्रदेश**			
	1. न्यईशी	2.50	26.2	%
	2. गलोंग	0.79	8.3	%
	3. अदी	0.68	7.1	%
	4. तगिन	0.63	6.6	%
	5. वांचो	0.57	6.0	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.17**	**54.3**	%
	अ.ज.जा. (99) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	4.32	45.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.03	0.3	%
	कुल :	**9.52**	**100**	**%**
22	**असम**			
	1. बोरो, बोरोकचारी	13.62	35.1	%
	2. मिरि	6.80	17.5	%
	3. कार्बी	4.30	11.1	%
	4. राभा	2.96	7.6	%
	5. कचारी, सोनोवाल	2.53	6.5	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**30.22**	**77.8**	%
	अ.ज.जा. (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.83	17.6	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.79	4.6	%
	कुल :	**38.84**	**100**	**%**
23	**मणिपुर**			
	1. थाडोऊ	2.16	18.5	%
	2. थंगखुल	1.79	15.3	%
	3. पौमाई नागा	1.27	10.9	%
	4. काबुई	1.04	8.9	%
	5. माओ	0.93	8.0	%
	6. कच्चा नागा	0.66	5.7	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**7.85**	**67.3**	%
	अ.ज.जा. (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.61	31.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.21	1.8	%
	कुल :	**11.67**	**100**	**%**
24	**मेघालय**			
	1. खासी, जयंतिया, सैन्तेंग, प्नार, वार, भोइ, लिग्यंम	14.12	55.2	%
	2. गारो	8.21	32.1	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**22.33**	**87.4**	%
	अ.ज.जा. (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.49	5.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	6.8	%
	कुल :	**25.56**	**100**	**%**
25	**मिजोरम**			
	1. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां	7.35	70.9	%
	2. चकमा	0.97	9.4	%
	3. पावी	0.51	5.0	%

क्र.स.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**8.83**	**85.2**	%
	अ.ज.जा. (12) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.45	14.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.07	0.7	%
	कुल :	**10.36**	**100**	**%**
26	**नागालैंड**			
	1. नागा	16.68	97.5	%
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**16.68**	**97.5**	%
	अ.ज.जा. (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.34	2.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.09	0.5	%
	कुल :	**17.11**	**100**	**%**
27	**त्रिपुरा**			
	1. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टिप्पेरा	5.92	50.8	%
	2. रियांग	1.88	16.1	%
	3. जमातिया	0.83	7.1	%
	4. चकमा	0.80	6.8	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.44**	**80.9**	%
	अ.ज.जा. (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.75	15.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.48	4.1	%
	कुल :	**11.67**	**100**	**%**
	संघ राज्यक्षेत्र			
28	**अंडमान निकोबार द्वीप समूह**			
	1. निकोबारी	0.27	95.2	%
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.27**	**95.2**	%
	अ.ज.जा. (5) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.1	%
	कुल :	**0.29**	**100**	**%**
29	**दादर और नगर हवेली**			
	1. वर्ली	1.12	62.8	%
	2. कोकना	0.28	15.6	%
	3. धोडिया	0.24	13.6	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	1.64	91.9	%
	अ.ज.जा. (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.08	4.8	%
	कुल :	**1.79**	**100**	**%**
30	**दमन और द्वीव**			
	1. दुबला (हालपाति)	0.11	72.2	%
	2. धोडिया	0.02	15.2	%
	3. वर्ली	0.01	9.0	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.15**	**96.5**	%
	अ.ज.जा. (2) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	1.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	2.3	%
	कुल :	**0.15**	**100**	**%**
31	**लक्षद्वीप**			
	1. सभी अनुसूचित जनजाति	0.61	99.99	%
	कुल:	**0.61**	**100**	**%**

टिप्पण:

(1) 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से ≥ 5% जनसंख्या वाले पीवीटीजी अलग से दर्शाए गए हैं।

(2) जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में कोई अधिसूचित अ.ज.जा. नहीं है।

* () में दिये गये आंकड़े अजजा समुदाय की संख्या दर्शाते हैं

** जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में विभाजित होने से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य

स्रोत : जनगणना 2011 के आंकडें, आरजीआई के कार्यालय की वेबसाइट

अनुलग्नक - 5 क

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (सी.ओ.22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 (सी.ओ.33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनयम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर- कोचीन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्ष्यद्वीप, मिनीकॉय तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (सी.ओ.58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
8.	मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सी.ओ.65)	30.6.1962	दादरा व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ.78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ.88)	23.7.1970	नागालैण्ड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 का शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ.142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
20.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
21.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन (समस्याओं का निराकरण) आदेश, 2003	19.8.2003	छत्तीसगढ़
24.	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
25.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार, झारखंड

26.	बिहार पुनर्गठन (समस्याओं का निराकरण) आदेश, 2003	19.8.2003	झारखंड
27.	संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
28.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
29.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
30.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
31.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 2)	07.1.2009	लक्षद्वीप
33.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
34.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कर्नाटक
35.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
36.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	01.3.2014	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
37.	संविधान (पुद्चेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016	22.12.2016	पुद्चेरी
38.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 34)	09.8.2019	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
39.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 4)	19.3.2020	कर्नाटक
40.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 की संख्या 32)	13.08.2021	अरुणाचल प्रदेश
41.	संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 8)	08.4.2022	झारखंड
42.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 9)	18.4.2022	त्रिपुरा
43.	संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 20)	24.12.2022	उत्तर प्रदेश
44.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 की संख्या 1)	2.1.2023	तमिलनाडु
45.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 की संख्या 2)	02.1.2023	कर्नाटक
46	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 13)	04.08.2023	छत्तीसगढ़
47	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 14)	04.08.2023	हिमाचल प्रदेश
48	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 की संख्या 3)	12.02.2024	जम्मू और कश्मीर
49	संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 की संख्या 6)	15.02.2024	ओडिशा
50	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 की संख्या 7)	15.02.2024	आंध्र प्रदेश

विशेष ध्यान दें: हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक - 5 ख

State/UT wise list of Scheduled Tribes in India

The Constitution (Scheduled Tribes) Order,1950	**संविधान (अनुसूचितजनजातियां) आदेश, 1950**
The SCHEDULE	**अनुसूची**
PART I – Andhra Pradesh	**भाग 1 - आंध्रप्रदेश**
1. Andh, Sadhu Andh	1. अन्ध, साधू आन्ध्र
2. Bagata	2. बगटा
3. Bhil	3. भील
4. Chenchu,	4. चेंचु
5. Gadabas, Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba	5. गडबा, बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा
6. Gond, Naikpod, Rajgond, Koitur	6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. Goudu (in the Agency tracts)	7. गौडू (अभिकरण भूखण्डों में)
8. Hill Reddis	8. हिल रेद्दि
9. Jatapus	9. जातपू
10. Kammara	10. कम्भर
11. Kattunayakan	11. कटुनायकन
12. Kolam, Kolawar	12. कोलम, कोलावार
13. Konda Dhoras, Kubi	13. कोंडा दोरा, कुबी
14. Konda Kapus	14. कोंड कापु
15. Kondareddis	15. कोंडारेड्डि
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs, Kuvinga	16. कोंध, कोडि, कोदू, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dulia, Holva, Sanrona, Sidhopaiko	17. कोटिया, वेंथो ओरिया, बारत्तिका, डुलिया, होल्बा, सन्रोण, सिधापैको
18. Koya, Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya, Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya	18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण),कोट्टू कोया, भिणे कोया, राजकोया
19. Kulia	19. कुलिया
20. Malis (Rangareddi Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts)	20. मालि (रंगारेड्डी आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद और वारंगल जिले में)
21. Manna Dhora	21. मन्ना दोरा

22. Mukha Dhora, NookaDhora
23. Nayaks (in the Agency tracts)
24. Pardhan
25. Porja, Bondo Porja, Khond Porja, Parangiperja
26. Reddi Dhoras
27. Rona, Rena
28. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Konda Savaras, KhuttoSavaras
29. Sugalis, Lambadis, Banjara
30. Valmiki (Scheduled Areas of Vishakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagram, East Godavari and West Godavari districts)
31. Yenadis, Chella Yenadi, KappalaYenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi
32. Yerukulas, Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula
33. Nakkala, Kurvikaran
34. Dhulia, Paiko, Putiya(in the districts of Vishakhapatnam and Vijayanagaram)

22. मुखा दोरा, नूका दोरा
23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. परधाण
25. पुर्जा,बोंडो पुर्जा,खोंड पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. रेड्डि दोरा
27. रोणा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, खुट्टा सवार
29. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
30. बाल्मीकि (विशाखापट्नम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. यनादी, चेला येनादी, कपाला येनादी, मंची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुला, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कांचीपुरी येरूकुला,उप्पु येरूकुला
33. नकाला कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुटिया (विशाखापट्नम तथा विजयनगरम के जिलों में)

Arunachal Pradesh

All tribes in the State including:

1. *Omitted*
2. Aka
3. Apatani
4. Nyishi
5. Galo
6. Tai Khamti
7. Khowa
8. Mishmi-Kaman (Miju Mishmi), Idu (Mishmi), Taraon (Digaru Mishmi)
9. Monpa, Memba, Sartang, Sajolang (Miji)
10. Nocte, Tangsa, Tutsa, Wancho

अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां:

1. *हटा दिया गया*
2. आका
3. आपनी
4. निशी
5. गालो
6. ताई खाम्ती
7. खोवा
8. मिश्मी – कामन (मिजु मिश्मी), इदु (मिश्मी), तारोन (दिगारू मिश्मी)
9. मोन्पा, मेम्बा, सरताङ्, सजोलाङ् (मिजी)
10. नोक्ते , ताङसा, तुत्सा, वान्चो

11. Sherdukpen
12. Singpho
13. Hrusso
14. Tagin
15. Khamba
16. Adi

11. शेरडुक्पेन
12. सिंग्फो
13. हुरुसो
14. टेगिन
15. खाम्बा
16. आदि

Assam

I. In the autonomous Districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills.

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes, including: -

(i) Biate, Biete
(ii) Changsan
(iii) Chongloi
(iv) Doungel
(v) Gamalhou
(vi) Gangte
(vii) Guite
(viii) Hanneng
(ix) Haokip, Haupit
(x) Haolai
(xi) Hengna
(xii) Hongsungh
(xiii) Hrangkhwal, Rangkhol
(xiv) Jongbe

असम

I.कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी के स्वाशासी जिलों मे:

1. चाक्मा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. ह्मार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगनागम
7. निम्नलिखितके सहित कोई भी कूकी जनजातियां: -

(i) बियाते, बियेते
(ii) चांगसान
(iii) चंगलोई
(iv) दौंगेल
(v) गमल्हो
(vi) गांगटे
(vii) गुहते
(viii) हान्नेंग
(ix) हौकिप, हौपित
(x) हौलाई
(xi) हेंगना
(xii) हंसुंध
(xiii) हांग्खवाल, रंग्खल
(xiv) जंग्बे

(xv) Khawchung	(xv) ख्वौचूंग
(xvi) Khawathlang, Khothalong	(xvi) ख्वौरंग, खोतालंग
(xvii) Khelma	(xvii) खेल्मा
(xviii) Kholhou	(xviii) खोल्ह
(xix) Kipgen	(xix) किप्गेन
(xx) Kuki	(xx) कुकी
(xxi) Lengthang	(xxi) लेथांग
(xxii) Lhangum	(xxii) ल्हाघुम
(xxiii) Lhoujem	(xxiii) ल्हाजेम
(xxiv) Lhouvun	(xxiv) ल्हौबुन
(xxv) Lupheng	(xxv) लुफैंग
(xxvi) Mangjel	(xxvi) मांजेल
(xxvii) Misao	(xxvii) मिसाउ
(xxviii) Riang	(xxviii) रिआंग
(xxix) Sairhem	(xxix) सैहैम
(xxx) Selnam	(xxx) सेल्मान
(xxxi) Singson	(xxxi) सिग्सन
(xxxii) Sitlhou	(xxxii) सितल्हो
(xxxiii) Sukte	(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) Thado	(xxxiv) याडो
(xxxv) Thangngeu	(xxxv) थांग्यू
(xxxvi) Uibuh	(xxxvi) उइद
(xxxvii) Vaiphei	(xxxvii) व्हाइफे
8. Lakher	8. लाखेर
9. Man (Tai- speaking)	9. मान (ताई बोलने वाली)
10. Any Mizo (Lushai) tribes	10. कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. Karbi	11. करबी
12. Any Naga tribes	12. कोई नागा जनजातियां
13. Pawi	13 पावी
14. Syntheng	14. सिंतेंग
15. Lalung	15. लालुंग

II. In the State of Assam including the Bodoland Territorial Areas District and excluding the autonomous districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills:

II.बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रजिला सहित और कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिलों को छोड़कर, असं राज्य में :-

1. Barmans in Cachar
2. Boro, Borokachari
3. Deori
4. Hojai
5. Kachari, Sonwal
6. Lalung
7. Mech
8. Miri
9. Rabha
10. Dimasa
11. Hajong
12. Singhpho
13. Khampti
14. Garo

1. कछार में वर्मन
2. बड़ो, बड़ो कछारी
3. ड्योरी
4. होजाई
5. कछारी, सोन्वाल
6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
10. डीमासा
11. हाजोंग
12. सिंघफों
13. खाम्पति
14. गारो

Bihar

1. Asur, Agaria
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedia
6. *Omitted*
7. Binjhia
8. Birhor
9. Birjia
10. Chero
11. Chik Baraik
12. Gond

बिहार

1. असुर, अगरिया
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. *हटा दिया है*
7. बिंझिया
8. बिरहोर
9. विरजिया
10. चेरो
11. चिक बराइक
12. गोंड

13. Gorait	13. गोराइत
14. Ho	14. हो
15. Karmali	15. करमाली
16. Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia	16. खरिया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया
17. Kharwar	17. खरवार
18. Khond	18. खोंड
19. Kisan, Nagesia	19. किसान, नागेसिया
20. Kora, Mudi-Kora	20. कोरा, मुडी-कोरा
21. Korwa	21. कोरवा
22. Lohara, Lohra	22. लोहारा, लोहरा
23. Mahli	23. माहली
24. Mal Paharia, Kumarbhag Paharia	24. माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया
25. Munda, Patar	25. मुन्डा, पातार
26. Oraon, Dhangar (Oraon)	26. उरांव, धांगड़ (उरांव)
27. Parhaiya	27. परहया
28. Santal	28. संथाल
29. Sauria Paharia	29. सोरिया पहाडिया
30. Savar	30. सावर
31. Kawar	31. कवार
32. Kol	32. कोल
33. Tharu	33. थारू

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़

1. Agariya	1. अगरिया
2. Andh	2. आंध
3. Baiga	3. बैगा
4. Bhaina	4. भैना
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Bhuinya, Bhuiyan, Bhuyan, Paliha, Pando	5. भारिया भूमिया, भुईंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, भूईंया, भूईयाँ,भूयां, पालिहा, पांडो
6. Bhattra	6. भत्तरा
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia	7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. Bhil Mina	8. भील मीना

9. Bhunjia

10. Biar, Biyar

11. Binjhwar

12. Birhul, Birhor

13. Damor, Damaria

14. Dhanwar, Dhanuhar, Dhanuwar

15. Gadaba, Gadba

16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Abhuj Maria, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj, SonjhariJhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi

17. Halba, Halbi

18. Kamar

19. Karku

20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri

21. Khairwar, Kondar

22. Kharia

23. Kond, Kondh, Khond, Kandh

24. Kol

25. Kolam

26. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya

27. Korwa, Hill Korwa, Kodaku

28. Majhi

29. Majhwar

30. Mawasi

31. Munda

32. Nagesia, Nagasia, Kisan

33. Oraon, Dhanka, Dhangad

34. Pao

35. Pardhan, Pathari, Saroti

36 Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, LangoliPardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [In (i) Bastar, Dantewara,

9. भुंजिया

10. बियार, बीआर

11. बिंझवार

12. बिरहुल, बिरहोर

13. डामोर, डामरिया

14. धनवार, धनुहार, धनुवार

15. गडाबा, गडबा

16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, अबूझ मारिया, बड़ी मारिया, बडा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई

17. हलबा, हलबी

18. कमार

19. कारकू

20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री

21. खैरवार, कोंदर

22. खरिया

23. कोंद, कोंध, खोंड, कांध

24. कोल

25. कोलम

26. कोरकू, बोपची, मोवसी, निहाल, नाहुल बौंधी, बोडिया

27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोडाकू

28. मांझी

29. मझवार

30. मवासी

31. मुंडा

32. नगेसिया, नागासिया, किसान

33. उरांव, धानका, धनगढ़

34. पाव

35. परधान, पथारी, सरोती

36 पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली परधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया [(i) बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर,

Kanker, Raigarh, Jashpurnagar, Surguja and Koria district, (ii) Katghora, Pali, Kartala and Korba tahsils of Korba district, (iii) Bilaspur, Pendra, Kota and Takhatpur tahsils of Bilaspur district, (iv) Durg, Patan Gunderdehi, Dhamdha, Balod, Gurur and Dondilohara tahsils of Durg district, (v) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspector Circles of Rajnandgon district, (vi) Mahasamund Saraipali and Basna tahsils of Mahasamund district, (vii) Bindra-NavagarhRajim and Deobhog tahsils of Raipur district, and (viii) Dhamtari, Kurud and Sihava tahsils of Dhamtari district]

37. Parja

38. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor

39. Saonta, Saunta

40. Saur

41. Sawar, Sawara, Saunra, Saonra

42. Sonr

43. Binjhia

रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले में (ii) कोरबा जिले की कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसीलों में (iii) बिलासपुर जिले की बिलासपुर, पेंडरा, कोटा, और तखतपुर तहसीलों में (iv)दुर्ग जिले की दुर्ग, पाटन, गुंडेरदही, धमधा, बालौद, गुरुर और डोंडीलोहारा तहसीलों में (V)राजनांदगांव गांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक सर्किलों में (vi)महासमुंद जिले की महासमुंद, सराईपाली और बसना तहसीलों में (Vii) रायपुर जिले की बिंद्रा-नवागढ़ राजिम और देवभोग तहसीलों में और (viii)धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसीलों में:

37. परजा

38. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहेरिया, सोसिया, सोर

39. साओंता, सौंता

40. सौर

41. सवर, सवरा, सौंरा, संवरा

42. सोंर

43. बिंझिया

Goa

1. Dhodia
2. Dubla (Halpati)
3. Naikda (Talavia)
4. Siddi (Nayaka)
5. Varli
6. Kunbi
7. Gawda
8. Velip

गोवा

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नायकड़ा (तलाविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वारली
6. कुन्बी
7. गावड़ा
8. वेलिप

Gujarat

1. Barda
2. Bavacha, Bamcha
3. Bharwad (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave.

गुजरात

1. बर्डा
2. बावचा, बामचा
3. भरवाढ़ (अलेच्छ, गीर, बराढ़ाकेजंगलोंकेनेसोंमें)
4. भील, भीलगरासिया, धोलीभील, डुंगरीभील, डुंगरी, गरासिया, मेवासीभील, रावलभील, तडवीभील, भगालिया, भिलाला,पावड़ा, बसावा, बसावे

5. Charan (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
6. Chaudhri (in Surat and Valsad districts)
7. Chodhara
8. Dhanka,Tadvi, Tetaria, Valvi
9. Dhodia, Dhodi
10. Dubla, Talavia, Halpati
11. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
12. Gond, Rajgond
13. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
14. Kokna, Kokni, Kukna
15. *Omitted*
16. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
17. Kunbi (in the Dangs district)
18. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
19. Padhar
20. *Omitted*
21. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi (excluding Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Kutch, Rajkot and Surendranagar districts)
22. Patelia
23. Pomla
24. Rabari (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
25. Rathawa
26. Siddi, Siddi-Badshan (in Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Rajkot and Surendranagar districts)

5. चारण (अलेच्छ,बराढ़ाऔरगीरकेजंगलोंकेनेसोंमें)
6. चौधरी (सूरतऔरबलसादजिलोंमें)
7. चौधरा
8. धनक, तडवी,तेतारिया, वलवी
9. धोडिया, ढोडी
10. दुबला, तलाविया, हलपति
11. गमित, गम्ता, गविट, मची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कटकारी, ढोरकथोडी, ढोरकटकारी, सोनकथोडी,सोनकटकारी
14. कोकणा, कोकणी,कुक्णा
15. *हटादियागया*
16. कोलीढोर, टोकरेकोली, कोल्चा, कोल्घा
17. कुन्बी (डांग्सजिलेमें)
18. नायकाडा, नायेक, चोलीवालानायक, कपाड़ियानायक, मोटानायक, नानानायक
19. पाधर
20. *हटादियागया*
21. पर्धी,अदविचिन्चेर,फांनसेपर्धी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोटऔरसुरेन्द्रनगरजिलोंकोछोड़कर)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबरी (अलेच्छ, बराढ़ाऔरगीरकेजंगलोंकेनेसोंमें)
25. राथवा
26. सिद्दी, सिद्दी-बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोटऔरसुरेन्द्रनगरजिलोंमें)

27. *Omitted*
28. Varli
29. Vitola, Kotwalia, Barodia
30. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
31. Tadvi Bhil, Bawra,Vasave,
32. Padvi.

Himachal Pradesh

1. Bhot, Bodh
2. Gaddi
3. Gujjar
4. Jad, Lamba, Khampa
5. Kanaura, Kinnara
6. Lahaula
7. Pangwala
8. Swangla
9. Beta, Beda
10. Domba, Gara, Zoba
11. Hattee of Trans Giri area of Sirmour district

Jammu & Kashmir

1. Bakarwal
2. Balti
3. Beda
4. Bot, Boto
5. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin
6. Changpa
7. Gadda Brahmin
8. Gaddi
9. Garra
10. Gujjar

27.*हटादियागया*
28.वारली
29.विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया,
30.भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
31.तदवीभील, बावरा, वसावे,
32.पडवि

हिमाचल प्रदेश

1. भोट ,बोढ़
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाद, लाम्बा, खम्पा
5. कनौरा ,किन्नारा ,
6. लाहौला
7. पंगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा ,बेडा
10. डोम्बा ,गारा ,जोबा
11. सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र का हाटी

जम्मू और कश्मीर

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दा ब्राह्मण
8. गद्दी
9. गर्रा
10. गूजर

11. Koli `
12. Mon
13. Paddari Tribe
14. Pahari Ethnic Group
15. Purigpa
16. Sippi

11. कोली
12. मोन
13. पाडरी जनजाति
14. पहाड़ी जातीय समूह
15. पुरिगपा
16. सिप्पी

Jharkhand

झारखण्ड

1. Asur, Agaria
2. Baiga
3. Banjara
4. Bathudi
5. Bedia
6. Binjhia
7. Birhor
8. Birjia
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Gond
12. Gorait
13. Ho
14. Karmali
15. Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia
16. Kharwar ,Bhogta, Deshwari, Ganjhu, Dautalbandi (Dwalbandi), Patbandi, Raut, Maajhia, Khairi (Kheri)
17. Khond
18. Kisan, Nagesia
19. Kora, Mudi-Kora

1. असुर ,अगरिया
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिकबराइक
11. गोंड
12. गोराइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, ढेलकीखड़िया, दूधखड़िया, हिलखड़िया
16. खरवार, भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबन्दी (द्वालबंदी), **पटबन्दी, राउत, माझिया, खैरी (खेरी)**
17. खोंड
18. **किसान, नागेसिया**
19. कोरा ,मुडी-कोरा

20. Korwa	20. कोरवा
21. Lohra	21. लोहरा
22. Mahli	22. माहली
23. Mal Paharia, Kumarbhag Paharia	23. मालपहारिया, कुमारभागपहारिया
24. Munda, Patar, Tamaria (Tamadia)	24. मुण्डा, पतार, तमरिया (तमड़िया)
25. Oraon, Dhangar (Oraon)	25. उरांव, ढांगर (उरांव)
26. Parhaiya	26. परहैया
27. Santal	27. संताल
28. Sauria Paharia	28. सौरियापहाड़िया
29. Savar	29. सावर
30. Bhumij	30. भूमिज
31. Kawar	31. कवार
32. Kol	32. कोल
33. Puran	33. पुरान

Karnataka	कर्नाटक
1. Adiyan	1. अदियन
2. Barda	2. बर्डा
3. Bavacha, Bamcha	3. बवचा, बम्चा
4. Bhil, Bhil Garasia Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala,Pawra, Vasava, Vasave	4. भील, भीलगरासिया, धोलीभील, डुंगरीभील, डुंगरीगरासिया, मेवासीभील, रावलभील, तड़वीभील, भगालियाभिलाला, पवरा, वासव, वासवे
5. Chenchu, Chenchwar	5. चेचू, चेंचवार
6. Chodhara	6. चोधारा
7. Dubla, Talavia, Halpati	7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi, Valvi	8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि,पदवी,वाल्वी
9. Gond, Naikpod, Rajgond	9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
10. Gowdalu	10. गोव्डालू

11.	Hakkipikki	11.	हक्कीपिक्की
12.	Hasalaru	12.	हासालारू
13.	Irular	13.	इरूलर
14.	Iruliga	14.	इरूलिगा
15.	Jenu Kuruba	15.	जेनुकुरूबा
16.	Kadu Kuruba, Betta-Kuruba	16.	काडूकुरुबा, बेट्टा-कुरुबा
17.	Kammara (in South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district)	17.	कम्मार (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18.	Kaniyan, Kanyan (in Kollegal taluk of Mysore district)	18.	कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
19.	Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari	19.	काथोडी, काटकारी, ढोर कथोडी, ढोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20.	Kattunayakan	20.	काट्टूनायकन्
21.	Kokna, Kokni, Kukna	21.	कोंकण, कोंकणी, कुक्णा
22.	Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha	22.	कोलीधोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
23.	Konda Kapus	23.	कोंडा कापूस
24.	Koraga	24.	कोरग
25.	Kota	25.	कोटा
26.	Koya, Bhine Koya, Rajkoya	26.	कोया, भिने कोया, राजकोया
27.	Kudiya, Melakudi	27.	कुडिया, मेलकुडी
28.	Kuruba (in Coorg district)	28.	कुरूब (कुर्ग जिले में)
29.	Kurumans	29.	कुरूमान
30.	Maha Malasar	30.	महा मालासार
31.	Malaikudi	31.	मलाईकुडी
32.	Malasar	32.	मालासार
33.	Malayekandi	33.	मालायेकान्डी
34.	Maleru	34.	मालेरू
35.	Maratha (in Coorg district)	35.	मराठा (कुर्ग जिले में)

36. Marati (in south Kanara district)	36. मराटी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. Meda, Medara, Medari, Gauriga, Burud	37. मेडा, मेदार, मेडारी, गौरिगा, बुरूद
38. Naikda, Nayaka (including Parivara and Talawara), Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka, Naik, Nayak, Beda, Bedar, and Valmiki.	38. नायकडा, नायक (जिसके अंतर्गत परिवार और तलवार भी है), चौलीवाला नायका, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाईक, नायक,बेडा, बेडर और बाल्मीकि
39. Palliyan	39. पल्लियान
40. Paniyan	40. पानियान
41. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi, Haranshikari	41. पार्धी, अडविचिन्चेर, पनसे पार्धी, हरनशिकारी
42. Patelia	42. पटेलिया
43. Rathawa	43. राथावा
44. Sholaga	44. शोलगा
45. Soligaru	45. सोलीगारू
46. Toda	46. तोडा
47. Varli	47. वरली
48. Vitolia, Kotwalia, Barodia	48. विटोलिया, कोतवालिया बारोडिया
49. Yerava	49. येरावा
50. Siddi (in Belagavi, Dharwad and Uttar Kannada districts)	50. सिद्दी (बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)
Kerala	**केरल**
1. Adiyan	1. आडियन्
2. Arandan, Aranadan	2. अरांडन्, अरांडन्
3. Eravallan	3. अरावालन्
4. Hill Pulaya, Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, Karavazhi Pulayan, Pamba Pulayan	4. हिल पुलया, माला पुलयान, कुरूम्बा पुलयान, कारावाजी पुलयान, पम्बा पुलयान
5. Irular, Irulan	5. इरूलर्, इरूलन्

6. Kadar, Wayanad Kadar	6. कादर, वयनादकादर
7. *Omitted*	7. *हटा दिया गया*
8. Kanikaran, Kanikkar	8. कणिक्कारन्, काणिक्कर्
9. Kattunayakan	9. काट्टुनायकन्
10. Kochuvelan	10. कोचुवेलान
11. Omitted	11. *हटा दिया गया*
12. Omitted	12. *हटा दिया गया*
13. Koraga	13. कोरग
14. *Omitted*	14. हटा दिया गया
15. Kudiya, Melakudi	15. कुडीया, मेलाकुडी
16. Kurichchan, Kurichiyan	16. करचिचान्, कुरिचियान
17. Kurumans, Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala Kuruman	17. कुरूमन्, मुल्लु कुरूमन, मुल्लाकुरूमन, माला कुरूमन
18. Kurumbas, Kurumbar, Kurumban	18. कुरूम्बा, कुरुम्बर, कुरुम्बन
19. Maha Malasar	19. महा मालासार
20. Malai Arayan, Mala Arayan	20. मलय अर्षन, माला अरयन
21. Malai Pandaram	21. मलय पंडारम्
22. Malai Vedan, Malavedan	22. मलवेडन, मालावेडन
23. Malakkuravan	23. मलकुर्वन
24. Malasar	24. मालासार
25. Malayan, Nattu Malayan, Konga Malayan (excluding the areas comprising the Kasargode, Connanore, Wayanad and Kozhikode districts)	25. मलयन, नट्टू मलयन, कोंगा मलयन, (कासरगौडे, कन्नोर, वयानाद और कोजीकोडे जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर)
26. Malayarayar	26. मलयरयर
27. Mannan (to be spelt in Malayalam script in parenthesis)	27. मनान् (कोष्ठक में मलायम लिपि में लिखा जाए)
28. Marati (of the Hosdurg and Kasargod Taluks of Kasargod District)	28. माराटि (कासरगोड जिले के होसदुर्ग और कासरगोड तालुक)
29. Muthuvan, Mudugar, Muduvan	29. मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन

30.	Palleyan, Palliyan, Palliyar, Paliyan	30.	पल्लेयान, पल्लियान, पल्लियार, पालियान
31.	*Omitted*	31.	*हटा दिया गया*
32.	*Omitted*	32.	*हटा दिया गया*
33.	Paniyan	33.	पाणियन्
34.	Ulladan, Ullatan	34.	उल्लाडन, उल्लातान
35.	Uraly	35.	उरालि
36.	Mala Vettuvan (in Kasargode and Kannur districts)	36.	मालावेट्टुवन (कासरगोडे और कन्नूर जिलों में)
37.	Ten Kurumban, Jenu Kurumban	37.	तेनकुरुम्बन, जेनुकुरुम्बन
38.	Thachanadan, Thachanadan Moopan	38.	थाचानाडन, थाचानाडन, मूपन
39.	Cholanaickan	39.	चोलानाइकन
40.	Mavilan	40.	माविलन
41.	Karimpalan	41.	करीमपालन
42.	Vetta Kuruman	42.	वेट्टा कुरुमन
43.	Mala Panickar	43.	माला पनिकर

	Ladakh		**लद्दाख**
1.	Bakarwal	1.	बकरवाल
2.	Balti	2.	बाल्टी
3.	Beda	3.	बेडा
4.	Bot, Boto	4.	बोट, बोटो
5.	Brokpa, Drokpa, Dard, Shin	5.	ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6.	Changpa	6.	चंगपा
7.	Gaddi `	7.	गद्दी
8.	Garra	8.	गर्रा
9.	Gujjar	9.	गूजर
10.	Mon	10.	मोन
11.	Purigpa	11.	पुरिगपा
12.	Sippi	12.	सिप्पी

Madhya Pradesh

1. Agariya
2. Andh
3. Baiga
4. Bhaina
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando
6. Bhattra
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
8. Bhil Mina
9. Bhunjia
10. Biar, Biyar
11. Binjhwar
12. Birhul, Birhor
13. Damor, Damaria
14. Dhanwar
15. Gadaba, Gadba
16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada María, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj, SonjhariJhareka,

मध्यप्रदेश

1. अगरिया
2. आंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिया, भुईहार, भुमिया, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो
6. भत्तरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भीलमीना
9. भुंजिया
10. बियार, बीआर
11. बिझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामरिया
14. धनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ीमारिया, बड़ामारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसनहार्नमारिया, छोटामारिया, दंडामीमारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंडगोवारी, हिलमारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचमारिया, कुचाकीमारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, माघया, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोट्या, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई

Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi	
17. Halba, Halbi	17. हलबा, हलबी
18. Kamar	18. कमार
19. Karku	19. कारकू
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri	20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. *Omitted*	21. *विलोपित कर दिया गया*
22. Khairwar, Kondar	22. खैरवार, कोंदर
23. Kharia	23. खरिया
24. Kondh, Khond, Kandh	24. कोंध, खोंड, कांध
25. Kol	25. कोल
26. Kolam	26. कोलम
27. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya	27. कोरकू, बोपची, मोवसी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बोडियां
28. Korwa, Kodaku	28. कोरवा, कोडाकू
29. Majhi	29. मांझी
30. Majhwar	30. मझवार
31. Mawasi	31. मवासी
32. *Omitted*	32. *विलोपित कर दिया गया*
33. Munda	33. मुंडा
34. Nagesia, Nagasia	34. नगेसिया, नागासिया
35. Oraon, Dhanka, Dhangad	35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. Panika [in (i) Chhatarpur, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Umaria, Sidhi and Tikamgarh districts, and (ii) Sevda and Datia Tehsils of Datia district]	36. पनिका [(i) छतरपुर, पन्ना, रीवां, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में और (ii) दतिया जिले की सेंवढ़ा और दतिया तहसीलों में]
37. Pao	37. पाव
38. Pardhan, Pathari, Saroti	38. परधान, पथारी, सरौती

39. *Omitted*

40. Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [In (i) Chhindwara, Mandla, Dindori and Seoni districts, (ii) Baihar tehsil of Balaghat district, (iii) Betul, Bhainsdehi and Shahpur tahsils of Betul district, (iv) Patan tahsil and Sihora and Majholi blocks of Jabalpur district, (v) Katni (Murwara) and Vijaya Raghogarh tahsils and Bahoriband and Dhemerkheda blocks of Katni district, (vi) Hoshangabad, Babai, Sohagpur, Pipariya and Bankhedi tahsils and Kesla block of Hoshangabad district, (vii) Narsinghpur district, and (viii)Harsud tahsil of Khandwa district]

41. Parja

42. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor

43. Saonta, Saunta

44. Saur

45. Sawar, Sawara

46. Sonr

Maharashtra

1. Andh
2. Baiga
3. Barda
4. Bavacha, Bamcha
5. Bhaina

39. *विलोपित कर दिया गया*

40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चितापारधी, लंगोलीपारथी, फांसपारथी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया [(i) छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी और सिओनी जिलों में, (ii) बालाघाट जिले की बैहर तहसील में (iii) बैतूल जिले की बैतूल, भैंसदेही और शाहपुर तहसीलों में, (iv) जबलपुर जिले की पाटन तहसील और सिहोरा तथा मझोली खंडों में, (v) कटनी जिले की कटनी (मुंडरवारा)और विजयाराघौगढ़ तहसीलों और बहोरीबंद तथा ढीमर खेड़ा खंडों में, (vi) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी तहसीलों तथा केसला खंड में, (vii) नरसिंहपुर जिले में और (viii) खंडवा जिले की हरसुद तहसील में]

41. परजा

42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर

43. साओंता, सोंता

44. सौर

45. सवर, सवरा

46. सोंर

महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामचा
5. भैना

6. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Pando
7. Bhattra
8. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
9. Bhunjia
10. Binjhwar
11. Birhul, Birhor
12. *Omitted*
13. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
14. Dhanwar
15. Dhodia
16. Dubla, Talavia, Halpati
17. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
18. Gond, Rajgond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana,

6. भारिआ, भूमिया, भुईंहार- भूमिया, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगली गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील,भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहूल, बिरहोर
12. *हटा दिया गया*
13. धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी
14. धनवार
15. धोडिया
16. दुबला, तालविवा, हलपति
17. गामित, गामता, गावीत,मावचि, पडवि
18. गोंड, राजगोड, अरख, आरखा, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, बिसीनहान मारिया, छोटा मारिया, दडांमी मारिया, धुरू, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंडगोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मढ़िया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेकाथाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वाडेमारिया

Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria

19. Halba, Halbi
20. Kamar
21. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari, Son Kathodi, Son Katkari
22. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
23. Khairwar
24. Kharia
25. Kokna, Kokni, Kukna
26. Kol
27. Kolam, Mannervarlu
28. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
29. Koli Mahadev, Dongar Koli
30. Koli Malhar
31. Kondh, Khond, Kandh
32. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya
33. Koya, Bhine Koya, Rajkoya
34. Nagesia, Nagasia
35. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
36. Oraon, Dhangad
37. Pardhan, Pathari, Saroti

19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, कातकारी, ढोरकाथोडी, ढोरकातकारी, सोनकाथोडी, सोनकातकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
23. खैरवार
24. खड़िया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलाम, मन्नेरवरलू
28. कोली ढोर , टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कौंध, खौंड, कांध
32. कौरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोधी, बौधया
33. कोया, भिन्नेकोया, राजकोया
34. नगेसिया, नगासिया
35. नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. औरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती

38. Pardhi, Advichincher, Phans Pardhi, Phanse Pardhi, Langoli Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takankar, Takia
39. Parja
40. Patelia
41. Pomla
42. Rathawa
43. Sawar, Sawara
44. Thakur, Thakar, Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar
45. *Omitted*
46. Varli
47. Vitolia, Kotwalia, Barodia

Manipur

1. Aimol
2. Anal
3. Angami
4. Chiru
5. Chothe
6. Gangte
7. Hmar
8. Kabui, Inpui, Rongmei
9. Kacha Naga, Liangmai, Zeme
10. Koirao, Thangal
11. Koireng
12. Kom
13. Lamgang
14. Mao

38. पारधी, अडविचिंचेर, फंसपारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चित्ता पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया
39. परजा
40. पटेलिया
41. पीमला
42. राथवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-ठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकार
45. *हटा दिया गया*
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बरोडिया

मणिपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरु
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. काबुई, इनपुई, रोंगमेई
9. कच्चा नागा, लियांगमई, जेमे
10. कोईराओ, थंगल
11. कोयंरग
12. कोम
13. लैमगैंग
14. माओ

15. Maram
16. Maring
17. Any Mizo (Lushai) Tribes
18. Monsang
19. Moyon
20. Paite
21. Purum
22. Ralte
23. Sema
24. Simte
25. Suhte
26. Tangkhul
27. Thadou
28. Vaiphei
29. Zou
30. Poumai Naga
31. Tarao
32. Kharam
33. Any Kuki tribes.
34. Mate

Meghalaya

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes, including:-

15. मराम्
16. मैरिंग
17. कोईमीजो (लुसाई) जनजातियां
18. मोन्सैग
19. मायोन
20. पाइटे
21. पुरुम
22. राल्टे
23. सेमा
24. सिम्टे
25. सुहटे
26. तेंगखुल
27. थाडो
28. व्हाइफै
29. जाओ
30. पउमेइनागा
31. तराओ
32. खरम
33. कोई कुकी जनजाति
34. मेट

मेघालय

1. चाक्कमा
2. डिमासा ,कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी ,जैन्तिया ,सिन्तेंग ,प्नार ,वार ,भोई ,लिंगाम
7. कोई कुकी जनजातियां जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

i.	Biate, Biete	i.	बियाते,बियेते
ii.	Changsan	ii.	चंगसान
iii.	Chongloi	iii.	चंगलोई
iv.	Doungel	iv.	दौगेल
v.	Gamalhou	v.	गमल्हौ
vi.	Gangte	vi.	गंगते
vii.	Guite	vii.	गुइते
viii.	Hanneng	viii.	हैन्नंग
ix.	Haokip, Haupit	ix.	हौंकिप ,हैपित
x.	Haolai	x.	हौलाई
xi.	Hengna	xi.	हेंगना
xii.	Hongsungh	xii.	हौनसुध
xiii.	Hrangkhwal, Rangkhol	xiii.	हाम्खोवाल,रंग्खोल
xiv.	Jongbe	xiv.	जंग्बे
xv.	Khawchung	xv.	ख्वौचंग
xvi.	Khawathlang, Khothalong	xvi.	ख्वोत्लंग ,खोतालंग
xvii.	Khelma	xvii.	खेल्मा
xviii.	Kholhou	xviii.	खाल्हु
xix.	Kipgen	xix.	किपगेन
xx.	Kuki	xx.	कूकी
xxi.	Lengthang	xxi.	लेंथांग
xxii.	Lhangum	xxii.	ल्हांगम
xxiii.	Lhoujem	xxiii.	ल्हाजम
xxiv.	Lhouvun	xxiv.	ल्होबुन
xxv.	Lupheng	xxv.	लुफेंग
xxvi.	Mangjel	xxvi.	मांजेल
xxvii.	Misao	xxvii.	मिसाऊ
xxviii.	Riang	xxviii.	रियांग
xxix.	Sairhem	xxix.	सैरहैम

xxx.	Selnam	xxx.	सेल्नाम
xxxi.	Singson	xxxi.	सिंग्सन
xxxii.	Sitlhou	xxxii.	सितल्हौ
xxxiii.	Sukte	xxxiii.	सुक्ते
xxxiv.	Thado	xxxiv.	थादो
xxxv.	Thangngeu	xxxv.	थांग्न्यू
xxxvi.	Uibuh	xxxvi.	उइबू
xxxvii.	Vaiphei	xxxvii.	व्हाइफै

8. Lakher — 8. लाखेर
9. Man (Tai Speaking) — 9. मान (ताई बोलने वाली)
10. Any Mizo (Lushai) tribes — 10. कोईमिजो (लुसाई) जनजातियां
11. Mikir — 11. मिकिर
12. Any Naga tribes — 12. कोई नागा जनजातियां
13. Pawi — 13. पावी
14. Synteng — 14. सिंतेंग
15. Boro Kacharis — 15. बोरो कचरिस
16. Koch — 16. कोच
17. Raba, Rava — 17. राबा, रावा

Mizoram / **मिजोरम**

1. Chakma — चाकमा
2. Dimasa (Kachari) — डिमासा (कछारी)
3. Garo — गारो
4. Hajong — हाजंगू
5. Hmar — हमार
6. Khasi and Jaintia (including Khasi, Synteng or Pnar, War, Bhoi or Lyngngam) — खासीऔरजैन्तिया (खासी, सिन्तेंगयाप्नार, वार, भोइयालिंगामसहित)
7. Any Kuki tribes, including: - — कोई कुकी जनजातियां जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

i.	Biate or Biete	i.	बियाते या बियेते
ii.	Changsan	ii.	चांगसान
iii.	Chongloi	iii.	चंगलोई
iv.	Doungel	iv.	दौंगेल
v.	Gamalhou	v.	गमाल्हौ
vi.	Gangte	vi.	गंगतै
vii.	Guite	vii.	गुइते
viii.	Hanneng	viii.	हैन्नेंग
ix.	Haokip or Haupit	ix.	हौकिप या हौपित
x.	Haolai	x.	होलाई
xi.	Hengna	xi.	हेंगना
xii.	Hongsungh	xii.	होंगसुंध
xiii.	Hrangkhwal or Rangkhol	xiii.	होंग्खवाल या रेंग्खोल
xiv.	Jongbe	xiv.	जंग्बे
xv.	Khawchung	xv.	खावचुंग
xvi.	Khawathlang or Khothalong	xvi.	खावथालंग या खोथालंग
xvii.	Khelma	xvii.	खेल्मा
xviii.	Kholhou	xviii.	खोल्हु
xix.	Kipgen	xix.	किप्गेन
xx.	Kuki	xx.	कुकी
xxi.	Lengthang	xxi.	लेंगयांग
xxii.	Lhangum	xxii.	ल्हांगम
xxiii.	Lhoujem	xxiii.	ल्होजम
xxiv.	Lhouvun	xxiv.	ल्होबुन
xxv.	Lupheng	xxv.	लुफेंग
xxvi.	Mangjel	xxvi.	मांजेल
xxvii.	Missao	xxvii.	मिसाऊ
xxviii.	Riang	xxviii.	रियांग
xxix.	Sirphem	xxix.	सैरहेम

xxx. Selnam	xxx. सेल्नाम
xxxi. Singson	xxxi. सिंग्सन
xxxii. Sitlhou	xxxii. सितल्हौ
xxxiii. Sukte	xxxiii. सुक्ते
xxxiv. Thado	xxxiv. थादो
xxxv. Thangngeu	xxxv. थांग्न्यू
xxxvi. Uibuh	xxxvi. उइबु
xxxvii. Vaiphei	xxxvii. वाइफै
8. Lakher	8. लाखेर
9. Man (Tai-Speaking)	9. मान (ताई बोलने वाले)
10. Any Mizo (Lushai) tribes	10 कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. Mikir	11. मिकिर
12. Any Naga tribes.	12. कोई नागा जनजातियां
13. Pawi	13. पावी
14. Synteng.	14. सिंतेंग.
15. Paite	15. पाइते

Nagaland / नागालैंड

1. Naga	1. नागा
2. Kuki	2. कुकी
3. Kachari	3. कछारी
4. Mikir	4. मिकिर
5. Garo	5. गारो

Orissa / ओडिशा

1. Bagata, Bhakta	1. बागडा, भक्त
2. Baiga	2. बैगा
3. Banjara, Banjari	3. बणजारा, वणजारी
4. Bathudi, Bathuri	4. वाथुडी, बथूरी
5. Bhottada, Dhotada, Bhotra, Bhatra, Bhattara, Bhotora, Bhatara	5. भौत्तडा, धोत्तडा, भोतरा, भातरा, भट्टारा, भोटोरा,भतरा

6. Bhuiya, Bhuyan, Pauri Bhuyan, Paudi Bhuyan
7. Bhumia
8. Bhumij, Teli Bhumij, Haladipokhria Bhumij, Haladi Pokharia Bhumija, Desi Bhumij, Desia Bhumij, Tamaria Bhumij, Tamodia Bhumij, Tamudia Bhumij, Tamundia Bhumij, Tamulia Bhumij, Tamadia Bhumij, Tamadia, Tamaria, Tamudia
9. Bhunjia, Chuktia Bhunjia
10. Binjhal, Binjhwar
11. Binjhia, Binjhoa
12. Birhor
13. Bondo Poraja, Bonda Paroja, Banda Paroja, Banda Paraja, Bonda Paraja, Bondo, Bonda, Banda
14. Chenchu
15. Dal
16. Desua Bhumij
17. Dharua, Dhuruba, Dhurva, Durua, Dhurua, Dhurava
18. Didayi, Didai Paroja, Didai
19. Gadaba, Bodo Gadaba, GutobGadaba, Kapu Gadaba, Ollara Gadaba, Parenga Gadaba, Sano Gadaba
20. Gandia
21. Ghara

6. भुइया,भूयां, पाउडिभूयां, पाउडिभूयां
7. भूमिआ
8. भूमिज, तेली भूमिज, हलादीपोखड़िया भूमिज, हलादी पोखड़िया भूमिजा, देसी भूमिज ,देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज, तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया
9. भूजीआ, चुकटिआ भुन्जिया
10. बिंजाल, बिंझवार
11. बिंझिआ, बिंझोआ
12. बीरहोर
13. वोंडो पोरजा, बोंड परजा, बांडा परजा, बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा, बंडा
14. चेन्चू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा, दुरुआ, धुरुआ, धुरवा
18. दिदयी, दीदाई परजा, दीदाई
19. गादबा, बोदो गादबा, गुतोब गादबा, कापु गादबा, ओलारा गादबा, पेरेंगा गादबा, सेनो गादबा
20. गांडिया
21. धारा

22.	Gond, Gondo, Rajgond, Maria Gond, Dhur Gond	22.	गोंड, गोंडो,राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23.	Ho	23.	हो
24.	Holva	24.	होलवा
25.	Jatapu	25.	जातपु
26.	Juang	26.	जुआंग
27.	Kandha Gauda	27.	कंध गोड
28.	Kawar, Kanwar, Kaur, Kunwar, Kaonr, Kuanr, Konwar, Kuanar, Kaanr, Koanr, Kuanwar	28.	कावार, कनवार, कउर, कुनवार, कुंवर, कुंवर, कंवर, कुंवर, कअंर, कअंर, कुंवर
29.	Kharia, Kharian, Berga Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Erenga Kharia, Munda Kharia,Oraon Kharia, Khadia, Pahari Kharia	29.	खडीआ, खडीयां , बेरगा खड़िया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, एरेंगा खड़िया, मुंडा खड़िया, उरांव खड़िया, खडिया, पहाड़ी खड़िया
30.	Kharwar	30.	खरवार
31.	Khond, Kond, Kandha, Kandha Kumbhar, NanguliKandha, Sitha Kandha, Kondh, Kui, Kui (Kandha), Buda Kondh, Bura Kandha, Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, PengoKandha, Raja Kondh, Raj Khond	31.	खोंड, कोंड, कन्ध, कंध कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, कुई (कंध), बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32.	Kisan, Nagesar, Nagesia	32.	किसान, नागेसर, नागेसिया
33.	Kol	33.	कोल
34.	Kolah Loharas, Kol Loharas	34.	कोल्हालोहार, कोललोहार
35.	Kolha	35.	कोल्हा
36.	Koli, Malhar	36.	कोली,मल्हार
37.	Kondadora	37.	कोन्डादोरा
38.	Kora, Khaira, Khayara	38.	कोरा, खेरा, खयारा

39. Korua	39. कोरूआ
40. Kotia	40. कुटीआ
41. Koya, Gumba Koya, Koitur Koya, Kamar Koya, Musara Koya	41. कोया, गुंबा कोया, कोयटुर कोया, कमर कोया, मुसारा कोया
42. Kulis	42. कुली
43. Lodha, Nodh, Nodha, Lodh	43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. Madia	44. मादिआ
45. Mahali	45. माहालि
46. Mankidi	46. मांकिडी
47. Mankirdia, Mankria, Mankidi, Mankidia	47. मांकिरडिआ, मांकरिया, मानकिडी, मांकिडिया
48. Matya, Matia	48. माटिआ, मटिया
49. Mirdhas, Kuda, Koda	49. मिर्धा, कुडा, कोडा
50. Munda, Munda Lohara, Munda Mahalis, Nagabanshi Munda, Oriya Munda	50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली, नागबंशीमुंडा, उड़ियामुंडा
51. Mundari	51. मुंडारी
52. Omanatya, Omanatyo, Amanatya	52. औमनात्या, ओमानात्यो, अमानात्या
53. Oraon, Dhangar, Uran, Uram, Oram, Uraon, Dhangara, Oraon Mudi	53. ओरांव, धांगर, उरांव, उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी
54. Parenga	54. पेरेंगा
55. Paroja, Parja, Bodo Paroja, Barong Jhodia Paroja, Chhelia Paroja, Jhodia Paroja, Konda Paroja, Paraja, Ponga Paroja, SodiaParoja, Sano Paroja, Solia Paroja, Bareng Jhodia Paroja, Penga Paroja, Pengu Paroja, Porja, Selia Paroja	55. परोजा, परजा, बोडो परोजा, बरोंग झोडिया परोजा, छेलिया परोजा, झोडिया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोडिया परोजा, सेनो परोजा, सोलिया परोजा, बारेंग झोडिया परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा

56. Pentia
57. Rajuar, Rajual, Rajuad
58. Santal
59. Saora, Savar, Saura, Sahara, Arsi Saora, Based Saora, Bhima Saora, Bhimma Saora, Chumura Saora, Jara Savar, Jadu Saora, Jati Saora, JuariSaora, Kampu Saora, Kampa Soura, Kapo Saora, Kindal Saora, Kumbi Kancher Saora, Kalapithia Saora, Kirat Saora, Lanjia Saora, Lamba Lanjia Saora, Luara Saora, Luar Saora, Laria Savar, Malia Saora, Malla Saora, Uriya Saora, Raika Saora, Sudda Saora, Sarda Saora, Tankala Saora, Patro Saora, Vesu Saora, Saara
60. Shabar, Lodha
61. Sounti
62. Tharua, Tharua Bindhani
63. Muka Dora, Mooka Dora, Nuka Dora, Nooka Dora (in undivided Koraput district which includes Koraput, Nowrangapur, Rayagada and Malkangiri districts)
64. Konda Reddy, Konda Reddi

Rajasthan

1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave

56. पेंटिया
57. राजुआर, राजुआल, राजुआड
58. सांताल
59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा, आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जारा सावर, जादू साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा सौरा, कापो साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कालापिठिआ साओरा, किराट साओरा, लंजिया साओरा, लाम्बा लंजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लरिया सावर, मालिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पात्रो साओरा, बेसु साओरा, सअर
60. शवर, लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ, थारूआ बिंधानी
63. मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अंतर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मल्कानगिरी जिलों हैं)
64. कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा, वसावे

2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
7. Kokna, Kokni, Kukna
8. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
9. Mina
10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. Patelia
12. Seharia, Sehria, Sahariya.

2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी,तेतारिया,वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढौर कातकरी, सोन काथौडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोलीढोर, टोकरेकोली, कोलचा, कोलधा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया

SIKKIM

1. Bhutia (including Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa, Yolmo)
2. Lepcha
3. Limboo
4. Tamang

सिक्किम

1. भूटिया (चुम्बिपा, दोपथापा, डुकपा, कगाटे, शेर्पा,टिबेटन, ट्रोमोपा, योल्मोसहित)
2. लेपचा
3. लिम्बू
4. तमंग

Tamil Nadu

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Eravallan
4. Irular
5. Kadar

तमिलनाडु

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरवल्लन
4. इरूलर
5. काडर

6.	Kammara (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)	6.	कम्मारा(कन्याकुमारी जिला और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
7.	Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari district and Shenkottah and Ambasamudram taluks of Tirunelveli district)	7.	कनिकरण,कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में)
8.	Kaniyan, Kanyan	8.	कनियन, कन्यन
9.	Kattunayakan	9.	काट्टुनायक्कन
10.	Kochu Velan	10.	कोचुवेलन
11.	Konda Kapus	11.	कोन्डा कपूस
12.	Kondareddis	12.	कोन्डारेड्डि
13.	Koraga	13.	कोरागा
14.	Kota (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)	14.	कोटा(कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
15.	Kudiya, Melakudi	15.	कुडिया, मेला कुडी
16.	Kurichchan	16.	कुरिच्छन
17.	Kurumbas (in the Nilgiris district)	17.	कुरुमान्स(नीलगिरि जिले में)
18.	Kurumans	18.	कुरुमान्स
19.	Maha Malasar	19.	महा मल्लेसर
20.	Malai Arayan	20.	मलै अरैयन
21.	Malai Pandaram	21.	मालै पंडाराम
22.	Malai Vedan	22.	मलै बैडन
23.	Malakkuravan	23.	मलक्कुरवन
24.	Malasar	24.	मल्लेसर
25.	Malayali (in Dharmapuri, North Arcot, Pudukottai, Salem, South Arcot and Tiruchirapalli districts)	25.	मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरूचिरापल्ली जिलों में)

26. Malayekandi | 26. मलयेकंडी
27. Mannan | 27. मान्नन
28. Mudugar, Muduvan | 28. मुडुगर, मुडूवन
29. Muthuvan | 29. मदुवन
30. Palleyan | 30. पाल्लयन
31. Palliyan | 31. पलियन
32. Palliyar | 32. पल्लयर
33. Paniyan | 33. पनियन
34. Sholaga | 34. शोलागा
35. Toda (excluding Kanyakumari district and Shenkottah Taluk of Tirunelveli district) | 35. टोडा(कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
36. Uraly | 36. उरली
37. Narikoravan, Kurivikkaran | 37. नरिकुरवन, कुरूविक्कारन

Telangana | **तेलंगना**

1. Andh, Sadhu Andh | 1. आंध्र , साधू आंध्र
2. Bagata | 2. बगटा
3. Bhil | 3. भील
4. Chenchu | 4. चेंचु
5. Gadabas, Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba | 5. गडवा, बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा
6. Gond, Naikpod, Rajgond, Koitur | 6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. Goudu (in the Agency tracts) | 7. गोडू (अभिकरण भूखंडो में)
8. Hill Reddis | 8. हिल रेड्डि
9. Jatapus | 9. जातपू
10. Kammara | 10. कम्मरा
11. Kattunayakan | 11. कडुनायकन
12. Kolam, Kolawar | 12. कोलम, कोलावार

13. Konda Dhoras, Kubi	13. कोंडधोरा, कुबी
14. Konda Kapus	14. कोडकापु
15. Kondareddis	15. कोडारेड्डि
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs, Kuvinga	16. कोंध कोडि, कोध, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dulia, Holya, Sanrona, Sidhopaiko	17. कोटिया, वेंथो ओरिया, वारत्तिका, डुलिया, होल्वा, सनरोण , सिधोपैको
18. Koya, Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, PattidiKoya, Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya	18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राशकोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भीण कोया, राजकोया
19. Kulia	19. कुलिया
20. Manna Dhora	20. मन्ना दोरा
21. Mukha Dhora, NookaDhora	21. मुक्खा दोरा, नूका दोरा
22. Nayaks (in the Agency tracts)	22. नायक (अभिकरण भूखंडो में)
23. Pardhan	23. परधाण
24. Porja, Parangiperja	24. पुर्जा, परांगीपेरजी
25. Reddi Dhoras	25. रेड्डी दोरा
26. Rona, Rena	26. रोणा, रेणा
27. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, KhuttoSavaras	27. सवार, कापूसवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
28. Sugalis, Lambadis, Banjara	28. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
29. Thoti (in Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts)	29. तोटी (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिलों में)
30. Yenadis, Chella Yenadi, KappalaYenadi, ManchiYenadi, Reddi Yenadi	30. येनादी, चेला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी

31. Yerukulas, Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula
32. Nakkala, Kurvikaran

31. येरूकुल्लास, कोरचा, डब्बा, येरूकुल्ला, कुंचापुरी, येरुकुल्ला, उपु येरुकुल्ला
32. नक्काला, कुरविकरन

Tripura

1. Bhil
2. Bhutia
3. Chaimal
4. Chakma
5. Garoo
6. Halam, Bengshel, Dub, Kaipeng, Kalai, Karbong, Lengui, Mussum, Rupini, Sukuchep, Thangchep
7. Jamatia
8. Khasia
9. Kuki, including the following sub-tribes:-

(i) Balte
(ii) Belalhut
(iii) Chhalya
(iiia) Darlong
(iv) Fun
(v) Hajango
(vi) Jangtei
(vii) Khareng
(viii) Khephong
(ix) Kuntei
(x) Laifang

त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चैमल
4. चकमा
5. गारो
6. हलाम, बेंगशेल, डुब, केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रुपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खसिया
9. कुकी जिनके अंतर्गत निम्नलिखित उपजनजातियां भी हैं-

(i) बाल्टे
(ii) बेललहुत
(iii) छाल्य
(iiiक) डार्लोंग
(iv) फुन
(v) हजांगो
(vi) जंगते
(vii) खरेंग
(viii) केफंग
(ix) कुन्तेई
(x) लाइफंग

(xi) Lentei	(xi) लेनतेई
(xii) Mizel	(xii) मिजेल
(xiii) Namte	(xiii) नमते
(xiv) Paitu, Paite	(xiv) पाइतु, पाइते
(xv) Rangchan	(xv) रंगचान
(xvi) Rangkhole	(xvi) रंखल
(xvii) Thangluya	(xvii) थन्लुया
10. Lepcha	10. लेपचा
11. Lushai	11. लुसाई
12. Mag	12. मग
13. Munda, Kaur	13. मुन्डा, कौर
14. Noatia, Murashing	14. नोआतिया, मुरासिंग
15. Orang	15. ओरांग
16. Riang	16. रियांग
17. Santal	17. सन्थाल
18. Tripura, Tripuri, Tippera	18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा
19. Uchai	19. उचई

Uttrakhand	**उत्तराखण्ड**
1. Bhotia	1. भोटिया
2. Buksa	2. बुक्सा
3. Jannsari	3. जन्नासरी
4. Raji	4. राजी
5. Tharu	5. थारू

Uttar Pradesh	**उत्तर प्रदेश**
1. Bhotia	1. भोटिया
2. Buksa	2. बुक्सा
3. Jaunsari	3. जौनसारी

4.	Raji	4.	राजी
5.	Tharu	5.	थारू
6.	Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi)	6.	गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ,आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर,सोनभद्र, संतकबीरनगर, कुशीनगर,चंदौली और भदोही जिलों में)
7.	Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)	7.	खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8.	Saharya (in the district of Lalitpur)	8.	सहरया (ललितपुर जिले में)
9.	Parahiya (in the district of Sonbhadra)	9.	पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10.	Baiga (in the district of Sonbhadra)	10.	बैगा (सोनभद्र जिले में)
11.	Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)	11.	पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में)
12.	Agariya (in the district of Sonbhadra)	12.	अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13.	Patari (in the district of Sonbhadra)	13.	पटारी, पथरिया (केवल सोनभद्र जिले में)
14.	Chero (in the districts of Sonbhadra and Varanasi)	14.	चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15.	Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra)	15.	भुइया, भुनिया (केवल सोनभद्र जिले में)

West Bengal

1. Asur
2. Baiga
3. Bedia, Bediya
4. Bhumij
5. Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo
6. Birhor
7. Birjia
8. Chakma
9. Chero
10. Chik Baraik
11. Garo
12. Gond
13. Gorait
14. Hajang
15. Ho
16. Karmali
17. Kharwar
18. Khond
19. Kisan
20. Kora
21. Korwa
22. Lepcha
23. Lodha, Kheria, Kharia
24. Lohara, Lohra
25. Magh
26. Mahali
27. Mahli
28. Mal Pahariya
29. Mech
30. Mru

पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया ,बिदिया
4. भूमिज
5. भूटिया ,शेरपा ,टोटो ,दुकपा ,कगाते ,तिब्बती,योलमो
6. बीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा
9. चेरी
10. चिकबारैक
11. गारो
12. गोंड
13. गोड़त
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लीधा,खेड़िया, खाड़िया
24. लौहारा, लौहरा
25. मध
26. माहली
27. महली
28. माल पहाड़िया
29. मेच
30. म्रू

31. Munda
32. Nagesia
33. Oraon
34. Parhaiya
35. Rabha
36. Santal
37. Sauria Paharia
38. Savar
39. Limbu (Subba)
40. Tamang

31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाढ़ैया
35. राभा
36. सन्थाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर
39. लिम्बु (सुब्बा)
40. तमंग

Andaman and Nicobar Islands

1. Andamanese, Chariar, Chari, Kora, Tabo, Bo, Yere, Kede, Bea, Balawa, Bojigiyab, Juwai, Kol
2. Jarawas
3. Nicobarese
4. Onges
5. Sentinelese
6. Shom Pens.

अंडमान और निकोबर द्वीप

1. अंडमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो,येरे, कोडे, बीय, बालाबा, बोजीगियाब, जवाई, कोल
2. जरावा
3. निकोबर निवासी
4. ओंगे
5. सेंटीनेली
6. शोम पेन

Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

दादर और नगर हवेली और दमन व दीव

PART I - Dadra and Nagar Haveli

1. Dhodia
2. Dubla including Halpati
3. Kathodi
4. Kokna

भाग 1 - दादर और नगर हवेली

1. धोडिया
2. दुबला हलपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना

5. Koli Dhor including Kolgha
6. Naikda or Nayaka
7. Varli

PART II - Daman and Diu

1. Dhodia
2. Dubla (Halpati)
3. Naikda (Talavia)
4. Siddi (Nayaka)
5. Varli

Lakshadweep

Throughout the Union territory: -

Inhabitants of the Laccadive, Minicoy and Aminidivi Islands who, and both of whose parents, were born in those islands. Provided that the children who are born to inhabitants of Lakshadweep in any other place in the mainland of India shall be deemed to be inhabitants born in the islands if such children settle permanently in the islands.

Explanation: The term "settle permanently" shall have the same meaning as defined under clause 3(1)(d) of the Lakshadweep Panchayats Regulation, 1994.

Puducherry

Irular (including Villi and Vettaikaran)

5. कोलघा सहित कोली धोर
6. नायकड़ा या नायक
7. वारली

भाग2 - दमन व दीव

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नायकड़ा (तलाविया)
4. सिद्दी(नायका)
5. वारली

लक्षद्वीप

सम्पूर्णसंघराज्यक्षेत्रमे:-

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। परन्तु ऐसे बालक जो लक्षद्वीप के निवासियों से भारत के मुख्य भू - भाग में किसी अन्य स्थान पर जन्म लेते हैं, द्वीपों में जन्में निवासी समझे जाएंगे यदि ऐसे बालक द्वीपों में स्थायी रूप से बस जाते हैं।

स्पष्टीकरण:-"स्थायी रूप से बस जाते हैं" पद का वही अर्थ होगा जो लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3 (1) (घ)में परिभाषित हैं।

पुडुचेरी

इरूलर (विल्ली और वेट्टैकारन् सहित)

Note: In case of any discrepancies in the spelling of the community in above list, the concerned original Notification will be final & authenticated.

अनुलग्नक- 5 ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश* (तेलंगाना सहित)

1. महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गांव निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका

(1) बालमोर	(27) अप्पापुर	(53) जगमरेड्डी पल्ली
(2) कोदनांगोल	(28) मालापुर	(54) पेदरा
(3) बनाल	(29) जलाल पेंटा	(55) वेंकेश्वरम
(4) बिलाकास	(30) पीमान पेंटा	(56) चितलाम कुंटा
(5) धारावरम	(31) रायलेट	(57) लाछ्मापुर
(6) अप्पाइपाली	(32) वेटोलापल्ली	(58) उदमेला
(7) रासुल छेरवु	(33) पातुर बयाल	(59) मारेड़
(8) पुलेछेलमा	(34) भावी पेंटा	(60) इप्पालापल्ली
(9) मारलापया	(35) नारदी पेंटा	(61) मड्डीमाडाग
(10) बुर्ज गुंडाल	(36) तपासी पेंटा	(62) अक्काराम
(11) अगारला पेन्टा	(37) चन्द्रगुप्ता	(63) अइनोल
(12) पुल्लाइपल्ली	(38) युल्लुकारतरेवु	(64) सिद्दापुर
(13) दुक्कान पेन्टा	(39) तिम्मारेड्डीपल्ली	(65) बमानपल्ली
(14) बिकिट पेन्टा	(40) सारलापल्ली	(66) गनपुरा
(15) कारकार पेन्टा	(41) ततिगुण्डाल	(67) मानेवारपल्ली
(16) बोरमाछेरन्वू	(42) इल्पामायेहेना	
(17) येमेलापाया	(43) कोमान पेंटा	
(18) इरलापेंटा	(44) कोल्लाम पेंटा	
(19) मुदारदीपेंटा	(45) मानानूर	
(20) तेरकालदारी	(46) माछाराम	
(21) वकारमामिदी पेंटा	(47) मलहामाम्डी	
(22) मेडीमानकल	(48) वेकेटेश्वरला बावी	
(23) पंडीबोर	(49) अमराबाद	
(24) संगरी गुण्डल	(50) तिरमालपुर	
(25) लिंगबोर	(51) उपनुटोला	
(26) रामपुर	(52) मघवनपल्ली	

2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका

(1) मलाइ बोरगोवा,	(25) काफर देनी,	(49) बोरगांव,
(2) अनकानपुर,	(26) रतनापुर,	(50) सयेद पुर,

(3) जामुलाधारी,	(27) कोसाइ,	(51) खारा,
(4) लोकारी,	(28) उमारी,	(52) लोहारा,
(5) वेंकेट,	(29) मदनपुर,	(53) मारीगांव,
(6) तान्तोली,	(30) अम्बूगांव,	(54) छिछदारी,
(7) सीतागोंटी,	(31) रूयेअडी,	(55) खानापुर,
(8) बुरनूर,	(32) सकानपुर,	(56) खण्डाल,
(9) नवगांव,	(33) दादगांव,	(57) तीपा,
(10) पीपलदारी,	(34) कसलापुर,	(58) हाती घोता,
(11) पारदी बुजुर्ग,	(35) डोरली,	(59) करोदखुर्द,
(12) यापाल गुदा,	(36) साहाजी,	(60) करोनी बुजुर्ग,
(13) छिनछूघाट,	(37) सांगवी,	(61) सिंगापुर,
(14) वानकोली,	(38) खोगदूर,	(62) वुरानपुर,
(15) कानपा,	(39) कोबाई,	(63) नागराला,
(16) अवसोदा बुरकी,	(40) पोनाला,	(64) बोदाद,
(17) मलकापुर,	(41) छापराला,	(65) छांदपेल्ली,
(18) जारी,	(42) मंगरोल,	(66) पीतगेन,
(19) पालसी बुजुर्ग,	(43) कोपा अरगूने,	(67) येकोरी,
(20) आरिल खुर्द,	(44) सोअनखास,	(68) सादारपुर,
(21) नन्दगांव,	(45) खिडकी,	(69) वारूर,
(22) वाघापुर,	(46) खासल खुर्द,	(70) रोहार,
(23) पालसीखुर्द,	(47) खासल बुजुर्ग,	(71) तकली,
(24) लिंगी,	(48) जामनी,	(72) रामखाम

3. आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी,	(25) केरल,	(49) पटोड़ा,
(2) बोदरी,	(26) कोठारी,	(50) जवारला,
(3) छिकली,	(27) गोकुड़ा,	(51) पीपलगांव,
(4) कामताला,	(28) गोगरवुडी,	(52) कानकी सिंगोरा,
(5) घोती,	(29) मलकापुर,	(53) डोगरगांव,
(6) मांडवा,	(30) धोनोरा,	(54) पीपल सेंधा,
(7) मेरेगांव,	(31) रामपुर,	(55) जुरूर,
(8) मालबोर गांव,	(32) पातरी,	(56) मिनकी,
(9) पटोडा,	(33) परोधी,	(57) तुलसी,
(10) दहीगांव,	(34) बाओथ,	(58) माचौरड़ेर पारड़ी,
(11) दोमोन घारी,	(35) दरसांगी,	(59) मुरली,
(12) दरसांगी,	(36) नोरगांव,	(60) टाकरी,
(13) डिघरी,	(37) उनरसी,	(61) पारसा,

(14) सिंदगी,	(38) गोदी,	(62) वारसा,
(15) कनकवाड़ी,	(39) साउरखेर,	(63) उमरा,
(16) कोपरा,	(40) नायकवाड़ी,	(64) अष्ठता,
(17) मलाकवाडी,	(41) सरकानी,	(65) हिंगनी,
(18) निसपुर,	(42) वाझेरा,	(66) तिमारपुर,
(19) एन्डा,	(43) मारदाप,	(67) बाजरा,
(20) पीपलगांव,	(44) अंजेरखेर,	(68) बानोला,
(21) बलजा,	(45) गोण्डवारसा,	(69) पाटसोन्डा,
(22) वारोली,	(46) पलाइगुडा,	(70) धनोरा,
(23) अन्जी,	(47) करालगांव,	(71) साकुर
(24) भीमपुर सिरमेती,	(48) पाल्सी,	(72) डिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गांव निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1) हतनूर,	(17) कोरसेकाल,	(33) छिनछोली,
(2) बाकरी,	(18) पतनापुर,	(34) सिरछेलमा,
(3) पारधी,	(19) तेजापुर,	(35) मनकापुर,
(4) करतान्डा,	(20) गुरूज,	(36) नारसापुर,
(5) सेरलापाल्लि,	(21) खाहदीगुडी,	(37) धर्मपुर,
(6) नेरादी कोंन्डा,	(22) राजुरवाड़ी,	(38) हरकापुर,
(7) डालीगाओ,	(23) इसपुर,	(39) धामपुर,
(8) कुनताला,	(24) घानपुर,	(40) निगनी,
(9) वेंकटपुर,	(25) जतेरला,	(41) अजारवजार,
(10) हसनपुर,	(26) खान्तेगांव,	(42) चिन्तलबोरी,
(11) सुरदापुर,	(27) साउरी,	(43) चिंताकारवा,
(12) पोलमामदा,	(28) इछोरा,	(44) रामपुर,
(13) बाल्हनपुर,	(29) मुतनुर,	(45) गंगापुर
(14) धर्मपुरी,	(30) गुडी हाटनूर,	(46) गयात्पल्ली
(15) गाकोड़ां,	(31) तालमेडी,	
(16) भोताई,	(32) गेरजाम,	

5. आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के सभी गांव।

6. आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के 86 गांव निम्नानुसार है:

असैफाबाद तालुका

(1) राजमपेट,	(31) केरीनेरी,	(62) कन्दन मोओआर,
(2) गुंजाला,	(32) मुरकीनोनकी,	(63) जिओनेना,
(3) इंघानी,	(33) देवापुर,	(64) कुटेदा,

(4) समेला, (5) तेजपुर, (6) कन्नारगांव, (7) कन्टागुडा, (8) शांकेपल्ली, (9) जामुलधारी, (10) गुडी, (11) छोरपल्ली, (12) सालेगुडा, (13) बादीगुडा, (14) सवाती, (15) ढाबा, (16) छोपनगुडा, (17) नीमगांव, (18) खिरदी, (19) मेटापिपरी, (20) साकरा, (21) सांगी, (22) देवुरपल्ली, (23) खोटरा-रिंगनघाट, (24) निशानी, (25) कोटा परानडोली, (26) मेसापुर, (27) गोइगांव, (28) धनोरा, (29) पारधा, (30) सुरदापुर,	(34) छिन्ताकारा, (35) इहेरी, (36) आरा, (37) दासनपुर, (38) कापरी, (39) बेलगांव, (40) सिरसगांव, (41) मोआर, (42) बादाम, (43) धामिरीगुडा, (44) दाल्लनपुर, (45) छालवारडी, (46) इहोरघाट, (47) वाली झारी, (48) साकमगुंडी, (49) आरा, (50) उप्पाल नवगांव, (51) अंकसोरपुर, (52) चिराकुन्ता, (53) इल्लिपिट्टा डोरली, (54) मन्डरन्मेरा, (55) दन्तान्पल्ली, (56) देवदुर्ग, (57) तुनपाली, (58) धांगलेश्वर, (59) पादिबान्दा, (60) तामरिन, (61) मलगुण्डी,	(65) तिलानी, (66) कानेपल्ली, (67) बोरवांउम तेलुन्डी, (68) मौगीलोड़ीगुड़ा, (69) मोइड़ा-गुड़ी पेट, (70) चीन्नेदारी, (71) कोइटेलुण्ड़ी, (72) मदुरा, (73) देवैगुड़ा, (74) आरे गुडा, (75) गरडेपल्ली, (76) तकेपाली, (77) चोउतेपाली, (78) राने कन्नेपल्ली, (79) सुंगापुरा, (80) राला सामकेपल्ली, (81) छोपरी, (82) दोदा अर्जुनी, (83) सेरवाई, (84) रापल्ली, (85) टेकमाडवा (86) मीता अर्जुनी

7. आदिलाबाद जिले लक्षेतिपेत तालुका के 18 गांव निम्नानुसार हैं:

लक्षेतिपेट तालुका

(1) गुदाम, (2) कासीपेत, (3) दांडे पल्ली, (4) छेलमपेटा, (5) राजमपेट,	(9) कौवाल, (10) तारापेत, (11) देवपुर, (12) गाथापल्ली, (13) रोतपल्ली,	(17) चिंतागुडा (18) मुत्तेमपल्ली

(6) मुत्तीमपेट, (7) वेंकटपुर, (8) राली,	(14) माझडामारी, (15) धर्मारोपेट, (16) वेंकटपुर,	

8. आदिलाबाद जिले के राजुरा तालुका के 58 गांव।

राजुरा तालुका

(1) बेंडवी, (2) छिनछोली, (3) गोइगांव, (4) हीरापुर, (5) साकरी, (6) बालापुर, (7) मनोली, (8) अन्तारगांव, (9) विरूर, (10) डोगरगांव, (11) टिमबेरवाई, (12) सेरसी, (13) बडोरा, (14) व्मरजीरी, (15) लाकारकोट, (16) डरगांव, (17) किरदी, (18) सोंदो, (19) देवरा, (20) खोरुना, (21) कानारगांव, (22) छेनाई, (23) कैरगांव, (24) सामलहीरा,	(25) धनोली, (26) मारनगांडी, (27) येल्लापुर, (28) काटलबोरी, (29) इसपुर, (30) देवती, (31) पाण्डेरवानी, (32) वानसारी, (33) पेरदा, (34) वारगांव, (35) नोकारी, (36) मीरापुर, (37) पारधी, (38) कुतोडा, (39) परसेवारा, (40) मंगलरा, (41) कारकी, (42) नोकारी, (43) मनोली, (44) सोनपुर, (45) इनापुर, (46) मानगी, (47) उपारवाई, (48) तुत्ता,	(49) लकमापुर, (50) किरदी, (51) इनजापुर, (52) जमनी, (53) हरगांव, (54) छिकली, (55) पाटन, (56) कोसुंडी, (57) कोतारा (58) सोनोरली

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव।

सिरपुर तालुका

(1) रालपेट, (2) किस्तामपेट, (3) तकलपाल्ली, (4) छाकलपल्ली, (5) अनाराम,	(13) बालासागा, (14) पारधी, (15) तुमरीहाती, (16) छिन्तालमानोपल्ली, (17) छिन्ताम,	(25) मोगुरदागर, (26) विरदान्डी (27) छिलपुरदुबोर

(6) भेटपल्ली, (7) कोरसनी इसगांव, (8) छिन्तागुडा, (9) अंकोरा, (10) उसू रामपल्ली, (11) अरपल्ली, (12) बोपालपट्टनम,	(18) गुल्लातालोदी, (19) दामदा, (20) ढोरपल्ली, (21) कनकी गारलापेट, (22) गुदलाबोरी, (23) गुरूमपेट, (24) लोमवेली,	

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 85 गांव।

मुलुग तालुका

(1) कन्नइगुडा, (2) अंकनगुड्डा, (3) राघवापट्टनम, (4) मेडारमोला, (5) कोएटला, (6) पारसा नागाराम, (7) मुथापुर, (8) मोटलागुड्डा, (9) वेंगलपुर, (10) येलपाक, (11) कानेबोएनपल्लि, (12) मेदाराम, (13) कोंडरेड, (14) छिन्तागुडा, (15) कोंडापारथी, (16) येलसेथिपाल्लि, (17) अल्लामरिघुनपुर, (18) रामपुर, (19) माल्कपल्लि, (20) छेताल, (21) भूपतिपुर, (22) गंगाराम, (23) कन्नइगुडा, (24) राजन्नापेट,	(34) कामसेलिगुण्डम, (35) आष्ठानागुडा, (36) येल्लापुर, (37) अल्लागुड़ा, (38) नरसापुर, (39) पुस्छापुर, (40) भातुपल्लि, (41) लावनाल, (42) वाड्डगुडा, (43) कोथूर, (44) पेगदापाल्लि, (45) सारवापुर, (46) भुस्सापुर, (47) चेलवाई, (48) रंगपुर, (49) गोविन्दराओपेट, (50) बालपाली, (51) धुमपालागुडा, (52) केलापाली, (53) लखनवरम, (54) परसा, (55) गोनेपाली, (56) पडगापुर, (57) नरलापुर,	(68) बन्दाम, (69) सेलपाक, (70) कन्तलपल्ली, (71) सरवाई, (72) गंगागुडा, (73) तुपालकालगुदा, (74) अकुलवारी, (75) घानपुर, (76) शाहपल्ली, (77) गागपल्ली, (78) छिन्ना-विओपल्ली, (79) वेंकटापुर, (80) नरसापुर, (81) अनवाराम, (82) लिंगाल, (83) बालेपापल्ली, (84) बंडल (85) थूनमापुर

(25) भूताराम,	(58) कलवापाली,	
(26) अक्केला,	(59) उरातम,	
(27) सिरवारपुर,	(60) कोंडिया,	
(28) गंगाराम,	(61) मलयत,	
(29) भूपतिपुर,	(62) अचलपुर,	
(30) पुम्बापुर,	(63) डोल्डा,	
(31) रामपुर,	(64) कमाराम,	
(32) अंकामपाली,	(65) तादवी,	
(33) कामाराम,	(66) बुदीगुडा,	
	(67) बन्न्जी,	

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव।

नरसामपेत तालुका

(1) वेबेल्ली,	(30) गोविन्दपुरम,	(55) कांगागिड्डा,
(2) पोलारा,	(31) माकदापल्ली,	(56) मडागुड्डेम,
(3) बाकाचिन्ताफाद,	(32) पागुलदापल्ली,	(57) दालुरपेट,
(4) गांजाद,	(33) मुराइगुडेम,	(58) कोठागुडेम,
(5) त्रिमागुल्डा,	(34) येलछागुडेम,	(59) कोटापल्ली,
(6) गोपालपुर,	(35) तुम्मापुरम,	(60) दुर्गाराम,
(7) खिस्तापुर,	(36) जगांमवारतीगुडेम,	(61) दूबागुडेम,
(8) तातीनारी वेनपल्ली,	(37) रंगामुडेम,	(62) रून्दावाराम,
(9) पत्तल भूपति,	(38) पेड्डापल्ली,	(63) नरसूगुडाम,
(10) चन्देलपुर,	(39) येर्रावरम,	(64) कोमातलागुडेम,
(11) बत्तालपल्ली,	(40) कुन्दापल्ली,	(65) काटेरवम,
(12) अदवारमपेट,	(41) नीलमपल्ली,	(66) सेमर राजपेट,
(13) सात्यानगर,	(42) दारावारिनापल्ली,	(67) मारेपल्ली,
(14) दुत्ला,	(43) कारनेगुंड,	(68) गोआरूर,
(15) मोथवाडा,	(44) महादेवागुडेम,	(69) राधियापुर,
(16) मंगालावारपेत,	(45) मारिगुडेम,	(70) गजलगुडेम,
(17) कारलाई,	(46) जंगनपल्ली,	(71) राजवेपल्ली
(18) अरकालकुंत्ता,	(47) बवारगुडा,	(72) वोल्लिपल्ली
(19) कोदसापेत,	(48) ओआरवाक,	
(20) गुडेरपल्ली,	(49) गंगारामम,	
(21) मसामी,	(50) मुछेरला,	
(22) बत्तवारतीगुदेम,	(51) अमरोन्छा,	
(23) ममीदीगुदम,	(52) कामाराम,	

(24) पंगोन्डा, (25) रोतुराई, (26) सतरेद्दीपल्ली, (27) कोनापूर, (28) कोंदापुरम, (29) पोगुलापल्ली,	(53) छिन्टागुंडम, (54) निलावाच्छा,	

12. वारांगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिगारेनी और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)

13. (i) वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव (पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान।

14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र [1][एजेन्सी लक्ष्मीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनकासिंगि, कुमारापुरम, कृष्णदेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम, गोलूगोण्डापेटा, गुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरुपालि, पेदाजाग्गामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर]2 [विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजुपेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुड़ी अग्रहारम]

15. पूर्वी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र [2][रामचन्द्रपुरम गांव में शामिल क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित]

16. पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं.30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.सं.50).

[1]मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

[2]आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात**

1. सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाध वालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका।
2. भरूच जिले के देदियापाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद और झगाडिया तालुका।
3. डांग्स जिला तथा तालुका।
4. वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका।

6. बडौदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल।
7. साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (संविधान आदेश संख्या 9) दिनांक 26.01.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (संविधान आदेश संख्या 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले में पांगी तहसील और भरमोर उप-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या102) दिनांक 21.11.1975 द्वारा निर्दिष्ट

IV. महाराष्ट्र#

1. **थाणे जिले में निम्निलिखित:**

(क) धाहानु, तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शाहपुर तहसील

(ख) (i) **पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:**

पालघर तहसील

(1) तारापुर	(51) गिरनोली,	(101) गुण्डावे,
(2) कुदन	(52) बोरान्डे,	(102) सीतावली,
(3) दहसीर टर्फ तारापुर	(53) देवखोपे,	(103) वेहालोली,
(4) घिवाली	(54) सागवे,	(104) सवारे,
(5) वावे	(55) कोसबाद	(105) वराई,
(6) अक्कारपत्ती	(56) कोकानेर,	(106) जानसाई
(7) कुरगांव	(57) नागणारी	(107) खाइरे,
(8) पारनाली	(58) छारी खुर्द	(108) ढेकाले,
(9) वेनगानी	(59) बेलगांव	(109) गांजे,
(10) पठारवाली	(60) खुताल,	(110) जायेशेते,
(11) नेवले	(61) छिलहर,	(111) शेलवाडे,
(12) शिगांव	(62) भोपोली,	(112) वेमुर,
(13) गारगांव	(63) नीहे,	(113) अम्बादी,
(14) चिंचारे	(64) दामखाण्ड,	(114) नवाली,
(15) अकेगावान	(65) कोंधान,	(115) मोरावाली,
(16) नानीवाली	(66) आवनधान,	(116) वारखुन्ती,
(17) अंबेढे	(67) बेगारचीले,	(117) कामार,

(18) बरहानपुर	(68) शील,	(118) टोकराले,
(19) सलगांव,	(69) लोवारे,	(119) बन्डाते,
(20) खुताद,	(70) बंधान,	(120) जांजरोली,
(21) खानीवाड़े,	(71) नंद गांव टर्फ मानोर,	(121) छाडे,
(22) रावते,	(72) शील शेट,	(122) वसारे,
(23) अकोली,	(73) कताले,	(123) खादकोली,
(24) असेरी,	(74) अम्भान,	(124) सखारे,
(25) सोते,	(75) वासरोली	(125) रोथे,
(26) पस्थाल,	(76) खारशेट,	(126) लालथाने,
(27) बोइसार,	(77) मानोर,	(127) नवाजे,
(28) बोरसेती	(78) ताकवाल,	(128) तान्डुलवाडी,
(29) महागांव,	(79) सवारखण्ड,	(129) गिराले,
(30) किराते,	(80) नालशेट,	(130) पारगाव,
(31) वाडे,	(81) केव,	(131) नागवे टर्फ-मानोर,
(32) खाडवाने,	(82) वाकाडी,	(132) उम्बारपदा नानड़ाडे,
(33) मेंधवान	(83) मासवान,	(133) उचावाली,
(34) विलसेय,	(84) वान्डीवाली,	(134) सफाले,
(35) कोडगांव	(85) नेताली	(135) सोनावे,
(36) कारसूद	(86) साये,	(136) माकने कापसे,
(37) बेतेगांव,	(87) तेन,	(137) करवाले,
(38) वारगंदे	(88) कारालगांव,	(138) वाधिव सरावली,
(39) लालोंडे,	(89) गोवादे,	(139) पेनान्ड,
(40) घनेडे	(90) तामसाइ,	(140) कान्डारवान,
(41) काम्बलगांव	(91) दुरवेस,	(141) दाहीवाले,
(42) मान	(92) धुकतान,	(142) दारशेट,
(43) घानेघर,	(93) पोछादे,	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(44) वाढ़े	(94) होलाले,	(144) उम्बारपादा टर्फ-मानोर
(45) छारी बुदर्ग	(95) खामलोली,	
(46) बिरवाडी	(96) वाहदोली,	
(47) काल्लाले,	(97) बोत,	
(48) पाद्घे	(98) इम्बूर इराम्बी,	
(49) पोले,	(99) दानिसारी टर्फ मानोनर,	
(50) नानडोरे,	(100) कुडे,	

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

वसाई (बसीन) तहसील

(1) दाहीसर,	(16) उसगांव,	(31) अहोले,
(2) कोशिम्बे,	(17) मेधे,	(32) वालिव,
(3) तुलिंज,	(18) वादघर,	(33) सतिवाली,
(4) सकवार,	(19) भीनार,	(34) राजवली,
(5) छिमान,	(20) एम्बोडे,	(35) कोल्ही,
(6) हेडवडे,	(21) कालभोन,	(36) छिनछोती
(7) काशिदकोपर,	(22) अनदने,	(37) जुचंद्र,
(8) खानीवाडे,	(23) सायावान,	(38) बापने,
(9) भालीवाली,	(24) पारोल,	(39) देवदल,
(10) कावेहर,	(25) शिरवाल,	(40) कामन,
(11) शिरसाद	(26) माझीवाली,	(41) सरजामोरी
(12) मान्डवी	(27) कारांजोन,	(42) पोमन
(13) छानदीप,	(28) तिलहर,	(43) शिलोत्तर
(14) भातने,	(29) धानिव,	(44) ससुनवघर
(15) शिवनसाई	(30) पेल्हार,	(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

भिवांडी तहसील

(1) भिवाली,	(25) वाघीवाले,	(49) बासे,
(2) गनेशपुर,	(26) देवचोले	(50) गांडोडे,
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी,	(27) सागोआं,	(51) पहारे,
(4) अकोली,	(28) इकसाल,	(52) सेदगांव,
(5) सवारोली,	(29) चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे,	(53) पच्छापुर,
(6) खातीवाली,	(30) डूधानी,	(54) गोंड्रवली,
(7) उसगांव,	(31) वापे	(55) जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे,
(8) घोटगांव,	(32) घदाने,	(56) असनोली-टर्फ-कुंडे,
(9) वाढ़े,	(33) कुंडे,	(57) शिरोले,
(10) वारेथ,	(34) घोतावाडे,	(58) दाभाद,
(11) चाने,	(35) माइंडे,	(59) महानडुल,
(12) असनोली-टर्फ-दुगद	(36) करमाले,	(60) शिरगांव,
(13) दुगद,	(37) कांडली बुदर्क,	(61) पिंपल सेठ भुसेठ,
(14) मनीवाली,	(38) केल्हे,	(62) खादकी खुर्द,

(15) वादवाली-टर्फ-दुगद,	(39) कांडली खुर्द,	(63) खादकी बुदरूक,
(16) मालबीडी,	(40) दीघाशी,	(64) चिम्बीपाडे,
(17) मोहिली,	(41) नेवादे,	(65) कूहे,
(18) नन्दीथान,	(42) अम्बादी,	(66) घामने,
(19) देपोली,	(43) दालोंड,	(67) लाखीवाली,
(20) सखरोली,	(44) जाम्भीवाली टर्फ-खाम्बाले,	(68) पालीवाली,
21) सूपेगांव,	(45) उम्बारखंड,	(69) पाये,
(22) पिलांजे खुर्द,	(46) आशिवाली,	(70) गाने,
(23) पिलांजे बुदुर्क,	(47) जिदके,	(71) दाहयाले,
(24) अलखीवाली	(48) खारीवाली	(72) फिरंगपाडा

(iv) मुरबाद तहसील के सतहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

मुरबाद तहसील

(1) कासगावं,	(30) शेलगांव,	(58) टोकवडे,
(2) किसाल,	(31) शिरोशी,	(59) बालेगांव,
(3) वाडावाली,	(32) तालेगांव	(60) तलवाली (बडागांव),
(4) सखारे,	(33) फंगाकोशी,	(61) वैशाखरे,
(5) खुटालबोरगांव,	(34) मेरडी,	(62) मनवाली-टर्फ-खेडुल,
(6) अम्बेल खुर्द,	(35) वाल्हीवारे,	(63) पेनढारी,
(7) सयाले,	(36) माल,	(64) उमरोली बुदर्क,
(8) इंदे,	(37) जडाई,	(65) ओजीवाल,
(9) खेडाले,	(38) अम्बीवाली,	(66) मांदवत,
(10) तलवाली-टर्फ-घोराट,	(39) डिधेफाल,	(67) महाज,
(11) इकलाहारे,	(40) दीवानपाडा,	(68) पडाले,
(12) चाफे-टर्फ-खेडुल,	(41) कोचरे खुर्द,	(69) कोलोशी,
(13) पिम्पालघर,	(42) कोचने बुद्रुक,	(70) जयगांव,
(14) देहगांव,	(43) चोसाले,	(71) कलामबाद (भोंडीवाले),
(15) पारहे,	(44) खुटल बंगला,	(72) खेवारे,
(16) कांडली,	(45) नयाहाडी,	(73) दुधानोली,
(17) धासाई,	(46) मोरोशी,	(74) उमारोली खुर्द,
(18) अल्यानी,	(47) फंगुलगांवाहन,	(75) खोपीवाली,
(19) पालू,	(48) सवरने,	(76) मील्हे,
(20) देवघर,	(49) थिताबी-टर्फ-वैशाखहरे,	(77) गोरखागड

(21) माढ, (22) सोनावाले (23) वेलुक, (24) अलावे, (25) बरसुंगे, (26) मांडुस (27) खेड, (28) वनोटे, (29) शाई,	(50) कुदसेट, (51) फंगाने, (52) खपारी, (53) हेडावाली, (54) कारचोंडे, (55) जडघर (56) उडालदोहा, (57) महोरांडे,	

2. नासिक जिले में निम्नः

(i) **डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं:**

डिन्डोरी तहसील

(1) मोखनाल, (2) भनवाड, (3) डेहारे, (4) कारंजली, (5) गंडोले, (6) पलासविहिर, (7) वारे, (8) वनजोले, (9) अम्बाद, (10) वनारे, (11) तितवे, (12) देवधान, (13) नानाशी, (14) चारोसे, (15) देवघर, (16) कौदासर, (17) वनी खुर्द (18) पिंपलगांव धूम (19) जोरान, (20) महाजे, (21) सदराले, (22) नालवाडी,	(49) इकलाहारे, (50) चउसाले, (51) पिम्प्री अंचला, (52) अहिवंतवाडी, (53) गोलडारी, (54) हास्ते, (55) कोलहेरी, (56) जिरवाडे, (57) चामदारी, (58) मालदुमाला, (59) मंडाने, (60) कोशिम्बे, (61) पुनेगांव, (62) पंडाने, (63) अंबानेर, (64) चंदीकपुर, (65) भाटोडे, (66) दाहिवी, (67) मुलाने, (68) कोकनगांव खुर्द, (69) मालेगांव, (70) पिम्परखेड,	(101) ढाकम्बे, (102) जानोरी, (103) मानोरी, (104) शिवनाई, (105) वारवांडी, (106) जौलके डिंडोरी

(23) ओजे, (24) गोलशी, (25) जलखेड, (26) निगडोल, (27) कोकानगांव बुर्दक, (28) उम्ब्राले खुर्द, (29) अम्बेगान, (30) चाचादगांन, (31) वाघाद, (32) पोफलवाडे, (33) धाउर, (34) उम्बाले बुद्रुक, (35) जम्बूतके, (36) पिम्पराज, (37) नालेगांव, (38) विलवांडी, (39) रासेगांव, (40) कोचारगांव, (41) तिलहोली, (42) रावलगांव, (43) देहेर वाडी, (44) ढागुर, (45) देवसाने, (46) सरसाले, (47) करांजखेड, (48) पंगलवाडी,	(71) फोपासी, (72) वानी कास्बे, (73) संगमनेर, (74) खेडले, (75) मवाडी, (76) करंजवान, (77) डाहेगांव, (78) वागलूड, (79) कृष्णागांव, (80) वारखेड, (81) कदवामहालुंगी, (82) गोंडेगांव, (83) हतनोर, (84) नीलवांडी, (85) पिपंलगांव केतकी (86) राजापुर, (87) डिंडोरी, (88) जोपुल, (89) माडकी जाम्ब, (90) पालखेड (91) इन्दोर, (92) कोरहते, (93) चिंचखेड, (94) टालेगांव डिंडोरी, (95) अकराले, (96) मोहाडी, (97) पिम्पसालानारे, (98) खाटवाड, (99) रामसेज, (100) अम्बे डिंडोरे,	

(ii) इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए है तथा एक शहरः

इगतपुरी तहसील

(1) ढाडोशी, (2) भीलमाल, (3) पाहिने,	(38) कुरनोली, (39) ढारनोली (40) वाकी,	(76) उभाडे (वंजुलवाजी), (77) मेगारे, (78) बेलगांव तारहाले,

(4) जारवाड खुर्द,
(5) टाकेहर्षा,
(6) असवाली हर्षा,
(7) समुन्दी,
(8) खारोली,
(9) कोजोली,
(10) अवहाते,
(11) कुशेगांव,
(12) मेचन्द्रायची,
(13) अलवांड,
(14) दापुरे,
(15) मेत हुम्बाची,
(16) जारवाड बुद्रुक,
(17) महासुरली,
(18) शेवगेडांग,
(19) वानजोले,
(20) देवगांव,
(21) अहुरली,
(22) नन्दादगांव,
(23) वावी हर्षा,
(24) नागोसली,
(25) ढारगांव,
(26) ओडंली,
(27) सातुरली,
(28) अवाली डुमला,
(29) कारहाले,
(30) रायाम्बे,
(31) टाकेडेगांव,
(32) मेटेलयाची,
(33) बितुरली,
(34) वालविहिर,
(35) भलवी बुद्रुक,
(36) पिंपलगांव भटाटा,
(37) कोपारगांव,
(41) चिंचाले (खाइरे),
(42) ट्रिंगलवाडी,
(43) अदवान,
(44) अवालखेडे,
(45) पारदेरी,
(46) बलायदूरी,
(47) खम्बाला,
(48) टाके घोटी,
(49) घोटी बुद्रुक,
(50) तालेगांव (1),
(51) गिरनार,
(52) तितोली,
(53) बोरटम्भे,
(54) तालोशी,
(55) नन्दगांव साडे,
(56) पिंपरी सदरोद्दीन,
(57) तालेघा,
(58) कंचनगांव,
(59) शेनवाड बुद्रुक,
(60) फंगुलगांवन,
(61) बोरली,
(62) मानवेधे,
(63) भवाली खुर्द,
(64) कालूस्ते,
(65) जामुन्डे,
(66) गाहुन्डे,
(67) भारवाज,
(68) कारूंगवादी,
(69) निरपन,
(70) मनजारगांव,
(71) अम्बेवाडी,
(72) खाडकेड,
(73) इन्दोर,
(74) उम्बारकोन,
(75) सोमाज घादगा,
(79) धामनगांव,
(80) देओले,
(81) खैरगांव,
(82) पिम्पलगांव मोरे,
(83) धामनी,
(84) अदसारे खुर्द,
(85) अदसारे बुद्रुक,
(86) अहारवाड,
(87) ताकेड खुर्द,
(88) ताकेड बुद्रुक,
(89) खेड,
(90) वारसिंगवे,
(91) सोनोशी,
(92) मड़दारा धानोशी,
(93) वासाली

(iii) नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए है तथा एक शहर त्रिम्बकः

नासिक तहसीलः

(1) साप्टे,	(33) कालमुस्ते,	(62) वसाली,
(2) कोने,	(34) तिम्बार्क (ग्रामीण),	(63) दूदगांव,
(3) खारवाल,	(35) हर्षेवाडी,	(64) महिरावनी,
(4) वरासविहिर,	(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक,	(65) तालेगांव अंजानेरी,
(5) वघेरा,	(37) मुलेगांव,	(66) जाटगांव,
(6) रोहिले,	(38) लादाची,	(67) सारूल,
(7) नन्दगांव,	(39) नाकवाडी,	(68) पिंपलाड नासिक,
(8) गोरथान,	(40) वेले,	(69) राजुबहुला,
(9) हिरदी,	(41) सादगांव,	(70) दहीगांव
(10) मालेगांव,	(42) यादगांव,	
(11) वेलुन्जे,	(43) मनोली,	
(12) गणेशगांव वघेरा,	(44) ढोंडेगांव,	
(13) पिम्परी त्रिम्बाक,	(45) दारी,	
(14) मेट कवारा,	(46) गिरनाते,	
(15) ब्राह्मणवाडे त्रिम्बाक,	(47) दुगांव,	
(16) तोरनानगान,	(48) देओरगांव,	
(17) धूमोदी,	(49) नागलवाडी,	
(18) बेसे,	(50) ओजारखेडी,	
(19) चकोरे,	(51) चांदशी,	
(20) अम्बोली,	(52) गंगम्हौंगी,	
(21) अम्बाई,	(53) जलालपुर,	
(22) शीरासगांव,	(54) सावरगांव,	
(23) तालवाडे त्रिम्बाक,	(55) गोवरधान,	
(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,	(56) शिवनगांव,	
(25) खामबाले,	(57) पिंपलगांव गरुडेश्वर,	
(26) सापगांव	(58) राजेवाडी,	
(27) काचुरली,	(59) गंगावारहे,	
(28) अंजनेरी,	(60) गणेशगांव त्रिम्बाक,	
(29) तालेगांव त्रिम्बाक,	(61) गणेशगांव नाशिक,	
(30) पेगलवाडी त्रिम्बाक,		
(31) वाधोली,		
(32) उभरांडे,		

(iv) बागलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

बागलान तहसीलः

(1) बोरहाते,	(22) मोरने-दिगर,	(43) मोरकुरे,
(2) मोहलांगी,	(23) बोरदइवत,	(44) किकवारी खुर्द,

(3)	जैतपुर,	(24)	भीमखेत,	(45)	केलजार,
(4)	गोलवाड,	(25)	वाघम्बे,	(46)	ततानी,
(5)	हतनूर,	(26)	मनूर,	(47)	भीलडार,
(6)	मालीवाड,	(27)	सालहेर,	(48)	किकवारी
(7)	अम्बापुर,	(28)	कटारवेल,		बुर्दुक,
(8)	जाड,	(29)	भीलवाड,	(49)	जोरान,
(9)	वीसापुर,	(30)	तुंगन,	(50)	साकोड़े,
(10)	शेवारे,	(31)	दसवेल,	(51)	करांजखेड,
(11)	खाराड़,	(32)	जाखोड,	(52)	डांग सौडाने,
(12)	वाड डिगार,	(33)	मुंगासे,	(53)	निकबेल,
(13)	देवथान,	(34)	भावाडे,	(54)	बन्धाते,
(14)	कोंधाराबाद,	(35)	दसाने,	(55)	दाहिन्डुले,
(15)	अंतापुर,	(36)	मालगांव खुर्द,	(56)	सरवार,
(16)	रावर,	(37)	सालवान,	(57)	वाडीचौलहेर
(17)	जामोती,	(38)	पिसोर,		
(18)	अलिआबाद,	(39)	करसाने,		
(19)	अजांडे,	(40)	वथोड,		
(20)	मुलहेर,	(41)	पाठवेडीगर,		
(21)	बाबुलने,	(42)	तालवेडीगर,		

3. धूले जिले में निम्नः-

(i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

सकरी तहसील

(1)	चौपाले,	(31)	अमोडे,	(61)	वारदोली,
(2)	रोथोड,	(32)	किरवाड़े,	(62)	काकसाद,
(3)	जामखेल,	(33)	घोडाडे,	(63)	पानखेडे,
(4)	खूरूसवाडे,	(34)	सुरपान,	(64)	सामोडे,
(5)	सुतारे,	(35)	कोरडे,	(65)	महासदी, परगने, पिम्पलनेर,
(6)	धानेर,	(36)	वालव्हे,	(66)	पिंपलनेर,
(7)	अमाले,	(37)	विटावे,	(67)	चिकासे,
(8)	माचमाल,	(38)	कासबे छाडवेल,	(68)	जीरापुर,
(9)	खांडवारे,	(39)	बसार,	(69)	कोकनागांव,
(10)	रायकोट,	(40)	इसारडे,	(70)	शेवागे,
(11)	बुरूदके,	(41)	पेटाले,	(71)	धामानधार,
(12)	पानगांव,	(42)	पिंपलगांव,	(72)	विरखेल,
(13)	लागडवाल,	(43)	मोहाने,	(73)	पारगांव,

(14)	रायतेल,	(44)	तेम्भे, परगाने वारसे,	(74)	मंडाने,
(15)	ब्रहमणवेल,	(45)	शिरसोले,	(75)	बालहाने,
(16)	आमखेल,	(46)	उमारपीटा,	(76)	देशिरवाडे,
(17)	जाम्बोरे,	(47)	मालगांव, परगान वारसे,	(77)	काडयाल,
(18)	वारसस,	(48)	खारगांव,	(78)	ढ़ोगाड्डिगार,
(19)	जामकी,	(49)	कालाम्बे,	(79)	शेलबारी,
(20)	रूनमाली,	(50)	चोरवाड,	(80)	डेगांव
(21)	वसखेडी,	(51)	लाखाले,		
(22)	डामकानी,	(52)	वारसे,		
(23)	सालटेक,	(53)	शेनवाड,		
(24)	दाहीवेल,	(54)	कुदाशी,		
(25)	भोनगांव,	(55)	मनजारी,		
(26)	बादगांव,	(56)	मापालगांव,		
(27)	मेनडाने,	(57)	डांगशिरवाडे,		
(28)	दापुर,	(58)	बोपखेल,		
(29)	रोहन,	(59)	शिव,		
(30)	जेबापुर,	(60)	खात्याल,		

(ii) नंदुरबार तहसील और नंदुरबार शहर के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील

(1)	भंगाडे,	(28)	नारायणपुर,	(56)	चाकले,
(2)	मंगलूर,	(29)	घिरासगांव,	(57)	दहींडुले बुद्रुक,
(3)	वसलाई,	(30)	धेकवाड,	(58)	दहींडुले खुर्द,
(4)	अर्दितारा,	(31)	बिलाड़ी,	(59)	कथोरे दिगर,
(5)	धानोरा,	(32)	खैराले,	(60)	उमारदे खुर्द,
(6)	पावले,	(33)	खामगांव,	(61)	चौपाले,
(7)	कोठडे,	(34)	नागासार,	(62)	अखाराले,
(8)	उमज,	(35)	विरचक,	(63)	वादबारे,
(9)	कोथाली खुर्द,	(36)	टोकारटाले,	(64)	अखातवाड़े,
(10)	वदाजकान,	(37)	वाघाले,	(65)	हट्टी उर्फ इंडि,
(11)	निंबोन बुद्रुक,	(38)	ओजारदे,	(66)	पलाशी,
(12)	जालखे,	(39)	अस्हते,	(67)	घुली,
(13)	शिरवादे,	(40)	थानेपाडा,	(68)	राकसवाडे,
(14)	रनाले खुर्द,	(41)	अमरावे,	(69)	वाघोडे,
(15)	नटवाड,	(42)	पथराई,	(70)	पाटोंडे,
(16)	करांजवे,	(43)	धामदाई,	(71)	हाल-टर्फ-हवेली,

(17) शेजवे, (18) पिंपलोड-टर्फ-धानोर, (19) लोया, (20) वेलावाड, (21) व्याहुर, (22) धुलवाड, (23) गुजर भवाली, (24) गुजर जम्बोली, (25) कर्णखेडे, (26) फुलसारे, (27) उमरदे बुद्रुक	(44) वारुल, (45) अदाच्छी, (46) लोंखेडे, (47) कराजकुपे, (48) नालवे खुर्द, (49) सुंदारदे, (50) नालवे बुद्रुक, (51) दुधाले, (52) नंदारखे, (53) भाने, (54) वसादारे, (55) वावद,	(72) खोडासगांव, (73) शाहदे, (74) शिंदे, (75) कोल्डे, (76) भगसारी, (77) धामदोड, (78) सवाल्दे, (79) कोरित, (80) सुजातपुर, (81) तिशि, (82) धंधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकताली, (141) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

शाहदा तहसील

(1) अकासपुर,	(51) काथर्डेबुद्रुक,	(102) मोहिदे-तर्फ-हवेली,
(2) नवागांव (वन ग्राम),	(52) काथर्डे खुर्द,	(103) जुनवाने,
(3) वीरपुर,	(53) कलसाडी,	(104) लोंखेड़े,
(4) दारा,	(54) धुरखेड़े,	(105) तेम्भाली,
(5) भूता,	(55) भादे,	(106) होलगुजारी,
(6) कंसाई (वन ग्राम),	(56) पिंगाणे,	(107) आसुस,
(7) नांद्याकुसुमवाडे (वन ग्राम) रामपुर,	(57) गणोर,	(108) बुपकरी,
(8) चिराडे,	(58) अडगांव,	(109) मालोनी,
(9) नागझिरी (वन ग्राम),	(59) खरगांव,	(110) डोंगरगांव,
(10) कुसुमवाडे,	(60) कोचरारे,	(111) कोथल-तरफ-शहादा,
(11) नांद्या (वन ग्राम),	(61) बिलाडी-तरफ-हवेली,	(112) मटकुट,
(12) पिंपरानी,	(62) बहिरपुर,	(113) बोराले,
(13) रानीपुर, (वन ग्राम),	(63) ब्रम्हंसपुर,	(114) कमरावद,
(14) फत्तेपुर,	(64) सुल्तानपुर,	(115) कहतुल,
(15) लक्कड़कोट (वन ग्राम),	(65) रायखेड़,	(116) वडछिल,
(16) कोटबंधानी (वन ग्राम),	(66) खेड़दिगर,	(117) लोंधारे,
(17) पिंपलोद,	(67) नवलपुर,	(118) उधालोद,
(18) कुड्डावाड,	(68) चांदसैली,	(119) निम्भोर,
(19) लाछोर,	(69) गोदीपुर,	(120) धंद्रेबुदुरक,
(20) कनाडी-तर्फ-हवेली,	(70) पाडलदे खुर्द,	(121) चिरखान (वन ग्राम),

(21) शिरुद-तर्फ हवेली, (22) अमोडे, (23) अलखेड, (24) पडालदेबुद्रुक, (25) बुडिगावन, (26) उमरती, (27) पिंपरी, (28) म्हसावद, (29) अनकवाडे, (30) सुलवाडे, (31) तवलाई, (32) मुबारकपुर, (33) वेलावद, (34) कलमाडी-तर्फ-बोर्डी, (35) वाडी, (36) सोनावड-तर्फ-बोर्डी, (37) थांगचे, (38) जावडे-तर्फ-बोर्डी, (39) तरहडी-तर्फ-बोर्डी, (40) वर्धे, (41) पारी, (42) कोथाली-तर्फ-हवेली, (43) औरंगपुर, (44) चिखलीबुद्रुक, (45) करणखेड़े, (46) नांदरडे, (47) वैजाली, (48) वाघोड़े, (49) परकाशे, (50) धामलाड,	(71) भागपुर, (72) जावखेड़े, (73) सोनवाई-तर्फ-हवेली, (74) कवलिथ, (75) तुकी, (76) सावखेड़े, (77) कर्जोत, (78) लोहारे, (79) गोगापुर, (80) कुरंगी, (81) तिधारे, (82) दामलदे, (83) कलमद-तर्फ-हवेली, (84) चिखली खुर्द, (85) भोरटेक, (86) श्रीखेड़े, (87) ओजार्ते, (88) उखलशेम, (89) वाघरदे, (90) जाम, (91) जावड़े-तर्फ-हवेली, (92) तितारी, (93) होल मुबारकपुर (वन गांव), (94) वडगांव, (95) पिंपरदे, (96) असालोद, (97) मांडने, (98) अवगे, (99) तिखोरे, (100) उंटावाड, (101) होल,	(122) असालोद (नया) (वन ग्राम), (123) जयनगर, (124) धंधरे खुर्द (वन ग्राम), (125) मनमोद्या (वन ग्राम), (126) दुतखेड़े (वन ग्राम), (127) भोंगारा (वन ग्राम), (128) वडाली, (129) कोंधवाल, (130) भुलाने (वन ग्राम), (131) चांदसैली (वन ग्राम), (132) उभाडागड़ (वन ग्राम), (133) काकरडे खुर्द, (134) खापरखेड़े (वन ग्राम), (135) मालगांव (वन ग्राम), (136) लंगडी भवानी (वन ग्राम), (137) शाहणा (वन ग्राम), (138) काकरदेबुद्रुक, (139) अभनपुरबुद्रुक, (140) कटघर, (141) निम्बार्डी (वन ग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ (62) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :-

शिरपुर तहसीलः

(1) बोरपानी (वन ग्राम),	(24) वसारदी,	(46) पलासनेर,
(2) मलकाटार (वन ग्राम),	(25) नन्दारदे,	(47) खाम्बले,
(3) फत्तेपुर (वन ग्राम),	(26) चान्दसे,	(48) पानाखेड (वन ग्राम),
(4) गधाडदेव (वन ग्राम),	(27) वाडी बुद्रुक,	(49) खेंरखुटी (वन ग्राम),
(5) कोडिड (वन ग्राम),	(28) वाडी खुर्द,	(50) जोयादा (वन ग्राम),
(6) गुरहाडपानी (वन ग्राम),	(29) जालोड,	(51) चिलारे (वन ग्राम),
(7) भुदाकी (वन ग्राम),	(30) अभानपुर खुर्द,	(52) लकड्या हनुमान (वन ग्राम),
(8) वाघपाडे (वन ग्राम),	(31) तारहाड,	
(9) सड़गारपाडा (वन ग्राम),	(32) उखालवाडी,	(53) महादेव डोंडवाडे (वन ग्राम),
(10) मंजरीबुरदी (वन ग्राम),	(33) मुखेड,	
(11) चौंडी (वन ग्राम),	(34) नीमजारी,	(54) मालापुर (वन ग्राम),
(12) भुदाकी (वन ग्राम),	(35) वरजाडी,	(55) रोहिणी,
(13) चंदसुरया (वन ग्राम),	(36) वाघबारदा,	(56) भोइती,
(14) बोरादी (नया) (वन ग्राम),	(37) समरयामापद,	(57) अम्बे,
(15) काकडमल (वन ग्राम),	(38) लउकी,	(58) खामखेडे परगने अम्बे,
(16) वाकवाड (वन ग्राम),	(39) सूले (61),	(59) हिवारखेडे (वन ग्राम),
(17) उमरदा (वन ग्राम),	(40) फत्तेपुर,	(60) हिगांव,
(18) डुराबड्या (वन ग्राम),	(41) हेदाखेड़,	(61) वाडेल खुर्द,
(19) मोहिडे (वन ग्राम),	(42) अरूनपुरी बांध (अवानकीकृत),	(62) कालापानी (वन ग्राम)
(20) डोंडवाडा (वन ग्राम),		
(21) तेम्भा (वन ग्राम),	(43) संगवी,	
(22) खैरीखान (वन ग्राम),	(44) हाटेड,	
(23) बोअरडी,	(45) जेन्दया अन्जन,	

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित:-

(क) (i) चोपडा तहसील के पच्चीस (25) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :-

चोपडा तहसील

(1) मराठा (वन ग्राम),	(11) बोराजन्ती (वन ग्राम),	(21) बधावानी,
(2) मूरढिडा (वन ग्राम),	(12) मालापुर (वन ग्राम),	(22) बधाई,
(3) उमारती (वन ग्राम),	(13) बोरामाली (वन ग्राम),	(23) कनदाने,
(4) सत्रसेन (वन ग्राम),	(14) करजाने (वन ग्राम),	(24) मोहराद,
(5) कृष्णपुर (वन ग्राम),	(15) मेलान (वन ग्राम),	(25) असालवाडी (वन ग्राम)
(6) अंगुरने,	(16) विशनपुर (वन ग्राम),	
(7) खारया पडव (वन ग्राम),	(17) देवहारी (वन ग्राम),	

(8) वैजापुर (राजस्व) (52), (9) मुलुयाउत्तर (वन ग्राम), (10) वैजापुर (वन ग्राम) (54),	(18) देवजिरि (वन ग्राम), (19) कुंडयापानी (वन ग्राम), (20) इच्छापुर परगने अडवाड़	

(ii) यावल तहसील के तेरह (13) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :-

यावल तहसील

(1) मानापुरी, (2) टोलाने, (3) खालकोट, (4) इचखेडे, (5) मलोद,	(6) हरिपुरा (वन ग्राम), (7) वाघाजीरा (वन ग्राम), (8) प्रसादे बुद्रुक, (9) बोरखेड़े खुर्द, (10) लांगदा अम्बा,	(11) जामन्या (वन ग्राम), (12) गदरया (वन ग्राम), (13) उसमाली (वन ग्राम)

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस (21) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :-

रावेर तहसील

(1) महुमांडली (वन ग्राम), (2) पिम्परकुंड (वन ग्राम), (3) अन्धारमालि (वन ग्राम), (4) तिड्या (वन ग्राम), (5) निमड्या (वन ग्राम), (6) गारबारदी (वन ग्राम), (7) जानोरी, (8) चिनचाती,	(9) पाल, (10) मारव्हाल, (11) जिनसी, (12) सहसरालिंग (वन ग्राम), (13) लालमाटी (वन ग्राम), (14) अवहोडे बुद्रुक, (15) लोहारे, (16) कुसुम्भे बुद्रुक,	(17) कुसुम्बे खुर्द, (18) पिम्परी, (19) मोहगांन बुद्रुक, (20) पडाले बुद्रुक, (21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखितः-

(क) अकोले तहसील के चौरानवे (94) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:-

अकोले तहसील

(1) तिरधे, (2) पडोशी, (3) महाजुंगी, (4) एकडारे, (5) संगावी, (6) केली रूमहानवाडी, (7) बिताका, (8) खिरवीरे, (9) कोम्भालने, (10) तहकारी,	(38) रानाड बुद्रुक, (39) रानाड खुर्द, (40) मालेगांव, (41) कोहोन्डी, (42) दिगम्बर, (43) गुहिरे, (44) कतालपुर, (45) रतनवाडी, (46) मुतखेल, (47) तेरूंगन,	(75) लवाली कोतुल, (76) वाघदारी, (77) शिलवांडी, (78) कोहोने, (79) लिवाली ओतुर, (80) ताले, (81) कोथाले, (82) सोमलवाडी, (83) विहिर, (84) शिंडा,

(11)	समशेरपुर,	(48)	राजुर,	(85)	अम्बित खिंड,
(12)	सावरगांव पाट,	(49)	विथे,	(86)	पालसुंडे,
(13)	मुथालने,	(50)	कोल्टेम्भे,	(87)	पिसेवाडी,
(14)	बारी,	(51)	केलुंगन,	(88)	फोपसांडी,
(15)	वारंघुसी,	(52)	जामगांव,	(89)	सातवाडी,
(16)	लाडागांव,	(53)	शिरपुंजे बुद्रुक,	(90)	केली ओतुर,
(17)	शेनित,	(54)	सवारकुटे,	(91)	केली कोतुल,
(18)	पाभुलवांडी,	(55)	कुमशेट,	(92)	खेतेवाडी,
(19)	बाभुलवांडी,	(56)	शिरपुंजे खुर्द,	(93)	इसारथाव,
(20)	अंबेवांगन,	(57)	घामनवन,	(94)	करांडी
(21)	देवगांव,	(58)	अम्बित,		
(22)	पेंडशेट,	(59)	बालथान,		
(23)	मानहेरे,	(60)	मानिक ओजार,		
(24)	शेलविहीरे,	(61)	पुरूचवाडी,		
(25)	पंजारे,	(62)	मवेशी,		
(26)	चिनचोंडी,	(63)	शिसवाद,		
(27)	वाकी,	(64)	वापजुलसेत,		
(28)	तितावी,	(65)	गोंडोशी,		
(29)	पिंपरकाने,	(66)	खादकी,		
(30)	उदादावाने,	(67)	साकिरवाडी,		
(31)	कोदानी,	(68)	पचनाई,		
(32)	घाटघर,	(69)	चिंचवाने,		
(33)	सिगनवाडी राजुर,	(70)	पदालने,		
(34)	मुरशेट,	(71)	शेलाद,		
(35)	शेंडी,	(72)	पिम्परी,		
(36)	समराड,	(73)	घोटी,		
(37)	भंडारडारा,	(74)	पैथान,		

6. पुणे जिले में निम्नलिखितः-

(i) **अम्बेगांव तहसील के छप्पन (56) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:**

अम्बेगांव तहसील

(1)	डोन,	(22)	सवारली,	(45)	गोहे बुद्रुक,
(2)	पिम्परागाने,	(23)	मेघोली,	(46)	निगाडाल,
(3)	अघाने,	(24)	वाचपे,	(47)	गोह खुर्द,
(4)	अहूपे,	(25)	साकेरी,	(48)	अपाती,
(5)	तिरपाड,	(26)	पिम्परी,	(49)	गंगापुर खुर्द,

(6) नहावेद, (7) असाने, (8) मलीन, (9) नानावाडे, (10) अमाडे, (11) वरसावने, (12) कोंढारे, (13) आदिवारे, (14) बोरघर, (15) पाटन, (16) कुसीरे खुर्द, (17) पंचाल बुद्रुक, (18) कुसीरे बुद्रुक, (19) दिगाद, (20) पंचाल खुर्द, (21) महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव,	(27) अम्बेगांव, (28) जाम्भोरी, (29) कालम्बाई, (30) कोन्ढावाल, (31) फुलवाडे, (32) फलोडे, (33) कोलटावाडे, (34) तेरूनगांव, (35) दिम्भे बुद्रुक, (36) महालुंगे-टर्फ-घोडा, (37) राजपुर, (38) चिखाली, (39) राजेवाडी, (40) सूपघर, (41) तालेघर, (42) मापोली, (43) डिम्भे खुर्द, (44) पोखारी,	(50) अमोंडी, (51) कनासे, (52) गंगापुर बुद्रुक, (53) सिनोली, (54) पिम्पालगाव-टर्फ-घोडा, (55) साल, (56) ढाकले

(i) **जुन्नार तहसील के पैंसठ (65) गांव नीचे दर्शाए गए हैं** :-

जुन्नार तहसील

(1) चिल्हेवाडी, (2) अम्बेहवहन, (3) जामभूलशी, (4) खिरेश्वर, (5) माथालाने, (6) कोल्हेवाडी, (7) कोपारे, (8) मंडावे, (9) सिंगनोरे, (10) आलू, (11) खूबी, (12) पिम्पालगांव जोगा, (13) कारंजाले, (14) माध, (15) पांगरी-तर्फ-माध, (16) कोलवाडी,	(35) वेवादी, (36) तेजुर, (37) फंगलघावन, (38) चावन्द, (39) पुर, (40) खानगांव, (41) मानकेश्वार, (42) सुराले, (43) अम्बोली, (44) शिरोली-तर्फ-कुकादनेर, (45) वानेवाडी, (46) अपटाले, (47) कोली, (48) शिवाली, (49) उतचिल, (50) बोटा,

(17) परगांव-तर्फ-मोध,	(51) धालेवाडी-टर्फ-मिनहर,
(18) तालेरान,	(52) भिवाडे बुद्रुक,
(19) सीतेवाडी,	(53) इंगालून,
(20) वटखाले,	(54) भिवाडे खुर्द,
(21) निमगिर,	(55) घंगालडारे,
(22) अनजानवाले,	(56) सोनावाले,
(23) हदसर,	(57) ताम्बे,
(24) देवाले,	(58) हिवारे-टर्फ-मिनहेर,
(25) खाइरे,	(59) हतविज,
(26) घाटघर,	(60) अम्बे,
(27) जलवांडी,	(61) पिंपरवाडी,
(28) हिरदी,	(62) सुकालवधे,
(29) उनदेखादक,	(63) गोदरे,
(30) राजुर,	(64) खामगांव,
(31) खाटकाले,	(65) सोमतवाडी
(32) मणिकडोह,	
(33) खाड कुम्बे,	
(34) उरसान,	

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखित:-

किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन (152) गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं:

(1) तकली,	(55) डारसांगवी (सिंदखेड़),	(109) दभादी,
(2) पदसा,	(56) सिंगोडा,	(110) चिखाली,
(3) सायपाल,	(57) सिरपुर,	(111) हुदी (चिखली),
(4) मुरली,	(58) वेम्भी,	(112) एन्धा,
(5) वादसा,	(59) पटोड़ा बुद्रुक मिनको,	(113) भूलजा,
(6) कोली,	(60) मांडवी,	(114) डारसंगवी,
(7) अश्ता,	(61) जवारला,	(115) मालकवाडी,
(8) गोण्डेगांव	(62) पालसी,	(116) पेन्डा,
(9) मदनापुर (महोर),	(63) बेलगांव,	(117) परधी खुर्द,
(10) बोंडगांवन,	(64) कनकी,	(118) करला,
(11) उमरा,	(65) कोठारी (सिंदखेड़),	(119) डेगांव,
(12) मछन्द्रा पारदी,	(66) पिंपलगांव (सिंदखेड़),	(120) लिंगधारी,
(13) करालगांव,	(67) डोंगरगांव (सिंदखेड़),	(121) परदी बुद्रुक,
(14) सावरखेड,	(68) जरूर,	(122) बोधादी खुर्द,

(15) डिगडी (कुटेमार),	(69) मिनकी,	(123) बोधादी बुद्रुक,
(16) वाई,	(70) पचुण्डा,	(124) सिंदगी (चिखली),
(17) हरदाप,	(71) वनोला,	(125) अंधाबोरी (चिखली),
(18) नाइकवाडी,	(72) साकुर,	(126) कोपारा,
(19) हिन्गानी,	(73) मैंडकी,	(127) पीपर फोडी,
(20) वाजरा,	(74) डिगडी (मोहनपुर),	(128) पटोडा (चिखली),
(21) तुलशी	(75) धानोरा (डिगडी),	(129) पिपरी,
(22) गोंडवाडसा,	(76) मोहापुर,	(130) धानोरा (चिखली),
(23) अंजानखेड,	(77) मुंग्शी,	(131) सवारी,
(24) भोराड़,	(78) सिंगदी (किनवत),	(132) धारा,
(25) चोराड़,	(79) मालबोरगांव,	(133) पोथ रेड्डी,
(26) धनोरा (सिंदखेड),	(80) नेजपुर,	(134) सिगारवाडी,
(27) रामपुर,	(81) राजगड,	(135) अन्जेगांव,
(28) पाथरी,	(82) वडोली,	(136) भंडारवाडी,
(29) खाम्बला,	(83) अनजी,	(137) जलधारा (चद्रपुर),
(30) पारदी,	(84) कनकवाडी,	(138) बेलोरी (चिखली),
(31) सिन्दखेड,	(85) लोनी,	(139) मालकोलारी,
(32) सिंचखेड,	(86) धामनधारी,	(140) डिगरास,
(33) हटोला,	(87) पंधारा,	(141) डोंगरगांव (चिखली),
(34) वाइफानी,	(88) बेल्लोरी,	(142) शिवोनी (चिखली),
(35) धुंद्रा,	(89) मारेगांव,	(143) परोटी,
(36) गउरी,	(90) कमथाला,	(144) स्वरगांव,
(37) बोथ,	(91) अम्बादी,	(145) जलधारा (इस्लापुर),
(38) सइलू,	(92) खेरदा,	(146) कोठारी,
(39) करन्जी (सिन्दखेड़),	(93) मलकापुर,	(147) हुड्डी (इस्लापुर),
(40) भगवती,	(94) घोती,	(148) करांजी (इस्लापुर),
(41) वाराज बुद्रुक,	(95) सिरमेती,	(149) कुपटी खुर्द,
(42) उमरी,	(96) भीमपुर,	(150) कुपटी बुद्रुक,
(43) उनकदेव,	(97) पिंपलगांव (किनवत),	(151) वागधारी,
(44) चाइस,	(98) धोगारवाडी,	(152) तलारी
(45) पिंपलसेंडा,	(99) गोकुंडा,	
(46) सरखानी,	(100) माण्डवा (130),	
(47) दिल्ली,	(101) डिग्डी (मंगाबोड़ी),	
(48) निराला,	(102) नागजरी,	

(49) नूरगांव, (50) टिट्वी, (51) लिंगी, (52) नागपुर, (53) जुनुनी, (54) दिगदवाजरा,	(103) कोठारी (चिखली), (104) प्रधान संगवी, (105) बेन्डी, (106) अमाडी, (107) मदनापुर (चिखली), (108) शानीवार पेठ,	

8. अमरावती जिले में निम्नलिखितः-

चिखल्दारा और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखितः-

(i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस (130) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

मारेगांव तहसील

1) घोगुलदारा	(48) पछपोहर	(94) भोराद (वन ग्राम)
(2) शिओनाला	(49) अम्बेजारी	(95) चिखालदोह
(3) बुरांडा	(50) रोहपात	(96) मुल्गवान
(4) पहपल	(51) रायपुर	(97) भीमनाला
(5) कान्हलगांव	(52) सगनपुर	(98) चटवान
(6) खेकडवाई	(53) हिवारा बरसा	(99) अराइकवाड़
(7) घोडाधारा	(54) रामपुर	(100) गवारा
(8) नरसाला	(55) कातली बोरगांव	(101) माथार्जुन
(9) धामनी	(56) पारदी (116)	(102) महदापुर
(10) मदनापुर	(57) शिबला	(103) पंधारवानी
(11) बोरी खुर्द	(58) चियाली (वन ग्राम)	(104) देमाद देवी
(12) पिस्गांव	(59) बोरगांव (वन ग्राम)	(105) मंडवा
(13) वड़गांव (40)	(60) पेंधारी	(106) डोंगारगांव (वन ग्राम)
(14) फिसकी (वन ग्राम)	(61) अर्जुनी	(107) दभाड़ी
(15) भालेवाड़ी	(62) कागांव	(108) उमरी (192)
(16) पथारी (51)	(63) रजनी	(109) मुधाती
(17) चिंचाला,	(64) माजरा	(110) परसोडी
(18) पंघार्कवाला (53)	(65) गंगापुर (वन ग्राम)	(111) कोंडपखिंडी
(19) खर्दा (वन ग्राम) (54)	(66) भोइकुंड (वन ग्राम)	(112) मंगरुल खुर्द
(20) पिम्प्रद (वन ग्राम)	(67) वाधोना	(113) मंगरुल बुद्रुक
(21) फपरवाड़ा	(68) सुसारी	(114) गोपालपुर

(22) सालाभट्टी (वन ग्राम)	(69) सुरला (131)	(115) रामपेठ
(23) दोलदोंगरगांव	(70) गोदानी	(116) चालबरडी
(24) मचिन्द्रा	(71) निमानी	(117) जामनी
(25) पंडविहोर	(72) दरारा	(118) शिरोला
(26) जाल्का	(73) आसन	(119) अदकोली
(27) पंधारदेवी (वन ग्राम)	(74) जागलोन	(120) खालकलोह
(28) अम्बोरा (वन ग्राम)	(75) जामकोला	(121) बिरसापेठ
(29) चिंचोनी बोटोनी	(76) इसापुर	(122) मुछी
(30) अवंलगांव (वन ग्राम)	(77) किलोना	(123) मारकी बुद्रुक
(31) कान्हलगांव (85)	(78) उमरघाट	(124) मारकी खुर्द
(32) खारीगांव (86)	(79) वल्लासा	(125) गणेशपुर
(33) सराती	(80) जुनोनी (वन ग्राम)	(126) पंवार (वन ग्राम)
(34) बुरांडा (88)	(81) लेंचोरी	(127) कृष्णपुर (वन ग्राम)
(35) दुर्गादा	(82) चिंचघर	(128) खेकाड़ी (वन ग्राम)
(36) वागधारा	(83) अम्बिजारी खुर्द	(129) शेकापुर
(37) मेंधानी	(84) अम्बेजारी बुद्रुक	(130) यिओती
(38) घानपुर	(85) करगांव खुर्द	
(39) हटवांजरी	(86) निम्बादेवी	
(40) खपरी	(87) टेम्फी	
(41) उच्चातदेवी (वन ग्राम)	(88) कुंडी	
(42) मारेगांव (वन ग्राम)	(89) मांडिव	
(43) खंडानी	(90) जुनोनी	
(44) महासदोदका	(91) पारम्भा	
(45) पालागांव	(92) पोखरनी (वन ग्राम)	
(46) बोटोनी	(93) पिवारदोल	
47) गिर्जापुर (वन ग्राम)		

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस (43) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील

(1) लोहारा	(16) तेजानी	(31) उमरविहार
(2) एकलारा	(17) अंजी	(32) अदनी
(3) सोनेर्डी	(18) लोनी	(33) खटारा
(4) वाटखेड	(19) बोराती (वन गांव)	(34) मुंजाला
(5) जलका	(20) साराती	(35) पलासकुन्ड
(6) वार्हा	(21) खैरगांव कसार	(36) वीरगांव

(7) पिंपारी दुर्ग	(22) वारधा	(37) खैर गांव
(8) मांडवा	(23) भुलगद	(38) देवधारी
(9) कोलवान	(24) पिंपलाशेंडा (75)	(39) सिंगल दीप
(10) शोइत	(25) अतमुर्दी	(40) सोनुर्ली
(11) वरुद	(26) सावरखेड	(41) सिन्दोला
(12) बुकाई	(27) चोंधी	(42) जोतिगदारा
(13) जरगद	(28) वधोड़ा	(43) साखी खुर्द
(14) खादकी सुकली	(29) खेमकुन्ड	
(15) डोंगरगांव	(30) पार्डी (वन गांव)	

(iii) **केलापुर तहसील में निम्नलिखित एक सौ तीन (103) गांव और पन्धार्कवाड़ा कस्बा**:

केलापुर तहसील

(1) मोदारी	(36) नईकसुकली (वन गांव)	(73) वेदाद
(2) जोगीन कोहला	(37) पेधारी	(74) बागी
(3) मीरा	(38) पिल्पाली	(75) घनमोडे
(4) जीरा	(39) डोंगारागांव (308)	(76) नन्दगांव
(5) घोद्दारा (वन ग्राम)	(40) बोथ	(77) गणेशपुर (370)
(6) साखी बुद्रुक	(41) माले गांव खुर्द (वन गांव)	(78) टाटापुर
(7) वधोना खुर्द	(42) हिवारदारी (वन गांव)	(79) जुन्जापुर
(8) जोलापुर (वन ग्राम)	(43) मालागांव बुद्रुक (वन गांव)	(80) गेंडवाकाडी
(9) करांजी	(44) दरियापुर	(81) चलबर्दी
(10) वधोना बुद्रुक	(45) पिल्वाहरी	(82) बेलुरी
(11) तिवसाला (वन ग्राम)	(46) अर्ली	(83) टादुमारी
(12) कोथाड़ा	(47) हिवरी	(84) बरगांव (377)
(13) सुरदेवी	(48) पिंपालशेंडा (333)	(85) अकोली बुद्रुक
(14) चनई	(49) कारेगांव (334)	(86) महानदोली
(15) असोली	(50) वाडवत	(87) सखारा
(16) मोहादा	(51) खैरी (336)	(88) मराठवाकाडी
(17) कारेगांव (163)	(52) घुवाडी	(89) ढोकी (382)
(18) चिखालदारा	(53) कोंघारा	(90) वल्लारपुर
(19) कृष्णापुर	(54) सखरा बुद्रुक	(91) टोकवनजारी
(20) दाभा	(55) धारना	(92) वानजारी (382)
(21) मोरवा	(56) मांगी (343)	(93) खारीगांव बुद्रुक
(22) खैरगांव (199)	(57) ढोकी (344)	(94) टिमभी
(23) वघोली	(58) वायी	(95) राधापुर (वन गांव)
(24) कुसल	(59) पिंपालपुर	(96) पिखाना (वन गांव)
(25) चोपन	(60) गणेशपुर (347)	(97) वासारी

(26) मल्कापुर (वन गांव)	(61) खैरगांव (348)	(98) अन्धारवाडी
(27) केगांव	(62) पाधे	(99) येदलापुर (वन गांव)
(28) वादनेर	(63) निलजई	(100) चनाखा
(29) जुली	(64) मारगांव (352)	(101) निमधेली
(30) भाद उमारी	(65) अभोरा	(102) रुधा
(31) पटोडा	(66) डोंगरगांव (358)	(103) सुकली
(32) पहापल	(67) पिंपारी (353)	
(33) नागजारी खुर्द	(68) खैरगांव (360)	
(34) बहत्तर	(69) मुची	
(35) सुसारी	(70) मगुर्दा	
	(71) पंधारवानी बुद्रुक (वन गांव)	
	(72) कोंधी	

(iv) **घतांजी तहसील के पचपन (55) गांव नीचे दर्शाए गए हैं** :

घतांजी तसील

(1) मारवेली	(21) काप	(39) चिखालवर्धा
(2) रजुरवाडी	(22) कवाथा बुद्रुक	(40) तड़-सवाली
(3) लिंगी	(23) बिलायत	(41) सैफल
(4) कोली खुर्द	(24) खादकी (260)	(42) नागेजरी बुद्रुक
(5) कोली बुद्रुक	(25) चिमटा	(43) कवाथा (वन गांव)
(6) रामपुर उन्धार्नी	(26) कोपरी खुर्द	(44) पारवा
(7) कापशी	(27) चिंचोली (268)	(45) मझाडा
(8) डेटोडी	(28) किंधी (वन गांव) (269)	(46) पार्दी
(9) गुधा	(29) गवारा (वन गांव)	(47) जम्ब
(10) वारुड (240)	(30) टिटवी	(48) कालेश्वर
(11) जपारवाडी	(31) मुरादगवन (वन गांव)	(49) शेराद
(12) उमरी (242)	(32) पिंपाल खुटी (वन गांव)	(50) धुंकी (वन गांव)
(13) पलोडी	(33) खरोनी (वन गांव)	(51) मथानी (वन गांव)
(14) कोपरी (244)	(34) वधोना	(52) राजागांव (वन गांव)
(15) घोटी	(35) डोर्ली	(53) खापरी (वन गांव)
(16) बुडाडी	(36) राहती	(54) होनेगांव
(17) मुधाटी (वन गांव)	(37) रासा (वन गांव)	(55) गनेरी
(18) जलान्द्री	(38) जताला	
(19) मनुसधारी		
(20) अयाते		

10. गढ़चिरौली जिले में निम्नलिखित:

(क) इट्टापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेडा तहसील |

(ख) (i) गढ़चिरौली तहसील के बासठ (62) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गढ़चिरौली तहसील :

(1) नावगांव (636)	(22) मुदजा तुकुम	(43) गजनगुडा
(2) चाक चुरचुरा	(23) करुपाला	(44) बनोली
(3) कुराधी	(24) मसली	(45) सूर्यडोंगरी
(4) चाक मउसी	(25) रणभूमि	(46) सलाईटोला
(5) मरमेडी	(26) चन्द्राला	(47) विटानटोआ
(6) बोथेडी	(27) रणमोल	(48) पोटेगांव
(7) पेलनदुर	(28) कुम्भी पत्व	(49) रजोली (734)
(8) गिलगांव (658)	(29) कुम्भी मोकासा	(50) म्रदास
(9) चाक खरपुर्डी	(30) मादे मुल	(51) जालेर
(10) जपरा	(31) मारोदा	(52) दैवापुर
(11) चाक धिबाना	(32) कोसामघाट	(53) रामगाड (738)
(12) मेरेउमबोडी	(33) रायपुर (718)	(54) गावलहेटी
(13) कुरकेडी	(34) रवानजोरा	(55) डेउडा
(14) खुरसा	(35) पेकिनकासा	(56) खरादगुडा
(15) वीसापुर	(36) सवेला	(57) तालकुडा
(16) सोनापुर	(37) सुईमारा	(58) जामगांव
(17) मोंधा (680)	(38) सखेरा	(59) काडसी
(18) सावरगांव (683),	(39) कर्कज़ारा	(60) कोरकुटी
(19) कनरी	(40) कन्हलगांव (725)	(61) नागवेली
(20) पुलखाल	(41) केलीगाटा	(62) जालेगांव
(21) मुदजा बुद्रुक	(42) तोहागांव	

(ii) अरमोरी तहसील के चौहत्तर (74) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अरमोरी तहसील

(1) कोरागांव (6)	(26) चाक केरपाडा	(52) पारसवाडी (113)
(2) कालमगांव	(27) लोहारा (78)	(53) डवाडी
(3) कुरल	(28) चाक सोनपुर	(54) खादकी (115)
(4) सलेडा तुकाम	(29) हिरापुर (80)	(55) भाकरांडी
(5) सलेडा लाम्बा	(30) डोंगर तामसी	(56) नरोती मालगुजार
(6) कसारी तुकाम	(31) सियानी खुर्द	(57) कारेगांव (119)
(7) कसारी गांव	(32) चावहेला	(58) वारखेडा

(8) शिवराजपुर (29) (9) पोटेगांव (30) (10) विहिरगांव (33) (11) पिपांलगांव (12) अरात-तोन्डी (13) डोंगारगांव (हलाबी) (14) प्लासगांव (43) (15) नवारगांव (16) पाथरगोटा (49) (17) मगेवड़ा (18) अर मोरी (19) सलमारा (20) थानेगावं (21) पटानवेड़ा (22) पुरानवैरागड (23) देउलगांव (69) (24) सुकला (25) मोहाजारी उर्फ सखारबोडी	(33) मोहाताला चाक कुकोडी (34) मेंधा (89) (35) डोंगारतमसी (36) नगरवाडी (37) चाक नरोती (38) चाक कुरोंडी (39) वाडेगांव (40) थोटीबोडी (41) देलवांडी (42) मेनापुर (43) कोसारी (44) मनगोडा (45) तुलतुली (46) चकनागारवाही (47) विहिरगांव (48) कुरांडी (49) उमारी (50) यंगाडा (51) पिसेवाडढ़ा	(59) खराडी (60) भंशी (61) डोर्ली (62) वनारचुवा (63) जमभाली (127), (64) मिंधा(128), (65) नारचोली (66) खेहारी (67) मारगांव पेच (68) मारगांव (140) (69) चाक मारगांव (70) चाक चिंचोली (71) मुसी खुम्ब (72) वेलगांव (144), (73) चिचोली (145), (74) वानखेडा

(iii) चामरोसी तहसील के एक सौ बत्तीस (132) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

चामरोसी तहसील :

(1) सगानपुर (758) (2) बनढोना (764) (3) गिलगांव (765) (4) भिंडी कनाल (771) (5) थातारी (6) चाइट कन्हार (7) कालमगांव (8) कुरुड (9) मालेर, (10) कुलेगांव (11) नाचनगांव (12) भादभिद (788) (13) वालसारा (14) चाक बिसापुर	(45) मांगेर (46) चिंचापल्ली (47) वानारचुवा (48) जयरामपुर (49) वाइगांव (50) नाराणपुर (51) राजुर खुर्द (52) हलदवाही (53) मुधौली (54) कोठारी (845) (55) बम्हानी देव (56) सोमनपल्ली (57) कान्हलगांव (848) (58) सिंगेला	(89) अम्बेला (वन गांव) (90) गाट्टा (वन गांव) (91) अडगेपल्लि (93) येल्लूर (94) थाकरी (95) राजगट्टा (908) (96) लोहरा (97) मुकारीटोला (98) भोलखांडी (वन गांव) (99) हेतलकासा (100) बोलपल्ली (101) पुलीगुड्म (102) कुनघाडा (103) कोलसापुर

(15) जोगाना	(59) बेलगाट्टा	(104) गंगापुर
(16) मुरमुरी	(60) पेठताला	(105) चंदन खेड़ी
(17) रावनपल्ली	(61) छाक पेठाताला सं. 1,	(106) मालेरा
(18) सोनापुर	(62) परादीदेव	(107) बसारवाड़ा
(19) डरर्ली	(63) यादवपल्ली	(108) चापराला
(20) रेखागांव	(64) राजपुर (856)	(109) छइदमपट्टी
(21) येदानूर	(65) जाम्भालीरिथ	(110) मुकाडी (वन गांव)
(22) पेलसानपेथ	(66) मेटेगुडा	(111) फुस्की
(23) पन्धारी भटाल	(67) छाक बेलगत्ता	(112) सिगनपल्ली
(24) राजनगेट्टा	(68) मांजी गांव	(113) धामनपुर
(25) चाक अमरगांव न.1(809)	(69) मच्छालीघोट	(114) कोठारी (930)
(26) मुतनूर	(70) चाक माक्केपल्लि सं.4	(115) अम्बाटपाल्लि
(27) अबापुर	(71) दरपन गुडा	(116) गोमानी
(28) मुरानदेपी	(72) छाक माक्केपल्लि सं.2	(117) लागमहेट्टी
(29) लिनगुडा	(73) छाक माक्केपल्लि सं.3	(118) दामनपुर
(30) अदयल	(74) गारांजी	(119) बन्दुकपल्ली
(31) कर्कापल्ली	(75) छाक मडे आमगांव	(120) कोड़ीगांव
(32) चाक कर्कापल्ली	(76) छाक मडे आमगांव सं.1	(121) चिचेला
(33) जंगामरकुरल	(77) छाक मडे आमगांव सं.2	(122) नागुलवाही
(34) फियूजर	(78) तुमडी	(123) छितुगुंहा
(35) धेकानी	(79) गिरगाडी	(124) तुमुगुडा
(36) चाक मुदोली न..2,	(80) माकेपल्लि मालगुजारी	(125) माछिनगट्टा
(37) लक्ष्मणपुर	(81) बोरघाट	(126) येल्ला
(38) सगानपुर (829)	(82) अस्टी नोकेवाडा	(127) टिकपाल्ली
(39) अम्बोली	(83) ब्राहमणपेठ	(128) मारपाल्ली
(40) गहुबोदी	(84) बेंगानूर	(129) जामगांव
(41) छाक नारायणपुर संख्या 1	(85) नोकेवाडा	(130) कुलथा
(42) छाक नाराणपुर संख्या 2	(86) अल्लापल्ली	(131) रामपुर
(43) राजुर बुद्रुक	(87) रेगेवाही	(132) लागम चक
(44) भादविड (835),	(88) कोलपल्ली	

11. चन्द्रपुर जिले में निम्नलिखित:

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी (182) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1) पारसौदा	(62) जुलबारदी	(123) सोराकासा
(2) रायपुर	(63) सवालहीरा	(124) कुसुम्बी
(3) कोथोडा खुर्द	(64) खीरगांव (80)	(125) जनकपुर

(4) गोविंदपुर	(65) पांढरवानी (81)	(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(5) कोथोडा बुद्रुक	(66) जांम्बुलढ़ारा	(127) देवड़ा
(6) मेंहदी	(67) धानकदेवी	(128) खडकी रायपुर
(7) पर्दी	(68) येरमी इसपुर	(129) गोवेन्दपुर
(8) जैवरा	(69) सारंगपुर	(130) मारियापट्न
(9) चनाई खुर्द	(70) जिवाती	(131) उमराजारा (176)
(10) अकोला	(71) नागापुर	(132) राहपल्ली खुर्द
(11) कोरपाना	(72) मारकोलमोट्टा	(133) धार्मराम
(12) दुर्गादी	(73) धोंदा अरजुनी	(134) भोकसापुर
(13) रुपापेठ	(74) धोंधा मांडवा	(135) बाम्बेजारी
(14) चुनाई बुद्रुक	(75) टेका अर्जुनी	(136) भारी
(15) मांडवा	(76) टेका मांडवा	(137) पांडरवानी (182)
(16) कानेरगांव बुद्रुक	(77) राहपल्ली बुद्रुक	(138) सिंडोलाटा
(17) कटलावोडी	(78) छिखिली (94),	(139) सोंडो
(18) शिवपुर	(79) पाटन (95),	(140) बेलगांव (185)
(19) चौपान	(80) हीरापुर	(141) काकड़घाट
(20) करमवौडी	(81) इसपुर	(142) गनेरी
(21) कुकुलवोंडी	(82) आसन खुर्द	(143) खिरदी
(22) टीपा	(83) आसन बुद्रुक	(144) सेदवई
(23) मंगुलहीरा	(84) पीपलगांव	(145) बाबरपुर
(24) खादकी (27),	(85) पालजारी	(146) हीरापुर (200),
(25) जमुलधारा (28),	(86) बोरिनवे गांव	(147) सखारी
(26) बोरगांव बुद्रुक	(87) नन्दा	(148) मनोली खुर्द
(27) बोरगावं खुर्द	(88) बीबी	(149) गोयेगांव
(28) आशापुर	(89) धुनकी	(150) हरडोना खुर्द
(29) तांगाला	(90) धामनगांव	(151) हरडोना बुद्रुक
(30) खेरगांव (33),	(91) काखमपुर	(152) विनिरगांव (224)
(31) हतलौनी	(92) बाडगांव	(153) मागी
(32) एरगांव	(93) इंजापुर	(154) वांगी
(33) उमारजारा	(94) चंदूर	(155) पांढरपौनी (227)
(34) येल्लापुर	(95) कुकुदसात	(156) अहेरी
(35) शिंगार पारार	(96) खिरदी	(157) कोच्छी
(36) लम्बोंरी	(97) धुतरा	(158) गोराज
(37) सेदवई	(98) बहलामपुर	(159) बारुर
(38) नरपाथर	(99) मनोली खुर्द	(160) रानीवेली
(39) कोदापुर	(100) जमानी	(161) भेडोडा

(40) घरपाना (41) नाकेवाडा (42) गुडसेल (43) वानी (44) केकाजारी (45) मोहदा (46) पुदियाल मोहदा (47) कमलापुर (48) चिंचखोंड (49) वनसाडी (50) पराम्बा (51) देवघाट (52) कुसाल (53) दाहेगांव (54) सोनुरलो (70) (55) कारगांव खुर्द (71) (56) धानोली (57) पिपारदा (58) छिनछोली (59) कारगांव बुद्रुक (60) मारकागोंडी (76) (61) बेलगांव	(101) नोकारी बुद्रुक (102) सोनापुर (103) उप्पारवाई (104) भुरखुंडा खुर्द (105) कदकी (150), (106) नोकारी खुर्द (107) नागराला (108) पालेजारी (109) काकबान (110) डोगरागांव (155) (111) छिखाली (156), (112) भुरखुंडा बुद्रुक (113) पछगांव (114) सेनगांव (159) (115) ताताखेंडी (116) भेंडवी (117) सुकादपल्लि (118) कारकागोंडी (119) तित्वी (120) नादपा (121) येरगांवन (122) कावादगोंडी	(162) ताम्भुरवाही (163) चिरुड़ (164) छिंछवोडी (165) कवथाला (166) सोनुरली (167) सिरसी (168) बेरडी (169) भेंडाला (170) केलजारी (171) नवेगांव (265), (172) चिंचाला (173) वीरुर (174) सिद्धेश्वर (175) घोट्टा (176) गोगरगांव (177) सुबाई (178) कोस्ताला (179) लाक्कदकोट (180) अम्बेजारी (181) अन्तरगांव (277) (182) अन्नूर

महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरुप से अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.आ. 26) दिनांक 07.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां, तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ. 123) दिनांक 02.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है |

V. ओडिशा ##

1. मयूरभंज जिला **2.** सुदरंगढ़ जिला **3.** कोरापुट जिला **4.** सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील **5.** क्योंझर जिले में, क्योंझर उप मंडल की क्योंझर और तेलकोइ तहसीलें और चम्पुआ उप मंडल की चम्पुआ और बारबील तहसीलें	**7.** गंजाम जिले आर, उदयगिरि और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढ़ा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर उप मंडल के गजलबाडी और ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम |	**8.** कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप-मण्डल में थौमुल रामपुर खंड और लांजीगढ़ में पड़ने वाला लांजीगढ़ खंड और कालाहांडी तहसीलें | **9.** बालासोर जिले में नीलगिरि उप मंडल के नीलगिरि

6. बौध-खोंडमल जिले की खोण्डमाल उप मंडल की खोण्डमाल तहसील और बालीगुडा उप मंडल की बालीगुडा और जी उदयगिरि तहसीलें।		तहसील का नीलगिरि सामुदायिक विकास खंड।

ओडिशा राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप से अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) (राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध ओडिशा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान ###

(1). बांसवाड़ा जिला (2). डूँगरपुर जिला (3). प्रतापगढ़ जिला (4). उदयपुर जिले में निम्नलिखित: (क) कोटरा, झड़ोल (तत्कालीन फलासिया), लसड़िया, सालम्बर, सरदा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और गोगुन्दा की तहसीलें। गिरवा तहसील में निम्नलिखित (i) गिरवा ब्लॉक। (ii) बड़गांव प्रखंड की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव निम्नानुसार हैं: (I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुंदर, राठौरों का गुढ़ा, बंदरवाड़ा, घोड़ान कलां, घोरान खुर्द और कायलों का गुढ़ा गांव। (II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावारी, मथाथा, नागदा, झालों का गुढ़ा और मुनवास गांव। (III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी,	(5). राजसमंद जिले में निम्नलिखित: (क) कुम्भलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है: (i) अंत्री ग्राम पंचायत के अंत्री, संदूकों का गुढ़ा और बारां गांव। (ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावड़ा गांव। (iii) ओरा ग्राम पंचायत के ओरा, डोवास और कोडर गांव। (iv) पीपना ग्राम पंचायत के पीपना, जेतरान और देलवरिया गांव। (v) बरदरा ग्राम पंचायत के बरदरा, उदावर, कलथाना और कोटरा गांव। (ख) नाथद्वारा तहसील के कालिवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित गांव, अर्थात् कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुढ़ा, गैमेथॉन का नोहारा, दमवारी, कोलार, मुंजेला, लीलेरा, रैनिया, श्यामजी का गुढ़ा, सियोल, सोंगरिया और टेंटेला। (6). चित्तौड़गढ़ जिले में बारी सदरी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव, जैसा कि नीचे बताया गया है:	(8).सिरोही जिले में निम्नलिखित (क) आबूरोड तहसील (ख) पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव नीचे वर्णित हैं: (i) वर्ली ग्राम पंचायत के वरली, कुंडल, सबेला, वागदारी, ढांगा, कलुंबरी और पिंडवाड़ा (ग्रामीण) गांव। (ii) मोरास ग्राम पंचायत के मोरास, चिनिया बैंड और भदावेरी गांव। (iii) अमली ग्राम पंचायत के अमली, थांडी बेरी, सदालवा और मलप गांव। (iv) घराट ग्राम पंचायत के घराट, मलेरा, नवास, गड़िया और पहाड़ कलां गांव। (v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, अप्री खेड़ा और कलाबोर गांव। (vi) मंदवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के मंडवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वर्की खेड़ा गांव।

करेलों का गुढ़ा और सारे गांव।

(IV) अंबरी ग्राम पंचायत के अंबरी, भीलों का बेड़ला, ओटन का गुढ़ा और प्रतापपुरा गांव।

(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली और बड़ा गांव।

(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोदिया, घसियार और डांगियों का हुंदर गांव।

(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बेयाल, कुंडल उबेश्वरजी, धार, बडंगा और बनड़िया गांव।

(क) मावली तहसील के नौवा ग्राम पंचायत के नौवा, खदरा, रायजी का गुढ़ा और मारुवास गांव।

(ख) वल्लभनगर तहसील के ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव नीचे वर्णित हैं:

(I) मल की तूस ग्राम पंचायत के मल की तूस, गोवाला, फालेट, टैंक और ब्राहमणों का रोबा गांव।

(II) धवरिया ग्राम पंचायत के धवरिया, खेराफला, नागलिया, रानी डूंगला और रानिया गांव।

(III) भोपा खेरा ग्राम पंचायत के भोपा खेरा, बेरीपुरा, हमरपुरा, फुसरिया और रायला गांव।

(IV) कुंदई ग्राम पंचायत के कुंदई, भामेला, गोटीपा, कंकरियों का खेरा, नाहरपुरा उर्फ नरपुरा,

(क) रतिचंद्र जी का खेरा ग्राम पंचायत के अफ्रोन का तालाब, लिंकोडा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रुघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रति तलाई, रति चंद्र जी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा और गुंडल पुर गांव।

(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पार्बती, रूप पुरा और मरौदिया गांव।

(ग) केवलपुरा (क), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिव पुरा, तेगरियो का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लच्छमीपुरा, हरिपुरा, श्यामपुरा, जूनी बरवाल, कल्याणपुरा और केवलपुरा (ख) केवलपुरा ग्राम पंचायत के गांव।

(घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातमगरी, ढिकरिया खीरी, पूजन का फलियां, पयरी, केशरपुरा, खानखरिया खीरी, लालपुरा, काला खेत और दीपोन का तालाब।

(ङ) परसोली ग्राम पंचायत के परसोली, बोरुंडी, गढ़ बोरुंडी, संग्रामपुरा, राठौरों का खेड़ा, खीरी कलां, खीरी खुर्द और सुखपुरा गांव।

(7). पाली जिले में बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव निम्नानुसार हैं:

(क) अमलिया ग्राम पंचायत के अमलिया, कागदरा, थांडी बेरी, लक्ष्मण पुरा जोड़ और बोथारा गांव।

(ख) कूरन ग्राम पंचायत के कूरन, खेतराली, कोलवाड़ा, कोटिवाड़ा, कूरन खदरा और खेतराली खड़ा गांव।

(vii) सांवारा ग्राम पंचायत के सांवारा, सदा फली, नववास देव, नववास खालसा और सेमली गांव।

(viii) इसरा ग्राम पंचायत के इसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा गांव।

(ix) वलोरिया ग्राम पंचायत के वलोरिया गांव।

(x) मंडवाड़ा देव ग्राम पंचायत के मंडवाड़ा देव, पीतारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी गांव।

(xi) भुला ग्राम पंचायत भूला ग्राम।

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कसींदा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नंबर 2 और कोटरा गांव।

(xiii) बसंत गढ़ ग्राम पंचायत का बसंत गढ़ गांव।

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दारला पडर गांव।

पद्मा खेड़ा और संग्रामपुरा गांव।	(ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा गांव। (घ) भीमना ग्राम पंचायत के भीमना, उपला भीमना, तानी, उराना और नदिया गांव। (ङ) काकरड़ी ग्राम पंचायत के काकरड़ी, अरडवां, दानवेरली, सांभरवाड़ा और बेरडी गांव। (च) मल्नू ग्राम पंचायत के मल्नू, हीरोला और लालपुरा गांव। (छ) पीपला ग्राम पंचायत के पीपला गांव। (ज) लुंदरा ग्राम पंचायत के लुंदरा, चिमनपुरा और मालदार गांव। (झ) कोयलावाओ ग्राम पंचायत के कोयलावाओ, चिंगता भाटा और चोपा की नाल गांव।	

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल रुप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। राजस्थान के विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ 114) दिनांक 12-2-1981 को अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 2018 (सी ओ 270) दिनांक 19-5-2018 द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VII. झारखण्ड @

1. रांची जिला **2.** लोहरदगा जिला **3.** गुमला जिला **4.** सिमडेगा जिला **5.** लातेहार जिला **6.** पूर्वी-सिंहभूम जिला **7.** पश्चिमी- सिंहभूम जिला	**8.** सरायकेला-खरसावां जिला **9.** साहेबगंज जिला **10.** दुमका जिला **11.** पाकुर जिला **12.** जामतारा जिला **13.** पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें	**14.** गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक **15.** गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26. 1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित

झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश @@

1. झाबुआ जिला 2. मंडला जिला 3. डिन्डोरी जिला 4. बरवानी जिला 1 5. धार जिले में सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी और मनावर तहसीलें 6. खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले में भगवानपुरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खरगोन और महेश्वर तहसीलें 7. खण्डवा (पूर्वी निमाड़) जिले की हरसूद तहसील के खालवा आदिवासी विकास खंड एवं खकनार तहसील के खकनार आदिवासी विकास खण्ड 8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजना तहसीलें 9. बैतूल तहसील (बैतूल विकास खंड को छोड़कर) और बैतूल जिले में भैंसदेही और शाहपुर तहसीलें 10. सिवनी जिले में लखनादोन, घनसौर और कुरई तहसीलें 11. बालाघाट जिले की बैहर तहसील	12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला आदिवासी विकास खंड 13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैठारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसीलें 14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली आदिवासी विकास खंड 15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी आदिवासी विकास खंड 16. श्योपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल आदिवासी विकास खंड 17. तामिया एवं जमाई तहसीलें, पटवारी अंचल संख्या 10 से 12 एवं 16 से 19, ग्राम सिरेगांव खुर्द एवं किरवाड़ी पटवारी अंचल सं. 09, ग्राम मैनावारी एवं पटवारी अंचल सं. 13 के गौली परसिया, परसिया तहसील में, छिंदवाड़ा तहसील में पटवारी अंचल संख्या 25 का ग्राम बम्हानी,	अमरवाड़ा तहसील में हराई आदिवासी विकास खंड एवं पटवारी अंचल संख्या 28 से 36,41,43,44 एवं 45ख बिछुआ तहसील एवं पटवारी अंचल संख्या 05, 08, 09,10,11 एवं सौंसर तहसील में 14, पटवारी अंचल सं. 01 से 11 एवं 13 से 26 और पटवारी अंचल सं. 12 (भूली को छोड़कर), पटवारी अंचल संख्या 27 के ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील के पटवारी अंचल संख्या 28 के नीलकंठ और धवडीखापा.

IX. छत्तीसगढ़ @@

1. सरगुजा जिला 2. कोरिया जिला 3. बस्तर जिला 4. दंतेवाड़ा जिला 5. कांकेर जिला 6. बिलासपुर जिले में मरवाही, गोरेला-1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खंड एवं कोटा राजस्व निरीक्षक अंचल	9. रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलुंगा और खरसिया आदिवासी विकास खंड 10.दुर्ग जिले में डोंडी आदिवासी विकास खंड	12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा आदिवासी विकास खंड 13. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकास खंड

7. कोरबा जिला 8. जशपुर जिला	11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकास खंड	

@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

टिप्पणः उपर्युक्त सूची में अनुसूचित क्षेत्र की वर्तनी में किसी असंगतता के मामले में सम्बंधित मूल अधिसूचना को अंतिम तथा अधिप्रमाणित माना जाएगा ।

अनुलग्नक 6क

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए डीएपीएसटी आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एसटीसी दायित्व	2020-21 (वास्तविक)			2021-22 (वास्तविक)			2022-23 (वास्तविक)			2023-24 (संशोधित अनुमान)		
1	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	4.30	2246.99	102.81	4.58	2327.71	98.46	4.23	1993.35	96.01	4.82	2574.36	110.69	4.30
2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	8.60	107740.44	9677.81	8.98	113538.97	10073.20	8.87	99272.60	8516.43	8.58	115053.12	9992.60	8.69
3	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	8.60	2315.73	241.34	10.42	2473.61	222.82	9.01	2051.21	166.48	8.12	3691.50	268.69	7.28
4	वाणिज्य विभाग	4.30	3746.97	15.45	0.41	6632.05	15.53	0.23	6302.87	24.51	0.39	5244.39	25.51	0.49
5	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30	11272.73	1.71	0.02	2112.04	1.92	0.09	96.69	0.75	0.78	182.61	1.10	0.60
6	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	8.60	506.93	38.90	7.67	556.49	46.69	8.39	599.57	43.50	7.26	657.00	56.59	8.61
7	मत्स्य विभाग	8.60	708.58	62.89	8.88	1177.64	109.38	9.29	1114.20	100.47	9.02	1525.00	136.44	8.95
8	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	554321.60	5421.31	0.98	301739.46	12389.97	4.11	281683.18	12756.53	4.53	221453.18	9598.91	4.33
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.60	61387.60	4005.39	6.52	64378.34	4262.70	6.62	51589.09	4741.23	9.19	47980.58	4126.33	8.60
10	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.60	4668.22	1294.21	27.72	3434.89	1459.86	42.50	4161.44	1841.56	44.25	4480.39	2116.86	47.25
11	भूमि संसाधन विभाग	10.00	1162.98	134.81	11.59	1191.05	223.76	18.79	982.14	23.92	2.44	1875.00	15.98	0.85
12	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	196362.34	5167.14	2.63	160406.47	18652.60	11.63	176760.00	17701.14	10.01	170881.18	20089.38	11.76
13	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10.70	41429.38	4099.62	9.90	35860.19	4199.99	11.71	46055.44	5288.89	11.48	46958.00	6004.01	12.79

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एसटीसी दायित्व	2020-21 (वास्तविक)			2021-22 (वास्तविक)			2022-23 (वास्तविक)			2023-24 (संशोधित अनुमान)		
14	विज्ञान और तकनीकी विभाग	4.30	2189.39	87.76	4.01	2047.31	93.63	4.57	1790.65	71.18	3.98	1340.00	57.62	4.30
15	दरसंचार विभाग	4.30	11396.77	290.20	2.55	11480.55	411.73	3.59	55183.21	188.20	0.34	6678.27	596.17	8.93
16	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8.60	6444.18	186.18	2.89	16217.89	354.52	2.19	10886.37	220.49	2.03	18187.07	301.59	1.66
17	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10.00	15943.16	1623.40	10.18	66224.26	4310.62	6.51	59624.89	6109.97	10.25	77000.00	7596.70	9.87
18	उर्वरक विभाग	4.30	127921.74	--	--	153758.10	6782.83	4.41	251340.48	10956.32	4.36	188901.50	8274.31	4.38
19	औषधि विभाग	4.30	394.32	18.49	4.69	578.39	--	--	1955.32	23.35	1.19	2303.76	14.57	0.63
20	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	515.68	31.70	6.15	651.01	34.71	5.33	832.74	43.42	5.21	950.00	54.91	5.78
21	कोयला मंत्रालय	8.60	504.35	83.66	16.59	496.08	72.59	14.63	55.58	41.62	74.88	110.50	51.16	46.30
22	संस्कृति मंत्रालय	4.30	344.67	11.43	3.32	436.20	32.66	7.49	770.20	35.81	4.65	808.77	35.59	4.40
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.60	1834.74	563.60	30.72	2620.34	715.09	27.29	936.18	239.54	25.59	5850.16	1690.00	28.89
24	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	3030.54	204.00	6.73	4504.36	347.52	7.72	5531.09	254.56	4.60	10491.25	707.92	6.75
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	1106.19	96.59	8.73	1419.92	123.54	8.70	1303.87	106.80	8.19	1580.80	162.35	10.27
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	1054.80	27.70	2.63	1048.23	28.61	2.73	1281.33	13.28	1.04	2695.00	66.43	2.46
27	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	45145.38	369.08	0.82	105344.20	565.99	0.54	75759.25	953.43	1.26	65470.03	953.77	1.46
28	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	12321.45	1101.60	8.94	23394.45	1960.57	8.38	14091.81	1188.34	8.43	11714.99	1008.03	8.60

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एसटीसी दायित्व	2020-21 (वास्तविक)			2021-22 (वास्तविक)			2022-23 (वास्तविक)			2023-24 (संशोधित अनुमान)		
29	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	5352.19	553.87	10.35	15107.14	1468.58	9.72	23530.19	2469.77	10.50	21868.97	1998.08	9.14
30	खान मंत्रालय	4.30	--	23.13	--	--	17.48	--	--	20.64	--	--	18.40	--
31	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	2866.81	200.98	7.01	4143.46	235.91	5.69	7592.85	349.48	4.60	7623.46	736.21	9.66
32	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	656.71	56.48	8.60	830.40	125.08	15.06	864.96	76.50	8.84	941.14	83.51	8.87
33	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	41867.45	1134.14	2.71	5491.33	92.23	1.68	30837.17	286.15	0.93	14616.39	498.50	3.41
34	विद्युत मंत्रालय	8.60	7589.69	391.99	5.16	18044.99	...	--	5882.54	--	--	13921.52	900.00	6.46
35	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4.30	99028.39	3404.57	3.44	123419.90	4501.10	3.65	216942.14	6287.30	2.90	276176.45	18647.90	6.75
36	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	8.60	2372.63	187.84	7.92	1844.36	146.16	7.92	1119.39	84.46	7.55	2905.97	183.38	6.31
37	वस्त्र मंत्रालय	8.60	3068.78	115.53	3.76	10995.91	157.61	1.43	3025.35	169.03	5.59	2654.87	172.25	6.49
38	पर्यटन मंत्रालय	4.30	998.40	49.00	4.91	686.84	--	--	571.12	18.32	3.21	1599.27	69.00	4.31
39	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	5461.54	5461.67	100.00	6173.97	6125.51	99.22	7220.05	7225.29	100.07	7544.77	7529.77	99.80
40	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	19008.18	1429.80	7.52	21428.81	1967.27	9.18	23746.10	2111.40	8.89	25151.15	2370.00	9.42
41	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	8.60	778.43	116.32	14.94	1257.99	102.16	8.12	1243.58	126.69	10.19	1786.58	134.43	7.52
42	सहकारिता मंत्रालय	8.60		--	--	--	--	--	1371.93	--	--	650.04	--	--
		कुल	**1407067.05**	**48084.10**	**3.42**	**1295475.30**	**82530.58**	**6.37**	**1477952.12**	**90972.76**	**6.16**	**1394078.99**	**107455.64**	**7.71**

अनुलग्नक 6ख

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा आवंटन एवं व्यय का विवरण (राज्य/संघ शासित प्रदेश से दिनांक 02.04.2024 को प्राप्त सूचना के अनुसार):

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	% अजजा जनसंख्या (2011)	वित्त वर्ष 2021-22					वित्त वर्ष 2022-23@					वित्त वर्ष 2023-24*				
			राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	टीएसपी आबंटन	टीएसपी आबंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	टीएसपी आबंटन	टीएसपी आबंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	टीएसपी आबंटन	टीएसपी आबंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	106632.72	6131.24	5.75	4125.41	67.29	119041.20	6144.90	5.16	4136.70	67.32	130750.21	6929.09	5.30	एनआर	एनए
2	अंडमान और निकोबार	7.5	5781.54	201.75	3.49	201.16	99.71	5568.05	217.62	3.91	217.20	99.81	6047.14	226.77	3.75	37.20	16.40
3	असम	12.4	46894.00	1604.81	3.42	1492.04	92.97	41336.00	1659.30	4.01	1584.99	95.52	37317.00	1803.93	4.83	एनआर	एनए
4	बिहार	1.3	91708.84	1352.26	1.47	1505.19	111.31	118630.35	1503.90	1.27	1805.03	120.02	100000.00	1280.00	1.28	219.53	17.15
5	छत्तीसगढ़	30.6	76905.27	22101.36	28.74	17254.81	78.07	86977.30	24229.94	27.86	20485.09	84.54	81111.26	26168.69	32.26	एनआर	एनए
6	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप	33.0	3563.59	15.02	0.42	1.74	11.58	3781.10	12.01	0.32	1.06	8.83	2482.00	1.24	0.05	एनआर	एनए
7	गोवा	10.2	13088.33	489.66	3.74	207.03	42.28	11426.00	378.21	3.31	279.59	73.92	15898.71	1314.38	8.27	10.97	0.83
8	गुजरात**	14.8	-	14463.08	एनए	12955.01	89.57	-	16376.99	एनए	14712.79	89.84	162791.69	18754.36	11.52	2956.63	15.77
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	9405.41	846.49	9.00	682.25	80.60	9524.00	855.40	8.98	701.24	81.98	9524.00	857.14	9.00	392.29	45.77
10	जम्मू और कश्मीर	10.4	34704.46	109.04	0.31	62.09	56.94	57784.95	109.04	0.19	41.03	37.63	71491.24	109.04	0.15	3.47	3.18
11	झारखंड	26.2	53333.66	22220.08	41.66	18300.21	82.36	57259.00	24091.52	42.07	21381.40	88.75	70973.00	30529.67	43.02	176.09	0.58
12	कर्नाटक	7.0	103347.13	7822.80	7.57	7522.20	96.16	114492.00	8417.59	7.35	8077.19	95.96	142000.00	9960.34	7.01	एनआर	एनए
13	केरल	1.5	27610.00	781.36	2.83	720.90	92.26	30370.00	859.50	2.83	747.86	87.01	30370.00	859.50	2.83	199.16	23.17
14	मध्य प्रदेश	21.1	135338.52	30097.68	22.24	27277.97	90.63	157615.66	36362.82	23.07	34143.83	93.90	179485.83	45124.30	25.14	14421.85	31.96
15	महाराष्ट्र	9.4	130000.00	9305.93	7.16	7989.98	85.86	150000.00	11832.20	7.89	10983.29	92.83	172000.00	15108.93	8.78	9250.65	61.23
16	मणिपुर	40.9	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
17	ओडिशा	22.8	90816.33	15936.29	17.55	11356.01	71.26	102730.32	17012.45	16.56	13889.45	81.64	138428.79	21197.98	15.31	1192.44	5.63
18	पुडुचेरी	-	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए

19	राजस्थान	13.5	153369.88	19896.81	12.97	18045.00	90.69	169455.55	23569.35	13.91	21224.01	90.05	184311.57	26931.73	14.61	2763.58	10.26
20	सिक्किम	33.8	1053.90	1.00	0.09	1.00	100.00	1028.89	1.00	0.10	1.00	100.00	1477.59	9.15	0.62	एनआर	एनए
21	तमिलनाडु	1.1	63026.99	1327.51	2.11	1045.94	78.79	68069.10	1787.59	2.63	1864.15	104.28	77930.30	1595.89	2.05	372.30	23.33
22	तेलंगाना	9.3	126272.59	11943.99	9.46	8786.73	73.57	142061.00	13838.00	9.74	8782.00	63.46	159538.00	15233.00	9.55	2354.00	15.45
23	त्रिपुरा	31.8	8510.26	3757.14	44.15	2614.92	69.60	10269.29	4517.42	43.99	3274.86	72.49	12651.29	5255.81	41.54	एनआर	एनए
24	उत्तर प्रदेश	0.6	601689.94	1335.11	0.22	839.23	62.86	685735.76	2284.47	0.33	1251.75	54.79	733694.36	1797.66	0.25	473.02	26.31
25	उत्तराखंड	2.9	64460.42	640.33	0.99	298.10	46.55	71091.80	619.18	0.87	369.56	59.69	77407.08	615.03	0.79	32.97	5.36
26	पश्चिम बंगाल	5.8	123018.79	10977.91	8.92	6186.11	56.35	126420.00	10827.79	8.56	8198.98	75.72	136700.25	11892.99	8.70	876.56	7.37
	कुल		**2070532.57**	**183358.65**	**8.86**	**149471.03**	**81.52**	**2340667.32**	**207508.19**	**8.87**	**178154.05**	**85.85**	**2734381.32**	**243556.63**	**8.91**	**35732.71**	**14.67**

स्रोत: राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना।

@ मिलान किया जा रहा है, *अनंतिम आंकड़े, एएलएन: आवंटन, व्यय: व्यय, एनआर: प्राप्त नहीं, एनए: लागू नहीं।

** गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 (वास्तविक) के लिए राज्य योजना (योजना) आवंटन की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि गुजरात राज्य का वित्त विभाग, महालेखा कार्यालय, राजकोट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को विभाजित करने में सक्षम नहीं है; और 2022-23 (आरई) के लिए राज्य योजना (योजना) आवंटन का डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वित्त विभाग गैर-विकासशील और विकासशील प्रभारों को अलग-अलग विभाजित करने में सक्षम नहीं है।

नोट: 2011 की जनगणना के दौरान पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पुडुचेरी, एनसीटी दिल्ली में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं थी। (हालांकि, 2016 में पुडुचेरी में जनजातियाँ अधिसूचित हुई)।

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप और लद्दाख जनजातीय बहुल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसलिए वे टीएसपी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

अनुलग्नक 6ग

31.03.2024 तक पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित कुल गांवों, स्वीकृत ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल गांव	कुल स्वीकृत वीडीपी	कुल निर्मुक्ति			कुल निर्मुक्ति
				2021-22	2022-23	2023-24	
1	आंध्र प्रदेश	517	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	141	0	733.68	0.00	0.00	733.68
3	असम	1700	1700	8743.02	11538.22	7182.38	27463.62
4	बिहार	184	0	774.44	0.00	0.00	774.44
5	छत्तीसगढ़	4029	1530	15595.80	23021.82	0.00	38617.62
6	डीएनडीडी	55	0	0.00	173.23	0.00	173.23
7	गोवा	21	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	3764	1562	15916.78	19401.76	0.00	35318.54
9	हिमाचल प्रदेश	90	75	377.03	288.09	0.00	665.12
10	जम्मू और कश्मीर	302	300	0.00	932.39	0.00	932.39
11	लद्दाख	132	50	0.00	470.53	0.00	470.53
12	झारखंड	3891	641	6531.79	6915.28	0.00	13447.07
13	कर्नाटक	507	370	2139.90	937.48	0.00	3077.38
14	केरल	6	6	0.00	0.00	61.19	61.19
15	मध्य प्रदेश	7307	4203	12268.76	27694.54	0.00	39963.30
16	महाराष्ट्र	3605	1542	0.00	13485.50	0.00	13485.50
17	मणिपुर	254	44	427.98	295.47	0.00	723.45
18	मेघालय	836	0	0.00	3342.30	0.00	3342.30
19	मिजोरम	344	344	580.83	1818.61	1112.01	3511.44
20	नागालैंड	530	326	886.53	2233.97	0.00	3120.50
21	ओडिशा	1653	784	2771.68	1001.24	3044.42	6817.34
22	राजस्थान	4302	1566	7224.71	15269.66	0.00	22494.37
23	सिक्किम	62	62	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	167	112	285.32	285.62	855.81	1426.75
25	तेलंगाना	533	428	2262.18	1681.04	0.00	3943.22
26	त्रिपुरा	375	344	631.78	904.48	2737.23	4273.49
27	उत्तराखंड	64	0	0.00	0.00	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	183	0	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	874	0	0.00	3495.20	0.00	3495.20
	कुल	**36428**	**15989**	**78152.21**	**135186.42**	**14993.04**	**228331.66**

अनुलग्नक - 6घ

2021-22 से 2023-24 (10.04.2024 तक) तक अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत जारी निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
		कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	2638.65	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	9830.00	7265.30	6740.00
3	असम	2570.000	2300.00	3294.12
4	बिहार	642.08	1001.01	871.24
5	छत्तीसगढ़	11604.02	13578.43	15676.77
6	गोवा	600.41	667.79	150.00
7	गुजरात	6923.79	7549.12	4584.77
8	हिमाचल प्रदेश	1500.00	1655.00	1696.45
9	झारखंड	12264.19	6677.87	14299.82
10	कर्नाटक	3210.00	4297.57	4070.00
11	केरल	0.00	817.67	1910.44
12	मध्य प्रदेश	5319.10	8438.75	15741.70
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	1067.36	2456.35
15	मेघालय	1595.25	2904.84	3127.29
16	मिजोरम	2971.54	1654.05	2897.97
17	नागालैंड	3202.39	5863.47	5020.11
18	ओडिशा	11382.05	10150.55	6870.56
19	राजस्थान	10435.21	11002.53	8940.07
20	सिक्किम	2045.00	720.38	1754.38
21	तमिलनाडु	0.00	0.00	650.49
22	तेलंगाना	2050.00	3114.46	5169.00
23	त्रिपुरा	607.53	1294.71	4226.39
24	उत्तर प्रदेश	832.71	1135.85	1353.63
25	उत्तराखंड	100.65	306.02	964.05
26	पश्चिम बंगाल	0.00	4186.50	4744.40
कुल योग		**92324.57**	**97649.23**	**117210.00**

अनुलग्नक-7

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत 29.02.2024 तक दावों और अधिकार पत्र विलेखों के वितरण का विवरण।

क्र. सं.	राज्य	दिनांक 29.02.2024 तक प्राप्त दावों की संख्या			दिनांक 29.02.2024 तक वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			अस्वीकृत दावों की संख्या	निस्तारित दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटाए गए दावों का प्रतिशत	प्राप्त दावों की संख्या में वितरित अधिकार पत्रों का प्रतिशत
		वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल	वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल				
1	आंध्र प्रदेश	2,84,294	3,294	2,87,588	2,25,826	1,822	2,27,648	58,299	2,85,947	99.43%	79.16%
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	58,802	37.93%	37.93%
3	बिहार	8,022	एनए/एनआर	8,022	121	0	121	4,215	4,336	54.05%	1.51%
4	छत्तीसगढ़	8,88,028	53,949	9,41,977	4,78,563	49,270	5,27,833	4,00,649	9,28,482	98.57%	56.03%
5	गोवा	9,758	378	10,136	647	15	662	49	711	7.01%	6.53%
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	97,342	4,791	1,02,133	2,332	1,04,465	54.97%	53.74%
7	हिमाचल प्रदेश	4,880	466	5,346	256	59	315	54	369	6.90%	5.89%
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	28,107	90,077	81.33%	55.95%
9	कर्नाटक	2,88,549	5,940	2,94,489	14,981	1,345	16,326	2,53,269	2,69,595	91.55%	5.54%
10	केरल	44,200	991	45,191	28,641	258	28,899	12,233	41,132	91.02%	63.95%
11	मध्य प्रदेश	5,85,326	42,187	6,27,513	2,66,901	27,976	2,94,877	3,22,407	6,17,284	98.37%	46.99%
12	महाराष्ट्र	3,90,477	11,323	4,01,800	1,98,504	8,407	2,06,911	77,580	2,84,491	70.80%	51.50%
13	ओडिशा	6,33,388	15,477	6,48,865	4,59,742	7,824	4,67,566	1,44,439	6,12,005	94.32%	72.06%
14	राजस्थान	1,12,636	9,055	1,21,691	49,102	2,741	51,843	66,547	1,18,390	97.29%	42.60%
15	तमिलनाडु	34,877	2,584	37,461	10,536	531	11,067	14,849	25,916	69.18%	29.54%
16	तेलंगाना	6,51,822	3,427	6,55,249	2,30,735	721	2,31,456	94,426	3,25,882	49.73%	35.32%
17	त्रिपुरा	2,00,557	164	2,00,721	1,27,931	101	1,28,032	68,848	1,96,880	98.09%	63.79%
18	उत्तर प्रदेश	92,577	1,162	93,739	18,049	861	18,910	74,761	93,671	99.93%	20.17%
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	6,493	6,678	100.00%	2.77%
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	96,587	1,41,717	99.74%	31.76%
21	जम्मू और कश्मीर	32,207	10,224	42,431	315	4,190	4,505	33,187	37,692	88.83%	10.62%
	कुल	**48,36,013**	**1,90,788**	**50,26,801**	**23,70,011**	**1,15,180**	**24,85,191**	**17,59,331**	**42,44,522**	**84.44%**	**49.44%**

अनुलग्नक 8क

वर्ष 2023-24 के दौरान ईएमआरएस के शिलान्यास का विवरण (31-03-2024 तक)

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ईएमआरएस का नाम	स्वीकृति का वर्ष	आधारशिला रखने की तिथि	द्वारा नींव रखी गई
1	ओडिशा	ढेंकनाल	कंकदाहाद	ईएमआरएस कंकदाहाद	2019-20	21-04-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
2	ओडिशा	गजपति	नुआगडा	ईएमआरएस नुआगडा	2019-20	29-05-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
3	ओडिशा	गजपति	रायगडा	ईएमआरएस रायगडा	2023-24	29-05-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
4	ओडिशा	कंधमाल	रायकिया	ईएमआरएस रायकिया	2019-20	30-05-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
5	ओडिशा	कंधमाल	जी.उदयगिरी	ईएमआरएस जी. उदयगिरी	2019-20	30-05-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
6	झारखंड	खंटी	एरकी तामार-॥	ईएमआरएस एरकी तामार-॥	2020-21	04-06-2023	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
7	ओडिशा	कोरापुट	लक्ष्मीपुर	ईएमआरएस लक्ष्मीपुर	2021-22	05-07-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
8	ओडिशा	कोरापुट	पोट्टांगी	ईएमआरएस पोट्टांगी	2023-24	05-07-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
9	ओडिशा	कोरापुट	बोरिगुमा	ईएमआरएस बोरीगुमा	2019-20	06-07-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
10	ओडिशा	मलकानगिरी	खैरपुट	ईएमआरएस खैरपुट	2021-22	06-07-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
11	ओडिशा	कंधमाल	फूलबनी	ईएमआरएस फुलबनी	2019-20	13-08-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
12	झारखंड	सिमडेगा	ठेठईटानगर	ईएमआरएस ठेठईटानगर	2021-22	12-10-2023	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
13	झारखंड	सिमडेगा	कोलेबीरा	ईएमआरएस कोलेबिरा	2021-22	13-10-2023	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
14	झारखंड	खूंटी	तोरपा	ईएमआरएस तोरपा	2018-19	13-10-2023	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
15	झारखंड	खंटी	मुरहू	ईएमआरएस मुरहू	2019-20	13-10-2023	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
16	झारखंड	खूंटी	रानिया	ईएमआरएस रानिया	2020-21	09-12-2023	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री
17	असम	कार्बी आंगलोंग	फुलौनी	ईएमआरएस फुलौनी	2020-21	17-12-2023	श्री तुलीराम रोंगघांग, माननीय सीईएम, केएएसी
18	ओडिशा	नबरंगपुर	कोसागुमुडा	ईएमआरएस कोसागुमुडा	2019-20	23-12-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
19	ओडिशा	कंधमाल	टीकाबली	ईएमआरएस टिकाबली	2019-20	30-12-2023	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
20	ओडिशा	सुंदरगढ़	कोइदा	ईएमआरएस कोइडा	2021-22	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति

21	ओडिशा	सुंदरगढ़	बोनाईगढ़	ईएमआरएस बोनाईगढ़	2021-22	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
22	ओडिशा	सुंदरगढ़	गुरुंडिया	ईएमआरएस गुरुंडिया	2021-22	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
23	ओडिशा	सुंदरगढ़	लाठीकाटा	ईएमआरएस लाठीकाटा	2021-22	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
24	ओडिशा	सुंदरगढ़	तंगरपाली	ईएमआरएस तंगरपाली	2021-22	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
25	ओडिशा	सुंदरगढ़	नुआगांव	ईएमआरएस नुआगांव	2019-20	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
26	ओडिशा	सुंदरगढ़	कुत्रा	ईएमआरएस कुत्रा	2019-20	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
27	ओडिशा	सुंदरगढ़	बालीशंकरा (तलासरा)	ईएमआरएस बालीशंकरा (तलासरा)	2019-20	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
28	ओडिशा	सुंदरगढ़	लेफ्रिपारा	ईएमआरएस लेफ्रिपारा	2019-20	19-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
29	ओडिशा	कोरापुट	नारायणपटनम	ईएमआरएस नारायणपटनम	2019-20	20-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
30	ओडिशा	रायगडा	रामनगुडा	ईएमआरएस रामनगुडा	2021-22	20-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
31	ओडिशा	रायगडा	काशीपुर	ईएमआरएस काशीपुर	2019-20	20-01-2024	श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
32	असम	धेमाजी	जोनाई	ईएमआरएस जोनाई	2020-21	04-03-2024	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
33	उत्तराखंड	चकराता	महरावना	ईएमआरएस महरावना	2021-22	07-03-2024	श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री/समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखंड
34	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसिरी	जीरो-II	ईएमआरएस जीरो-II	2018*-19	13-03-2024	इंजी. तबा तेदिर, माननीय शिक्षा एवं विकास मंत्री, अरुणाचल प्रदेश

अनुलग्नक 8ख

वर्ष 2023-2024 में उद्घाटन किये गये ईएमआरएस का राज्य-वार विवरण (31.03.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ईएमआरएस का नाम	स्वीकृति वर्ष	उद्घाटन की तिथि	उद्घाटनकर्ता
1	ओडिशा	कोरापुट	कोटपाड़	ईएमआरएस कोटपाड़	2018-19	05-07-2023	श्री बिश्वेश्वर सिंह टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य और जल शक्ति
2	राजस्थान	उदयपुर	सरदा	ईएमआरएस सरदा	2019-20	27-07-2023	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
3	राजस्थान	उदयपुर	लसाडिया	ईएमआरएस लसाडिया	2020-21	27-07-2023	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
4	राजस्थान	बांसवाड़ा	गढ़ी	ईएमआरएस गढ़ी	2020-21	27-07-2023	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
5	राजस्थान	बांसवाड़ा	बागीदोरा	ईएमआरएस बागीडोरा	2020-21	27-07-2023	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
6	राजस्थान	डूंगरपुर	डंगरपुर	ईएमआरएस डंगरपुर	2019-20	27-07-2023	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
7	राजस्थान	प्रतापगढ़	पीपलखूंट	ईएमआरएस पीपलखंट	2018-19	27-07-2023	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
8	ओडिशा	मयूरभंज	कुलियाना	ईएमआरएस कुलियाना	2020-21	20-11-2023	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार
9	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग घाटी	दम्बुक	ईएमआरएस दम्बुक	2017-18	14-12-2023	पेमा खांडू जी, माननीय मुख्यमंत्री,अरुणाचल प्रदेश
10	असम	दीमा हसाओ	हाफलोंग	ईएमआरएस हाफलोंग	2018-19	दिसम्बर 2023	डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, माननीय मुख्यमंत्री, असम
11	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	वाकरो	ईएमआरएस मेडो	2016-17	13-01-2024	चौना में जी, माननीय उपमुख्यमंत्री, श्री तापिर गाओ, लोकसभा सांसद (2-अरुणाचल पूर्व पीसी) जिग्नू नामचूम, विधायक अबो तायेंग सचिव, एसजेईटीए, की उपस्थिति में
12	ओडिशा	मयूरभंज	उडाला	ईएमआरएस उडाला	2020-21	24-02-2024	श्री बिश्वेश्वर सिंह टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य और जल शक्ति
13	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	नोवामुंडी	ईएमआरएस नोवामुंडी	2019-20	26-02-2024	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
14	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	तांतननगर	ईएमआरएस तांतनगर	2019-20	26-02-2024	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
15	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	मंझरी	ईएमआरएस मंझरी	2020-21	26-02-2024	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

16	झारखंड	सिमडेगा	बांसजोर	ईएमआरएस बांसजोर	2019-20	27-02-2024	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
17	झारखंड	सिमडेगा	पकरतंर	ईएमआरएस पकरतंर	2019-20	27-02-2024	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
18	ओडिशा	मयूरभंज	बरसाही	ईएमआरएस बरसाही	2020-21	27-02-2024	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार
19	त्रिपुरा	गोमती	रुपाइचरी	ईएमआरएस रूपाइचरी	2019-20	09-03-2024	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
20	त्रिपुरा	गोमती	करबक	ईएमआरएस करबूक	2019-20	09-03-2024	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
21	झारखंड	खूंटी	कर्रा	ईएमआरएस कर्रा	2016-17	11-03-2024	श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

अनुलग्नक 8ग

31-03-2024 तक उन्नयन के तहत अनुमोदित ईएमआरएस की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत ईएमआरएस ए/ए एवं ई/एस की संख्या	निर्माण एजेंसी
1	आंध्र प्रदेश	11	राज्य सरकार/सीपीडब्ल्यूडी
2	अरुणाचल प्रदेश	5	राज्य सरकार
3	असम	3	राज्य सरकार
4	बिहार	-	-
5	छत्तीसगढ़	17	सीपीडब्ल्यूडी
6	गुजरात	22	सीपीडब्ल्यूडी
7	हिमाचल प्रदेश	-	-
8	जम्मू और कश्मीर	3	राज्य सरकार
9	झारखंड	-	-
10	कर्नाटक	9	सीपीडब्ल्यूडी
11	केरल	2	सीपीडब्ल्यूडी
12	लद्दाख	-	-
13	मध्य प्रदेश	8	सीपीडब्ल्यूडी
14	महाराष्ट्र	15	सीपीडब्ल्यूडी
15	मणिपुर	3	राज्य सरकार
16	मेघालय	2	राज्य सरकार
17	मिजोरम	4	राज्य सरकार
18	नागालैंड	-	-
19	ओडिशा	27	सीपीडब्ल्यूडी
20	राजस्थान	9	सीपीडब्ल्यूडी
21	सिक्किम	3	राज्य सरकार
22	तमिलनाडु	7	राज्य सरकार / सीपीडब्ल्यूडी
23	तेलंगाना	5	सीपीडब्ल्यूडी
24	त्रिपुरा	7	राज्य सरकार
25	उत्तर प्रदेश	2	राज्य सरकार
26	उत्तराखंड	2	राज्य सरकार
27	पश्चिम बंगाल	1	राज्य सरकार
	कुल योग	**167**	

अनुलग्नक – 8घ

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और उनके लाभार्थियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष. 2021-22		वित्त वर्ष. 2022-23		वित्त वर्ष. 2023-24	
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.03	199	-	450	-	-
2	आंध्र प्रदेश	3935.06	35364	-	38900	5700.16	44511
3	अरुणाचल प्रदेश	207.30	5811	267.44	6120	-	-
4	असम	102.19	2656	107.41	4767	187.50	7190
5	बिहार	-	42679	-	23138	-	24296
6	छत्तीसगढ़	-	136546		90987	5250.00	100086
7	दादर नगर हवेली और दमन दीव	206.62	2167	-	2017	-	2428
8	गोवा	-	2600	108.18	2108	52.50	2200
9	गुजरात	3689.18	182679	5451.67	102797	6200.00	160000
10	हिमाचल प्रदेश	-	2160	79.02	2479	110.00	2975
11	जम्मू और कश्मीर	-	5883	-	4999	-	7500
12	झारखंड	3899.03	136830	-	114875	5700.00	120044
13	कर्नाटक	1753.16	92742	2370.04	80477	3400.00	115375
14	केरल	347.07	7071	-	9457	436.46	10403
15	लद्दाख	74.22	1439	-	761	-	912
16	मध्य प्रदेश	11458.18	367454	12743.85	416596	-	-
17	महाराष्ट्र	**	**	**	**	**	**
18	मणिपुर	-	3038	-	-	-	-
19	मेघालय	-	2344	115.48	1776	-	1954
20	मिजोरम	657.47	8148	-	10210	306.89	12600
21	नागालैंड	-	1354	-	-	-	-
22	ओडिशा	5236.75	137545	9397.06	198038		
23	पुडुचेरी	-	38	-	-	-	-
24	राजस्थान	6234.34	191728	3530.80	44471		81022
25	सिक्किम	-	296	17.84	355	-	
26	तमिलनाडु	546.55	16854	404.46	16854	362.34	15325
27	तेलंगाना	-	3175	-	225	150.00	17353
28	त्रिपुरा	58.55	17544	1136.76	15279	-	16807
29	उत्तर प्रदेश	88.17	3528	-	1605	-	-
30	उत्तराखंड	-	1287	-	518	15.00	1756
31	पश्चिम बंगाल	912.51	10454		25059	2988.85	150000
	कुल	**39414.37**	**1421613**	**35730.00**	**1215318**	**30859.70**	**894737**

** केन्द्रीय सहायता के बिना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजना।

अनुलग्नक-8ङ

31 मार्च 2024 तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और उनके लाभार्थियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष. 2021-22		वित्त वर्ष. 2022-23		वित्त वर्ष. 2023-24	
		जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी	जारी निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	10.35	332	-	550	-	-
2	आंध्र प्रदेश	8991.45	117089	13356.50	220440	11471.08	492520
3	अरुणाचल प्रदेश	12360.50	44144	9616.49	46719	8000.00	51395
4	असम	1093.40	74408	6845.47	74171	3500.00	120310
5	बिहार	-	16156	-	6183	-	7109
6	छत्तीसगढ़	-	173228	9330.35	162336	7125.00	178565
7	दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	3352	-	2208	403.75	3198
8	गोवा	-	4047	1187.23	4439	526.54	4814
9	गुजरात	46170.25	259360	24426.38	179226	35000.00	250000
10	हिमाचल प्रदेश	-	3332	-	4580	-	-
11	जम्मू और कश्मीर	-	8264	683.57	10772	746.25	16320
12	झारखंड	12654.88	119698	-	115378	5310.66	121147
13	कर्नाटक	17080.51	133748	-	131454	22556.05	140247
14	केरल	2516.49	14558	-	17652	4689.34	18212
15	लद्दाख	2214.00	8631	1891.27	8619	596.25	10343
16	मध्य प्रदेश	24529.43	426996	27048.58	220440	35000.00	492520
17	महाराष्ट्र	19214.82	105693	9026.85	126456	57035.80	174329
18	मणिपुर	4292.15	47793	4137.54	42567	3000.00	48958
19	मेघालय	2636.09	52598	14619.79	67026	8500.00	73729
20	मिजोरम	3874.64	42575	2590.31	18861	2500.00	43710
21	नागालैंड	4435.75	40744	3608.43	40840	3500.00	43692
22	ओडिशा	21842.98	154347	17133.30	202291	13564.10	212406
23	पुडुचेरी	-	50	-	-	-	-
24	राजस्थान	13744.70	188614	18810.10	221510	22000.00	365491
25	सिक्किम	1036.28	4457	925.44	5348		
26	तमिलनाडु	4849.38	24441	2854.28	22529	2000.00	29412
27	तेलंगाना	7503.90	126708	23851.18	114911	11250.00	139928
28	त्रिपुरा	7188.77	35921	4522.33	37914	4000.00	41706
29	उत्तर प्रदेश	-	18938	-	9655	1000.00	11586
30	उत्तराखंड	3568.37	3760	-	3534	187.50	4241
31	पश्चिम बंगाल	3872.05	2690	-	64114	3405.83	100000
	कुल	**225681.13**	**2256672**	**196465.38**	**2182723**	**266868.15**	**3195888**

अनुलग्नक - 9क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	पीवीटीजी का नाम
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचू
2		बोडो गडाबा
3		बोंडोपोरोजा
4		डोंगरिया कोंध
5		गुतोब गडाबा
6		खोंड पोरोजा
7		कोलम
8		कोंडारेड्डि
9		कोंडा सावर
10		कुट्टिया कोंध
11		परंगीपर्जा
12		थोटी
13	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14		बिरहोर
15		बिरजिया
16		पहाड़ी खरिया (खड़िया)
17		कोरवा
18		माल पहाड़िआ/माल पहाड़िया
19		पहाड़िआ
20		सौरिआ पहाड़िआ
21		सवर
22	गुजरात	कथोड़ी
23		कोटवालिया
24		कोलघा
25		पढ़ार
26		सिद्दी
27	कर्नाटक	जेनु/कुरूबा
28		कोरगा
29	केरल	चोलनाइकन
30		कादर
31		कट्टुनायकन
32		कोरगा
33		कुरुम्बा
34	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबुझ मारिआ/ अभुज मारिया
35		बैगा
36		भारिया

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	पीवीटीजी का नाम
37		बिरहोर
38		पहाड़ी कोरवा
39		कमर
40		सहरिया
41	महाराष्ट्र	कटकरी
42		कोलम
43		मारिया गोंड
44	मणिपुर	माराम
45	ओडिशा	बिरहोर
46		बोंडो
47		चुक्तिया भुंजिया
48		दिदायी
49		डूंगरिया कोंध
50		जुआंग
51		खरिया
52		कुटिया कंधा
53		लांजिया साओरा
54		लोधा
55		मांकिडिया
56		पौड़ी भुइयां
57		सौरा
58	राजस्थान	सेहरिया
59	तमिलनाडु	इरुलर
60		कट्टुनायकन
61		कोटा
62		कुरुम्बा
63		पनियन
64		टोडा
65	त्रिपुरा	रियांग
66	उत्तर प्रदेश	बक्सा
67	(उत्तराखंड सहित)	राजी
68	पश्चिम बंगाल	बिरहोर
69		लोधा
70		टोटो
71	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रेट अंडमानी
72		जारवा
73		ओंगेस
74		सेंटीनेलेस
75		शोम पेन्स

अनुलग्नक - 9ख

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत जारी निधियां (31.03.2024 तक)

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
1	आंध्र प्रदेश	1245.51	1829.60	1645.50	कोई निधि जारी नहीं की गई
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	252.11	0.00	
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	
4	छत्तीसगढ़	989.32	996.90	1500.00	
5	गुजरात	552.20	761.80	1731.20	
6	झारखंड	1777.29	1696.93	0.00	
7	कर्नाटक	438.46	661.17	1439.42	
8	केरल	88.00	0.00	0.00	
9	मध्य प्रदेश	2188.11	2888.69	0.00	
10	महाराष्ट्र	1411.66	0.00	0.00	
11	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	
12	ओडिशा	1202.00	1197.00	1796.75	
13	राजस्थान	968.00	706.17	1120.63	
14	तमिलनाडु	551.08	1967.81	907.70	
15	तेलंगाना	1460.50	1193.04	1508.13	
16	त्रिपुरा	231.43	1481.71	1402.65	
17	उत्तर प्रदेश	82.04	0.00	0.00	
18	उत्तराखंड	295.00	367.07	0.00	
19	पश्चिम बंगाल	519.40	0.00	665.95	
	कुल योग	**14000.00**	**16000.00**	**13717.93**	

(*: नई योजना पीएम जनमन तैयार की गई है और नवंबर 2023 से लागू की गई है)

अनुलग्नक 9ग

31 मार्च 2024 तक पीएम-जनमन प्रगति-लाइन मंत्रालय स्वीकृति विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	जल शक्ति मंत्रालय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		शिक्षा मंत्रालय	
		स्वीकृत मकान	केंद्रीय हिस्से की वित्तीय निर्मुक्ति (करोड़ रुपए में)	स्वीकृति के तहत पीएमजीएसवाई सड़कें (किमी में)	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत एमएमयू	एफएचटीसी प्रदान किया गया	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत छात्रावास	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	13233	42.49	315.53	280.53	46	40533	170	20.4	4	2.4
2	छत्तीसगढ़	16190	49.04	1462.698	1044.78	37	14804	54	6.48	21	12.6
3	गुजरात	6690	23.87	1.55	1.24	17	366	67	8.04	3	1.8
4	झारखंड	8586	28.09	126.05	113.86	15	14136	111	13.32	10	6
5	कर्नाटक	933	3.61	0	0.00	5	684	20	2.4	1	0.6
6	केरल	504	2.11	0	0.00	9	0	7	0.84	1	0.6
7	मध्य प्रदेश	85371	241.64	294.743	224.60	35	131586	217	26.04	22	13.2
8	महाराष्ट्र	7687	51.26	0	0.00	32	30099	68	8.16	4	2.4
9	ओडिशा	20816	75.02	147.87	149.75	44	20793	58	6.96	6	3.6
10	राजस्थान	15460	49.08	98.687	68.86	3	0	10	1.2	4	2.4
11	तमिलनाडु	3843	13.48	0	0.00	14	9168	26	3.12	7	4.2
12	तेलंगाना	0	0	0	0.00	11	909	85	10.2	3	1.8
13	त्रिपुरा	9015	43.88	0	0.00	6	9175	88	10.56	7	4.2
14	उत्तर प्रदेश	125	0.38	0	0.00	2	128	1	0.12	2	0
15	उत्तराखंड	1480	6.12	0	0.00	24	873	6	0.72	3	1.8
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0.00	0	122	0	0	0	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0.00	0	337	0	0	0	0
18	मणिपुर	0	0	0	0.00	0	5798	13	1.56	2	0
19	बिहार	0	0	0	0.00	0	602	49	5.88	0	0
कुल योग		**189933**	**630.07**	**2447.13**	**1883.6**	**300.00**	**280113**	**1050**	**126**	**100**	**57.6**

जारी......

क्र. सं.	राज्य का नाम	विद्युत मंत्रालय		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		संचार मंत्रालय (डीओटी)		जनजातीय कार्य मंत्रालय			
		घरेलू विद्युतीकरण	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत स्वीकृत पीवीटीजी परिवारों की संख्या	सांकेतिक वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	पीवीटीजी बस्तियों/गांवों को कवर करने की योजना बनाई गई	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत एम.पी.सी.	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत वन धन विकास केंद्र	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	20587	80.4	756	3.78	368	94.5	125	14.97	73	3.105
2	छत्तीसगढ़	6181	33.54	870	4.35	38	21.6	73	8.52	16	1.1976
3	गुजरात	820	0	0	0	31	12.6	39	1.66	21	0.525
4	झारखंड	9134	53.39	1233	6.16	5	4.5	46	0.62	35	1.438
5	कर्नाटक	1615	3.77	179	0.89	10	9	74	3.33	32	0.892
6	केरल	345	0.86	0	0	16	6.3	15	2.29	5	0.2166
7	मध्य प्रदेश	27358	136.07	0	0	30	18.9	125	25.99	83	2.5755
8	महाराष्ट्र	8556	26.61	0	0	9	8.1	121	12.47	40	1.812
9	ओडिशा	1669	0	0	0	21	13.5	61	12.68	43	1.7765
10	राजस्थान	17633	40.34	0	0	1	0.9	16	3.33	50	4.3296
11	तमिलनाडु	10673	29.89	0	0	4	0.9	25	5.20	37	1.2015
12	तेलंगाना	3884	6.79	326	1.63	7	4.5	49	2.91	25	0.7305
13	त्रिपुरा	11664	61.52	1703	8.52	19	9	39	4.57	30	1.27
14	उत्तर प्रदेश	316	1.1	0	0	0	0	5	0.83	5	0.1595
15	उत्तराखंड	221	0.41	0	0	0	0	9	0.62	5	0.157
16	पश्चिम बंगाल	3360	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	0.028
18	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
19	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
कुल योग		**124016**	**474.69**	**5067**	**25.33**	**559**	**204.3**	**822**	**100.00**	**501**	**21.41**

अनुलग्नक – 10क

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

क्र.सं.	पता
1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **अंडमान और निकोबार द्वीप** समूह सरकार, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर - 744 101
2	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **आंध्र प्रदेश** सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग, कंधारी होटल रोड, रेवेन्यू कॉलोनी, विजयवाड़ा- 520 010
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय कार्य विभाग, राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे, बी-सेक्टर नाहरलागुन, पिन: 791110, **अरुणाचल प्रदेश।**
4	असम जनजाति और अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, **असम** सरकार, जवाहरनगर, एनएच - 37, गुवाहाटी - 781022
5	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान **छत्तीसगढ़** सरकार, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर-4, रायपुर
6	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **गुजरात** विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014, गुजरात
7	जनजातीय अध्ययन संस्थान **हिमाचल प्रदेश** विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला- 171005, हिमाचल प्रदेश
8	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान **झारखंड** सरकार, मोराबादी रोड, रांची - 834008
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कार्य निदेशालय **जम्मू और कश्मीर** सरकार, सिविल सचिवालय, जम्मू - 180001
10	कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, #सीए-3 ट्रेजरी लाओट, केरगली, मैसूर - 570026
11	केरल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अध्ययन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, केरल सरकार, कोझिकोड – 673017
12	जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, **मध्य प्रदेश** सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002
13	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **महाराष्ट्र** सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुणे-411011
14	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **मणिपुर** सरकार, चिंगमेइरोंग, इंफाल - 795001

15	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **ओडिशा** सरकार, यूनिट-VIII, सीआरपी स्क्वायर, भुवनेश्वर - 751003
16	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **राजस्थान** सरकार, अशोक नगर, पोस्ट बॉक्स नं. 86. उदयपुर-313 001
17	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और कल्याण विभाग, **सिक्किम** सरकार, समय कल्याण भवन, कमरा नंबर 402, 5वां माइल, लुमसे, ताडोंग, गंगटोक-737 101
18	जनजातीय अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु सरकार, एम.पलाडा (पीओ), उडगमंडलम, नीलगिरी जिला, **तमिलनाडु**, ऊटी -643 004
19	टीसीआर एंड टीआई, **तेलंगाना** सरकार, डीएसएस भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-500 028
20	जनजातीय अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान, **त्रिपुरा** सरकार, लेकचोवेमहुई, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा -799001
21	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, **पश्चिम बंगाल** सरकार, पी6-1/4 सीआईटी स्कीम VII-एम, वीआईपी रोड, कंकुरगाछी, कोलकाता- 700054
22	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **उत्तर प्रदेश** सरकार, भागीदारी भवन, (अंबेडकर पार्क के निकट), विपुलखंड-गोमती नगर, लखनऊ-226010
23	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, चलत्लंग, आइजोल, **मिजोरम** 796012
24	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, राजभवन के पास, कोहिमा, **नागालैंड**
25	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण विभाग**, उत्तराखंड** सरकार, सुभाष रोड, सचिवालय, देहरादून - 248 001
26	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, बाबादम, वेस्ट गारो हिल्स, **मेघालय**
27	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कल्याण निदेशालय, 5वीं मंजिल, श्रम शक्ति भवन, पट्टो, पणजी, **गोवा**
28	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, लद्दाख, करगिल कैम्पस, लद्दाख विश्वविद्यालय

अनुलग्नक – 10ख

"जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्ति 2021-22			कुल निर्मुक्ति 2022-23			कुल निर्मुक्ति 2023-24		
		जीआईए	सीसीए	कुल	जीआईए	सीसीए	कुल	जीआईए	सीसीए	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	432.75	0.00	432.75	94.12	125.00	219.12	0.00	125.00	125.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.63	0.00	48.63
4	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	158.68	30.36	189.04	103.55	9.88	113.43	0.00	250.00	250.00
6	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	114.10	0.00	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	200.00	0.00	200.00	170.85	0.00	170.85	770.85	0.00	770.85
9	झारखंड	13.92	0.00	13.92	127.01	37.94	164.95	417.03	0.00	417.03
10	कर्नाटक	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	0.00	484.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.08	143.08
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मिजोरम	266.65	500.00	766.65	53.75	0.00	53.75	200.00	350.00	550.00
16	नागालैंड	85.00	0.00	85.00	80.00	125.00	205.00	250.00	150.00	400.00
17	ओडिशा	430.01	214.75	644.76	211.90	101.25	313.15	400.00	200.00	600.00
18	राजस्थान	215.34	0.00	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	सिक्किम	268.30	5.00	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	तमिलनाडु	116.90	18.19	135.09	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
21	तेलंगाना	346.70	202.25	548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	त्रिपुरा	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
23	उत्तर प्रदेश	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मेघालय	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	1355.88	44.87	1400.75	0.00	0.00	0.00	770.47	177.54	948.01
27	गोवा	111.75	0.00	111.75	0.00	0.00	0.00	50.57	0.00	50.57
कुल		**4500.00**	**1500.00**	**6000.00**	**841.18**	**399.07**	**1240.25**	**2957.55**	**1395.62**	**4353.17**

अनुलग्नक 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) 2023-24 के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सहायता प्राप्त महिला लाभार्थी	सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी
1.	असम	20	43
2.	आंध्र प्रदेश	24,792	27,221
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	13
4.	बिहार	0	3
5.	छत्तीसगढ़	293	503
6.	दादरा और नगर हवेली	0	6
7.	गोवा	0	1
8.	गुजरात	6,633	11,848
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2
10.	जम्मू और कश्मीर	52	106
11.	झारखंड	1,487	1,703
12.	कर्नाटक	432	1003
13.	केरल	217	258
14.	मध्य प्रदेश	204	828
15.	महाराष्ट्र	313	1,411
16.	मणिपुर	95	174
17.	मेघालय	27	1,193
18.	मिजोरम	2,746	4,573
19.	नागालैंड	678	771
20.	ओडिशा	10,976	17,025
21.	राजस्थान	225	885
22.	सिक्किम	10	27
23.	तमिलनाडु	3,999	7,327
24.	तेलंगाना	7,603	11,369
25.	त्रिपुरा	597	2,234
26.	उत्तर प्रदेश	1	4
27.	उत्तराखंड	2	8
28.	पश्चिम बंगाल	3,946	4,486
	कुल	**65,355**	**95,025**

*****

अनुलग्नक 12

पीएमजेवीएम योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु वन उपज (एमएफपी) और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सूची

क्र.सं.	एमएफपी के नाम	एमएसपी अधिसूचित (रुपये प्रति किलोग्राम में)	"श्रेणी एफ:वन ए:कृषि पी:प्रसंस्कृत एम:औषधीय एच:बागवानी"	प्रयोज्यता
1	इमली (बीज सहित) (टैमारिंडस इंडिका)	36	एफ	अखिल भारत
2	जंगली शहद (वाइल्ड हनी)	225	एफ	अखिल भारत
3	गोंद कराया (स्टेरकुल्या यूरेनस)	114	एफ	अखिल भारत
4	करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा)	22	एफ	अखिल भारत
5	साल के बीज (शोरियारोबुस्टा)	20	एफ	अखिल भारत
6	महुआ के बीज (मधुकलोंगीफोलिया)	29	एफ	अखिल भारत
7	साल के पत्ते (शोरिया रोबुस्टा)	35	एफ	अखिल भारत
8	बीज सहित चिरौंजी की फली (बुचानानियालांज़न)	126	एफ	अखिल भारत
9	हरीतिका (टरमिनालिया चेबुला)	15	एफ	अखिल भारत
10	रंगिनी लाख	200	एफ	अखिल भारत
11	कुसुमी लाख	275	एफ	अखिल भारत
12	कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा)	23	एफ	अखिल भारत
13	नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका)	27	एफ	अखिल भारत
14	पुआद के बीज (कासिया टोरा)	16	एफ	अखिल भारत
15	बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17	एफ	अखिल भारत
16	पहाड़ी झाड़ू घास (थायसानोलेना मैक्सिमा)	50	एफ	अखिल भारत
17	सूखी शिकाकायी की फली	50	एफ	अखिल भारत
18	(अकैसिया कॉनसिन्ना)	30	एफ	अखिल भारत
19	बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस)	30	एफ	अखिल भारत
20	शतावरी की जड़ (सूखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	107	एफ	अखिल भारत
21	गुडमार / मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	41	एफ	अखिल भारत
22	कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	35	एफ	अखिल भारत
23	इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका)	63	एफ	अखिल भारत
24	गुग्गुल (एग्ज्यूडेट्स)	812	एफ	अखिल भारत
25	महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया)	30	एफ	अखिल भारत
26	तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	40	एफ	अखिल भारत
27	जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि)	42	एफ	अखिल भारत
28	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका)	52	एफ	अखिल भारत

29	भिलावां (मार्किंग नट्स)(सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	9	एफ	अखिल भारत
30	रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	14	एफ	अखिल भारत
31	भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला)	13	एफ	अखिल भारत
32	अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना)	21	एफ	अखिल भारत
33	कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका)	29	एफ	अखिल भारत
34	गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	40	एफ	अखिल भारत
35	कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस)	21	एफ	अखिल भारत
36	चिरायता (स्वेरशिया चीराटा)	34	एफ	अखिल भारत
37	वायबिडिंग / वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलियारिब्स)	94	एफ	अखिल भारत
38	धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीयाफ्लोरिबंडा)	37	एफ	अखिल भारत
39	नक्स वोमिका(स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका)	42	एफ	अखिल भारत
40	बन तुलसी के पत्ते (सूखे)(ओसीम्मटेनुइफ्लोरम)	22	एफ	अखिल भारत
41	क्षीरनी (हेमीडेसमसइंडिकस)	35	एफ	अखिल भारत
42	बकुल (सूखी छाल)(मीमुसोपसइलेंगी)	46	एफ	अखिल भारत
43	कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स/ एच.एनीडायसेन्टेरिका)	31	एफ	अखिल भारत
44	नोनी / आल (सूखे फल)(मोरिंडासिट्रीफोलिया)	17	एफ	अखिल भारत
45	सोनापाठा / स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम)	21	एफ	अखिल भारत
46	चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस)	45	एफ	अखिल भारत
47	कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा)	31	एफ	अखिल भारत
48	मकोय (सूखे फल)(सोलानम निग्रम)	34	एफ	अखिल भारत
49	अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा)	28	एफ	अखिल भारत
50	सुगंधमंत्री की जड़ें/कंद होमोलोमिना एरोमैटिक)	38	एफ	अखिल भारत
51	वन तुलसी के बीज (ओसिमम्ग्रेटिसिमम)	16	एफ	अखिल भारत
52	वन जीरा (वर्नोनिया एंथेलमिंटिका)	70	एफ	अखिल भारत
53	इमली का बीज (इमली इंडिका (बीज)	11	एफ	अखिल भारत
54	बांस झाड़ू (थिसानोलाएना मैक्सिमा)	60	एफ	अखिल भारत
55	सूखा अनोला (फिलेंथस एम्ब्लिका (सूखा)	60	एफ	अखिल भारत
56	कचरी बहेड़ा (टर्मिनलिया बेलेरिका)	20	पी	अखिल भारत
57	कचरीहर्र (टर्मिनलिया चेबुला)	23	पी	अखिल भारत
58	बीज लाख (केरिया लक्का)	677	एफपी	अखिल भारत
59	बीटल नट कच्चा (अरेका कत्था (कच्चा)	30	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
60	सुपारी सूखा (अरेका कत्था (सूखा)	200	ए पी	पूर्वोत्तर राज्य
61	मशरूम (सूखा) (एगारिकसबिस्पोरस (सूखा)	300	ए पी	पूर्वोत्तर राज्य
62	काला चावल (ओरिज़ा सैटिवा एल)	100	ए	पूर्वोत्तर राज्य
63	जोहर राइस (ओरिज़ा सैटिवा)	50	ए	पूर्वोत्तर राज्य
64	मोटी (किंग) मिर्च (शिमला मिर्च चाइनीज जैक)	300	ए	पूर्वोत्तर राज्य

65	सरसों (ब्रासिका निग्रा)	40	ए	पूर्वोत्तर राज्य
66	कच्चा काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल (कच्चा)	450	ए	पूर्वोत्तर राज्य
67	काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल (अखरोट)	800	ए	पूर्वोत्तर राज्य
68	अदरक सूखा (ज़िंगिबर ऑफ़िसिनेल)	50	ए पी	पूर्वोत्तर राज्य
69	पेरिला (पेरिला फ्रूटसेन्स)	140	ए पी	पूर्वोत्तर राज्य
70	रोज़ेला (हिबिस्कस सबदरिफ़ा)	200	ए	पूर्वोत्तर राज्य
71	अखरोट (रस चिनेंसिस)	150	ए	पूर्वोत्तर राज्य
72	ज़ैंथोक्सिलम सूखे (ज़ैन्थोक्सिलम आर्मेटम)	200	ए	पूर्वोत्तर राज्य
73	जैक फल बीज (आर्टोकार्पस हेटरोफिलस (बीज)	45	ए	पूर्वोत्तर राज्य
74	टसर कोकून		एफ/एच	झारखंड राज्य
	रीलिंग क्लास ग्रेड- I (विनिर्देश - जब शेल का औसत वजन 1.55 ग्राम और उससे अधिक हो)	रु.3200/हजार संख्या		
	अन-रीलिंग ग्रेड- I (विनिर्देश - जब शेल का औसत वजन 1.40 ग्राम और उससे अधिक हो)	रु.1500/हजार संख्या		
75	कैश कर्नेल (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल)	90	एफ/पी	अखिल भारत
76	हाथी सेब सूखा (डिलनिया इंडिका)	120	एफ/एच	पूर्वोत्तर राज्य
77	बांस की टहनी (फिलोस्टैचिस एडुलिस)	70	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
78	मलकांगनी बीज (सेलास्ट्रूपैनीकुलेटस जंगली)	100	एफ	अखिल भारत
79	माहुल के पत्ते (बौहिनिया वाहली)	15	एफ	ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
80	नागोड (विटेक्स नेगुंडो)	20	एफ	अखिल भारत
81	गोखरू (ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस)	60	एफ	अखिल भारत
82	पिपला / उचिथि (सूखे बेरी) (पाइपर पेडिकेलटम)	120	एफ	अखिल भारत
83	गम्हार / गमरी (सूखी छाल) (गमेलिना अर्बोरिया)	20	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
84	ओरोक्सिलम इंडिकम (सूखी छाल) (ऑरोक्सिलम इंडिकम)	40	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
85	जंगली मशरूम सूखा (अगारीकस्सप)	400	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
86	श्रृंगराज (एक्लिप्टा अल्बा)	18	एफ /एम	अखिल भारत
87	ट्री मॉस (ब्रायोफाइट्स)	350	एफ/पी	कर्नाटक राज्य

अनुलग्नक-13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के छह क्षेत्रीय कार्यालयों के पते (स्थान) और क्षेत्राधिकार

क्र.सं.	कार्यालय का स्थान और पता	संपर्क विवरण	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा सं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011	अनुसंधान अधिकारी, फोन: 0755 2576530 0755 2578272(फैक्स), ई-मेल: ro-bhopal@ncst.nic.in	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप
2.	एन-1/297, आईआरसी गांव, भुवनेश्वर-751015	सहायक निदेशक, फोन:0674 2551616, 0674 2551818 (फैक्स), ई-मेल:ro-bbsr@ncst.nic.in	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पांडिचेरी
3.	कमरा सं. 101 एवं 102, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर -10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023	निदेशक, फोन: 0141 2236462, 0141 2235488(फैक्स) ई-मेल: ro-jaipur@ncst.nic.in	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ तथा दमन और दीव।
4.	ईएसी कॉलोनी प्लॉट नंबर 3/16, जिला न्यायालय के पीछे प्रथम तल, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर -492001	अनुसंधान अधिकारी, फोन:0771 2443334 0771 2443335 (फैक्स), ई-मेल:ro-raipur@ncst.nic.in	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू एजी को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कद्रू, रांची-834002	सहायक निदेशक, फोन:0651 2341677, 0651 2340368(फैक्स), ई-मेल:ro-ranchi@ncst.nic.in	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6.	रबेक्का विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमियरे, शिलांग -793001	सहायक निदेशक, फोन:0364 2504202 0364 2221362(फैक्स) ई-मेल: ro-shilong@ncst.nic.in	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा,

अनुलग्नक 14

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2023-24 के दौरान लाभार्थियों और जारी निधि का विवरण (रुपये में)

क्र. सं.	एनजीओ का नाम	परियोजना	2021-22		2022-23		2023-24	
			लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि
आंध्र प्रदेश								
1	एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ग्राम अभ्युदय सोसायटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	1914030	100	2306745	-	1730059
2	निचसेवा (नवोदय एकीकरण सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षा और स्वैच्छिक कार्य)	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	-	-	14810373	-	-
3	सिंहपुरी विद्या सेवा समिति	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	6882	4785612	7773	-	7773	3620922
4	श्री लक्ष्मी महिला मंडली	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	143	3713750	150	433682	-	1664790
5	वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट और अनुसंधान केंद्र	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	9379	4026544	15451	489080	-	2203424
6	वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट और अनुसंधान केंद्र	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	9246	1788728	-	261427	-	-
अरुणाचल प्रदेश								
7	अरुणाचल पाली विद्यापीठ सोसाइटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	141	1261090	140	2921076	-	2932176
8	अरुणाचल पाली विद्यापीठ सोसाइटी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	1015	269405	2921	1028025	-	859882
9	भारत सेवाश्रम संघ ईटानगर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण- शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	2894608	100	2155880	-	2858258
10	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ रूपा शाखा अरुणाचल	जीआईए - छात्रावास	100	1450648	100	2249340	-	1729298
11	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसाइटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	125	5687757	-	1131488	-	-
12	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसाइटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	3706583	-	674043	-	-
13	रामकृष्ण मिशन आलो	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	3156	3280562	3156	323233	-	1296891
14	रामकृष्ण मिशन आलो	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	2634	1553451	-	403676	-	-
15	रामकृष्ण मिशन अस्पताल	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	456349	-	-	-	-
16	रामकृष्ण मिशन स्कूल	जीआईए - आवासीय विद्यालय	120	1799279	120	2807767	-	2765309

17	रामकृष्ण मिशन स्कूल	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	103	1210458	125	-	-	2806706
18	रामकृष्ण मिशन स्कूल	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	4999	208803	-	2121273	-	-
19	रामकृष्ण सारदा मिशन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	300	-	300	5575095	-	5325450
				असम				
20	दयानंद सेवाश्रम संघ	जीआईए - छात्रावास	49	-	-	1359788	-	-
21	दयानंद सेवाश्रम संघ	जीआईए - छात्रावास	50	-	-	1237944	-	-
22	दयानंद सेवाश्रम संघ	जीआईए - छात्रावास	75	-	-	1740960	-	-
23	दयानंद सेवाश्रम संघ	जीआईए - छात्रावास	50	-	-	1285244	-	-
24	भारत सेवाश्रम संघ गुवाहाटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	2042019	-	-	-	-
25	भारत सेवाश्रम संघ गुवाहाटी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	9705	-	-	608400	-	275040
26	सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य विकास समिति असम	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	1840	1298948	4216	-	-	1895465
27	डॉ. अंबेडकर मिशन	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	33394	5979414	43988	570577	-	2217616
28	डॉ. अंबेडकर मिशन	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4545	2056050	-	861130	-	-
29	वैश्विक स्वास्थ्य टीकाकरण और जनसंख्या नियंत्रण संगठन	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4915	1028025	4949	902025	-	1038090
30	ग्राम विकास परिषद	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4705	1028025	4839	2039850	-	1021530
31	ग्राम विकास परिषद	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4705	1028025	4685	2039850	-	771019
32	ग्राम विकास परिषद	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4871	1289081	4949	968287	-	1034378
33	रामकृष्ण मिशन	जीआईए - छात्रावास	32	698565	-	605622	-	-

34	रामकृष्ण मिशन आश्रम गुवाहाटी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	9350	783861	9957	846249	-	703546
35	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम	जीआईए - छात्रावास	0	1002583	63	-	-	957033
36	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	-	277882	-	-	-	-
37	सदौ असोम ग्राम्य पुथिभरल संथा	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	75	-	84	3635075	-	1242392
38	श्रीमंत शंकर मिशन	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4249	-	4480	2745015	-	1018560
छत्तीसगढ़								
39	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	78	-	-	340062	-	-
40	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	48	-	-	344481	-	-
41	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए - छात्रावास	24	-	-	228803	-	-
42	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए - छात्रावास	24	-	-	213442	-	-
43	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए - छात्रावास	38	-	-	399062	-	-
44	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	14245	-	-	1169280	-	-
45	गौमुखी सेवा धाम	जीआईए - आवासीय विद्यालय	150	992053	150	2574248	-	3198099
46	नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	58	35078	90	1577384	-	1816774
47	रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर	जीआईए - छात्रावास	1460	3158101	-	4936008	-	-
48	वनवासी विकास समिति	जीआईए - छात्रावास	-	-	-	169506	-	-
49	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य, कल्याण एवं सेवा संस्थान छत्तीसगढ़	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	192	8851642	192	1889375	192	9049472
दिल्ली								
50	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	जीआईए - छात्रावास	50	1428775	-	831450	-	-
गुजरात								
51	भारत सेवाश्रम संघ देडियापाड़ा	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	13443	130557	12083	1015992	-	1124062

52	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	959724	-	2696426	-	-
53	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	100	404250	100	2761940	100	3129175
54	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	99	1538898	99	3481226	99	4074257
55	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - छात्रावास	99	-	99	2937742	99	3505026
56	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	16792	-	11589	1219593	11589	2704989
57	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	18504	-	12134	1219593	12134	2727739
58	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	16963	-	-	1219593	-	-
59	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	16963	-	-	1219593	-	-
60	भारत यात्रा केंद्र	जीआईए - छात्रावास	50	454525	50	1723625	-	696596
61	अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा एवं सांस्कृतिक संघ (इनरेका)	जीआईए - छात्रावास	100	1255768	100	1772685	100	2995186
62	अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा एवं सांस्कृतिक संघ (इनरेका)	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	22696	5189619	23142	617512	23142	4268381
63	लोकनिकेतन रतनपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	150	469706	150	1739680	-	3494180
64	सर्वोदय आश्रम सनाली	जीआईए - आवासीय विद्यालय	83	-	83	2123469	-	1197162
65	श्री विमुक्त जाति कल्याण मंडल	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	-	-	-	2724520	-	-
			हिमाचल प्रदेश					
66	की गोम्पा की बौद्ध सांस्कृतिक सोसायटी	जीआईए - छात्रावास	100	424481	100	1866847	100	3143200
67	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक संघ	जीआईए - आवासीय विद्यालय	335	1241618	335	4563051	335	11085429
68	आईएसबीपी और टीसीएस	जीआईए - आवासीय विद्यालय	222	-	222	5933115	-	3712219
69	रामधा बौद्ध सोसायटी	जीआईए - छात्रावास	100	2230706	100	420221	-	1502100
70	रिनचेन जांगपो सोसायटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	400	7187306	400	3275375	400	15000790
71	रिनचेन जांगपो सोसायटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	2070450	100	2425050	100	3992188
72	द सन रेज एजुकेशन सोसायटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	134	-	134	4118611	134	5285921
			जम्मू और कश्मीर					
73	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक सोसायटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	140	-	-	3676230	-	-

झारखंड								
74	भारत सेवाश्रम संघ बाराजुरी घाटशिला	जीआईए - आवासीय विद्यालय	160	3154196	160	3465198	-	3487460
75	भारत सेवाश्रम संघ बाराजुरी घाटशिला	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	2637450	100	2628450	-	2433817
76	भारत सेवाश्रम संघ बाराजुरी घाटशिला	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	10172	24273	8899	1178250	4544	2000619
77	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	692025	100	2513664	-	2535125
78	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए - आवासीय विद्यालय	150	1775299	150	3507825	-	3492229
79	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	8262	3630257	7750	3803581	-	4551702
80	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	12179	25773	7327	1177305	-	1117058
81	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	150	2552338	150	1576969	-	2946732
82	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	1995783	100	1190269	-	2337164
83	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	200	3150497	200	2557890	-	4154589
84	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	488	5736735	488	6869108	-	10251530
85	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	100	1502009	100	1097797	-	1449170
86	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	101	1477767	101	751006	-	1347550
87	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	130	1422866	150	1141035	-	1728136
88	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	137	1308597	117	1236273	-	1620346
89	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	198	1486337	194	1256174	-	1849416
90	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	5611	5555346	4599	3149018	-	2361763
91	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	19715	4993181	21714	2341595	-	3354949
92	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	10634	1461711	10432	1022713	-	1132622
93	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	15068	1343976	20613	800663	-	1224062
94	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	15992	1422493	17883	838440	-	1224733
95	भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ शाखा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	769125	99	2193388	99	4173003
96	भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ शाखा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	769125	100	2204915	100	4170889
97	भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ शाखा	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	2876	116190	3796	2474250	3796	4511038
98	भारत सेवाश्रम संघ रांची	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	2219924	100	2563797	-	2414244

99	भारत सेवाश्रम संघ रांची	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	5752	1434750	-	1122697	-	-
100	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ शाखा रांची	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	1543116	100	1297907	-	3011557
101	रामकृष्ण मठ	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	2058	536022	-	541569	-	-
102	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	9722	-	9722	1015666	-	1637698
103	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	जीआईए - आजीविका परियोजनाएं	80	6200794	80	3971902	-	2640000
104	रामकृष्ण मिशन क्षय रोग सेनेटोरियम	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	413	344060	-	9668932	-	-
105	रामकृष्ण मिशन क्षय रोग सेनेटोरियम	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	16267	269	35896	14814016	-	11110512
106	रामकृष्ण मिशन क्षय रोग सेनेटोरियम	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	11570	53413	9031	1142250	-	1477921
107	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी	जीआईए - छात्रावास	65	693395	-	1076484	-	-
108	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	100	157992	-	-	-	127926
109	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	1491080	-	-	-	-
110	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	1849440	-	-	-	-
111	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए - छात्रावास	-	1743750	-	-	-	-
112	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए - छात्रावास	-	2440563	-	-	-	-
				कर्नाटक				
113	आशीर्वाद ग्रामीण विकास ट्रस्ट	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	10811	1978800	11631	621135	-	2959902
114	भारती शिक्षा ट्रस्ट	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	4415283	100	624477	-	1974341
115	हरिहरग्रामीणभिवृद्धि संघ	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	7664	867651	7795	257006	-	1292711
116	नवज्योति स्वयं सहायता एवं ग्रामीण विकास संस्थान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	2092282	-	1313552	-	-
117	प्रगति ग्रामीण विकास सोसायटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	2645440	100	2945095	100	5115688
118	समर्पण विकास संगठन	जीआईए - छात्रावास	69	1847790	83	1011517	-	1274872
119	संत कबीरदास शिक्षा सोसायटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	153345	-	-	-	-
120	श्री मंजूनाथस्वामी विद्या संस्था	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	630345	100	3255971	-	1479800
121	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	100	344105	100	2763453	-	1063208

122	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	8498	5926500	8498	-	-	2251546
123	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	271	1217908	271	3823259	-	1781525
124	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	106	-	106	2807855	-	1994231
125	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	5606	123200	5606	2288993	-	1716745
126	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	11845	51132	11845	1022625	-	766969
127	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र	जीआईए - आवासीय विद्यालय	150	-	-	639928	-	1061915
128	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	5791	-	-	4099075	-	-
129	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4702	-	-	1584656	-	-
केरल								
130	माता अमृतानंदमयी मठ	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	61591	3034093	61265	3788316	-	752581
131	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, केरल।	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	14520	2962816	13496	3182551	-	-
132	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, केरल।	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	7299	610430	7574	1855744	-	-
133	वायनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट	जीआईए - आवासीय विद्यालय	91	7674134	91	4121156	-	-
134	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र	जीआईए - आवासीय विद्यालय	189	3689713	189	5024414	-	3647783
135	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	618882	-	-	-	-
136	श्री नालंदा धर्म केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	191	2672910	191	2408161	191	4805882
मध्य प्रदेश								
137	आदर्श लोक कल्याण संस्थान	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	150	5989127	150	5321551	150	3463054
138	आदर्श लोक कल्याण संस्थान	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	150	6109317	150	5392807	150	3288521
139	अमरपुर बाल विकास विद्या मंदिर समिति	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	100	1141650	100	1236150	100	2111156

140	अमाय ग्रामीण उत्थान समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक स्तर के लिए केवल नए छात्रावास	100	-	100	5175192	100	2689450
141	बांधेवाल शिक्षा समिति	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	99	1478626	100	2662561	100	1421906
142	बांधेवाल शिक्षा समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	92	6025275	99	5828415	99	3463862
143	दीनदयाल शोध संस्थान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	120	2258461	-	1003201	-	1576144
144	ग्रामीण सेवा केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	-	788905	-	-	-	-
145	ग्रामीण सेवा केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	2642889	100	828742	-	2478925
146	केशव ग्रामोत्थान शिक्षा समिति टिकरिया	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	2549508	100	3081175	100	5771430
147	केशव ग्रामोत्थान शिक्षा समिति टिकरिया	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	2549666	100	3020814	100	6025514
148	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	181	9005827	181	6577236	181	4879362
149	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	197	8606615	197	6262686	200	4452186
150	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	शिक्षा का सुदृढ़करण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	4872425	100	4338675	100	3373009
151	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	शिक्षा का सुदृढ़करण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	4819974	78	4297275	100	2120013
152	एमपी अनुसूचितजाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ उज्जैन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	85	560721	100	3685857	-	1976700
153	एमपी अनुसूचितजाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ उज्जैन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	110	3268640	110	6223887	110	6088791

154	पांडेय शिक्षा समिति भमरहा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	197	6118546	197	5506405	200	5085509
155	पांडेय शिक्षा समिति भमरहा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	60	6400209	193	6277799	193	5120092
156	पांडेय शिक्षा समिति भमरहा	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	77	7563664	84	2862277	84	3087612
157	पांडेय शिक्षा समिति भमरहा	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	60	3960000	60	3764250	60	2269855
158	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	100	1772821	100	1442328	-	344284
159	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	-	-	-	6860122	-	-
160	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट कट्ठीवाड़ा जिला अलीराजपुर (म.प्र.)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	150	-	150	4709754	-	1953271
161	रामा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	95	1490790	96	1539910	96	2339883
162	सव्यसांची शहरी एवं ग्रामीण विकास केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	305	18029144	311	5970191	311	15395427
163	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम	जीआईए - आवासीय विद्यालय	88	248002	88	2538193	-	2706146
164	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	1119	-	1147	646709	1147	693985
165	वनवासी सेवा मंडल समिति	जीआईए - गैर-आवासीय स्कूल	100	2018505	97	2058801	100	3379698
				महाराष्ट्र				
166	चंद्राई महिला मंडल	जीआईए - आवासीय विद्यालय	250	4318144	250	9122831	250	7112947
167	चंद्राई महिला मंडल	जीआईए - छात्रावास	219	4868860	219	7969182	219	6774193
168	जय हिंद मित्र मंडल कोल्हा ताल मानवत जिला परभणी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	124	1977646	124	5030920	124	3315827
169	खंडेराव एजुकेशन सोसाइटी बसर, ताल.सकरी, जिला.धुले	जीआईए - आवासीय विद्यालय	200	3554127	200	7230673	200	5455096
170	खंडेराव एजुकेशन सोसाइटी बसर, ताल.सकरी, जिला.धुले	जीआईए - आवासीय विद्यालय	200	3301802	200	9355022	200	5842723
171	महामानव बाबा आमटे बहुदेशीय सामाजिक विकास सेवा संस्था	जीआईए - छात्रावास	97	1631728	97	2706610	-	1183476

172	मालमाथा परिसर शिक्षा प्रसारक मंडल नागपुर (वि)ताल सकरी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	153	2448652	153	5225325	153	3879818
173	राजमाता शिक्षा प्रसारक मंडल दोइथान आष्टी बीड महाराष्ट्र	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	1893726	100	4157764	100	2268667
174	रेणुकादेवी शिक्षा प्रसारक मंडल, कुकने	जीआईए - आवासीय विद्यालय	143	2575727	160	5607992	160	4565320
175	संधि निकेतन शिक्षा संस्था वडगांव	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	246	-	237	-	237	18708090
176	श्री गणेश फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	240	5541540	240	14299613	240	7263467
177	श्री गणेश फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	229	7667213	229	11152511	229	6582075
178	श्री महागणपति समाजसेवी संगठन वडनेर बीके	जीआईए - आवासीय विद्यालय	57	1769259	57	3250312	57	1920559
179	श्री कोतुलेश्वर शिक्षा प्रसारक मंडल कोतुल, ताल-अकोले	जीआईए - आवासीय विद्यालय	169	4198994	169	7456789	169	4142912
180	श्री कोतुलेश्वर शिक्षा प्रसारक मंडल कोतुल, ताल-अकोले	जीआईए - आवासीय विद्यालय	105	4210768	115	6204057	115	3481698
181	श्री साईनाथ शिक्षा सोसायटी	जीआईए - छात्रावास	-	2792380	-	-	-	-
182	श्री स्वामी स्वयं सेवाभावी संस्था गणेशपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	250	3379010	250	8936238	250	7469497
183	श्री स्वामी स्वयं सेवाभावी संस्था गणेशपुर	जीआईए - छात्रावास	163	4907876	163	4989137	163	5141878
184	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल ताल नंदगांव जिला नासिक	जीआईए - आवासीय विद्यालय	120	433494	120	3925901	120	3309575
185	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	10943	-	-	5046480	-	-
186	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	10400	-	-	4716277	-	-
187	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	जीआईए - आजीविका परियोजनाएं	35	-	-	550364	-	1131881
188	तापी परिसर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट नेवाडे	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	2460780	100	2646866	-	1802554
189	तापी परिसर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट नेवाडे	जीआईए - छात्रावास	100	1823985	100	2931322	-	1150723
190	उज्ज्वल ग्रामीण विकास सोसायटी, नेवाडे, ताल.शिंदखेड़ा	जीआईए - छात्रावास	119	1642769	120	3368330	120	2249702
				मणिपुर				
191	आदिमजाति शिक्षा आश्रम खोंगनांग करक, चिंगमेइरोंग	जीआईए - छात्रावास	100	297866	100	1375380	-	1031535

192	चिल चिल एशियाई मिशन सोसाइटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	200	6979444	200	455904	200	7828039
193	क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	2538000	100	2459565	-	2712488
194	एकीकृत शैक्षिक सामाजिक विकास संगठन	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	100	2164432	100	388800	100	2480861
195	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	140	2606100	140	2604919	-	3100260
196	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	90	2277220	100	2092837	-	2533163
197	मणिपुर उत्तर आर्थिक विकास संघ	जीआईए - छात्रावास	65	1346000	65	658260	-	493695
198	ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	4609	2120850	-	1178250	-	-
199	सियामसिनपौलपी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	500	11138107	500	867195	-	5677459
200	ग्रामीण सशक्तिकरण सोसाइटी के लिए सामाजिक मानव अभियान	जीआईए - छात्रावास	74	693620	74	1458339	-	1093754
201	महिला शिक्षा अभियान और विचार सोसाइटी	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	8936	1397415	8936	582675	-	805500
202	आदिवासी संस्कृति अनुसंधान केंद्र	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	100	2431290	100	1303805	-	1129086
203	टाइप राइटिंग संस्थान और ग्रामीण विकास सेवा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	97	4835859	97	81565	97	4062378
204	टाइप राइटिंग संस्थान और ग्रामीण विकास सेवा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	7009718	100	675637	100	4135084
205	यूनिक ट्रस्ट	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयां	3727	1855744	-	265106	-	-
206	संयुक्त ग्रामीण विकास सेवा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	5422875	73	1350262	-	1603618
207	वाइन स्टीवंस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	5088445	100	2955450	-	1921860
मेघालय								
208	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	7284	55171707	7284	196713143	7284	80477363
209	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	869	8651007	869	6681092	869	6416038
210	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए - छात्रावास	50	1503656	50	1207305	50	834156
211	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए - छात्रावास	90	2293323	89	1829250	89	1255385
212	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	52187	1397001	43740	2451379	43740	2278274
213	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	8935	942505	7960	1167825	-	107470
214	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	10042	942716	9320	1168006	-	114458

215	रामकृष्ण मिशन शिलांग	जीआईए - छात्रावास	26	671913	-	638973	-	-
216	रामकृष्ण मिशन शिलांग	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	45457	2150342	-	348238	-	-
217	सं-केर चैरिटेबल ट्रस्ट	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	-	2734374	-	-	-	-
218	सं-केर चैरिटेबल ट्रस्ट	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	3573	1143755	-	1000282	-	-
	मिजोरम							
219	मिशन फाउंडेशन मूवमेंट	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	256	1972350	-	-	-	-
220	मिशन फाउंडेशन मूवमेंट	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	597	2520923	-	226067	-	-
221	मिजोरम हमीथाई एसोसिएशन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	94	3349620	93	1758717	-	1634220
222	समरिटन्स एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	467937	-	-	-	-
223	समरिटन्स एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	-	-	670168	-	-
224	सोशल गाइडेंस एजेंसी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	-	578889	-	-	-	-
225	थुतक नुनपुइतु टीम	जीआईए - आवासीय विद्यालय	93	2261530	93	2495543	-	2235068
	ओडिशा							
226	अरुण ग्रामीण कार्य संस्थान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	190	1283878	190	3793230	-	3556508
227	अरुण ग्रामीण कार्य संस्थान	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	240	489440	240	6646800	240	11695541
228	स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए)	जीआईए - आवासीय विद्यालय	149	-	150	5968272	-	3325292
229	बनबासी सेवा समिति	जीआईए - छात्रावास	100	1462544	-	1759947	-	-
230	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद	जीआईए - छात्रावास	60	375447	60	2042177	-	890858
231	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	103	1387354	150	2430638	-	2707811
232	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	20491	644407	25148	6832909	-	3590136
233	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	10115	1146722	10353	957245	-	1053465
234	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	12018	1131553	12346	869632	-	1061561

235	ब्राइट कैरियर अकादमी	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	150	3633975	150	4846050	140	8704572
236	होली होम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	300	5171675	300	10617300	300	16618179
237	कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	5000	96766481	5000	39398443	5000	138250259
238	कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	5000	76814842	5000	36159016	5000	171405385
239	केजीएनएम ट्रस्ट	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	1659843	-	167541	-	2691878
240	कोरापुट विकास फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	180	7969649	180	6955867	180	10105228
241	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	-	-	-	-	2266447
242	एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन	जीआईए - आजीविका परियोजनाएँ	31	-	-	129747	-	-
243	माँ बिंध्यबासिनी अनाथ शिक्षाश्रम	जीआईए - छात्रावास	100	-	100	2938063	-	1317870
244	मार्र मुनिंग आश्रम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	1660585	100	2739494	-	-
245	नेहरू सेवा संघ	जी.आई.ए. - छात्रावास	140	1623873	-	-	-	1118483
246	निखिला उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ	जी.आई.ए. - आवासीय विद्यालय	150	-	150	4948129	150	3953526
247	न्यासद्री	जी.आई.ए. - आवासीय विद्यालय	100	5833275	100	1861750	-	1396313
248	ग्रामीण महिला एवं युवा विकास संगठन	जी.आई.ए. - छात्रावास	100	689852	-	2402627	-	-
249	प्रकल्प	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	-	8701673	-	560864	-	-
250	रामकृष्ण मिशन	जी.आई.ए. - छात्रावास	60	1089495	60	1584725	-	697552
251	रामकृष्ण मिशन आश्रम पुरी	जी.आई.ए. - छात्रावास	70	2483106	70	1289390	-	967043
252	संकल्प	जी.आई.ए. - आवासीय विद्यालय	399	1887010	399	6263089	-	4697317
253	सर्वोदय समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	150	-	150	4122615	-	-
254	सेवा समाज	जी.आई.ए. - छात्रावास	100	-	100	2201781	-	926383

255	सेवा समाज	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	100	1262339	100	3657819	-	1990373
256	श्री रामकृष्ण आश्रम	जी.आई.ए. - छात्रावास	200	1660377	200	5816309	200	3807034
257	श्री रामकृष्ण आश्रम	जी.आई.ए. - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	14938	52926	14868	1832238	14868	1602823
258	पर्यावरण एवं विकास के लिए सामाजिक शिक्षा (सीड)	जी.आई.ए. - आवासीय विद्यालय	140	-	140	3759489	-	-
259	प्रकृति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सोसायटी (स्नेह)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	156	3157835	156	2683118	-	3986486
260	प्रकृति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सोसायटी (स्नेह)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	103	2446416	103	3449766	-	3442006
261	श्री रामकृष्ण आश्रम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	300	7619185	300	17092926	-	-
262	टैगोर ग्रामीण विकास सोसायटी उड़ीसा परियोजनाएँ	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	147	159040	147	2868521	-	-
263	विश्व जीवन सेवा संघ	जी.आई.ए. - आवासीय विद्यालय	200	2216863	200	3301936	-	1758155
				राजस्थान				
264	बनस्थली विद्यापीठ	पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से 15 जनजातीय लड़कियों को प्रतिष्ठित संस्थान में प्रायोजित करना।	86	3415500	90	3263700	-	4009875
265	मुस्कान संस्थान	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	192	-	-	-	-	1111766
266	एन एम सद्गुरु जल एवं विकास फाउंडेशन	जीआईए - आजीविका परियोजनाएं	200	-	-	4498839	-	-
267	प्रेरणामूर्ति लोक कल्याण संस्थान पुछियावाड़ा	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	172	2872714	-	2398410	-	-
268	राजस्थान बाल कल्याण समिति	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	384	3877368	396	943557	-	3614277
269	राजस्थान बाल कल्याण समिति	जीआईए - आजीविका परियोजनाएं	500	-	-	1352200	-	2071200

270	राजस्थान बाल कल्याण समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण - शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	385	-	385	14464709	-	10960396
सिक्किम								
271	सिक्किम मानव विकास फाउंडेशन	जीआईए - आवासीय विद्यालय	90	1597950	-	1579950	-	1825403
272	सिक्किम मानव विकास फाउंडेशन	जीआईए - छात्रावास	100	1120410	-	1029960	-	1722285
273	मुयाल लियांग ट्रस्ट	जीआईए - आवासीय विद्यालय	111	-	-	2071446	-	1768087
274	भारतियार मक्कल नलवल्वु संगम	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	11633	2327400	10576	2322000	10576	4335657
275	भारतियार मक्कल नलवल्वु संगम	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	9598	1055025	6750	1055025	6750	1687992
276	भारतियार मक्कल नलवल्वु संगम	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	8574	1060425	6481	1060425	6481	1623335
277	सामुदायिक सेवा केंद्र	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	1731837	-	-	-	-
278	सामुदायिक सेवा केंद्र	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	2035530	-	-	-	-
279	ग्रामीण मक्कल अबीविरुधि इयक्कम	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	14153	324383	13706	4738446	13706	8032406
280	ग्रामीण मक्कल अबीविरुधि इयक्कम	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	8797	1055025	13608	1055025	13608	1741320
281	ग्रामीण मक्कल अबीविरुधि इयक्कम	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	8114	47621	10085	1055025	10085	1846294
282	ट्रस्ट गर्ग	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	137	2580970	133	469185	-	1742662
283	नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	37653	13639917	31223	13275836	31223	16719558
284	दक्षिण भारत अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	1615712	-	-	-	-
285	बंजारा सेवा समिति	जीआईए - छात्रावास	96	960933	-	1844957	-	-
286	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट	जीआईए - आवासीय विद्यालय	150	2805524	150	1473957	-	6550359
287	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट	जीआईए - गैर-आवासीय विद्यालय	130	1897762	111	680563	-	3147349

त्रिपुरा								
288	बहुजन हिताय शिक्षा ट्रस्ट	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	156271	-	4176891	-	-
289	त्रिपुरा आदिबाशी महिला समिति	जीआईए - आवासीय विद्यालय	89	-	89	3540286	-	1703433
290	त्रिपुरा स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ	जीआईए - आवासीय विद्यालय	288	-	-	1851668	-	2505068
उत्तर प्रदेश								
291	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा पलिया कलां	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	-	-	1344588	-	-
292	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	जीआईए - छात्रावास	45	740619	45	914918	-	835343
293	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	जीआईए - छात्रावास	47	1690281	47	923207	-	862229
294	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	जीआईए - छात्रावास	50	789766	50	931615	-	899025
295	उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्थान पलिया कलां खीरी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	-	100	2035162	-	2506163
296	अशोक आश्रम	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	2249245	-	1289814	-	-
297	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा कालसी देहरादून यू.के.	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	1182499	100	3131483	-	1280715
298	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा कालसी देहरादून यू.के.	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	1284901	100	3159106	-	1272004
299	समग्र ग्रामीण विकास समिति	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	-	1032066	-	-	-	-
300	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	जीआईए - आवासीय विद्यालय	43	673777	-	1344740	-	622478
301	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	जीआईए - छात्रावास	65	-	-	1360194	-	767110
302	स्वतंत्रता सेनानी लोक बंधु राम मूर्ति पावसे सेवा न्यास	जीआईए - आवासीय विद्यालय	-	-	-	1007353	-	487725
पश्चिम बंगाल								
303	भारत सेवाश्रम संघ-पुरुलिया	जीआईए - छात्रावास	100	1329514	100	1449826	-	1656428
304	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए - छात्रावास	100	616050	100	1308843	-	981632
305	भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद	जीआईए - आवासीय विद्यालय	150	6909530	150	1455751	150	5589348
306	भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	13045	2851173	12720	322296	12720	1867688
307	भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट	जीआईए - छात्रावास	500	1322325	500	5117745	500	14941369
308	भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	125	3286728	125	215566	125	4771163
309	भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	400	5593782	400	3601514	400	13187188

310	भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	225	3460370	225	2194292	225	7391288
311	भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा	जीआईए - 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	5597	-	5597	2399599	-	1173569
312	भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	8441	1720530	4667	285255	-	944794
313	भारत सेवाश्रम संघ डोकरा शाखा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	2363724	-	2373165	-	2365637
314	भारत सेवाश्रम संघ फरक्का इकाई	जीआईए - छात्रावास	100	3102199	100	537210	-	402908
315	भारत सेवाश्रम संघ घकसोल इकाई	जीआईए - छात्रावास	100	1329514	100	1191143	100	2871855
316	भारत सेवाश्रम संघ घकसोल इकाई	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	8300	44278	7012	1027485	7012	1546531
317	भारत सेवाश्रम संघ कुनोर शाखा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	688189	100	1424700	100	4312744
318	भारत सेवाश्रम संघ कुनोर शाखा	जीआईए - छात्रावास	100	1367887	100	876389	100	2971238
319	भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	160	400971	160	2723495	160	6478581
320	भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	13853	1764585	11368	271774	11368	1500305
321	भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर	जीआईए - आवासीय विद्यालय	200	2013835	200	1481948	200	6213650
322	भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर	जीआईए - मोबाइल डिस्पेंसरी/बहु सेवा मोबाइल इकाइयाँ	6195	1235565	6195	1022625	6195	1713427
323	भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	6123	1239633	6080	1023525	6080	1472945
324	भारत सेवाश्रम संघ पंजिपुकुर शाखा	जीआईए - छात्रावास	100	1968398	100	554432	100	2384874
325	भारत सेवाश्रम संघ रायगंज	जीआईए - आवासीय विद्यालय	100	-	100	2405852	100	3481144
326	भारत सेवाश्रम संघ रायगंज	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	11288	35517	8455	1060425	-	952961
327	भारत सेवाश्रम संघ सूरी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	9006	62906	8340	1020735	-	898616
328	भारत सेवाश्रम संघ ताजपुर इकाई	जीआईए - छात्रावास	100	-	100	952051	-	1631160
329	भारत सेवाश्रम संघ ताजपुर इकाई	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	4893	796873	6620	261056	-	872494

330	भारत सेवाश्रम संघ तेओर इकाई	जीआईए - छात्रावास	130	504954	130	1161536	130	3586039
331	भारत सेवाश्रम संघ तेओर इकाई	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	10857	56813	6361	1142250	6361	2202100
332	विकास भारती वेलफेयर सोसाइटी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	5251	1605477	11621	864282	11621	1640305
333	गोलडीहाजति-उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र	जीआईए - आवासीय विद्यालय	200	4445381	200	970414	200	5871653
334	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक संघ सालुगारा	जीआईए - आवासीय विद्यालय	74	1497789	76	1605893	76	2646572
335	मिदनापुर पश्चिम सिस्टर निवेदिता वेलफेयर सोसाइटी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	5068	51620	5068	1028025	-	771019
336	निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	6193	1028025	6193	1028025	-	771019
337	प्रणब कन्या संघ	जीआईए - छात्रावास	50	1318408	-	570992	-	-
338	रामकृष्ण मिशन आश्रम सरगाछी	जीआईए - सचल औषधालय (मोबाइल डिस्पेंसरी)/ बहु-सेवा सचल इकाई (मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट)	1714	-	4646	-	4646	2522655
339	रामकृष्ण मिशन बॉयज होम	जीआईए - आवासीय विद्यालय	93	1747978	100	679823	-	2192537

 # अनंतिम

अनुलग्नक – 16

वर्ष 2023-24 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई घनराशि राशि

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना (10.04.2024 तक)	6740.00	3294.12	2456.35	3127.29	2897.97	5020.11	1754.38	4226.39	**29516.61**
2	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	0.00	7182.38	0.00	0.00	1112.01	0.00	0.00	2737.23	**11031.62**
3	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	187.50	0.00	0.00	306.89	0.00	0.00	0.00	**494.39**
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	8000.00	3500.00	3000.00	8500.00	2500.00	3500.00	0.00	4000.00	**33000.00**
5	अजजा के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठन को सहायता	205.74	121.75	406.09	953.52	0.00	0.00	0.00	0.00	**1687.10**
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता	48.63	0.00	0.00	0.00	550.00	400.00	0.00	25.00	**1023.63**
	कुल	**14994.37**	**14285.75**	**5862.44**	**12580.81**	**7366.87**	**8920.11**	**1754.38**	**10988.62**	**76753.35**

अनुलग्नक-17

वर्ष 2023-24 के दौरान महिला लाभार्थियों के लिए शामिल विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रमों का नाम	उप-योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2023-24 (करोड़ रुपये में)	पहचाने जाने योग्य मापने योग्य और निगरानी योग्य आउटपुट/ परिणाम	लक्ष्य प्राप्त किया गया
1.	अनुच्छेद 275(1) अनुदान	मंत्रालय ने प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, अंतिम छोर तक सड़क और संचार, वित्तीय समावेशन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आय सृजन योजनाएं, आदि सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को पाटने के लिए उपाय (हस्तक्षेप) करने को प्राथमिकता दी है। इस योजना के तहत मौजूदा आईटीडीए का सुदृढ़ीकरण/नए आईटीडीए की स्थापना और समर्पित सूक्ष्म परियोजनाओं को भी सहायता देकर वित्त पोषित किया जाएगा। अंतरो की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।	1472.10 रुपये (बीई) 1172.10 रुपये (आरई)	यह एक लिंग निष्पक्ष योजना है और लाभ पुरुष और महिला दोनों लाभार्थियों के लिए हैं। अनुदान अंतर भरने की प्रकृति के हैं। हालांकि, राज्यों को सलाह दी जाती है कि एक लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं के तहत तिहाई महिला लाभार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए।	दिनांक 31.03.2024 तक राज्यों को अनुच्छेद 275(1) के तहत 1172.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
2.	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) की नवस्वरूपित (परिष्कृत) योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 के दौरान कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले और 500 अजजा वाले कुल 36,428 गांवों को लिया जा रहा है। योजना के तहत कवर की जाने वाली कुल आबादी लगभग 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40%) होगी। इसमें से 2.1% करोड़ महिला अजजा आबादी को कवर किया जाएगा जो कुल लाभार्थियों का लगभग 50% है।	316.71 करोड़ रुपए पीएसी में अनुमोदित	योजना का लक्ष्य ग्राम विकास योजनाओं के विकास के माध्यम से विकासात्मक अंतरों को कवर करना है जिनके द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क, स्वच्छता, पेयजल, संपर्क, आंगनवाड़ी, जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास, सामुदायिक वन विकास, वन संसाधनों के संरक्षण में अंतरों को कवर किया जाएगा। योजना में लक्षित कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में से 2.10 करोड़ की महिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 50% है, को अंतराल के शमन से लाभ होने की उम्मीद है।	दिनांक 31.03.2024 तक राज्यों को 14993.04 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	योजना के तहत अलग से कोई बजट आवंटन नहीं है। "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" के तहत संयुक्त निधियां आवंटित की जाती हैं	6157 अनुसूचित जनजाति की बालिका लाभार्थियों के लिए 38 शैक्षिक परिसर।	2023-24 के दौरान, 8 राज्यों में 4840 अजजा बालिका लाभार्थियों को कवर करने वाले 31 शैक्षिक परिसरों के लिए 18.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रमों का नाम	उप-योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2023-24 (करोड़ रुपये में)	पहचाने जाने योग्य मापने योग्य और निगरानी योग्य आउटपुट/ परिणाम	लक्ष्य प्राप्त किया गया
4.	टीआरआई को सहायता	'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' और जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार (संप्रेषण) और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) योजनाओं के तहत, जनजातियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में विनिमय यात्राओं के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है। अतिथि समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।			
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। इस निगम के पास अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना सशक्तिकरण योजना" (एएमएसवाई) नामक एक विशेष योजना है। योजना के तहत निगम ₹2 लाख तक की इकाई लागत वाली योजनाओं के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4% प्रति वर्ष की दर से अत्यधिक रियायती ब्याज पर दी जाती है। निगम अन्य आय सृजन योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।	15.00 करोड़ रुपए	लाभार्थियों की संख्या सहित प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि	एएमएसवाई के तहत, वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी ने 31.03.2024 तक 2052 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 12.21 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की।
6.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)	ग्यारहवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	1970.00 (बीई) 2668.83 (आरई)	योजना के तहत कवर किए गए छात्रों की संख्या 28,38,194 (अनुमानित)	अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को 2668.83 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
7.	नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	411.00 (बीई) 308.61 (आरई)	योजना के तहत कवर किए गए विद्यार्थियों की संख्या 12,59,203 (अनुमानित)	अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाओं के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को 308.60 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
8.	अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)।	विदेशों के विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने की योजना	4.00 (बीई) 7.00 (आरई)	योजना के अंतर्गत शामिल छात्रों की संख्या 65 है	योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिका लाभार्थियों को

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रमों का नाम	उप-योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2023-24 (करोड़ रुपये में)	पहचाने जाने योग्य मापने योग्य और निगरानी योग्य आउटपुट/ परिणाम	लक्ष्य प्राप्त किया गया
					7.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है
9.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	1. एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा के रूप में अध्येतावृत्ति । 2. पेशेवर क्षेत्रों में सरकारी और निजी, अधिसूचित उत्कृष्ट संस्थानों में पाठ्यक्रम करना।	145.00 (बीई) 230.00 (आरई)	योजना के अंतर्गत कवर किए गए विद्यार्थियों की संख्या 8407 है	योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिका लाभार्थियों के लिए 230.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है
10.	पीवीटीजी का विकास	पीवीटीजी योजना के दिशा-निर्देशों में विशेष महिला सभाओं की बैठकों के माध्यम से संरक्षण सह विकास योजनाओं के निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। पीवीटीजी के लिए संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं को तैयार करते समय योजना के दिशानिर्देशों के तहत लिंग संबंधी अलग-अलग जानकारी की भी सिफारिश की जाती है।	256.14	चूंकि पीवीटीजी के संरक्षण और विकास की योजना एक मांग-संचालित योजना है, परियोजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उन्हें वार्षिक आवंटन किए जाने के बाद प्रस्तावित किया जाता है। इन परियोजनाओं को उनके महत्व, व्यवहार्यता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटन के आधार पर पीएसी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसलिए, इस समय प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या बताना व्यवहार्य नहीं होगा	पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई है।
11.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	सरकार ने 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ईएमआरएस योजना वर्ष 2019 में एक अलग केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजातीय छात्रों के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी (एनईएसटी), एक स्वायत्त निकाय है, जिसको ईएमआरएस और योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए निधि जारी की जाती है और आगे एनईएसटी ईएमआरएस के निर्माण और स्कूलों के संचालन हेतु आवर्ती लागत के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों/ पीएसयू/ निर्माण एजेंसियों/राज्य सोसायटी को निधियां जारी करता है।	5943.00 (बीई) 2471.81 (आरई)	ईएमआरएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईएमआरएस की कुल अधिकतम स्वीकृत संख्या 480 छात्र हैं जिनमें बालकों और बालिकाओं की संख्या समान है।	ईएमआरएस योजना के तहत, वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान छात्रों का कुल नामांकन 1,23,841 है, जिसमें से 62,828 (50.7%) बालिकाएं हैं। ईएमआरएस योजना के तहत 31.03.2024 तक 2447.610 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

अनुलग्नक 19

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	संपर्क विवरण एवं पता
1	श्री संगीत कुमार	अवर सचिव (स्थापना, सामान्य प्रशासन, रोकड़ अनुभाग, आजीविका)	ईमेल: s[dot]kumar27[at]nic[dot]in कमरा नं.-400 बी विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23387187
2	श्री वेद प्रकाश मीना	उपनिदेशक (राजभाषा)	ईमेल: vp[dot]meenal 16[at]nic[dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
3	सुश्री सरोज कुजूर	अवर सचिव (अनुदान एवं पीवीटीजी, एनजीओ)	ईमेल: saroj[dot]kujur[at]nic[dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001
4	श्री डी.सी. रे	अवर सचिव (सी एंड एलएम)	ईमेल: dhrajc[dot]ray[at]nic[dot]in गेट नंबर-5 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23340472
5	श्री आशीष कुमार अग्रवाल	अवर सचिव (सी एंड एलएम)	ईमेल: agrawal[dot]ashish[at] nic[dot]in गेट नंबर-5 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23340455
6	सुश्री श्वेता गौतम	अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)	ईमेल: Shweta[dot]gautam[at]nic[dot]in गेट नंबर-5 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23340514
7	सुश्री दीपा जोशी	अवर सचिव (एनसीएसटी, पीए और पीजी जिसमें राष्ट्रीय जनजातीय नीति भी शामिल है)	ईमेल: deepa[dot]joshi69[at] nic[dot]in गेट नंबर-3, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
8	श्री उत्तम कुमार कर	अवर सचिव (पीसी)	ईमेल: uttam[dot]kk[a t]nic[dot]in कमरा नं.-216जे(डी) विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23381903
9	श्री एच. चिनज़ासन	अवर सचिव (टीआरआई/मीडिया एवं स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, एनटीआरआई)	ईमेल: h[dot]chinzason[at]nic [dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23363709
10	श्री अरविन्द मुदगल	अवर सचिव (पीएमएएजीवाई, एफआरए, ईएमआरएस)	ईमेल: arvind[dot]mudgal70[at]nic[dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23343708
11	श्री दिलीप कुमार साहू	अवर सचिव (छात्रवृत्ति और डीबीटी, सीओई, टीएफएफएम, पोर्टल, पीएमयू/एमईएसएसए साइबर सुरक्षा)	ईमेल: dilip[dot]sahu[at]gov[dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23366980
12.	श्री बीजू सिरिएक	उप निदेशक (सांख्यिकी)	ई-मेल: biju[dot]cyriac[at]nic[dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक 23340478
13.	श्री राहुल कुमार	उप निदेशक (केन्द्रीय टीएसपी निगरानी/एसटीसी निगरानी)	ईमेल- rahul[dot]kumar54[at] gov[dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक -23340085
14.	श्री आर.के. वर्मा	उप निदेशक (राज्य एसटीसी निगरानी)	ईमेल:- ramesh[dot] qu[at]nic[dot]in गेट नंबर-2 जीवन तारा बिल्डिंग पटेल चौक संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 दूरभाष क्रमांक -23340278
15	श्री सुशील बडिंग	अवर सचिव (आंतरिक वित्तीय प्रभाग)	ईमेल: sushil[dot]bading79[at]nic[dot]in कमरा नं-217 (डी) विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली -110001 दूरभाष क्रमांक 23387007

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
भारत की माननीय राष्ट्रपति
द्वारा
महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन

Codian MSE 8510
PM-JANMAN
Prime Minister
Gumla-Jharkhand

बुधवार, 15 नवंबर 2023

PM JANMAN
SESSIONS
PM JANMAN
Pradhan Mantri Janjati Adivasi
Nyaya Maha Abhiyan
15th December 2023
Bharat Mandapam, New Delhi

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित